"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2008— ज्येष्ठ 23, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक ई/7-3/2003/1/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग., रायपुर को दिनांक 28-05-2008 से 17-06-2008 तक (21 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 18-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें उनके स्वयं के व्यय पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की निजी विदेश यात्रा की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला, आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. शुक्ला के उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ. ग. का कार्य सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. एफ- 10-1/16/2006 रायपुर, दिनांक 8 मई 2008

छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन), नियम, 2008

अनुक्रमणिका

भाग-1

प्रारंभिक

अध्याय 1

प्रारंभिक

नियम :

अध्याय 2

विनियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाईनरों, भवन-कर्मकारों आदि के दायित्व और कर्तव्य

भाग-2

राज्य सलाहकार समिति, स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय 3

राज्य सलाहकार समिति, राज्य सलाहकार समिति का गठन

अध्याय 4

स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय 5

अपील आदेशों की प्रतियाँ, फीसों का संदाय आदि

भाग-3

सुरक्षा और स्वास्थ्य

अध्याय 6

साधारण उपबंध

अध्याय 7

उत्थापक साधित्र और गियर

63. ऑपरेटर का केब या केबिन.
64. उत्थापक साधित्रों का प्रचालन.
65. उत्तोलक.
66. उत्थापक साधित्रों तक पहुंच के साधन और उन पर बाढ लगाना.
67. डेरिको का रीगन.
68. डेरिको फुट का दृष्टिकरण.
69. उत्थापक गियरों की संरचना और रख-रखाव.
70. उत्थापक गियरों की जांच और कालिक परीक्षण.
71. रस्सियां.
72. उत्पादक गियरों का ताप-उपकार.
73. वास्तविक जांच और परीक्षण आदि के पश्चात्/जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र.
74. आवधिक परीक्षण, परीक्षा और उनके प्रमाण-पत्रों का रजिस्टर.

नियम :

75. निर्वात और चुंबकीय उत्थापक गियर.
76. श्रृंखलाओं और तार रस्सों में गांठ होना.
77. उत्थापक साधित्रों आदि के द्वारा व्यक्तियों को लाना ले जाना.
78. उत्तोलक वहन करने वाला व्यक्ति.
79. भार के अनुलग्नक.
80. टॉवर क्रेन.
81. उत्थापक विंचों और सिंगनलर आदि के प्रचालन की अर्हता.

अध्याय 8

रनवे और ढलान

82. भवन कर्मकार द्वारा रनवे और ढलान का प्रयोग.
83. यानों द्वारा प्रयोग.
84. ढलान का झुकाव.
85. व्हील बैरों आदि द्वारा उपयोग.

अध्याय 9

जल और जल से लगे संकर्म करना

86. जल द्वारा परिवहन.
87. डूबने से बचाव.

अध्याय 10

परिवहन और मृदा संचलन उपस्कर

88. मृदा संचलन उपस्कर और यान.
89. पावर चलित बेलचे और उत्खनित्र.
90. बुलडोजर.
91. स्क्रेपर.
92. एस्फाल्ट परते बिछाने वाली और उसे अंतिम रूप देने वाली सचल मशीनें.
93. समतल करने वाले यंत्र.
94. रोड रोलर.
95. सामान्य सुरक्षा.

126. बल्ली लगाना, टेकबन्दी करना और कसना.
127. सुरक्षित पहुंच.
128. खाईयां.
129. खाईयों की गहराई.

नियम :

130. मशीनरी का लगाना और उपयोग करना.
131. श्वसन साधित्र.
132. सुरंग खोदने संबंधी सामग्री के लिये सुरक्षा उपाय.
133. गैस यांत्रिकी औजार.
134. शेफ्ट.
135. शेफ्ट के लिये लिफ्ट.
136. संचार के साधन.
137. संकेत.
138. निकासी.
139. नियोजक.
140. आंतरिक दहन इंजन का उपयोग.
141. प्रज्जवलनशील तेल.
142. कपलिंग और होसेस.
143. होज़ अधिष्ठापन.
144. अग्नि प्रतिरोधी होसेस.
145. ज्वालारोधी उपस्कर.
146. तेल और भूमिगत ईंधन का भण्डार.
147. भूमिगत गैस का उपयोग.
148. अग्निशमन के लिये जल.
149. जल प्लावन.
150. इस्पात की कनातें.
151. विश्राम गृह.
152. रसायनों के प्रभावों की अनुज्ञेय सीमा.
153. संवातन.
154. वायु प्रदाय प्राप्ति बिन्दु.
155. आपात जेनरेटर.
156. वायु मुख्य द्वार.
157. बल्क हेड और एयरलॉक.
158. डायाफार्म.
159. वहनीय विद्युत हस्त औजार.
160. सर्किट ब्रेकर.
161. ट्रांसफार्मर.
162. विद्युत धारायुक्त तारें.

अध्याय 14

दुरारोह छत का संनिर्माण मरम्मत और अनुरक्षण

अध्याय 15

निसैनी और सोपान निसैनी

अध्याय 16

कैच प्लेटफार्म और होर्डिंग शूट, सुरक्षा बेल्ट और जाल

अध्याय 17

संरचनात्मक चौखटा और फर्मा

अध्याय 18

चट्टा लगाना और चट्टा हटाना

नियम :

अध्याय 31

हिताधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण तथा मंडल के प्रति नियोजक के कर्तव्य

अध्याय 32

प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

भाग-6

प्रकीर्ण उपबंध

अध्याय 33

मुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षकों की शक्तियाँ

अनुसूची

अनुसूची-1 उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर और तार रज्जु के प्रथम उपयोग से पूर्व किये जाने वाली जांच और परीक्षण की रीति.

अनुसूची-2 भवन और अन्य संनिर्माण कार्य में अधिसूचनीय उपजीविका जन्य रोग.

अनुसूची-3 प्राथमिक उपचार पेटिका की अंतर्वस्तु.

अनुसूची-4 एम्बुलेंस कमरे के लिए विषय सूची.

अनुसूची-5 एम्बुलेंस वन अथवा गाड़ी की अंतर्वस्तुएँ.

अनुसूची-6 निरंतर शोर के मामले में अनुज्ञेय उच्छन.

अनुसूची-7 भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जांच की आवर्तिता.

अनुसूची-8 सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं, कर्तव्य इत्यादि.

अनुसूची-9 परिसंकटमय प्रक्रिया.

अनुसूची-10 व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं.

अनुसूची-11 संनिर्माण चिकित्सा अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता.

अनुसूची-12 कार्यानुकूल वातावरण में कतिपय रासायनिक पदार्थों की अनुज्ञात स्तर.

अनुसूची-13 हितलाभ.

प्ररूप

प्ररूप-1 भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन.

प्ररूप-2 पंजीयन का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-3 स्थापनों का रजिस्टर.

प्ररूप-4 भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ/समाप्ति की सूचना.

प्ररूप-5 विंच, डेरिक और उनके उप साधन गियर के प्रारंभिक तथा कालिक जांच और परीक्षण का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-6 क्रेनों या उत्तोलकों और उनके उप साधन गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण प्रमाण पत्र.

प्ररूप-7 लूज गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-8 उपयोग में लाए जाने से पूर्व वायर रोप के जांच और परीक्षण का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-9 उत्थापक गियर के तापानुशीलन का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-10 तापानुशीलन से छूट प्राप्त उत्थापक गियर का संपूर्ण वार्षिक परीक्षण प्रमाण पत्र.

प्ररूप-11 चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण पत्र.

प्ररूप-12 स्वास्थ्य रजिस्टर.

प्ररूप-13 विषाक्तता या उपजीविका जन्य अधि-सूचनीय रोगों की सूचना.

प्ररूप-14 दुर्घटनाओं और भयंकर घटनाओं की रिपोर्ट.

प्ररूप-15 नियोजक द्वारा नियोजित भवन कर्मकार का रजिस्टर.

प्ररूप-16 मस्टर रोल.

प्ररूप-17	मजदूरी का रजिस्टर.
प्ररूप-18	मजदूरी-सह-मस्टर रोल के रजिस्टर का प्ररूप.
प्ररूप-19	नुकसान या हानि के लिए कटौती का रजिस्टर.
प्ररूप-20	जुर्माने का रजिस्टर.
प्ररूप-21	अग्रिमों का रजिस्टर.
प्ररूप-22	अतिकाल का रजिस्टर.
प्ररूप-23	मजदूरी पुस्तिका.
प्ररूप-24	सेवा प्रमाण-पत्र.
प्ररूप-25	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली नियोजक की वार्षिक विवरणी.
प्ररूप-26	उत्थापक यंत्र और गियर आदि की कालिक जांच परीक्षण का रजिस्टर.
प्ररूप-27	वित्तीय वर्ष के लिए बजट.
प्ररूप-28	हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र.
प्ररूप-29	नाम निर्देशन प्रारूप.
प्ररूप-30	हिताधिकारियों की पंजी.
प्ररूप-31	पहचान पत्र का प्रारूप.
प्ररूप-32	पहचान पत्र में परिवर्तन.
प्ररूप-33	पहचान पत्र की द्वितीय प्रति के लिये आवेदन पत्र.
प्ररूप-34	अपील की पंजी.
प्ररूप-35	प्रारंभिक विवरण प्रत्येक स्थापना द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना.
प्ररूप-36	मासिक विवरणी.
प्ररूप-37	नियोजक द्वारा रखा जाने वाला अंशदानों का रजिस्टर.

छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 और धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

भाग - 1

प्रारंभिक

अध्याय - 1

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 है।

(2) ये ऐसे किसी स्थापन से संबंधित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को लागू होंगे, जिसके संबंध में समुचित सरकार अधिनियम के अधीन राज्य सरकार हैं।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) **''अधिनियम''** से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत हैं ;

(ख) प्रवेश या निर्गम से कोई गलियारा, मार्ग सीढ़ियां, प्लेटफार्म, निसैनी और कोई अन्य साधन अभिप्रेत हैं जो किसी भवन कर्मकार द्वारा सामान्यत: कार्यस्थल में, प्रवेश करने या उससे चले जाने या खतरे की दशा में बचने के लिये उपयोग करने के लिये हैं ;

(ग) **''अनुमोदित''** से यथास्थिति, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमोदित अभिप्रेत है ;

(घ) **''आधार पट्ट''** से धातु मचान की दशा में टैंको को भार का विभाजन करने के लिये पट्टी अभिप्रेत है ;

(ङ) मचान के संबंध में खंडक कक्ष से मचान के क्षैतिज या उर्ध्व सहारों के मध्य का वह भाग अभिप्रेत है चाहे वह उस भाग से टिका हुआ हो या उसके सहारे हो, जहां से भाग निलम्बित होता है ओर जो लंबाई मं संलग्न है ;

(च) **''अनुबंधनी''** से मचान में स्थिरता के लिये आड़े तिरछे रूप से लगाया गया जुड़ने और कसने बाला घटक अभिप्रेत है ;

(छ) **''दीवाल''** से कार्यकरण दाब की अपेक्षा निम्न दाब के अधीन कार्यकरण कोष्ठ को मुक्त वायु से या किसी अन्य कोष्ठ से पृथक् करने वाली कोई वायुरोधी संरचना अभिप्रेत है ;

(ज) **''नींव कोष्ठक''** से कोई ऐसा वायु या जलरोधी कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें व्यक्तियों के लिये समुद्री तल पर वायु मंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक वायु दाब के अधीन जलस्तर से नीचे सामग्री के उत्खनन का कार्य करना संभव हो;

(झ) **''काफर बांध''** ऐसी संरचना अभिप्रेत है जिसका सन्निर्माण संपूर्ण या भाग रूप से जल स्तर से नीचे या भूगर्भ में भौम जलस्तर से नीचे किया गया है और ऐसे कार्य स्थल का उपबंध करने के लिये आशयित है जो जलमुक्त है ;

(ञ) **''सक्षम व्यक्ति''** से राज्य सरकार द्वारा उस रुप में अनुमोदित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुशंसित किया गया है और जो भारत में किसी परीक्षण स्थापना का है और जिसके पास उत्थापक साधित्रों, उत्थापक गियरों, तार-रस्सों या दाब संयंत्र या उपस्कर की जांच परीक्षण या तापानुशीलन और प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त अर्हता, अनुभव और कौशल हैं ;

(ट) **''संपीड़ित वायु''** से उस दाब तक यांत्रिक रुप से बढ़ाई गई वायु अभिप्रेत है जो समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब से अधिक है ;

(ठ) **''सन्निर्माण स्थल''** से कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है जहां भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित कोई प्रक्रियाएं या संक्रियाएं की जाती है;

(ड) **''प्रवहणी''** से कोई ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक भवन सामग्री, वस्तुएं या पैकेज या ठोस प्रपुंज के परिवहन के लिये भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है ;

(ढ) **''खतरा''** से दुर्घटना का या क्षति का या स्वास्थ्य के लिये खतरा अभिप्रेत है;

(ण) **''निथारना''** से व्यक्तियों का किसी मेन-लाक में समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब तक द्रुत विसंपीडन और इसके पश्चात् तत्परता से किसी निथारन लोक में उनका पुनः संपीडन अभिप्रेत है; जहां उनका तब विसंपीड़न अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित विसंपीडन टेबल के अनुरुप किया जाता है ;

(त) **''भंजित करने का कार्य''** से किसी भवन से भिन्न किसी भवन या संरचना का सम्पूर्ण या आंशिक रुप से खण्डकरण करने या गिराने के आनुषंगिक या उससे संबंधित कार्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशीनों या अन्य उपस्कर का हटाना या खण्डकरण करना आता है ;

(थ) **''उत्खनन''** से सन्निर्माण या भंजित करने के कार्य के संबंध में मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का हटाना अभिप्रेत है;

(द) **''कच्चा काम''** से ढूला या आकृति के लिये संरचनात्मक सहारा और अनुबन्ध अभिप्रेत हैं;

(ध) **''प्रज्वलन ताप''** से न्यूनतम लिक्विड ताप अभिप्रेत है जिस पर कोई चिंगारी या ज्वाला लिक्विड के ऊपर वाष्प शून्य में तात्क्षणिक चमक पैदा करती है ;

(न) **''चौखटा या प्रतिरूपक मचान''** से ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण इस प्रकार किया जाता है कि मचान की ज्यामिति पूर्व अवधारित हो और मुख्य घटकों का आपेक्षित फासला नियत हो;

(प) **''रक्षक शलाका''** से स्तम्भ को सुरक्षित करने के लिये क्षैतिज शलाका अभिप्रेत है जो व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिये मचानों, भूमि मार्गों, धावन पथों और मार्गिकाओं के

खुली तरफ पार्श्व में परिनिर्मित की गई है ;

(फ) **''परिसंकट''** से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है;

(ब) **''परिसंकटमय पदार्थों''** से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी विस्फोटकता, ज्वलनशीलता विघटनाभिकता, अविषालु या संक्षारक गुणों या अन्य समान लक्षणों के कारण

(i) क्षति पहुंचा सकता है; या

(ii) मानव-तंत्र को विपरीत रुप से प्रभावित कर सकता है; या

(iii) हथालने, परिवहन या भंडारण करते समय कार्य पर्यावरण में जीवन को हानि या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्रीय मानकों के अधीन या उस दशा में जहां ऐसे मानक विद्यमान नहीं है, साधारणतः स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस रूप में वर्गीकृत है;

(भ) **''उच्च दाब वायु''** से वातीय औजारों और युक्तियों को शक्ति प्रदाय करने के लिये प्रयुक्त वायु अभिप्रेत है;

(म) **''स्वतंत्र रुप से सहबद्ध मचान''** कोई ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका कार्यकरण प्लेटफार्म, आधार से टैंकों की दो या अधिक पंक्तियों के सहारे है जो आवश्यक सहबद्धों के अलावा भवन से पूर्णतया मुक्त रुप से खड़ा है।

(य) **''आड़''** से क्षैतिज रूप से फैला हुआ और लम्बाई में मचान को जकड़े हुए कोई घटक अभिप्रेत है और जो अढ़वार या मध्यपट्टी के लिए संहारे के रूप में कार्य करता है ;

(यक) **''उत्थापक साधित्र''** से सामग्री, वस्तुओं या भवन कर्मकार के उत्थान के लिये प्रयुक्त कोई क्रेन, उत्तोलक, डेरिक, विंच, जिन पोल, शीर लैग्ज, जैक, घिरनी आलंब या अन्य उपस्कर अभिप्रेत है;

(यख) **''उत्थापक गियर''** से किसी **''उत्थापक साधित्र''** की रज्जु, जंजीर हुक, दौला और अन्य उपसाधक अभिप्रेत है;

(यग) **''लाक परिचर''** से किसी मैन-लाक या मेडिकल-लाक का कोई ऐसा प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लाकों में व्यक्तियों के संपीड़न, पुनः संपीड़न या विसंपीड़न के लिये सीधा उत्तरदायी है;

(यघ) **''न्यून दाब वायु''** से कार्यकरण कोष्ठों और मेन लाकों और मेडिकल लाकों के निपीड़न के लिए प्रदत्त वायु अभिप्रेत है;

(यङ) **''बारुद पर''** से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें, चाहे भूमि के ऊपर या उसके नीचे, विस्फोटकों का भंडारण किया जाता है या रखे जाते हैं;

(यच) **''मेन-लाक''** से मेडिकल लाक से भिन्न कोई लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग कार्यकरण कोष्ठ में प्रवेश करने वाले या उसे छोड़ने वाले व्यक्तियों के संपीड़न या विसंपीड़न के लिये किया जाता है ;

(यछ) **''सामग्री उत्तोलक''** से शक्ति या शारीरिक श्रम से प्रचालित और निलम्बित कोई प्लेटफार्म या बाल्टी अभिप्रेत है जिनका स्तम्भ शलाकाओं (गाडरेल) में प्रचालन किया जाता है और अन्यथ रुप से सामग्री के उत्थापन या उतारने के लिये प्रयोग किया जाता है तथा प्रवहण से बाहर किसी बिन्दु से प्रचालन और नियंत्रण किया

जाता है ;

(यज) **"सामग्री लाक"** से ऐसा कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें से होकर सामग्री और उपस्कर एक वायुदाब पर्यावरण से अन्य भेजे जाते हैं;

(यझ) **"चिकित्सा लाक"** से कोई दोहरा कक्ष लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग विसंपीड़न के बुरे प्रभाव से ग्रस्त व्यक्तियों के चिकित्सीय पुन: संपीड़न और विसंपीड़न के लिये किया जाता है;

(यञ) **"राष्ट्रीय मानकों"** से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानकों के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत है;

(यट) **"पार्श्व-वर्ध"** से किसी भवन के भवनमुख से आगे निकली हुई संरचना, जिसका भीतरी सिरा जकड़ा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शहतीर या अन्य सहारा आता है;

(यठ) **"संयंत्र या उपस्कर"** के अन्तर्गत कोई संयंत्र, उपस्कर, गियर, मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है;

(यड) **"दाब"** से स्तम्भों में उतना वायु दाब अभिप्रेत है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है;

(यढ) **"दाब संयंत्र"** से वायु मंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों और अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका अभिप्रेत है;

(यण) **"अड़वार"** से कोई क्षैतिज घटक अभिप्रेत है जिस पर कार्यकरण प्लेटफार्म का बोर्ड, तख्ता या मंच रखा जाता है;

(यत) **"उत्तरदायी व्यक्ति"** से नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों का पालन करने के लिये उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्तव्य या कर्तव्यों के उचित पालन के लिये पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो ;

(यथ) **"प्रकट संयोजी"** से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिये प्रयुक्त संयोजी ट्यूब और फिटिंग का समंजन अभिप्रेत है;

(यद) **"समकोण युग्मक"** से समकोण पर ट्यूबों को जोड़ने के लिए स्विवेल या अड़वार युग्मक से भिन्न कोई युग्मक अभिप्रेत है;

(यध) **"राक बोल्ट"** से यांत्रिक प्रसरण बोल्ट या सीमेन्टयुक्त या रेजिन निबंधन प्रणाली के साथ प्रयुक्त बोल्ट अभिप्रेत है जो राक क्षमता में वृद्धि करने के लिये महराव या सुरंग की दीवार में बेधित छिद्र में लगाया जाता है;

(यन) **"छत ब्रेकैट"** से ढलवां छत सन्निर्माण में प्रयुक्त ऐसे ब्रेकैट अभिप्रेत हैं जिनमें खिसकने से रोकने के लिये नुकीले बिन्दु या जकड़ने के अन्य साधन है;

(यप) **"सुरक्षा आवरण"** से जलप्लावन या जलप्लावित सुरंग से आश्रय के और निकलने के सुरक्षित साधन की व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा आवरण और दीवाल के बीच में सुरंग के शिखर को जलप्लावित होने से रोकने की दृष्टि से मुख और दीवाल के बीच संपीड़ित वायु सुरंग के ऊपरी भाग के आर-पार रखा गया कोई वायु और जलरोधी छिद्रपट अभिप्रेत है;

(यफ) **''निरापद कार्यकरण भार''** से उत्थापक गियर या उत्थापक साधित्र की किसी वस्तु के संबंध में सक्षम व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित और प्रमाणित वह भार अभिप्रेत है जो अकितम भार है जो ऐसी वस्तु या साधित्र पर सामान्य कार्यकरण स्थितियों में सुरक्षित रुप से रखा जा सकता है;

(यब) **''मचान''** से कोई ऐसी अस्थायी रुप से तैयार की गई संरचना, जिससे या जिस पर से भवन कर्मकार, ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य करते हैं, जिनको ये नियम लागू होते है, और कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जो भवन कर्मकार को ऐसे स्थान पर पहुंचाने में समर्थ बनाती है या सामग्री को वहां तक ले जाने में समर्थ बनाती है जहां पर उक्त कार्य किया जाता है अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई रक्षक शलाका, रोक फलक या अन्य रक्षा कवच और सभी फिक्सिंग के साथ कोई कार्यकरण प्लेटफार्म, मार्गिका, धावन, निसैनी या सोपान-निसैनी (ऐसी निसैनी या सोपान-निसैनी से भिन्न जो ऐसी संरचना की भागरुप नहीं है) आती हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्थापक साधित्र या उत्थापक मशीन या कोई संरचना नहीं आती है जो केवल ऐसे कोई साधित्र या ऐसी कोई मशीन को सहारा देने के लिये है या संयंत्र या उपस्कर को सहारा देने के लिये प्रयुक्त है ;

(यभ) **''अनुसूची''** से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(यम) **''खण्ड''** के अन्तर्गत सुरंग अनुप्रस्थ काट की वक्रता के लिये निर्मित और सुरंग के आधार परिवेश के सहारे के लिये प्रयुक्त ढलवां लोहा या पूर्व निर्मित कंकरीट विभाजित संरचना आती है ;

(यय) **''सर्विस शैफ्ट''** से किसी निर्माणाधीन भवन में कर्मकारो के आने-जाने या सामग्री के लाने ले जाने के लिये शैफ्ट अभिप्रेत है ;

(ययक) **''शैफ्ट''** से क्षैतिज से पैंतालीस डिग्री से अधिक कोण पर अनुदैर्ध्य अक्ष वाला कोई उत्खनन अभिप्रेत है, जो -

(i) किसी भवन कर्मकार या सामग्री के किसी सुरंग में आने-जाने या उसमें से लाने-ले जाने के लिए है; या

(ii) किसी विद्यमान सुरंग की ओर है;

(ययख) **''ढ़ाल''** से कोई जंगम चौखटा अभिप्रेत है जो सुरंग के खान अतांग्र और उसके ठीक पीछे के आधार को सहारा देने के लिये है और इसके अन्तर्गत सुरंग में उत्खनन करने और उत्खनित क्षेत्रों को सहारा देने के लिये परिकल्पित उपस्कर आता है;

(ययग) **''आधार पट्टिका''** से आधार पटट या काष्ठ मचान की खड़ी बल्ली से आलम्बी स्थल पर भार के वितरण के लिये प्रयुक्त कोई घटक अभिप्रेत है;

(ययघ) **''ठोस या अच्छे सन्निर्माण''** से ऐसा सन्निर्माण अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहां से ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं हैं वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है ;

(ययङ) **''ठोस या अच्छी सामग्री''** से उस क्वालिटी की सामग्री अभिप्रेत है जो सुसंगत

राष्ट्रीय मानकों या उस दशा में जहां राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं है वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप हैं ;

(ययच) **"खड़ी बल्ली"** से मचानों के सन्निर्माण में उर्ध्व सहारा या स्तम्भ के रूप में प्रयुक्त ऐसा घटक जो भार को आधार पर या ठोस सन्निर्माण पर पारेषित कर देता है, अभिप्रेत है;

(ययछ) **"मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों"** से वे व्यवहार अभिप्रेत हैं जिनकी पालन भवन ओर अन्य सनिनर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसे क्रियाकलापों में प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिये की जाती है और ऐसे व्यहवार निम्नलिखित सभी या किसी के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

(i) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक;

(ii) राष्ट्रीय भवन संहिता;

(iii) उपस्कर और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के लिये विनिर्माता के विनिर्देश;

(iv) समय-समय पर संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सन्निर्माण उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार संहिता;

(ययज) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार

(ययझ) **"इस्पात की शलाका"** के अन्तर्गत उत्सात क्षेत्रों का आधार बनाने और स्थिरीकरण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किसी विशिष्ट सुरंग अनुप्रस्थ काट की अपेक्षाओं के अनुरूप आकृति के सभी इस्पात के बीम और अन्य संरचनात्मक घटक आते हैं;

(ययञ) **"निलंबित मचान"** से रज्जुओं या जंजीरों के माध्यम से निलंबित और ऊपर तथा नीचे किए जाने योग्य मचान अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वोसुन कुर्सी या वैसी ही साधित्र नहीं है;

(ययट) **"परीक्षण स्थापन"** से इस नियमों के अधीन उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियर या तार रज्जुक के परीक्षण, परीक्षा, तापानुशीलन करने या वैसे ही अन्य परीक्षण या प्रमाणन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षण और परीक्षा करने की प्रसुविधाओं सहित कोई स्थान अभिप्रेत हैं ;

(ययठ) **"बंधन"** से मचान को किसी दृढ़ स्थिरक स्थान से जोड़ने में प्रयुक्त समंजन अभिप्रेत है ;

(ययड) **"रोक फलक"** से कोई ऐसा घटक अभिप्रेत है जो भवन कर्मकार और सामग्री के कार्यकरण प्लेटफार्म, प्रवेश चौकी, प्रवेश मार्ग, एक पहिया ठेला, ढाल या अन्य प्लेटफार्म पर से गिरने का निवारण करने के लिये उसके उपर स्थिर किया गया है ;

(ययढ) **"मध्यपट्टी"** से किसी स्वतंत्र संयोजन मकान में क्षैतिज रुप से रखी गई ओर एक आड़ को दूसरी से या टेक को दूसरे से अनुप्रस्थतः बांधने के लिये कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ययण) **"कैंची मचान"** के अन्तर्गत कोई ऐसा मचान आता है जिसमें प्लेटफार्म के लिये आधार निम्नलिखित में से कोई है और जो स्वावलंबी हैं, अर्थात :-

(i) विभक्त सिरा, (ii) मुड़वां, (iii) सोपान-सीढ़ी, (iv) तिपहिया, या (v)

[illegible] के समान चलायमान साधन;

(ययत) "**नालिकाकृत मचान**" से नालिकाओं और युग्मकों से सन्निर्मित मचान अभिप्रेत है;

(ययथ) "**सुरंग**" से उपरिभाग के नीचे उत्खनन द्वारा बनाया गया भूमिगत रास्ता अभिप्रेत है जिसमें से कोई भवन, कर्मकार काम करने के लिये प्रवेश करता है या जिसमें से प्रवेश करने की अपेक्षा है ;

(ययद) "**अंतर्भोम**" से शैफ्ट, सुरंग, नीव कोष्ठक या काफर बांध के घेरे के भीतर का कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(ययध) "**यान**" से कोई यान अभिप्रेत है जो यांत्रिक या वैद्युत शक्ति से नोदित या चालित है और इसके अन्तर्गत ट्रेलर, कर्षण इंजन, ट्रेक्टर, सड़क-निर्मात्री मशीन और परिवहन उपस्कर आते हैं ;

(ययन) "**कार्यकरण कोष्ठ**" से सन्निर्माण स्थल का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जहां संपीडित वायु पर्यावरण में काम किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत मेन-लाक या मेडिकल-लाक नहीं आता है;

(ययप) "**कार्यकरण प्लेटफार्म**" से कोई प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन कर्मकारों या सामग्रियों को सहारा देने के लिये किया जाता है और इसके अन्तर्गत कार्यकरण मंच आता है;

(ययफ) "**कार्यकरण दाब**" से कार्यकरण कोष्ठ में का दाब अभिप्रेत है, जिसमें भवन कर्मकार को रखा जाता है;

(ययब) "**कार्यस्थल**" से वे सभी स्थान अभिप्रेत है जहां भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने के लिये जाने की अपेक्षा है और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है;

3. **परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन** - उन शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गये हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

4. **व्यावृत्ति** - इन नियमों के उपबंध अधिनियम द्वारा अधिरोपित अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिस्थापन के लिये या उनमें कमी करने के लिये है।

अध्याय - 2

विनियोजकों, वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों, भवन कर्मकारों आदि के दायित्व और कर्त्तव्य

5. **विनियोजकों, कर्मचारियों और अन्यों के कर्त्तव्य और दायित्व** - (1) ऐसे प्रत्येक नियोजक का जो भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित या उसके आनुषंगिक ऐसी किन्हीं संक्रियाओं या संकर्मों को कर रहा है, जिसे यह नियम लागू होते हैं, यह कर्त्तव्य होगा कि वह, -

(क) इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करे जो उससे संबंधित है;

परन्तु, यह कि इस खण्ड की अपेक्षाएं किसी भवन कर्मकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि और जब तक किसी कार्यस्थल में उसकी उपस्थिति उसके नियोजक के निमित्त किसी कार्य को करने के अनुक्रम में नहीं है और उसे उसके नियोजक द्वारा कार्य करने के लिये अभिव्यक्त रूप से या

विवक्षित रुप से प्राधिकृत या अनुज्ञात नहीं किया गया ; और

(ख) इन नियमों की उन अपेक्षाओं की अनुपालन करे जो उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी, कृत्य या संक्रिया के संबंध में उससे संबंधित है;

(2) प्रत्येक नियोजक का, जो किसी मचान का परिनिर्माण या उसमें परिवर्तन करता है, इन नियमों के उपबन्धों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपात करने का कर्तव्य होगा जिसका संबंध ऐसे प्रयोजन या प्रयोजकों का ध्यान रखते हुए जिसके लिए परिनिर्माण या परिवर्तन करने के समय मचान को डिजाइन किया गया था, मचान के परिनिर्माण या परिवर्तन से है; और ऐसा नियोजक, जो किसी ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन कार्य का उपयोग करता है, जिसे इन नियमों का कोई उपबन्ध लागू होता है। ऐसे संयंत्र या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन, कार्य या उपयोग ऐसी रीति से करेगा, जो उन उपबन्धों की अनुपालन में हो।

(3) जहां कोई ठेकेदार, जो ऐसी संक्रिया या संकर्म का वचनबंध करता है जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवाओं के लिये संविदा के अधीन कोई कार्य या सेवा को करने के लिये किसी कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है तो ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उक्त कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है और इस प्रयोजन के लिये इन नियमों में किसी कर्मचारी के प्रति निर्देश अन्तर्गत ऐसे कारीगर, व्यापारी या अन्य व्यक्ति के प्रति निर्देश होगा और ठेकेदार उसका नियोजक समझा जायेगा।

(4) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उसके द्वारा किसी कृत्य को करने या उससे विरत रहने से और इन नियमों को क्रियान्वित करने में सहयोग करने से संबंधित हैं।

(5) प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी कर्मचारी को कोई ऐसी बात करने के लिये अनुज्ञात न करें जो राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों के सामान्यत: स्वीकृति सिद्धांतों के अनुसार न हो।

(6) कोई कर्मचारी, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित मानक सुरक्षा प्रचालन व्यवहारों के सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नहीं है।

(7) किसी भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे उसे या किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचे।

(8) प्रत्येक नियोजक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी भवन कर्मकार द्वारा प्रयोग करने के लिये ऐसे उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक, युक्ति, परिवहन, उपस्कर यान या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के उपयोग को अनुज्ञात न करें जो इन नियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुरूप न हो।

(9) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह शौचालयों, मूत्रालयों धोवन सुविधाओं और कैंटीन को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बनाए रखेगा। कैंटीन ऐसे स्थान पर होगा जो शौचालयों और मूत्रालयों और प्रदूषित वातावरण से दूर हों और साथ ही साथ भवन कर्मकारों की सहज पहुंच में हो।

(10) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों के अनुसार किसी अवधि के लिये मजदूरी के संदाय के लिए उसके द्वारा नियत और अधिसूचित तारीखों का पालन करें और ऐसी तारीखों और ऐसी अवधि में कोई परिवर्तन भवन कर्मकारों और निरीक्षक को सूचना के बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा। नियोजक इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट यथा समय और उसके द्वारा अधिसूचित स्थान और समय पर मजदूरी के संदाय सुनिश्चित करेगा। जहां कोई नियोजक ठेकेदार हों वहां वह यह सुनिश्चित करेगा कि भवन कर्मकारों को मजदूरी का संदाय स्थापन के नियोजक या परिसर के स्वामी के जिससे उसने ठेके पर कार्य प्राप्त किया है, प्रतिनिधि की उपस्थिति में

किया जाता है, और ऐसे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मजदूरी के संदाय के साक्ष्य के प्रतीक स्वरुप प्राप्त करेगा।

(11) नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा लिये गए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में प्रयुक्त उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, मिट्टी हटाने वाले उपस्कर, परिवहन उपस्कर या यान, इन नियमों के अधीन यथा उपबन्धित ऐसे उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा और जांच संबंधित अपेक्षाओं के अनुरूप हों। सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह इन नियमों में दी गई उससे संबंधित अपेक्षाओं की अनुपालन करें।

6. **वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और डिजाइनरों के उत्तरदायित्व -** (1) किसी परियोजना या उसके भाग या किसी या अन्य सन्निर्माण कार्य की डिजाइन के लिये उत्तरदायी वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर या डिजाइनर का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि योजना प्रक्रम पर ऐसे भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों पर सम्यकरूप से ध्यान दिया जाता है जो यथास्थिति, ऐसी परियोजनाओं और संरचनाओं के परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियोजित है।

(2) परियोजना में अंतग्रस्त वास्तुविद, परियोजना इंजीनियर और अन्य वृत्तिको द्वारा इस बात की पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी कि डिजाइन में ऐसी कोई बात सम्मिलित न की जाए जिसमें ऐसी खतरनाक संरचना या अन्य प्रक्रिया या सामग्री का प्रयोग अन्तर्वलित हो, जो यथास्थिति परिनिर्माण, प्रचालन और निष्पादन के अनुक्रम के दौरान भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये परिसंकटमय हो।

(3) भवनों, संरचनाओं या अन्य सन्निर्माण परियोजनाओं की डिजाइन में अन्तर्वलित वृत्तिकों का यह भी कर्त्तव्य होगा कि संरचनाओं और भवनों के अनुरक्षण और रख-रखाव से सहबद्ध सुरक्षा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जहां अनुरक्षण और रखरखाव विशेष जोखिम वाला है।

7. **मण्डल की सेवाओं में व्यक्ति के दायित्व -** छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का निष्पादन कराने के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।

8. **कर्मकारों के कर्त्तव्य और दायित्व -** (1) प्रत्येक भवन कर्मकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इन नियमों की ऐसी अपेक्षाओं की अनुपालना करे जो उससे संबंधित है और इन नियमों की अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के लिए और सहयोग करे और यदि वह परिवहन उपस्कर या अन्य उपस्करों से संबंधित उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर, उत्थापक युक्ति में कोई त्रुटि पाता है तो बिना अनुचित विलम्ब के ऐसी त्रुटियों की रिपोर्ट उसके नियोजक या फोरमैन या प्राधिकारवान किसी अन्य व्यक्ति को करें।

(2) कोई भवन कर्मकार, जब तक कि सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो या आवश्यकता की दशा में के सिवाय, ऐसी किसी बाड, मार्गिक, गियर, नसैनी, हैच छादन, जीवन रक्षक साधित्र, प्रकाश या कोई भी अन्य वस्तुएं जिनका उपबन्ध किया जाना अधिनियम और इन नियम द्वारा अपेक्षित हो, नहीं हटाएगा या उनमे छेड़छाड़ नहीं करेगा। यदि पूर्वोक्त किसी वस्तु को हटाया जाता है तो ऐसी वस्तु ऐसी अवधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उसका हटाया जाना आवश्यक था, उक्त कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार, प्रवेश के केवल ऐसे साधनों का उपयोग करेगा जिनका उपबन्ध इन नियमों के अनुसार किया गया है और कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ऐस प्रवेश के साधनों से भिन्न प्रवेश के साधनों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत या आदेशित नहीं करेगा।

(4) भवन कर्मकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसके कल्याण सुनिश्चित करने के लिये नियोजक द्वारा उपबन्धित शौचालयें, मूत्रालय, धोवन बिन्दु, कैंटीन और अन्य सुविधाओं को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखे।

9. **छूट** - राज्य सरकार, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिये जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों की सभी या किसी अपेक्षा से निम्नलिखित को छूट दे सकेगा -

(क) कोई भवन अन्य सन्निर्माण कार्य, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन कार्य ऐसे कर्मकारों तक सीमित है जहां इन नियमों में उपबन्धित उपायों का किया जाना सुविधाकारक नहीं हैं ; या

(ख) कोई साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साधित्र, गियर, उपस्कर, यान या अन्य युक्ति की अपेक्षाएं प्रयोग के लिये आवश्यक नहीं है या उसके बदले में समान रुप से प्रभावी उपाय कर लिये गये हैं।

परन्तु राज्य सरकार इस नियम के अधीन तब तक छूट नहीं देगी जब कि यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी छूट, भवन कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं करेगी।

भाग - 2
राज्य सलाहकार समिति, स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण

अध्याय - 3
राज्य सलाहकार समिति

10. **राज्य सलाहकार समिति का गठन** - छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (जिसे इसमें पश्चात् "राज्य सलाहकार समिति" कहा गया है), एक अध्यक्ष, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जायेगा, तथा निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) राज्य विधानसभा के दो सदस्य ,

(ख) एक सदस्य, जिसका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) राज्य शासन, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव-पदेन सदस्य।

(घ) मुख्य निरीक्षक - पदेन सदस्य

(ङ) मुख्य कारखाना निरीक्षक - पदेन सदस्य

(च) तीन व्यक्ति, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधि के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायें - सदस्य।

(छ) दो व्यक्ति, जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों से संबंधित नियोजकों के प्रतिनिधि के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायें - सदस्य।

(ज) दो व्यक्ति, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित इंजीनियरों के प्रतिनिधि के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाएं, और जिनमें से कम से कम एक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित शासकीय विभाग का हो- सदस्य

(झ) एक व्यक्ति जो वास्तुविदों के संगठन के प्रतिनिधि के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायें - सदस्य और

(ञ) एक व्यक्ति, जो दुर्घटना बीमा संस्थाओं के प्रतिनिधि के रुप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाएं - सदस्य

11. **पदावधि** - (1) राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजपत्र में उसकी नियुक्ति अधिसूचित की

जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) नियम 10 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, तीन वर्ष के लिये या राज्य विधानसभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) नियम 10 के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य, पदेन आधार पर पद धारण करेंगे।

(4) नियम 10 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) एवं (ट) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये इस रुप में पद धारण करेंगे, जिसको उसकी नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाती है :

परन्तु जहां ऐसे किसी सदस्य के उत्तराधिकारी की नियुक्ति, उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले अधिसूचित नहीं की जाती है तो ऐसा सदस्य उसके पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक ऐसा पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित नहीं कर दी जाती है।

(5) यदि कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, ऐसे सदस्य और राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष को लिखित में सूचना देने के पश्चात् बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे सदस्य के प्रतिस्थानी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे प्रतिस्थानी सदस्य को उक्त बैठक की बाबत् ऐसे सदस्य के सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे।

(6) राज्य सलाहकार समिति का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा।

12. **त्यागपत्र** - (1) राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, ऐसे समिति के अध्यक्ष को पूर्व जानकारी देकर श्रम से संबंधित मंत्रालय के सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को संबोधित लिखित में पत्र देकर अपने पद को त्याग सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या उस सरकार द्वारा त्यागपत्र की प्रप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान पर, इसमें जो भी पूर्वतर हो रिक्त हो जाऐगा।

13. **सदस्यता का समाप्त होना** - यदि राज्य सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है उक्त समिति के अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिये छुट्टी प्राप्त किए बिना उक्त समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो वह उक्त समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह निदेश दे सकेगी कि सदस्यता की ऐसी समाप्ति नहीं होगी और ऐसा निदेश दिए जाने पर ऐसा सदस्य उक्त समिति का सदस्य बना रहेगा।

14. **सदस्यता के लिए निरर्हता** - (1) कोई व्यक्ति, राज्य सलाहकार समिति का सदस्य होने के लिये निरर्ह होगा।-

(i) यदि वह विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(ii) यदि वह अननुमोचित दिवालिया है ; या

(iii) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है।

(2) जहां यह प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या उप-नियम (1) के अधिन कोई निरर्हता उपगत हुई है, वहां राज्य सरकार ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगी।

15. **सदस्यता से हटाया जाना** - राज्य सरकार, राज्य सलाहकार समिति के किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि उसकी राय में उक्त सदस्य ऐसे हित का प्रतिनिधि नहीं रह गया है जिसका उसके द्वारा ऐसी समिति

में प्रतिनिधित्व करना तात्पर्यित है :

परन्तु ऐसे किसी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे उचित अवसर न दे दिया गया हो।

16. **रिक्तियां भरने की रीति** - जब राज्य सलाहकार समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या रिक्ति होने की संभावना है, तब ऐसी समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार, को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, उस प्रवर्ग के व्यक्तियों में से, जिसका कि सदस्यता रिक्त करने वाला व्यक्ति है, नियुक्तिद्वारा रिक्ति भरने के लिए कदम उठाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

17. **राज्य सलाहकार समिति के कर्मचारीवृन्द** - (1) (i) राज्य सरकार अपने किसी एक अधिकारी को जो सरकार के सहायक श्रमायुक्त की पंक्ति से कम का न हो, राज्य सलाहकार समिति के सचिव के रुप में नियुक्त कर सकेगी ओर ऐसी समिति को उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिये उस सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य कर्मचारीवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे.

(ii) ऐसे कर्मचारीवृन्द को ऐसा पारिश्रमिक संदय होगा, जिसका विनिश्चय समय-समय पर, राज्य सरकार द्वार किया जाय।

2. राज्य सलाहकार समिति का सचिव -

(i) समिति की बैठक को बुलाने में ऐसी समिति के अध्यक्ष की सहायता करेगा;

(ii) ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा किन्तु ऐसी बैठकों में मत देने का हकदार नहीं होगा ;

(iii) ऐसी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का अभिलेख रखेगा ; और

(iv) ऐसी समिति की बैठकों में लिये गए विनिश्चयों को कार्यान्वित कने के आवश्यक उपाय करेगा।

18. **सदस्यों के भत्ते** - (1) राज्य सलाहकार समिति के शासकीय सदस्य का यात्रार-भत्ता पदीय कर्तव्यों के लिये उसके द्वारा की गई यात्रा के संबंध में उसे लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसे वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्य सलाहकार समिति के गैर - शासकीय सदस्य को ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये यात्रा भत्ते का संदाय ऐसी दर से किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी की पंक्ति के अधिकारी को संदेय है और दैनिक भत्ते की संगणना ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम दर से की जाएगी।

19. **कारबार पर उस का निपटारा** - (1) ऐसा प्रत्येक विषय जिस पर विचार करने की राज्य सलाहकार समिति से अपेक्षा है, उस समिति की बैठक में विचार किया जाएगा या यदि ऐसी समिति का अध्यक्ष ऐसा निदेश दे तो राय के लिये आवश्यक कागज पत्र प्रत्येक सदस्य को भेजे जाएंगे और विषय का निपटारा बहुमत के विनिश्चय के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां किसी विषय पर बहुमत की कोई राय नहीं है और समिति के सदस्य समान रुप से बटे हुए है वहां अध्यक्ष द्वितीयक या निर्णायक मत देगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिये 'राज्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष' पद के अन्तर्गत ऐसी समिति का अध्यक्ष आता है जो बैठक की अध्यक्षता करने के लिये नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट या चयनित किया गया है।

(2) राज्य सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी

कि समिति के गठन में कोई रिक्ति है या कोई त्रुटि है।

20. **बैठकें** - (1) राज्य सलाहकार समिति की बैठक उन स्थानों पर और ऐसे समयों पर होगी, जिसका विनिश्चय ऐसी समिति का अध्यक्ष करे और इसकी बैठक छह मास में कम से कम एक -दो बार होगी।

(2) ऐसी समिति का अध्यक्ष समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें कि वह उपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में वह उसके स्थान पर ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये समिति के किसी सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में ऐसी बैठक में उपस्थित ऐसी समिति के सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिये सदस्यों में से किसी का चयन कर सकेंगे।

21. **बैठकों की सूचना और कारबार की सूची** - (1) साधारणतया राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी :

परन्तु यह कि ऐसी समिति का अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है तो ऐसी बैठक के लिये दीर्घतर अवधि की सूचना दे सकेगा जो एक मास से अधिक की नहीं होगी।

(2) ऐसी समिति की बैठक के कारबार की सूची में सम्मिलित से भिन्न किसी कारबार पर समिति के अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना ऐसी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

22. **गणपूर्ति** - राज्य सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस बैठक में ऐसी समिति के कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों,

परन्तु यह कि ऐसी समिति की किसी बैठक में छह सदस्य से कम उपस्थित है तो ऐसी समिति का अध्यक्ष, को अन्य तारीख के लिये बैठक में स्थगन की उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए वह स्थगित बैठक में कारबार को निपटाने की प्रस्थापना करता है चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो और उस पर उसके लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लिए बिना स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा करे।

अध्याय - 4

स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण

23. **स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति** - (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन, इस नियमों से उपाबद्ध प्ररुप - 1 में तीन प्रतियों में, अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें कि स्थापन द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ, स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए इन नियमों के नियम 27 में विहित फीस का संदाय दर्शाने वाला (मूल चालान) संलग्न किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रुप से किया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से उसे भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदन पर उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदन को उसकी अभिस्वीकृति देगा।

24. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का दिया जाना** - (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नियम 23 के उपनियम (1) अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक को आवेदन की प्राप्ति सेपन्द्रह दिन के भितर यदि आवेदक ने इन नियमों मं अधिकथित सभी उपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है और ऐसी अवधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन

विनिर्दिष्ट है तो रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप - 2 में होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों में उपाबद्ध प्ररुप-3 में रजिस्टर बनाएगा जिसमें इन स्थापनों की विशिष्टियां दर्शित होंगी, जिनके संबंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है।

(3) यदि किसी स्थापन के संबंध मं रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबन्ध या अन्य विशिष्टयों में कोई परिवर्तन होता है तो स्थापन का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन की तारीख व विशिष्टियों की ओर उसके कारणों की सूचना देगा।

25. **अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि** - (1) जहां नियम 24 के उपनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस रकम से अधिक रकम संदेय है जिसका संदाय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रुप में नियोजक द्वारा किया गया है तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त राशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो ऐसे नियोजक के द्वारा पहले से संदत्त रकम को मिलाकर स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी उच्चतर रकम के बराबर होगी।

(2) जहां नियम 24 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमो से उपाबद्ध प्ररुप-3 में रजिस्टर में यथाप्रविष्ट स्थापन की विशिष्टयों में कोई परिवर्तनकारित किया गया है वहां वह उक्त रजिस्टर और अभिलेख में संशोधन उस परिवर्तन के लिये करेगा जो किया गया है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमें से उपाबद्ध प्ररुप-3 में रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा समुचित फीस का निक्षेप न कर दिया गया हो।

26. **रजिस्ट्रीकरण की शर्तें** - (1) नियम 24 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय होगा; अर्थात्

(ख) किसी स्थापना में भवन कर्मकार के रुप में नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) इन नियमों से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिये संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) नियोजक, पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना देगा।

(3) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ और पूरा होने से तीस दिन के पहले इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप-4 में उस निरीक्षक को लिखित सूचना भेजेगा जिसका उस क्षेत्र पर विचाराधिकार है जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का निष्पादन किया जाना है, जिसमें ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के, यथास्थिति, प्रारंभ या पूरा होने की वास्तविक तारीख की सूचना होगी।

(4) स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र केवल ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये विधिमान्य होगा जो ऐसे स्थापन द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिसके लिए उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित सूचना दी गई है।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति परिसरों के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाता है।

27. **फीसे** - नियम 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने के लिये संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात्

यदि किसी एक दिन में भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए भवन कर्मकार के रुप में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या

(क)	100 तक है	:	100.00 रुपए
(ख)	100 से अधिक किन्तु 500 से कम है	:	500.00 रुपए
(ग)	500 से अधिक है	:	1000.00 रुपए

अध्याय - 5

अपील, आदेशों की प्रतियां, फीसों का संदाय आदि

28. **अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करना-** (1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रुप में की जाएगी और अपील अधिकारी को व्यक्तिगत रुप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजकर प्रस्तुत की जाएगी।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई हैं और (नियम 33 में उल्लेखित शीर्ष में जमा 100 रू0 का मूल चालान संलग्न किया जावेगा)।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रुप से और सुभिन्न मदों के अधीन अपील के आधार उपवर्णित होंगे।

(4) जहां अपील ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करता है वहां अपीलार्थी को अपील अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उस प्रयोजन के संशोधन करने के लिए वापस किया जाएगा जो उस तारीख से जिसको वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया गया था,जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) जहां अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहां अपील अधिकारी को ग्रहण करेगा, उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा ओर इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाली ऐसी पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा, जिसका नाम अपीलों का रजिस्टर होगा।

(6) (i) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा।

(ii) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख ओर ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिये सूचना-पत्र में निर्दिष्ट की जाए उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा।

29. **सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता** - यदि सुनवाई के लिये नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकेगा।

30. **अपीलों का प्रत्यावर्तन** - जहां कोई अपील, नियम 29 के अधीन खारिज कर दी जाती है वहां अपीलार्थी, अपील के प्रत्यवर्तन के लिए अपील अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था

तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा :

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

31. **अपील की सुनवाई** - (1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है. जब अपील सुनवाई के लिये ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है या तो पुष्टि करने वाला, उलटने वाला या फेरफारित करने वाला आदेश पारित करेगा।

(2) अपील अधिकारी के आदेश में अवधारण के लिए बिन्दु उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिये कारण कथित होंगे।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी।

32. **रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील में आदेश की प्रति** - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक आदेश के लिये पचास रुपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी। खो जाने या विकृत हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति वैसी ही फीस के संदाय पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी।

33. **फीस का संदाय** - रजिस्ट्रीकरण, अपील, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतियों या दूसरी प्रतियों के प्रदाय के लिये संदेय धन की सभी राशि.स्थानीय कोषालय में लेखा शीर्ष 0230- श्रम एवं नियोजन 101- श्रम अधिनियमों के अधीन प्राप्ति पंजीयन/नवकरण फीस- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं छत्तीसगढ नियम 2007 के अन्तर्गत संदत्त की जावेगी एवं अभिप्राप्ति की गई रसीद को आवेदन या अपील ज्ञापन के साथ, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत किया जावेगा।

भाग - 3
सुरक्षा और स्वास्थ्य

अध्याय - 6
साधारण उपबन्ध

34. **अत्यधिक शोर, कंपन आदि** - नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि अत्यधिक शोर या कंपन के बुरे प्रभावों से भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किए गए हैं और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर शोर का प्रबलता स्तर किसी भी दशा में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 6 में अधिकथित सीमा से अधिक न हो।

35. **अग्नि से परित्राण** - नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था की जाती है -

(i) अग्निशमन उपस्कर जो ऐसे सन्निर्माण स्थल पर किसी संभावित अग्नि के शमन के लिये पर्याप्त हो,

(ii) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त दबाव पर पर्याप्त जल का प्रदाय;
(iii) उपखण्ड (i) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर के प्रचालन के लिये अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति ;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) के अधीन उपबन्धित अग्निशमन उपस्कर समुचित रुप से रखे जाते हैं और उसका निरीक्षण उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार नियमित अन्तराल पर किया जाता है और ऐसे निरीक्षणों का अभिलेख रखा जाता है ।

(ग) भवन कर्मकारों के परिवहन के लिये प्रयुक्त लांच या नौका या अन्य यान और प्रत्येक उत्थापक साधित्र जिसके अंतर्गत चलित क्रेन आती है के केबिन की दशा में उपयुक्त प्रकार के वहनीय अग्निशमन उपस्कार की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक लांच या नौका या यान या उत्थापक साधित्र पर की जाएगी।

36. **आपातकालीन कार्य योजना** - नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उस दशा में जहां ऐसे सन्निर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किए जाते हैं और निम्नलिखित आपात स्थितियों, जैसे -

(क) अग्नि और विस्फोट,
(ख) उत्थापक साधित्रों और परिवहन उपस्करों का ढह जाना,
(ग) भवन, शैड या संरचनाओं आदि का ढह जाना,
(घ) गैस रिसाव या खतरनाक मालों या रसायनों का छलकना,
(ङ) भवन कर्मकारों का डूबना, वाहिकाओं का धंसना, और
(च) भू- स्खलन, भवन कर्मकार का दब जाना, जलप्लावन, आंधी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने के लिये आपत कालीन कार्य योजना तैयार की जाती है और मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाती है।

37. **मोटरों, आदि की बाड़ लगाना** - नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सभी मोटरों, दंतचक्र, जंजीरों और घर्षण गियरों, गतिपालक चक्र, धुरातंत्र मशीनरी के खतरनाक और चलित पुर्जो, (चाहे यांत्रित शक्ति से चालित हों या न हों) और वाष्प की पाइपों सुनक्षित रुप से बाड़ या लपेट लगाई जाती है;
(ख) मशीनरी के खतरनाक पुर्जों की बाड़ ऐसी मशीनरी के गतिशील रहते या उसके प्रयोग करते समय हटाई नहीं जाती है ;
(ग) किसी मशीनरी का कोई पुर्जा जो गतिशील है और जिसकी सुरक्षित रुप से बाढ़ नहीं लगाई गई है का निरीक्षण, स्नेहन, समायोजन या मरम्मत ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो ऐसी निरीक्षण, स्नेहन समायोजन या मरम्मत के लिए कुशल व्यक्ति है;
(घ) मशीनों के पूर्जो जब साफ किये जाते हैं जब ऐसी मशीन रोकी जाती है;
(ङ) जब कोई मशीन संरक्षी सेवा या मरम्मत के लिये रोकी जाती है तब यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि ऐसी मशीन अचानक पुन: चालू न हो जाए।

38. **अत्यधिक भार का उत्थापन और वहन** - कोई नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थापना पर सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कोई भवन कर्मकार अपने हाथ से या सिर पर या उसकी पीठ या कंधो पर कोई सामग्री,वस्तु,

औजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है जिसकी अधिकतम सीमा निम्नलिखित सारणी में दी गई है :-

व्यक्ति	अधिकतम भार
वयस्क पुरूष	55 कि. ग्राम
वयस्क स्त्री	30 कि. ग्राम
कुमार पुरूष	30 कि. ग्राम
कुमार स्त्री	20 कि. ग्राम

जब तक कि किसी अन्य भवन कर्मकार या यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो ।

(ख) कोई भवन कर्मकार अन्य भवन कर्मकारों की सहायता से हाथ से या सिर या उनकी पीठ या कंधो पर कोई सामग्री, वस्तु, ओजार या साधित्र उस भार से अधिक नहीं उठाता है या ले जाता है, जो खण्ड (क) के अधीन पृथक्-पृथक् रुप से प्रत्येक भवन कर्मकार के लिए दी गई अधिकतम सीमा के कुल योग भार से अधिक है, जब तक कि यांत्रिक युक्ति द्वारा सहायता न ली गई हो ।

39. **स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति** - (1) (क) पचास या अधिक भवन कर्मकरों को नियोजित करने वाला प्रत्येक स्थापन भवन कर्मकारों की बावत् नीति का लिखित कथन तैयार करेगा और उसे मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति में अन्तर्विष्ट होगें, अर्थात् :-

(i) भवन कर्मकारो के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में स्थापन को आशय और प्रतिबद्धताएं ;

(ii) अधिक्षेणियों के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व को विनिर्दिष्ट खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति के कार्यान्वयन के लिए किए गए संगठनात्मक ठहराव,

(iii) प्रमुख नियोजक, ठेकेदार, उप ठेकेदार, परिवहनकर्ता या अन्य अभिकारणो के जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में अन्तर्गस्त हैं, उत्तरदायित्व ;

(iv) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के जोखिम के निर्धारण के लिए तकनीकें और ढंग तथा उनके उपचारी उपाय ।

(v) सन्निर्माण कार्य से लगे हुए भवन कर्मकारों, प्रशिक्षकों पर्यवेक्षकों या अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये इन्तजाम ;

(vi) खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति को प्रभावी करने के लिए अन्य इन्तजाम ;

(ग) खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) मे निर्दिष्ट आशय और प्रतिबद्धता को, संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, सामग्री और भवन कर्मकारों को लगाने के संबंध में विनिश्चय करते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी ।

(3) स्थापन, उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति का निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, पुनरीक्षण करेगा, अर्थात् :-

(i) जब कभी ऐसा कोई विस्तार या उपांतरण ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है जिसका कि भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा; या

(ii) जब कभी कोई नया भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, पदार्थ, वस्तुएं या तकनीकें जोड़ी जाती हैं ; जिनका भवन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।

(4) उपनियम (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट नीति की एक प्रति हिन्दी और ऐसी स्थानीय भाषा में जो भवन कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाती है, सन्निर्माण स्थल पर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

40. **खतरनाक ओर हानिप्रद पर्यावरण** - कोई नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि; -

(क) जब कोई आंतर दहन इंजन परिरुद्ध स्थान पर उत्खनन या सुरंग या किसी अन्य कार्य स्थान में रेचित किया जाता है जहां दस लाख में पचास अंश से कम वायुमंडल के कार्बन मोनोक्साइड अंश रखने के लिए न तो प्राकृतिक संवातन और न ही कृत्रिम संवातन प्रणाली पर्याप्त है, स्वास्थ्य परिसंकटों से भवन कर्मकारों को बचाने की दृष्टि से ऐसे कार्यस्थल पर पर्याप्त और उपयुक्त उपाय किये जाते हैं;

(ख) किसी भवन कर्मकार को, ऐसी किसी परिरुद्ध जगह या टैंक या उत्खनन में, जिसमें ऐसी प्रकृति की उतनी मात्रा में कोई धूल, धूम या अन्य उपद्रव बंद कर दिए गए हैं जो भवन कर्मकारों को हानिकर या क्लैशकर हो सकते हैं या जिसमें विस्फोटक/विशैल/अपायकर या गैसीय सामग्री या हानिकर वस्तुएं के पाई गई है या भंडारित की गई हैं जिसमें शुष्क बर्फ प्रशीतकं के रुप में प्रयुक्त किया गया है या जिसे धूमित किया गया है या जिसमें आक्सीजन की कमी की संभावना है, जब तक कि ऐसी धूल, धूप या अन्य अपद्रव्य ओर खतरों को जो उपस्थित हो सकते हैं, दूर करने के लिए और उसमें और वृद्धि होने के निवारण के लिए सभी व्यवहार्य कदम न उठा लिए गए हों, और ऐसे कार्य स्थान या टैंक या ट्रैंच या उत्खनन को ऐसे भवन कर्मकारों के प्रवेश के लिए सुरक्षित और ठीक होने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित न कर दिया गया हो, प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

41. **शिरोपरी संरक्षा** - (1) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सुनिश्चित करेगा कि शिरोपरी संरक्षा का परिनिर्माण निर्माणाधीन प्रत्येक भवन की परिधि के साथ करेगा जब उसके पूर्ण होने पर ऊंचाई में पन्द्रह मीटर या उससे अधिक होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शिरोपरी संरक्षा चौड़ाई में दो मीटर से कम नहीं होगी और भवन के आधार के ऊपर पांच मीटर से अनधिक की ऊंचाई पर परिनिर्मित की जाएगी और ऐसे शिरौपरी संरक्षा की बाहरी कोर उसकी भीतरी कोर से एक सौ पचास मिलीमीटर ऊंची होगी या उसका परिनिर्माण भवन में उसकी क्षैतिज ढलान से बीस डिग्री से अनधिक के कारण पर किया जाएगा।

(3) नियोजक भवन और अन्य संनिर्माण कार्य पर यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री, वस्तुओं या पदार्थों को गिरने की जोखिम वाले किसी क्षेत्र को रस्सियों से बांध दिया गया है या घेरा डाल दिया गया है या ऐसे क्षेत्र में कार्य पर भवन कर्मकारों से भिन्न व्यक्तियों को अनवधानतावश प्रवेश से अन्यथा उचित रूप से रक्षित कर दिया गया है।

42. **फिसलने, व्यवधान, विदारण, डूबने और गिरने संबंधी परिसंकट** - (1) भवन या अन्य संनिर्माण कार्य सभी गलियारों, प्लेटफार्म ओर सन्निर्माण कार्य के अन्य स्थानों को, नियोजक द्वारा धूल, मलबा या वैसी ही सामग्री के इकट्ठा होने से और अन्य बाधाओं से जो व्यवधान कारित कर सकती है, मुक्त रखा

जाएगा ।

(2) कोई तीक्षण रुप से निकला हुआ भाग या निकली हुई कीलों या वैसे ही निकले हुए भाग को जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार को कोई विदारण परिसंकट कारित कर सकता है, नियोजक द्वारा हटा दिया जाएगा या उपयुक्त उपाय करके अन्यथा सुरक्षित किया जाएगा।

(3) कोई नियोजक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण को सन्निर्माण कार्य पर ऐसे गलियारे या मचान, प्लेटफार्म या किसी अन्य उत्थापित कार्यकरण स्थान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जो फिसलन भरी और खतरनाक स्थिति में है और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जल, ग्रीस, तेल या अन्य वैसे ही पदार्थ को जो स्थल को फिसलभरी कर सकते हैं , हटा दिया जाए याउसे फिसलने के संकट से सुरक्षित करने के लि बालू, बुरादा डाल दिया जाएगा या उपयुक्त सामग्री से आच्छादित कर दिया जाए।

(4) जब कभी किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार जल में गिरने के संकट में फंस सकते है वहां उन्हें नियोजक द्वारा डूबने और ऐसे संकट से बचाने के लिए समुचित उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि मुख्य निरीक्षक यह उचित समझता है तो कार्यस्थल पर नियोजक द्वारा प्रशिक्षित कार्मिक सहित पूर्णतया सज्जित नौका या लांच की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रत्येक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रत्येक खुली जगह या द्वार, जिसमें से कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार, यान या उत्थापक साधित्र या अन्य उपस्कर गिर सकते हैं, ऐसे गिरने के रोकने के लिए नियोजक द्वारा आच्छादित या उपयुक्त रुप से रक्षित की जाएगी सिवाय वहां जहां कार्य की प्रकृति के कारण से मुक्त पहुंच आवश्यक है।

(6) जहां कहीं किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकारों को ऐसे कार्य पर नियोजित रहते समय ऊंचाई से गिरने से संकट की जोखिम है, नियोजक द्वारा ऐसे संकट से उन्हें बचाने के लिये पर्याप्त उपस्कर या साधनों की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे उपस्कर या साधन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगें।

(7) जहां कहीं भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित सन्निर्माण स्थल पर किसी सामग्री, उपस्कर या भवन कर्मकार के गिरने की संभावना है वहां राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियोजकों द्वारा पर्याप्त और उपयक्त सुरक्षा जाल की व्यवस्था की जाएगी।

43. **धूल, गैसें, धूम आदि** - कोई नियोजक, धूल, गैसे या धूमों के संकेन्द्रण का निवारण, अनुज्ञेय सीमा के भीतर उनके संकेन्द्रण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करेगा जिससे कि वे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर भवन कर्मकार को क्षति या स्वास्थ्य संकट कारित न करे।

44. **संक्षारक पदार्थ** - नियोजक, यह सुनिश्चित करेगा क संक्षारक पदार्थ जिसके अन्तर्गत क्षार और अम्ल भी है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर ऐसे पदार्थों से संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से भण्डारित और प्रयोग किए जाएं जिससे यह भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार को खतरा उत्पन्न न करे और नियोजक द्वारा ऐसे पदार्थों के हथालने या उपयोग के दौरान उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पदार्थों की भवन या अन्य सन्निर्माण कर्मकार पर गिरने की दशा में नियोजक द्वारा तुरन्त उपचारी उपाय किए जाएंगे।

45. **नेत्र संरक्षण** - नियोजक द्वारा नेत्रों के संरक्षण के लिए उपयुक्त संरक्षा वैयक्तिक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी और भवन कर्मकार, जो वेल्डिंग, कर्तन, छीलन, पीसने या इसी प्रकार की संक्रियाओं में, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नेत्रों को संकट कारित कर सकते हैं, उनका उपयोग करेंगे।

46. **सिरका संरक्षण और अन्य संरक्षा वस्त्र** - (1) प्रत्येक भवन कर्मकार से जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के क्षेत्र के भीतर कार्य करने या वहां से जाने की अपेक्षा है, जहां कहीं उस पर वस्तुओं या सामग्री

के गिरने का संकट है नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के और सुरक्षा परीछित हेलमेटों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जल में या गीली कांक्रीट में या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने की अपेक्षा है नियोजक द्वारा उपयुक्त वाटर-प्रूफ जूतों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर वर्षा में या इसी प्रकार की गीली स्थितियों में कार्य करने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा टीप के साथ वाटर - प्रूफ कोट की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक भवन कर्मकार को जिससे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर क्षार, अम्ल या अन्य वैसे ही संक्षारक पदार्थों का उपयोग और हथालने की अपेक्षा है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समुचित संरक्षात्मक उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रत्येक भवन कर्मकार केा जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर ऐसी तीक्ष्ण वस्तुओं के हथालने में लगा है जो हाथों को क्षतिकारित कर सकती है, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयुक्त दास्तानों की व्यवस्था की जाएगी।

47. **विद्युत परिसंकट** - (1) नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ करने से पहले किसी ऐसे विद्युत उपस्कर या साधित्र, मशीन या विद्युतमय विद्युत सर्किट से, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर उसके नियोजन के दौरान विद्युत परिसंकट कारित कर सकता है, शारीरिक संपर्क में आने से किसी कर्मकार के निवारण करने के लिये पर्याप्त उपाय करेगा।

(2) नियोजक, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के किसी सहजदृश्य स्थान पर हिन्दी में और किसी ऐसी स्थानीय भाषा में जो बहुसंख्यक भवन कर्मकारों द्वारा समझी जाती हो, उपयुक्त चेतावनी प्रतीकों को प्रदर्शित और उनका अनुरक्षण करेगा।

(3) किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे कार्यस्थलों पर जहां भूमिगत विद्युत शक्ति लाइनों की सही स्थिति ज्ञात नहीं है वहां ऐसे जैक हैमर (हथोड़ा), सब्बल या अन्य दस्ती औजार का प्रयोग करने वाले भवन कर्मकारों को, जो विद्युतमय विद्युत लाइन के संसर्ग में आ सकते हैं, नियोजक द्वारा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रकार के विद्युत रोधी संरक्षक दस्ताने ओर जूतादि की व्यवस्था की जाएगी।

(4) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि, यावत्साध्य कोई तार, जो जल के संसर्ग में आ सकता है या जो यांत्रिकी रुप से क्षतिग्रस्त है, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य पर भूमि या फर्श पर छूटा न रह जाए।

(5) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सभी वैद्युत साधित्र और धारा प्रवहण उपस्कर ठोस सामग्री से बनाए गए हों और उचित पर्याप्त रुप से भू-संपर्कित किए गए हों।

(6) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी अस्थायी वैद्युत संस्थापन भू-क्षरण परिपथ नियोजक से उपबन्धित है।

(7) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर सभी वैद्युत संस्थापन तत्समय प्रवृत किसी विधि या अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

48. **यानीय यातायात** - (1) जब कभी कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किसी सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर जो सड़क से अति निकट अवस्थित है, किया जा रहा हो, जहां कोई यानीय यातायात भवन कर्मकारें को क्षति कारित कर सकता है वहां नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा भवन या अन्य

सन्निर्माण कार्य को रोधिक किया जाता है और ऐसे ख़तरे से निवारण के लिए उपयुक्त चेतावनी प्रतीक और प्रकाशों का प्रदर्शन या परिनिर्माण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो वह ऐसे यातायात को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में अनुरोध कर सकेगा।

(2) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर प्रयुक्त सभी यान मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(3) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ग या वर्णन के यानों का ड्राइवर जिनका प्रचालन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से सन्निर्माण स्थल पर किया जा रहा है, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन विद्यमान्य चालन अनुज्ञप्ति का धारण करते हैं।

49. **संरचनाओं का स्थायित्व** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी संरचना की कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या उसका कोई भाग ऐसी स्थिति में अरक्षित न छोड़ जाए कि यह वायु दबाव, कंपन के कारण या भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल पर किसी अन्य कारणों से न गिरे, न ढहे या न कमजोर हो।

50. **गलियारों, आदि का प्रदीपन** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के उस स्थल पर जहाँ भवन कर्मचारों से कार्य करने या निकलने की अपेक्षा है, सुरक्षित कार्यकरण स्थितियां बनाए रखने के लिये पर्याप्त प्रदीपन की व्यवस्था हो और गलियारों, सीढ़ियों और उतराई के स्थानों के लिए उससे कम प्रदीपन न हो जिसका उपबन्ध सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में किया गया है।

51. **सामग्री का चट्टा लगान** - नियोजक, किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी भवन सामग्रियों का भंडारण या चट्टा लगाई किसी गलियारे या कार्यस्थल पर अवरोध से बचने के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित रीति से की जाती है ;

(ख) सामग्री के ढेर का भंडारण या चट्टा लगाई ऐसी रीति से की जाती है जिससे स्थायित्व सुनिश्चित हो सके ;

(ग) किसी फर्श या प्लेटफार्म पर सामग्री या उपस्कर का भण्डारण ऐसी मात्रा से अधिक नहीं किया जाता है जो उसकी सुरक्षित वहन क्षमता से अधिक हो ;

(घ) फर्श या प्लेटफार्म के किसी किनारे के इतने समीप भण्डारण या स्थानन नहीं किया जाता है जो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो जो उसके नीचे या समीप में कार्य कर रहे हों।

52. **मलबे का व्ययन** - नियोजन किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) मलबे की उठाई-धराई और व्ययन ऐसी किसी पद्धति से किया जाता है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न न करें ;

(ख) मलबे का इस प्रकार एकत्रित करना अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो परिसंकट मय हो जाए;

(ग) धूल को अनुज्ञात सीमा में रखने के लिए मलबे को पर्याप्त रूप से नम रखा जाता है ;

(घ) मलबे को ऐसे भवन या सन्निर्माण कार्य की किसी, ऊंचाई से भीतर या बाहर नहीं फेंका जाता है ;

(ङ) कार्य के पूरा होने पर, बची हुई भवन सामग्री वस्तु या अन्य पदार्थ या मलबे का व्ययन, किसी यातायात या व्यक्ति को कोई परिसंकट से बचाने के लिए यथाशक्य शीघ्र किया जाता

है ।

53. **तलों का संख्यांकन और चिन्हांकन** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का प्रत्येक तल या स्तर, ऐसे तल या स्तर पर पहुंचने का स्थान समुचित रुप से संख्यांकित या चिन्हांकित है ।

54. **सुरक्षा हेलमेटों और जूतों का प्रयोग** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्ति, जो भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में कोई कार्य या सेवा कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जूते और हेलमेट पहनते हैं।

अध्याय - 7

उत्थापक साधित्र और गियर

55. **उत्थापक साधित्र का सन्निर्माण और अनुरक्षण** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर -

(क) सभी उत्थापक साधित्र, जिनमें उनके भाग तथा कार्यकरण गियर चाहे वे स्थिर हैं या चल रहे हैं ऐसे साधित्रों को एन्करिंग या स्थिरीकरण में प्रयुक्त कोई संयंत्र या गियर भी सम्मिलित हैं,-

(i) ठोस सन्निर्माण, ठोस सामग्री के हैं और पर्याप्त मजबूत हैं जिससे कि वे प्रयोजन की पूर्ति कर सके जिसके लिए उनका प्रयोग होना है और ऐसे सभी साधित्र प्रत्यक्ष गलतियों से मुक्त होंगे, और

(ii) उन्हें अच्छी मरम्मत द्वारा और कार्यकरण दशा में बनाए रखा गया है;

(ख) (i) प्रत्येक ड्रम या घिरनी, जिसके चारों ओर उत्थापक साधित्र की रस्सी लिपटी रहती है, ऐसी रस्सी के संबंध में पर्याप्त व्यास ओर ठोस सन्निर्माण की है ;

(ii) कोई रस्सी जो उत्थापक साधित्र के वाइंडिंग ड्रम पर समाप्त होती है, ऐसे ड्रम के साथ सुरक्षित रुप से बंधी है और ऐसे उत्थापक साधित्र की प्रत्येक प्रचालन स्थिति में ऐसी रस्सी के कम से कम तीन धुमाल ऐसे ड्रम पर रहें ;

(iii) ड्रम का फ्लैंज रस्सी की अंतिम सतह से परे, रस्सी के व्यास से दुगना प्रक्षेपित है और यदि ऐसा प्रक्षेपण उपलब्ध नहीं है तो ऐसी रस्सी को ऐसे ड्रम से निकलने से रोकने के लिए एंटीस्लैकनेस गार्ड जैसे अन्य उदाय उपलब्ध कराये जाएंगे ;

(ग) प्रत्येक अत्थापक में पर्याप्त और दक्ष ब्रेक लगाए गए हैं जो,-

(i) लटके हुए भार (जिसमें आंच भार भी है) को गिरने से रोकने में और जब भार नीचे किया जा रहा है तो ऐसे भार को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में समर्थ है ;

(ii) बिना आघात पहुंचाए कार्य कर सकते हैं ;

(iii) शूज से युक्त हैं जिन्हें परिचालन के लिए आसानी से हटाया जा सकता है ; और

(iv) समायोजन के सरल और आसान पहुंच वाले साधनों से युक्त हैं,

परन्तु यह कि इस खंड में दिया गया कुछ भी माप लिंच पर लागू नहीं होगा, जो इस खंड के अनुसरण में यथा उपलब्ध कराई गई ब्रेक के साथ उतने ही सुरक्षित रुप से प्रचलित की जा सकती है ।

(घ) प्रत्येक उत्थापक साधित्र के नियंत्रण, -

(i) इस प्रकार स्थित होंगे कि ऐसे साधिक के चालक के पास अपने खड़े होने के स्थान या

सीट पर प्रचालन के लिए व्यापक जगह हो और उसे भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य का यथासाध्य अनिर्वाधित अवलोकन हो, और यह कि वह भार और रस्सियों से दूर हो, और यह कि उसके उपर से कोई भार नहीं गुजरे ;

(ii) ऐसे साधित्र के उचित प्रचालन के लिए अरगोनोमीटरिक विचारों पर समयक् ध्यान देते हुए स्थित किये गए हैं ;

(iii) इस प्रकार अवस्थित हैं कि ऐसे साधित्र चालक ऐसे साधित्र के पूर्ण प्रचालन के समय हील खंड की ऊँचाई से ऊपर रहाता है ;

(iv) के ऊपर या उसके पार्श्वस्थ पर उनके प्रयोजन और उनके प्रचालन की रीति के स्पष्ट चिन्हांकन है ;

(v) में, जहां आवश्यक है, वहां आकस्मिक संचलन या सरकाव को रोकने के लिए लाकिंग युक्ति लगाई गई है ;

(vi) परिणामिक भार संचलन की दिशा में यथासाध्य गतिमान हो, और

(vii) जहां स्वचालित ब्रेक लगाई गई है , बिजली चले जाने की दशा में स्वत: ही अपनी तटस्थ स्थिति में आ जाए ।

56. **उत्थापक साधित्र की जांच और कालिक परीक्षण** - नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी उत्थापक साधित्रों का इनमें सभी भागों और गियरों सहित, चाहे वे स्थिर हैं अथवा चलायमान प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व या इसमें, इसकी क्षमता अथवा स्थिरता को प्रभावित करे के लिए दायी परिवर्तन या मरम्मत करने के पश्चात् या निर्माण स्थल पर खड़ा करने के पश्चात् और प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सक्षम व्यक्ति द्वाराजांच और परीक्षण किया गया है ;

(ख) सभी उत्पादक साधित्रों का प्रत्येक बारह मासों में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जहां अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जहां ऐसा परीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति यह राय बनाता है कि उत्थापक साधित्र सुरक्षित रुप से कार्य नहीं करता रह सकता, वह उत्थापक साधित्र के अपनी राय की तुरन्त लिखित में सूचना देगा ;

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए अच्छी तरह से परीक्षण से चाक्षुष परीक्षण अभिप्रेत है, जो यदि आवश्यक है तो अन्य साधनों जैसे परीक्षण किए गए भागों को सुरक्षा के विषय में विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों के अनुसार की गई थोड़ी जांच से संपूर्ण होता है ।

57. **स्वचालित सुरक्षित भार सूचक** - (क) नियोजक भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि

(i) प्रत्येक क्रेन के साथ जो यदि इस प्रकार बनी है कि निरापद कार्यकरण भार जिन को उपर या नीचे करके अथवा अन्य किसी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, निरापद कार्यकरण भार का स्वत: सूचक जुड़ा है जो जब कभी भार, निरापद कार्यकरण भार से अधिक हो जाता है तो संचालक को चेतावनी देता है ;

(ii) जहां भी संभव हो क़ट आउट लगाये गये हैं जो यदि भार, निरापद कार्यकरण भार से अधिक हो जाता है तो प्रत्येक क्रेन के उत्थापक भाग के संचलन को स्वत: ही रोक देता है;

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) के उपबंध सभी को लागू हैं सिवाय वहां जहां स्वचलित निरापद कार्यकरण भार सूचक लगाना संभव नहीं है, उस दशा में क्रेन पर संगत आनतियों अथवा जिब के अर्थ व्यासों पर लगी निरापद कार्यकरण भार दर्शाने वाली सारणी पर्याप्त समझी जाएगी।

58. **संस्थापना** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि; -

(क) स्थापित उत्थापक साधित्रों की संस्थापना -

(i) सक्षम व्यक्तियों द्वारा की गई है ;

(ii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्र भार, कंपन या अन्य असर के कारण विस्थापित नहीं हो सकते ;

(iii) इस रीति से की गई है कि ऐसे साधित्रों का आपरेटर भार, रस्सी या ड्रम के कारण होने वाले खतरों से बचा रहेगा ; और

(iv) इस रीति से की गई है कि आपरेटर या तो प्रचालन के क्षेत्र को देख सकता है या फिर सभी भार लादने और भार उतारने वाले स्थलों से सिग्नल या अन्य संपर्क प्रणाली से संपर्क कर सकता है,

(ख) अत्थापक साधित्रों के भागों तथा भार और -

(i) स्थिर वस्तुओं जैसे दीवारें और चौकी ; या

(ii) इलेक्ट्रिकल चालकों के बीच पर्याप्त निर्वाधन दिया गया है।

(ग) उत्थापक साधित्रों को, जब उन्हें वायु भार लदान करने के लिए प्रयोग किया जाए तो ऐसे भार लदान को सुरक्षित रूप से सहन करने के लिए अतिरिक्त शक्ति मजबूती और दृढता दी गई है।

(घ) उत्थापक साधित्र के किसी भाग में, ऐसे साधित्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत सक्षम व्यक्ति की इस आशय की राय लिए बगैर नहीं की गई है।

59. **विंच**.- नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर वह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) (i) यदि नियंत्रक लीवर अत्याधिकघर्षण या प्ले से आपरेट होता है तो विंचों का प्रयोग नहीं किया जाता है ;

(ii) दोहरे गियर बिंच का प्रयोग तब तक न किया जाए जब तक गियर शिफ्ट को लॉक करने का सकारात्मक उपाय न दिया हो ;

(iii) दो गियर वाली विंच पर गियर बदलते समय फाल और हुक असेम्बली के अतिरिक्त कोई अन्य भार न हो;

(iv) विंच आपरेटर को अप्रसामान्य मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है ;

(v) विंच आपरेटरों के लिये अस्थायी स्थानो या आश्रयों के, जो विंच आपरेटरों या अन्य भवन निर्माण कर्मकारों के लिये परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं,प्रयोग की अनुज्ञा नहीं है

(vi) नियंत्रण लीवर निष्क्रिय स्थिति में है और जब विंच पर कोई न हो तो जब भी संभव हो इसकी शक्ति को बंद कर दिया जाता है।

(ख) प्रत्येक भाप विंच को प्रयोग में लाने पर, -

(i) छूटती भाप से निर्माण स्थल या अन्य कार्य स्थल के किसी भाग को धुंधला पड़ जाने से या किसी भवन निर्माण कर्मकार को अन्य रूप से होने वाली प्रतिबाधा या क्षति को

रोकने के लिये उपाय किए गए है ;

(ii) विस्तारित नियंत्रण लीवर जो अपने भार के कारण गिर जाते हैं, प्रतिसंतुलित है ;

(iii) विंच आपरेटरों को पहिया टाइप नियंत्रणों पर छोटे हैंडलों के सिवाय विंच नियंत्रण विस्तारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और यह कि ऐसे लीवर पर्याप्त मजबूत और सुरक्षित हैं और आलम्ब पर तथा स्थायी नियंत्रक लीवर पर धातु संबंधनों के साथ जकड़े हुए हैं;

(ग) किसी भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक इलेक्ट्रिक विंच कार्य करते समय, किसी त्रुटि की दशा में किसी इलेक्ट्रिक नियंत्रण सर्किट को स्थानांतरित करने, उनमें परिवर्तन करने या उनका समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं है ।

(घ) भवन निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रिक विंचो का प्रयोग वहां नहीं किया जाएगा जहां, -

(i) इलेक्ट्रो-मेगनेटिक ब्रेक भार को उठाए रखने में असमर्थ है ; या

(ii) एक या अधिक नियंत्रण स्थल, चाहे वे उत्तोलन के लिए हैं अथवा नीचे उतारने के लिये है, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं।

60. **बाल्टियां** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि टिप-अप बाल्टियों में ऐसी युक्त लगी है जो आकस्मिक उलटने को प्रभावकारी ढंग से रोकती है ।

61. **पहचान और निरापद कार्यकरण भार का चिन्हांकन** - नियोजक भवन-निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्रत्येक उत्थापक साधित्र और वियोजित गियर इसे निरापद कार्यकरण भार और पहचान के लिए स्टांपित करके या अन्य किसी उपयुक्त साधन द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किए गएहै

(ख) (i) प्रत्येक डैरिक (क्रेन डैरिक से भिन्न) जब ऐस डैरिक का प्रयोग निचले ब्लाक के साथ एकल क्रय में या सभी ब्लाक स्थितियों में संध क्रय में किया जाता है, उसके निरापद कार्यकरण भार के लिए स्पष्ट रूप से चिन्हांकित है;

(ii) क्षैतिज से न्यूनतम कोण, जिस पर डैरिक का प्रयोग किया जा सकता है सुपाठ्य रुप से चिन्हांकित है ;

(ग) प्रत्येक ऐसा अस्थापक साधित्र जिसका एक से अधिक कार्यकरण भार है, ऐसे प्रभावी साधनों से युक्त है जो आपरेटर को प्रयोग की सभी स्थितियों के अधीन प्रत्येक स्थान पर निरापद कार्यकरण भार निश्चित करने में समर्थ करता है ;

(घ) अस्थापक गियरों का ऐसी स्थितियों के अधीन जिनमें ऐसे गियर प्रयोग किए जा सकते है निरापद कार्यकरण भार अभिनिश्चित करने में ऐसे गियर का प्रयोग करने वाले कर्मकार को समर्थ करने के लिये साधन दिए गए हैं और ऐसे साकन निम्नलिखित को सम्मिलित करेंगे,-

(i) स्लिंग या किसी टेबलेट या पेन स्लिंग की दशा में टिकाऊसामग्री की रिंग पर जो उससे दृढ़ता से जुड़ा है पर विशुद्ध अंकों या अक्षरों में निरापद कार्यकरण भार का चिन्हांकरण; और

(ii) या तो उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट साधन अथवा तार रस्सी स्लिंग की दिशा में विभिन्न आकारों को तार रस्सी स्लिंगों के निरापद कार्यकरण भार का कथन करने वाली सूचना जो इस प्रकार प्रदर्शित की गई है कि किसी भी संबद्ध भवन कर्मकार द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके।

62. **अत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियरों की लदायी** - नियोजक, भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर वह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कोई अत्थापक साधित्र, अत्थापक गियर या तार रस्सी असुरक्षित तरीके से या ऐसी रीति में प्रयोग नही की जा रही जिनमें भवन निर्माण कर्मकार के जीवन को जोखिम हो और यह कि उन पर उस दशा को छोड़कर जब जांच प्रयोजनों के लिए किसी सक्षम व्यक्ति के निर्देशनाधीन इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार लदाई की जाती है, उनके निरापद कार्यकरण भार से अधिक लदाई नहीं की जाएगी।

(ख) उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य हथालने की सामग्री उपयोग की जायेगी, यदि -

(i) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक का जांच या परीक्षण के प्रमाण पत्र अथवा इन नियमों के अधीन दिए अनुसार रखे गए अधिप्रमाणित अभिलेखों के प्रति निर्देश में समाधान नहीं हो गया है ;

(ii) ऐसे निरीक्षक की दृष्टि में कोई उत्थापक साधित्र, उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई धराई करने वाला साधित्र भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है ;

(iii) कोई पुली ब्लाक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में तब तक प्रयोग नही किया गया जब तक ऐसे ब्लाक पर निरापद् कार्यकरण भार और पहचान स्पष्ट रुप से चिन्हांकित नहीं की गई,

तो कोई उत्थापक साधित्र और उत्थापक गियर या कोई अन्य सामग्री की उठाई धराई करने वाला साधित्र प्रयोग में नहीं लाया गया।

63. **आपरेटर का केब या केबिन** - नियोजन भवन निर्माण अथवा अन्य स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) बाह्य सेवा वाली प्रत्येक उत्थापक मशीन के आपरेटर को एक केब या केबिन दिया गया हैं जो, -

(i) अग्नि प्रतिरोधक सामग्री से बना है,

(ii) उपयुक्त सीट और एक फुट रेस्ट से युक्त है और जिसमें बंधन से सुरक्षा दी गई है ;

(iii) आपरेटर की प्रचालन के क्षेत्र के पर्याप्त अवलोकन की सुविधा देता है ;

(iv) आपरेटर को केब में कार्यकरण भागों तक आवश्यक पहुंच की सुविधा देता है ;

(v) आपरेटर को मौसम के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है ;

(vi) पर्याप्त रुप से संचालित है ; और

(vii) उपयुक्त अग्निशामकों से युक्त है।

64. **उत्थापक साधित्रों का प्रचालन** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्रत्येक क्रेन चालक या उत्थापक आपरेटर के पास विशिष्ट उत्थापक साधित्र के प्रचालन के लिए पर्याप्त कुशलता और प्रशिक्षण है ;

(ख) कोई अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी उत्थापक साधित्र या स्काप्लोस्ड विंच के नियंत्रण पर नहीं है या आपरेटर को सिगनल देने का कार्य नहीं कर रहा है ;

(ग) प्रशिक्षित आपरेटर द्वारा उत्थापक साधित्र को गति में आने से रोकने के लिए पूर्वाधानी ली

जा रही है ;

(घ) उत्थापक साधित्र का प्रचालन सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिगनलों द्वारा शासित है,

(ङ) उत्थापक साधित्र के आपरेटर का ध्यान कार्य करते हुए भंग नहीं होता है,

(च) कोई केन उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र अथवा ऐसी क्रेन, उत्तोलक, विंच या अन्य उत्थापक साधित्र के किसी भाग पर सिवाय जांच प्रयोजनों के निरापद कार्यकरण भार से अधिक नहीं लगाया जाता है,

(छ) उत्तोलक प्रचालन के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसे प्रचालन में भार के नीचे खण्ड होने या गुजरने से रोकने के लिए प्रभावी पूर्वाविधानी ली गई हैं ;

(ज) आपरेटर उत्थापक साधित्र को ऐसी दशा में जब शक्ति चाल हो या ऐसे साधित्र पर लगाया गया है, बिना देख-रेख के नहीं छोड़ता है ;

(झ) कोई व्यक्ति लटके हुए भार पर या उत्थापक साधित्र पर सवारी नहीं करता है,

(ञ) भार का प्रत्येक भाग, जब भार उत्तोलन हो रहा हो या नीचे किया जा रहा हो, किसी खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त रुप से लटकाया और सहारा दिया गया है ;

(ट) ईटो, टाइलों, स्लेटों या अन्य सामग्री के उत्तोलन के लिए प्रयुक्त मात्र, ऐसी किसी सामग्री को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त रूप से बंद है ;

(ठ) उत्तोलन प्लेटफार्म, उस समय बंद रहता है, जब खुली सामग्री अथवा भार से लदे व्हील बैरीस सीधे ऐसे प्लेटफार्म पर रखे जाते हैं या जब ऐसी सामग्री अथवा व्हील-बैरीस नीचे उतारे जाते हैं ;

(ड) कोई सामग्री किसी उत्थापक साधित्र से इस प्रकार उपर, नीचे या धीमी नहीं की जाती है जिससे ऐसे साधित्र को अचानक झटका लगे ;

(ढ) किसी बैरी के उत्तोलन के समय ऐसे बैरो का कोई पहिया तब तक सहारे के साधन के रुप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है जब तक ऐसे पहिए एक्सिल को बियरिंग में से बाहर फिसलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं कर लिये जाते है;

(ण) लंबी वस्तुओं जैसे प्लैक्स या गर्डरस के साथ, ऐसी वस्तुओं को उपर या नीये करते समय खतरे की किसी संभावना को समाप्त करने के लिये टैग लगाई जाती है ;

(त) सामग्री को नीचे उतारने की प्रक्रिया के दौरान, किसी भवन निर्माण कर्मकार को ऐसी सामग्री की लदाई और उतराई देखने के लिए खाली स्थान में झुकने की अनुज्ञा नहीं है ;

(थ) ऐसे स्थानों पर जहां यातायात का प्रवाह नियमित रहता है भारों का उत्तोलन बंद स्थान पर किया जाता है या उस दशा में जब ऐसा उत्तोलन के समय यातायात रोकने अथवा मोड़ने के उपाय किये जाते हैं ;

(द) भार को उसके उत्तोलन या उतराई के दौरान किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने से रोकने लिए पर्याप्त कदम उठाये गए हैं जिससे ऐसे भार को खिसकने मे बचाया जा सके ;

(ध) भारी-भारों को ऊमर या नीचे करते हुए, भारी भार की दिशा देने के लिए साधित्र उपलब्ध कराये गए हैं और उनका प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसे भार को ऊमर या नीचे करने के दौरान भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों को दबने से बचाया जा सके ।

65. **उत्तोलक** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) उत्तोलक टावरों की परिकल्पना निर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है ;

(ख) उत्तोलक शाफ्ट में कठोर पैनल या -

(i) भूमि तल पर ऐसी शाफ्ट के चारों तरफ; और

(ii) अन्य सभी तलों पर ऐसी शाफ्ट तक पहुंच के चारों तरफ, अन्य पर्याप्त बाड़ लगाई गई है;

(ग) उत्तोलक शाफ्ट की दीवारें, पहुंच मार्गों के सिवाय ऐसी शाफ्ट के फर्श या पहुंच के प्लेटफार्म से कम से कम दो मीटर उंची है,

(घ) उत्तोलक के पहुंच मार्गो पर द्वार लगाए गए हैं जो -

(i) दृश्यता बनाए रखने के लिए जाली से युक्त हैं ;

(ii) कम से कम दो मीटर ऊंचे हैं, और

(iii) ऐसी युक्ति से युक्त हैं जो ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म के लैंडिंग छोड़ने से पूर्व द्वार बंद कर देती हैं और जब तक ऐसा प्लेटफार्म लैंडिंग पर न हो द्वार को खुलने से रोकती है;

(ङ) उत्तोलक के पहुंच मार्ग पर्याप्त रुप से प्रकाशित है ;

(च) उत्तोलक प्लेटफार्म की गाइडस मुड़ने और अटकने की दशा में उछलने के प्रति सुरक्षा कैच देकर पर्याप्त प्रतिरोध दिखाती है ;

(छ) शिरोपरि बीम और उनके सहारे ऐसे कुल अधिकतम चलायमान और स्थिर भार को जिनको उठाना ऐसी बीम और सहारों द्वारा कम से कम पांच सुरक्षा फैक्टर के साथ उठाना अपेक्षित होगा, उठाने में समर्थ है ;

(ज) (i) पिंजरे या प्लेटफार्म की ओवरवाईडिंग की दशा में उनको पर्याप्त निर्बाध गति उपलब्ध कराने के लिए पिंजरे या प्लेटफार्म के उच्चतम रुकन के ऊपर, और

(ii) ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म के निम्नतम रुकेने के स्थान के नीचे खाली स्थान उपलब्ध कराया गया है।

(झ) उत्तोलक शाफ्ट के मुख के उपर सामग्री को ऐसे शाफ्ट में गिरने के लिए पर्याप्त आवरण उपलब्ध कराया गया है ;

(ञ) बाह्य उत्तोलक टावर पर्याप्त रुप से मजबूत नींव पर खड़े किए गए हैं और दृढ़ रुप से बंधे गायड और स्थिर है ;

(ट) उस दशा में जब कोई अन्य सीढ़ी आसानी से पहुंच में नहीं है, तब प्रत्येक बाह्य उत्तोलक टावर के नीचले तल से मुख तक एक सीढ़ी लगाई गई और ऐसी सीढी राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करेगी ;

(ठ) किसी उत्तोलक इंजन की अंकित क्षमता ऐसे अकितम भार से, कम से कम डेढ़ गुणा होगी ;

(ड) उत्तोलन इंजन की सभी गिअरिंग दृढ़ता से बंद है ;

(ढ) उत्तोलक इंजन की भाप पाईप, किसी भवन निर्माण कर्मचारी की ऐसी पाईप से दुर्घटनावश छू जाने से बचाने के लिए पर्याप्त रुप से संरक्षित है ;

(ण) उत्तोलक इंजन के इलैक्ट्रिकल उपस्कर प्रभावी रुप से सुयोजित है ;

(त) उत्तोलक में उत्तोलक ईंजन को, जैसे ही ऐसे उत्तोलक का प्लेटफार्म अपने रुकने के उच्चतम स्थान पर पहुंचता है, रोकने के लिए उपयुक्त युक्ति उपलब्ध है ;

(थ) उतोलक इंजन मौसम और गिरती हुई वस्तुओं के प्रति संरक्षण के लिए उपयुक्त आवरण से युक्त है ;

(द) जनता के किसी आम रास्ते पर लगाया गया उत्तोलक इंजन पूरी तरह से बंद है ;

(ध) सभी भाप निष्कासक पाइप इस रीति से भाप का निस्सारण करती हैं कि इस प्रकार निस्सारित भाप किसी व्यक्ति को नहीं जलाती या आपरेटर के दृश्य में बाधा नहीं डालती ;

(न) उत्तोलक की गति की दिशा जब तक विपरीत नहीं होगी जब तक वह पहले गतिहीन नहीं हो जाता जिससे कि ऐसी विपरीत दिशा में गति से होने वाली हानि से बचा जा सके ;

(प) कोई ऐसा उत्तोलक जिसकी परिकल्पना में व्यक्तियों की सवारी सम्मिलित नहीं है, ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म में गति नहीं लया जाता ;

(फ) उत्तोलक के पालस और रैचेट पहियों की, जिसमें ऐसे उत्तोलक के प्लेटफार्म को नीचे करने से पूर्व ऐसे पाल की ऐसे रेचेट पहिओं से अलग करना अपेक्षित है, प्रयोग नहीं किया जाता है;

(ब) उत्तोलक का प्लेटफार्म ऐसे अधिकतम भार की, जिसे ऐसा प्लेटफार्म कम से कम तीन सुरक्षा फुटकर के साथ उठा सकता है, उठाने में समर्थ हैं,

(भ) उत्तोलक का प्लेटफार्म उपयुक्त सुरक्षा गियर से युक्त है, जो उत्तोलक रस्सी के टूटने की दशा में ऐसे प्लेटफार्म को इसके अधिकतम भार के साथ उठा सकता है ;

(म) उत्तोलक के प्लेटफार्म पर व्हील बैरौत या ट्रक सुरक्षित स्थिति में प्रभावि रुप से ब्लाक किये गए है ;

(य) उत्तोलक का पिंजरा या प्लेटफार्म जहां भवन निर्माण कर्मकारों का लैडिंग तल पर ऐसे पिंजरे में प्रवेश करना या प्लेटफार्म पर जाना अपेक्षित है, ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म की उस समय जब कोई कर्मकार ऐसे पिंजरे या प्लेटफार्म में प्रवेश करता है या छोड़ता है, गति में आने से रोकने के लिए, लाकिंग इंतजाम से युक्त है ;

(र) उत्तोलक के प्लेटफार्म का पार्श्व, जो भार की लदाई के लिए प्रयोग नहीं होता ऐसे प्लेटफार्म में भार के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिए टी बोर्ड और तारों के जाल या अन्य किसी उपयुक्त साधनों से युक्त हैं ;

(ल) उत्तोलक का प्लेटफाम, जिससे भार के किसी भाग के गिरने की संभावना है, ऐसे की रोकने के लिए पर्याप्त आवरण से युक्त है ;

(व) उत्तोलक के प्रति-बाट, जो कई भागों का समूह है, इस प्रकार निर्मित है कि सभी भाग दृढ़ रुप से एक साथ जुड़े है ;

(श) उत्तोलक के प्रति-बाट गाइडस के मध्य रहते हैं ;

(स) कार्य के प्रत्येक स्तर पर कर्मकार को ऐसा कार्य करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध है ;

(ह) हिन्दी और साथ ही स्थानीय भाषा में सुपाठ्य सूचना निम्नलिखित स्थानों पर उपदर्शित की गई हैं, -

(i) उत्तोलक के प्लेटफार्म के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार ले जाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती है,

(ii) उत्तोलक इंजन के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना ऐसे उत्तोलक की भार-उठाने की अधिकतम क्षमता को किलोग्राम में दिखाती हैं,

(iii) व्यक्तियों को प्लेटफार्म या पिंजरे में सवारी करने के लिए प्राधिकृत और प्रमाणित उत्तोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी सूचना व्यक्तियों की वह अधिकतम क्षमता दिखाती हैं जो ऐसे उत्तोलक पर एक बार में जा सकते हैं;

(iv) माल और अन्य सामग्री को ले जाने वाले उतोलक के सहजदृश्य स्थान पर और ऐसी

सूचना यह कथित करती है कि ऐसा उत्तोलक व्यक्तियों की सवारी के लिए नहीं है ;

66. **उत्थापक साधित्र तक पहुंच के साधन और उन पर बाड़ लगाना** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) उत्थापक साधित्र प्रत्येक भाग तक पहुंच के लिए सुरक्षित साधन उपलब्ध है,

(ख) यांत्रिकी शक्ति से चालित प्रत्येक क्रेन या टिप पर आपरेटर के प्लेटफार्म पर दृढ़ बाड़ लगाई गई है और उस तक पहुंच का सुरक्षित साधन है और जहां प्लेटफार्म तक ऐसी पहुंच सीढ़ी द्वारा है वहां, -

(i) ऐसी सीढ़ी का पार्श्व, ऐसे प्लेटफार्म से समुचित ऊंचाई पर है या उसके स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त हेन्डहोल्ड, व्यक्तियों को ऐसे प्लेटफार्म से गिरने से रोकने के लिए उपलब्ध कराया गया है,

(ii) ऐसे प्लेटफार्म पर उठाई-धराई का स्थान बाधाओं और फिसलन से मुक्त है, और

(iii) उस दशा में जब सीढ़ी की ऊंचाई छह मीटर से अधिक है, ऐसी सीढ़ी पर उसकी ऊंचाई के प्रत्येक छह मीटर पर आराम करने के लिए प्लेटफार्म और जहां इस प्रकार उपलब्ध अंतिम प्लेटफार्म और सीढ़ी के शीर्ष के बीच दो मीटर से अधिक दूरी है तब ऐसे शीर्ष पर भी ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध है ।

67. **डेरिक्रों का रिगन** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक डेरिक पर सामयिक तथा संगत रिगन योजना है और ऐसे डैरिकों और उसके गिअर की सुरक्षित रिगन के लिए अन्य आवश्यक जानकारी है ।

68. **डेरिकों फुट का दृढ़ीकरण** - नियोजक भवन निर्माण अथवा निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि डैरिक के फुट को उसकी सोकट या सहारे के ऊपर निकलने से रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं ।

69. **उत्थापक गिअर की संरचना और रख-रखाव** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) प्रत्येक उत्थापक गिअर -

(i) उस कार्य को, जिसके लिए इसका प्रयोग होता है, करने के लिए अच्छे डिजाइन तथा संरचना, अच्छी सामग्री और पर्याप्त मजबूती का है,

(ii) पेटेन्ट विकारों से मुक्त है, और

(iii) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण दशा में उचित रुप से बनाए रखा गया है ।

(ख) नियोजित गिअर का संघटक आदि प्रयोग से उसका कोई आयाम किसी बिन्दु पर दस प्रतिशत या अधिक घट जाता है, प्रयोग के समय नया डाला जाता है,

(ग) कोई चेन जब खीची जाने पर लम्बाई में उसकी लंबाई से पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है या ऐसी चेन की कोई कड़ी विकसित हो जाती है अथवा अन्यथा नष्ट हो जाती है अथवा उसके ऊपर विकृत बेल्ट उभर आते हैं प्रयोग में से हटा ली जाती है,

(घ) चेन से जुड़े रिंग, हुक, सिगनल और अंतिम कड़ी उसी सामग्री से बने हैं जिसमें चेन बनी है,

(ङ) किसी चुम्बकीय उत्थापक साधित्र को की जाने वाल इलेक्ट्रिक आपूर्ति की बोल्टेज में उतार-चढ़ाव दस प्रतिशत कम या अधिक नहीं है ।

70. **उत्थापक गिअरों की जांच और कालिक परीक्षण** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य

निर्माण कार्य के स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कोई उत्थापक गियर विनिर्माता लिए इसके प्रयोग से पूर्व या इसमें कोई सारभूत परिवर्तन, जो इसके किसी भाग को इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने या दायी बनाते हैं ,करने के पश्चात् किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रारंभिक रूप से जांचा गया है और ऐसा गिअर जांच में परिवर्तित ऐसे गियर को तत्पश्चात् पांच वर्ष में कम से कम एक बार इसके स्वामी के उपयोग के लिए जांचा जाएगा ;

(ख) प्रयोग किय जा रहे किसी उत्थापक गिअयर का प्रत्येक बारह मासों में कम से कम एक बार पूर्णरूपेण परीक्षण किया जाता है ;

(ग) प्रयोग किये जा रही किसी चेन का इसके प्रयोग के लिए प्रत्येक मास कम से कम एक बार जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाता है ;

(घ) इन नियमों के अधीन वियोजित गिअरों की प्रारंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 7 में लिए जाते हैं ;

71. **रस्सियां** - नियोजक भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के लिए किसी रस्सी का प्रयोग केवल तब किया जाएगा जब -

(i) वह अच्छी क्वालिटी की है और पेटेन्ट विकारों से मुक्त हैं,

(ii) तार रस्सी की दशा में उसका इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रीति में, सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया गया हो।

(ख) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में प्रयुक्त किसी उत्थापक साधित्र और उत्थापक गिअर की प्रत्येक तार रस्सी का प्रत्येक तीन मासों में कम से कम एक बार, ऐसे प्रयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

परन्तु यह कि जब ऐसी रस्सी में ऐसी कोई तार टूट जाती है तो उसके पश्चात् उसका निरीक्षण, जिम्मेदार वयक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(ग) कोई तार-रज्जू भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी यदि उक्त रज्जू की मोटाई वाले आठ भागों में से किसी एक के आयाम में दृश्यमान टूटी हुई तारों की संख्या उक्त रज्जू में के कुल तारों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक हो जाती है या रज्जू में अत्यधिक टूट-फूट जंग या अन्य वर्गियों के निन्हज दिखाई देते हैं जो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति या निरीक्षक, जिसको अधिकारिता है की राय में प्रयोग के लिए अनुपयुक्त हैं,

(ध) तार-रज्जूओं से हुक, कड़ा और अन्य ऐसे भागों को जोड़ने के लिए रज्जूओं के कुंडी शिरोबन्धन और लूप उपयुक्त छल्ले से बनाए जाते हैं।

(ङ) किसी तार-रज्जू झूले में बनाए गए छल्ले या लूप शिरोबंधन निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगें, अर्थात् :-

(i) तार-रज्जू झूले में रज्जू की पूर्ण लड़ों सहित कम से कम तीन लपटें और उक्त लड़ों में से प्रत्येक तक आधे तारों तक काटी हुई दो लपेटें होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में उक्त लड़ों की लपेट रज्जू के बटान की दिशा में होगी ;

(ii) तार-रज्जू झूलों के किसी शिरोबंधन में उक्त लड़ों के बाहर निकले हुए सिरे ढक दिए

जाएंगे या इस प्रकार उपचारित किए जाएंगे जिससे सिरे पैने न रहें ;

(iii) तन्तुमय रज्जू या रज्जू झूले में कम से कम चार लपेट होनी चाहिए ; उक्त लपेट का अन्तिम छोर उपयुक्त रीति में टांका गया होना चाहिए ; और

(iv) कृत्रिम तंतु रज्जू झूले में पूर्ण लड़ों की कम से कम चार लपेट होनी चाहिए जिसके बाद में एक और लपेटे प्रत्येक उक्त लड़ तक आधे कटे तन्तुओं की होगी और अंतिम लपेट आधे बचे शेष वियोजक तन्तुओं की होगी झूलों का कोई भाग जिसमें उक्त लपेटें हैं, तन्तुओं की घटी संख्या सहित, उपयुक्त टेप या अन्य पदार्थ से सुरक्षित रूप से ढका जाना चाहिए ;

परंतु इस उपखण्ड की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी अन्य प्रकार के झूले का, जिसे उपरोक्त मानकों सहित झूले के समान दर्शित किया गया हो प्रयोग किया गया है।

72. **उत्पादक गियरों का ताप - उपकार** - नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) आरोपक जंजीरों को छोड़कर, सभी जंजीरें और उक्त क्रेनों के उत्तोलन या अवनयन में प्रयोग किए जाने वाले सभी कड़े, कुण्डियां और फिरकियां प्रभावी रुप से, किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन और लिम्नलिखित अंतरलों पर तापानुशीतित किए जाएं, अर्थात् :-

(i) ऐसी जंजीरें, कड़े,हुक कुण्डे और फिरकियां जिनकी लम्बाई साढ़े बारह मिलीमीटर से अधिक नहीं है प्रति छह मास में कम से कम एक बार उक्त तापानुशीतित किए जाए, और

(ii) सभी अन्य ऐसी जंजीर, कड़े, हुक, कुण्ड और फिरकियां प्रति बारह मास में कम से कम एक बार उक्त रुप में तापानुशीतित किए जाएं :

परन्तु उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) में यथानिर्दिष्ट उक्त तापानुशीत अपेक्षित नहीं होगी अदि अधिकारिता प्राप्त निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निदेश देता है कि ऐसी जंजीरों, कड़ों, हुकों कुण्डों और फिरकियों पर कुछ अन्य उपचार किया जाए और ऐसी दशा में निरीक्षक द्वारा निदेशित उपचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उक्त क्रेनों पर अनन्य रुप से प्रयोग की जाने वाली ऐसी जंजीरों, कड़ों , हुकों कुण्डों और फिरकियों तथा अन्य उत्तोलक यंत्रों, जो हाथ द्वारा चालित हैं, की दशा में उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) के उपबंध, यथास्थिति, लागू होंगे मानों यदि छह मास और बारह मास की अवधि के स्थान पर उसमें क्रमशः बारह मास और दो वर्ष की अवधियों प्रतिस्थापित कर दी गई है ;

परन्तु यह और भी कि ऐसी दशा में जहां कि अधिक वरिताप्राप्त निरीक्षक की यह राय है कि आकार, डिजाइन, सामग्री या ऐसी जंजीरों कड़ों, हुकों, कुण्डों और फिरकियों के प्रयोग की आवृत्ति के कारण भवन कर्मकारों के संरक्षण के लिए तापानुशीतप के लिए इस खण्ड की आवपश्यकता नहीं है, मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वह रक्त नियोजक को लिखित में प्रमाण-पत्र देगा कि उक्त प्रमाणन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कुण्डों और फिरकियों को उक्त तापानुशीतन से छूट प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् इस खण्ड के उपबंध उक्त छूट के अधीन रहते हुए लागू होंगे :

परन्तु यह और भी कि यह खण्ड निम्नलिखित को लागू नहीं होगा, -

(i) चक्र दन्त या दांतेदार पहियों पर कार्य करने वाली चूड़ीदार जंजीरें ;

(ii) चूड़ीदार (अंतराल) जंजीरों, गरारी या तुलन मशीनों से स्थायी रूप से संलग्न कस, हुक और कुण्डे ; और

(iii) हुक और कुण्डे जिनमें बाल बियरिंग या अन्य कठोरीकृत आवरण पुर्जो हैं।

(ख) उच्चतातीय स्टील या मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या कोई असंवेष्टित गरारी जिस पर स्पष्टत: ऐसे चिह्न संन्निहित किया गया है कि यह उक्त रूप में बनी हैं।

(ग) उच्चातातीय स्टील मिश्रधातु स्टील से बनी कोई जंजीर या असंवेष्टित गरारी प्रकार के ताप उपचार के अधीन नहीं होगी सिवाय जहां कि ऐसी जंजीर या असंवेष्टित गरारी की मरम्त के प्रयोजन के लिए उक्त उपचार आवश्यक है और यह कि उक्त मरम्मत सक्षम व्यक्ति के निदेशन के अधीन की जारी है,

(घ) कि व्यंगारित लोहे की गरारी, जिसके पिछले इतिहास का पता मालूम नहीं है, के बारे में संशय है कि वह गलत ताप पर ताप उपचारित की जाती थी, यह किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में प्रयोग किये जाने के पूर्व प्रसामान्य बना ली जाती है।

73. **वास्तविक जांच और परीक्षण, आदि के पश्चात् जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र -** नियोजक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि नियम 56, नियम 62, नियम 71 और नियम 72 के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति केवल वास्तविक जांच या यथास्थिति, उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट उपकरण के परीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी करें।

74. **आवधिक परीक्षण, परीक्षा और उनके प्रमाण - पत्रों का रजिस्टर -** नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर या अन्य संनिर्माण कार्य में, -

(क) इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 26 में एक रजिस्टर रखा जाता है और नियम 56, नियम 62 और नियम 72 के अधीन यथा अपेक्षित उत्थापन साधित्रों, उत्थापन गियरों और उष्मा उपचार के ऐसे परीक्षण और परीक्षा की विशिष्टियां ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट की जाती हैं;

(ख) निम्नलिखित में के प्रत्येक की बाबत प्रमाण-पत्र नीचे यथा उल्लेखित प्ररुपों में सक्षम व्यक्ति से अभिप्राप्त किया जाता है, अर्थात् : -

(i) नियम 56 और नियम 71 के अधीन आरंभिक और आवधिक परीक्षण तथा परीक्षा की दशा में, -

(क) विंच, डेरीक और उनके सहायक गियर के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5 में;

(ख) क्रेन या उत्तोलक और उनके सहायक गियर के लिए, इन नियमों से उपाबद्ध प्रारुप 6 में ;

(ii) नियम 70 के खण्ड (घ) के अधीन लूज गियर के परीक्षण, परीक्षा और पुन: परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 7 में ;

(iii) नियम 62 के अधीन तार रस्सों के परीक्षण और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 8 में ;

(iv) नियम 72 के अधीन लूज गियर की ऊष्मा उपचार और परीक्षा की दशा में, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 9 में ;

(v) नियम 70 के खण्ड (ख) के अधीन, लूज गियर की वार्षिक सम्पूर्ण परीक्षा की दशा में, सिवाय वहां के, जहां ऐसी छूट की अपेक्षित विशिष्टियां, खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न की गई है, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 26 में, और ऐसे प्रमाण-पत्र खण्ड (क)

में निर्दिष्ट रजिस्टर में संलग्न किए जाते हैं।

(ग) खण्ड (कं) में निर्दिष्ट रजिस्टर और ऐसे रजिस्टर के साथ संलग्न खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र -

(i) यदि ऐसे रजिस्टर और प्रमाण-पत्र उत्थापक साधित्रो, लूज गियर, तार रस्सों से संबंधित है तो ऐसे संनिर्माण स्थल पर रखे जाते हैं ;

(ii) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग पर प्रस्तुत किए जाते हैं; और

(iii) ऐसे रजिस्टर में की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् कम से कम चार वर्ष के प्रतिधारित किए जाते हैं ;

(घ) ऐसा कोई उत्थापक साधित्र या उत्थापक गियर, जिसकी बाबत् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है और, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट गति से ऐसे रजिस्टर में परीक्षण और परीक्षा का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है, किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में तब तक नहीं प्रयुक्त होता जब तक कि अपेक्षित प्रविष्टियों ऐसे रजिस्टर और प्रमाण-पत्रों में नहीं कर दी गई हैं।

75. **निर्वात और चुम्बकीय उत्थापक गियर** - नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर या अन्य संनिर्माण कार्य में, -

(क) किसी निर्वात उत्थापक गियर, चुम्बकीय उत्थापक गियर या किसी अन्य उत्थापक गियर का जहां इस पर का अपना भार अपधर्षक शक्ति द्वारा धारित किया जाता है, उस समय प्रयोग नहीं किया जाता जबकि कर्मकार ऐसे गियर के के नीचे संक्रियाएं कर रहे हों ;

(ख) - किसी चुम्बकीय उत्थापक गियर का प्रयोग भवन यार अन्य संनिर्माण के संबंध में विद्युत के ऐसे वैकल्पिक प्रदाय जैसे बैटरी का उपबंध किया गया है, जो मुख्य विद्युत आपूर्ति के असफल होने की दशा में, तत्कालं प्रवर्तन में आ सकती है;

(ग) कोई भवन कर्मकार उत्थापक गियर या भार या भवन या ऐसे उत्थापक गियर में लटकी हुई अन्य संनिर्माण सामग्री के झूला क्षेत्र के भीतर कार्य नहीं करेगा।

76. **श्रृंखलाओं और तार रस्सों में गांठ होना** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में किसी गांठ वाली श्रृंखला या तार रस्से का प्रयोग नहीं किया जाना है।

77. **उत्थापक साधित्रों आदि के द्वारा व्यक्तियों को लाना ले जाना** - (1) नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भवन कर्मकार को निम्नलिखित के सिवाय विद्युत चालित साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया या ले जाय नहीं जाएगा, -

(क) किसी क्रेन के केज में चालक के प्लेटफार्म पर; या

(ख) किसी उत्तोलक पर ; या

(ग) किसी अनुमोदित लटके हुए, पाड़ (स्कैफोल्ड) पर :

परन्तु किसी भवन कर्मकार को निम्नलिखित दशा में शक्ति चालित उत्थापक साधित्र द्वारा उठाया, नीचे लाया अथवा ले जाया जा सकता है, -

(i) ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी उत्तोलक या लटके हुए स्केफोल्ड का प्रयोग युक्ति-युक्त रुप से व्यवहार्य नहीं है और उपनियम (2) की उपेक्षाएं पूरी कर दी जाती है ; या

(ii) ऐसी दशा में किसी वायकीय केवल वे या वायकीय रोप वे पर जहां उपनियम (2) की

अपेक्षाएं पूरी कर दी जाती हैं ;

(2) उप नियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात्

(i) ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र को केवल एक स्थिति से प्रचालित किया जा सकता है ;

(ii) ऐसे परन्तुक में निदिष्ट साधित्र के संबंध में प्रयुक्त कोई विंच नियम 59 की अपेक्षाओं को पूरा करती है ;

(iii) कोई व्यक्ति ऐसे परन्तुक में निर्दिष्ट साधित्र द्वारा निम्नलिखित के सिवाय लाया ले जाया नहीं जाएगा-

(क) किसी कुर्सी या केज में ; या

(ख) किसी स्किप या अन्य आधान में जो कम से कम तीन फुट गहरा हो और जो किसी व्यक्ति के सुरक्षित वहन के लिए उपयुक्त हो और ऐसी कुर्सी, केज, स्किप या अन्य आधान अच्छी संनिर्मित का है, ठोस सामग्री का बना है और उसमें पर्याप्त शक्ति है और वह उसमें से किसी अधिभोगी को गिर जाने से बचाने के लिए उपयुक्त साधनों सहित उचित रूप से रखा गया है और किसी ऐसी सामग्री या औजार से मुक्त है जो ऐसे अधिभोगी की हाथ की पकड़ या पैर की पकड़ में हस्तक्षेप कर सकता है या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचा सकता है ; और

(iv) कुर्सी, केज, स्किप या अन्य आधान को ऐसी बुनाई या नोक (टिपिंग) से, जो उसमें के किसी अधिभोगी के लिए खतरनाक हो सकती है, रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।

78. **उत्तोलक वहन करने वाला व्यक्ति** - नियोजक भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) तब तक कोई भवन कर्मकार, किसी उत्तोलक द्वारा वहन नहीं किया जाता जिसमें ऐसा केज न लगा हो, -

(i) जो इस प्रकार संनिर्मित है कि जब उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हों तो ऐसे उत्तोलक द्वारा लाये ले जाने वाले किसी भवन कर्मकार को उससे बाहर गिर जाने से यह ऐसे केज के किसी भाग और किसी नियत संरचना के बीच या ऐसे उत्तोलक के किसी संचल भाग से उसके फंस जाने से या उस उत्तोलक मार्ग पर जिसमें ऐसा उत्तोलक चल रहा है, गिरने वाली किसी वस्तु या सामग्री द्वारा आहत होने से निवारित किया जा सके ; और

(ii) उसके प्रत्येक ओर इस तरह फिट किया गया है जिससे कि ऐसे दरवाजे से उतरने के लिए स्थान तक पहुंचने की व्यवस्था हैं जिसमें अच्छी इन्टरलाकिंग या अन्य युक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे दरवाजे को सिवाय तब तक नहीं खोला जा सकता जब कि ऐसा स्थान, उतरने के लिए स्थान पर हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो ।

(ख) व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त ऐसे उत्तोलक के उत्तोलक मार्ग बाड़े का प्रत्येक दरवाजे पर यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी इन्टरलाकिंग या युक्ति फिट की गई है ताकि ऐसे दरवाजे को सिवाय तब नहीं खोला जा सकता जब कि केज का ऐसा दरवाजा उतरने के स्थान पर न हो और यह कि ऐसा केज किसी ऐसे स्थान से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि ऐसा दरवाजा बंद न हो ।

(ग) भवन कर्मकारों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक उत्तोलक में यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और अच्छी स्वचल युक्तियों का उपबंध किया गया है कि ऐसे उत्तोलक का केज उस निम्नतर बिन्दु के उपर वाले बिन्दु पर विश्राम स्थिति की स्थिति में आ जाता है जिस पर ऐसा केज घूम सके।

79. **भार के अनुलग्नक** - नियोजक भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जब स्लिंग का उत्तोलक की लंबी सामग्रियों के लिए उपयोग किया जाता है, उत्थापक विम का उचित संतुलन करने के लिए स्लिंग लेगूस के बीच स्थान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और जब भार स्लिंग के दो या अधिक बिन्दुओं से लटका हुआ होता है, ऐसे स्लिंग के उत्थापक लेगूस के छिद्रों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऐसे शाकिलों के स्लिंग का छिद्र हुक पर रखा जाता है या ऐसे उत्थापक लेगूस के छिद्रों को, यथास्थिति, उत्तोलक ब्लाक, बाल या संतुलन विम के साथ जोड़ा जाता है।

(ख) पत्थर, ईंट, टाइल, स्लेट या अन्य वैसी ही वस्तुओं को उठाने या झुकाने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र या आधान, उत्थापक के साथ इस तरह संलग्न किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं को गिरने से रोका जा सके।

(ग) लदे हुए व्हील बैरों को उठाने या झुकाने के लिए ऐसे व्हील बैरों को सीधे उत्थापक पर रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे व्हील बैरे हिल डुल न सके और ऐसा प्लेटफार्म, ऐसे व्हील बैरों में रखी गई अन्तर्वस्तु को गिरने से बचाने के लिए घेर दिया जाता है।

(घ) किसी उत्तोलक की लैंडिंग इस प्रकार डिजाइन और व्यवस्थित की जाती है कि ऐसे उत्तोलक पर भवन कर्मकरों को ऐसे उत्तोलक से किसी सामग्री की लदाई और उतराई के लिए खाली स्थान में झुकने की अपेक्षा न हो।

80. **टावर क्रेन**- नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्रशिक्षित और ऊंचाई पर कार्य करने में समर्थ आपरेटर से भिन्न किसी व्यक्ति को टावर क्रेन चलाने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है.;

(ख) वह तल जिस पर टावर क्रेन खड़ी की जाती है पर्याप्त सहन क्षमता वाला है;

(ग) टावर क्रेनों और रेल पर चढ़ाए गए टावर क्रेनों के ट्रकों के लिए आधार गैस और सपाट सतह वाले है और ऐसी क्रेनें उत्खन्न से युक्तियुक्त रुप से सुरक्षित दूरी पर खड़ी की जाती है और ऐसी क्रेनों के विनिर्माताओं द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ढलान सीमाओं के भीतर प्रचालित की जाती हैं।

(घ) टावर क्रेनें वहां रोकी जाती है जहां निर्माण, प्रचालन ओर ऐसी क्रेनों के विघटन के लिए साफ स्थान उपलब्ध हो ;

(ङ) टावर क्रेनों इस प्रकार रोकी जाती हैं कि ऐसे क्रेनों के भार किसी अभियुक्त परिसर, सार्वजनिक मार्ग, रेल या ऐसे पावर केबलों के निकट हैंडल नहीं की जाती हैं सिवाय उन संनिर्माण कार्यों के जिनके लिए ऐसी क्रेनों का प्रयोग किया जाता है ;

(च) जहां दो या अधिक टावर क्रेनें रोकीं और प्रचालित की जाती है वहां किसी खतरे या

खतरनाक घटना से बचाने के लिए ऐसी क्रेनों के आपरेटरों के बीच सापेक्ष और उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जाती है ।

(छ) टावर क्रेनों का प्रयोग ऐसे लोडिंग मेगनेट, या बाल सर्विस के विघटन, एकत्रीकरण और प्रचालन या वैसे ही अन्य प्रचालनों के लिए किया जाता है जो ऐसी क्रेनों की क्रेन संरचना पर अधिक भार-दवाब अधिरोपित कर सकती है ।

(ज) ऐसे क्रेनों के बारे में टावर क्रेनों और मानक सुरक्षित व्यवहार विनिर्माता के अनुदेश, ऐसे क्रेनों को प्रचालित करने और उनका प्रयोग करने दौरान, अनुसरित किए जाते हैं ।

81. **उत्थापक विंचों और सिंगनलर, आदि के प्रचालन की अर्हता** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर या अन्य संनिर्माण में यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्थापक साधित्र की चाहे वह यंत्र चालित हो या अन्यथा चलाने या प्रचालित करने के लिए या ऐसे उत्थापक साधित्र के चालक का आपरेटर को संकेत देने के लिए या किसी रिगर या डेरिक के प्रचालन के रुप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नियोजित नहीं किया जाता है जब तक कि वह, -

(i) अठारह वर्ष से अधिक का है ;

(ii) पर्याप्त रुप से दक्ष और विश्वसनीय है ;

(iii) उत्थापक साधित्र के प्रचालन में अन्तर्ग्रस्त प्रच्छन्न जोखिमों की जानकरी रखता है ; और

(iv) आवधिक रुप से चिकित्सीय रुप से जांच की जाती है जैसा कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट हैं ।

अध्याय - 8
रनवे और ढ़लान

82. **भवन निर्माण कर्मकार द्वारा रनवे और ढ़लान का प्रयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) भवन कर्मकार द्वारा प्रयोग के लिए प्रदत्त रनवें या ढलान चौड़ाई मे चार सौ तीस मिलीमिटर से अन्यून है और 25 मिलीमीटर से अन्यून मोटे प्लेक में संनिर्मित है या ऐसे रनवे या ढ़लान के स्पन ओर बेसिड के संबंध में अपेक्षित समर्पित भार या ढ़लान और डिजाइन और ऐसे रनवे या ढ़लानें के संनिर्माण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार हैं ।

(ख) मंजिल या तल ऊपर तीन मीटर से अधिक पर अवस्थित भवन कर्मकार के उपयोग के लिए प्रदत्त प्रत्येक रनवे या ढ़लान चारों ओर से खुला है जिसके साथ पर्याप्त मात्रा में गार्ड रेल है और ऊंचाई एक हजार मिलीमीटर से कम नहीं है ।

83. **यानों द्वारा प्रयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) सभी रनवे और ढ़लान पक्के और मजबूत संनिर्मित किए गए हैं तथा ब्रेसिड और समर्थित है ।

(ख) परिवहन उपस्कर जैसे ट्रेलरों, ट्रकों या भारी यानों के उपयोग के लिए प्रत्येक रनवे या ढ़लान 3.7 मीटर से कम चौड़ाई के नहीं है और उनमें लकड़ी के चक्के लगाए गए हैं या पर्याप्त मजबूती के लिए कोई अन्य सामग्री समान्तर मोटाई वाले स्थान में दो सौ मिलीमीटर बट्टा दो सौ मिलीमीटर से कम नहीं है और ऐसे रनवे या ढ़लान के किनारे सुरक्षित हैं तथा ऐसे रनवे या ढ़लान सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं ।

84. **ढ़लान का झुकाव** - नियोजक भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ढ़लान का झुकाव एक बट्टा चार (वन इन फोर) से अधिक नहीं किया गया है और सामग्री ले जाने वाले या प्रयोग किये जाने वालो व्हील वेरे, भवन कर्मकारों द्वारा प्रयोग किए गए लगातार ढ़लान की कुल ऊंचाई 3.7 मीटर से अधिक नहीं है, लम्बाई में कम से कम 1.2 मीटर क्षैतिज अवतरण द्वारा उबड़ खाबड़ नहीं की गई हो जैसा कि सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपबंधित है।

85. **व्हील बैरों आदि द्वारा उपयोग** - नियोजक भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण कार्य में यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) व्हील बैरों हैंटकार्ट्स या हैंड ट्रकों के लिये उपयोग किये गये प्रत्येक रनवें या ढ़लान चौड़ाई में एक मीटर से कम नहीं है तो पचास मिली मीटर से अन्यून मोटे प्लैंकिंग से संनिर्मित किये गये हैं और ऐसे उपयोग के लिये पर्याप्त रूप से समर्थित और ब्रेसिड है।

(ख) तल या मैदान से तीन मीटर से अधिक ऊपर अवस्थित प्रत्येक रनवे या ढलान पर्याप्त स्ट्रेंच की उपयुक्त गार्ड रेलों सहित खुली और दी गई है।

अध्याय - 9
जल या जल से लगे स्थल पर संकर्म करना

86. **जल द्वारा परिवहन** - (1) नियोजक किसी भवन के निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगा, -

(क) जब किसी भवन निर्माण कर्मकार को किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निमार्ण संकर्म स्थल पर किसी अन्य संकर्म स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजनो के लिए मार्ग द्वारा जाना हो तब उसके सुरक्षित परिवहन और उसके लिये उपयोग की जाने वाली नौका में तथा ऐसे प्रयोजन के उपयोग के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भार साधक बनाने और उसके सुरक्षित नौवहन तथा अच्छी दशा में रखे जाने के लिये समुचित उपाय किए गए हैं।

(ख) उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी नौका से सुरक्षित ले जाया जा सके, ऐसी होगी कि प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन प्रमाणित की जाए और वह संख्या ऐसी नौका पर सहज दृश्य स्थान पर मुख्यालय दर्शाई जाएगी तथा व्यक्तियों की संख्या अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नौका निम्नलिखित अनुरूप होगी, अर्थात् :

(i) ऐसी नौका में सवार भवन निर्माण कर्मकरों को प्रतिकूल मौसम से बनाने के लिए पर्याप्त संरक्षण में रखा जाता है।

(ii) ऐसी नौका तत्समय यथाप्रवृत्त सुषंग विधि के अनुसार पर्याप्त और अनुभवी कर्मीदल द्वारा नियंत्रित की जाती है।

(iii) ऐसी नौका की अड़वाल की दशा में जो ऐसी नौका के डैक के स्तर से साठ सेन्टीमीटर से कम है तो ऐसे अड़वाल का खुला किनारा समुचित बाड़ से सज्जित होगा जिसकी ऊंचाई ऐसे डैक और सीकचों, गूंटे से एक मीटर कम नहीं होगी तथा ऐसी बाड़ में उपयोग किये गये वैसे पुर्जों की दूरी दो मीटर से अधिक नहीं होगी।

(iv) ऐसी नौका के डैक पर जीवन रक्षा बोया की संख्या ऐसी नौका के कर्मीदल की संख्या दो

संकर्म के बराबर होगी।

(v) ऐसी नौका के डैक पर की सभी जीवन रक्षा बोया अच्छी दशामें रखी जाएंगी और ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जिससे ऐसी नौका डूबती है तो वह तुरन्त तैराने की स्थिति में हों तथा ऐसे जीवन रक्षा बोया में से एक ऐसी नौका के चालक (स्टेयरमैन) की आसन पहुंच में होगा तथा दूसरा जीवन रक्षा बोया के बाद के भाग में अवस्थित होगा; और

(vi) नौका के चालन की स्थिति ऐसी होगी जिससे कि वह सभी आहार युक्तियुक्त: निर्बाध रुप से देख सकें।

87. **डूबने से बचाव** - नियोजन किसी भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल से लगे संकर्म स्थल जहां जल है जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसे स्थल पर भवन का निर्माण कार्य में नियोजित कर्मकार अपने नियोजन के अनुक्रम में, वहां से उसके जल में गिरकर डूबने की जोखित है तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे स्थल पर समुचित बचाव उपस्कर दिए गये हैं और उन्हें तुरन्त उपयोग के लिए अच्छी दशा में रखा गया है और ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के डूबने के खतरे से तुरन्त बचाव की व्यवस्था के लिये उपाय किये गये हैं और जहां किसी भूमि या उससे लगी संरचना या जल के ऊपर या ऐसे जल पर प्रवाहमान बेड़े के किनारे के ऐसे गिरने को विशेष जोखिम है तो वहां स्थान स्थिति ऐसी भूमि, संरचना या प्रवाहमान बेड़े पर से ऐसे गिरने को रोकने के लिये उनके किनारे के पास सुरक्षित बाड़ लगाएगा और ऐसे संकर्म पर या ऐसे सन्निर्माण स्थल पर भवन निर्माण कर्मकरों के पहुंचने तथा सामग्री के संचलन के लिये ऐसी बाड़ को हटा सकेगा या उसे कुछ समय के लिये खड़ा नहीं रखेगा।

अध्याय - 10
परिवहन और मृदा संचलन उपस्कर

88. **मृदा संचलन उपस्कर और यान** - नियोजक भवन सन्निर्माण और अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर निम्नलिखित की बाबत सुनिश्चित करेगा, -

(क) सभी स्थल और मृदा संचलन उपस्कर अच्छी सामग्री उचित डिजाइन ठोस निर्माण के बने हुए हैं तथा जिसके लिये ऐसे उपस्कर के उपयोग के लिये यह सुनिश्चित करना वे सन्निमार्ण के प्रयोजकों के लिये संकर्म उपयुक्त हैं और उन्हें मरम्मत करके अच्छी दशा में रखा गया है और सुरक्षित प्रचालन अभ्यास मानकों के अनुसार उनका समुचित उपयोग किया जाता है। परन्तु आधानों की ढलाई के परिवहन के लिए ट्रक या टेलर बिना किसी कठिनाई के आधानो को ले जाने के लिये पर्याप्त आकरों के है तथा ऐसे प्रत्येक ट्रक या ट्रेलर के धारों कोनों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मुड़े आंकड़े (बिस्ट लाक) लगे हुए हैं और ऐसा ट्रक या ट्रेलर ऐसे उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है तथा मास में कम से कम एक बार किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख रखा जाता है।

(ख) सभी परिवहन या मृदा संचलन उपस्कर और यानों का किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाता है और उपस्कर या यान में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उसे तुरन्त उपयोग से हटा लिया जाता है।

(ग) पावर ट्रक और ट्रैक्टरों में प्रभावकारी ब्रैक, हैडलाइट पिछली बत्तियां लगी हुई है तथा उन्हें

अच्छी तरह मरम्मत करके काम के लायक बनाए रखा जाता है।

(घ) (i) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भारी और लम्बी वस्तुएं ले जाने के लिये दोनों तरफ से सींकचे ठोस निर्माण सामग्री के बने हुए है और त्रुटि रहित हैं।

(ii) पावर ट्रकों और ट्रेलरों पर भार को बांधने के लिये सींकचों में ऐसे सींकचों का इधर-उधर बिखरने से रोकने के लिये ऊपर चारों ओर आर-पार जंजीरें दी हुई है ; और

(iii) ऐसे सींकचों को लदाई या उतराई सही स्थिति में रखा जाता है।

(ङ) लारियों, ट्रकों, ट्रेलरों और वैगनों में लादने और उनसे उतारने के कार्य में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के आने-जाने के लिये सुरक्षित गैंग मार्ग की व्यवस्था की गई है :

(च) ट्रकों और अन्य उपस्कर पर लाने ले जाने की उनकी सुरक्षित भार वाहन क्षमता से अधिक भार नहीं होगा तथा ऐसे ट्रकों और उपस्करों पर स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी।

(छ) हैड ट्रकों के हैण्डलों की डिजाइन इस प्रकार का होगा जिससे कि ऐसे ट्रकों पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों के हाथों की सुरक्षा हो सके या ऐसे हैण्ड लोर रक्षक युक्त होंगें।

(ज) ऐसे संकर्म में नियोजित परिवहन उपस्कर में कोई अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होगा।

(झ) किसी परिवहन उपस्कर का ऐसा चालक जो ऐसे उपस्कर पर कार्यरत है किसी सिग्नलर के निदेश के अधीन कार्य करेगा ;

(ञ) एकल विद्युत प्रदाय या सुरक्षित ऊंचाई पर निर्मित शिरोपरी बैरियरो की बाबत ऐसी पर्याप्त पूर्वावधारनी बरती जाएगी जब मृदा संचलन उपस्कर या यानों की किसी चालू विद्युत कण्डक्टर की खतरनाक सीमा के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा हो ;

(ट) यानों और मृदा संचलन उपस्कर को ढलवा रास्ते पर उस समय नही छोड़ा जाएगा जब ऐसे यानों या उपस्कर के इंजन चालू हों।

(ठ) सभी मृदा संचलन उपस्कर, यान और अन्य परिवहन उपस्कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा ही प्रचालित किए जाते हैं जो ऐसे उपस्कर, यान या अन्य परिवहन उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिये पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित है और जिसके पास ऐसा प्रचालन कौशल है।

89. **पावर चालित वेचल और उत्खनित्र, नियोजक, भवन निर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा,** - (क) ऐसे बेलचे या उत्खनित्र चाहे वे वाष्प या विद्युत या अन्तर दहन द्वारा प्रचालित किये जाते हों और जिनका ऐसे संकर्म में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्समय राष्ट्रीय मानकों के अधीन यथा अपेक्षित रुप से निर्मित संस्थापित, प्रचालित, परीक्षित है और उनकी जांच की जाती है।

(ख) सचल क्रेन के उपयोग के लिये साज्जित उपखनित्र,-

(i) ऐसी सचल क्रेन के जांच और परीक्षण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है ;

(ii) क्रेन में स्वतः सुरक्षित कर्म भार संकेतक फिट है।

(ग) पावर चालित बेलचों के ढोल या झामें ऐसे ढोलों या झामों की मरम्मत करते समय या ऐसे ढोलों या झामों के दांते बदलते समय उनके संचलन को निर्वचित करने के लिये पर्याप्त टेक लगाई गई है।

90. **बुलडोजर** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि,

(क) किसी बुलडोजर का प्रचालक ऐसे बुलडोजर के -

(i) ब्रैक लगा देता है ;

(ii) ब्लेड और सिपर नीचे गिरा देता है; और

(iii) शिफ्ट लिवर को न्यूट्रल में डाल देता है।

(ख) किसी ऐसे बुलडोजर को जिसका उपयोग किया जाता है, कार्य समाप्त होने के पश्चात् समतल भूमि पर खड़ा करेगा ;

(ग) बुलडोजर को चढ़ाई पर चढ़ाते समय ऐसे बुलड़ोजर के ब्लेड को नीचे रखना ;

(घ) आपात स्थिति के सिवाय बुलडोजरों के ब्लेडों के ब्रेक के रुप में इस्तेमाल नहीं करना है;

91. **स्क्रेपर** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किस ट्रेक्टर और स्क्रेपर का अपने प्रचालन के समय सुरक्षित रेखा से जुड़े हुए हैं ;

(ख) स्क्रेपर के ब्लेडों को बलते समय स्क्रेपर कटोरों (बाउल) टैंक लगा दी गई है ;

(ग) निचले ढाल पर स्क्रेपर की गियर डाल दिया गया है।

92. **एस्फाल्ट परतें बिछाने वाली ओर उसे अंतिम रुप देने वाली सचल मशीनें** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म सचल पर सुनिश्चित करेगा -

(क) मिश्रण उत्थापक लकड़ी का धातु की चादर से बने पिंजरे में होगा और उसे देखने, स्नेहन तथा अनुरक्षण के लिये उसमें खिड़की बनी होगी ;

(ख) बिटुमेन स्कूप के किनारे मुड़े हुये हैं।

(ग) जब कोई एस्फाल्ट संयंत्र सार्वजनिक मार्ग पर कार्यरत है तो ऐसे मार्ग पर पर्याप्त यातायात नियंत्रण बनाए रखा जाता है ओर ऐसे संयंत्र पर कार्यरत भवन निर्माण कर्मकारों को प्रतिबिंबित जैकेट दी जाती है।

(घ) ऐसे कार्य स्थल पर जहां अग्नि कांड संभावित है वहां पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्र तैयार रखे जाते हैं ;

(ङ) उत्थापक में सामग्री तब डाली जाए जब ऐसे उत्थापक की नाली सूखने के पश्चात् गरम हो गई हो ;

(च) एस्फाल्ट का स्तर अभिनिश्चित करने के लिये खुले प्रकाश का उपयोग नहीं किया जाता है;

(छ) निरीक्षण खिड़की को तब न खोला जाए जब तक कि बॉयलर में दबाव बना रहता है, जो किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षति पहुंचा सकता है।

93. **समतल करने वाला यंत्र (पेवर)** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे समतल करने वले यंत्र के स्किप के नीचे से आने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को रोकने के लिए उसमें समुचित रक्षक लगे हुए हैं।

94. **रोड रोलर** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म स्थल पर यह भी सुनिश्चित करेगा कि -

(क) भूमि पर रोड रोलर का उपयोग किए जाने से पूर्व ऐसी भूमि की भार वहन क्षमता और सामान्य सुरक्षा विशेषतया तथा ऐसी भूमि के ढलान के किनारों की जांच कर ली गई है ;

(ख) इंजन के गियर में न होने पर रोलर का ढाल पर न चलना।

95. **सामान्य सुरक्षा** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,-

(क) प्रत्येक वाहन या मृदा संचलन उपस्कर निम्नलिखित से सज्जित है :-

(i) साईलेंसर ;

(ii) पिछली बत्ती ;

(iii) पावर और हाथ की ब्रेकें ;

(iv) प्रतिवर्ती अलार्म ; और

(v) आगे पीछे आने जाने के लिये सर्चलाइट, जो ऐसे वाहन या मृदा संचलन उपस्कर के सुरक्षित चालन के लिये अपेक्षित है ;

(ख) वाहन या मृदा संचलन का उपस्कर की गाढी उत्खनन की जा रही भूमि से संलग्न अग्र भाग से कम से कम एक मीटर रखी जाएगी ;

(ग) जब क्रेन या बेलचों को ले जाया जा रहा हो तो उस क्रेन या बेलचे का सिरा ऐसी ले जाई जा रही दिशा में है और उस क्रेन या बेलचे से संलग्न ढोल या स्कूप ऊपर उठी हुई है और भार रहित है सिवाय तब के जब ऐसी यात्रा उतार की ओर की जा रही हो।

अध्याय - 11
कंक्रीट संकर्म

96. **कंक्रीट के उपयोग के संबंध में साधारण उपबंध** - कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निमार्ण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कांक्रिट या पुनर्वलित कांक्रिट के उपयोग से ये सभी संनिर्माण निम्नानुसार रेखांक पर आधारित है-

(i) ऐसे संनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले इस्पात और कंक्रीट तथा अन्य सामग्री के विनिर्देश सम्मिलित है ;

(ii) उपखण्ड (i) में यथा विनिर्दिष्ट सामग्री के सुरक्षा पूर्ण लगाने और उठाई -धराई करने के लिये पद्धतियों के संबंध में तकनीकी ब्यौरे दें ;

(iii) ऐसे सन्निर्माण की प्रत्येक संरचना के प्रकार, क्वालिटी और व्यवस्था को उपदर्शित करें; और

(iv) ऐसे सन्निर्माण को पूरा करने के लिये किये जाने वाले उपायों की श्रृंखला का उल्लेख करें;

(ख) कंक्रीट कार्य के लिये उपयोग किए गए फरमा और टेक संरच्रनात्मक और आपस में समुचित रुप से कसे हुए या बंधे हुए हैं जिससे कि ऐसे फरमा या टेक की स्थिति और आकार को बनाए रखा जा सके।

(ग) कंक्रीट संकर्म के लिये उपयोग किए गए फरमा ढांचे में पर्याप्त सांकरी और अन्य सुरक्षित पहुंच ऐसे ढांचे के निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं यदि ऐसा ढांचा दो या इससे अधिक मंजिल का है।

97. **कंक्रीट तैयार करना और उसे उड़ेलना तथा कंक्रीट ढांचे को परिनिर्मित करना** - कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो सीमेन्ट या कंक्रीट का कार्य कर रहा है -

(i) चुस्त वस्त्र, दस्ताने, हैलमेट या कठोर टोपों, सुरक्षा चश्में समुचित जूते और स्वशिप्र या मास्क ऐसे कार्य करने में किसी खतरे से संरक्षा करने के लिये पहने हुए है;

(ii) ऐसे कार्य करने में किसी खतरे से संरक्षा करने के लिये अपने शरीर को उतना ढके हुए रहेगा जितना कि अपेक्षित है ;

(iii) ऐसा कार्य करने में अपनी त्वचा से सीमेन्ट और कंक्रीट को दूर रखने के लिये सभी आवश्यक पूर्वावधानियों बरतेगा।

(ख) चूने के गड्ढों के चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं और उन्हें ढका गया है ;

(ग) चूने के गड्ढों को जिनमें कर्मकारों के जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है ऐसे यंत्रों से भरा और खाली किया जाता है ;

(घ) उत्थापकों, उत्तोलकों, चिक, बंकरों, प्रवीणकाओं, भरण उपस्तर के भ्रमण पुर्जों को जो कंक्रीट संकर्म के लिये उपयोग किए जाते हैं और अन्य उपस्तरों को जो भण्डारण, परिवहन और कंक्रीट के तत्वों की अन्य उठाई-धराई में उपयोग किए जाते है उनके चारों ओर सुरक्षापूर्ण कांटेदार तार लगाए गए हैं। जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे भ्रमण कर रहे पुर्जों के संपर्क से दूर रखा जा सके ;

(ङ) सीमेन्ट चूना और अन्य धूलवाली सामग्री के लिये उपयोग किए जाने वाले स्क्रूवाहक पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं।

98. **बाल्टियां** - कोई नियोजक किसी भवन संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कंक्रीट की बाल्टियों जो क्रेन या वायु से बल मार्गों में उपयोग की जा रही है ये प्रक्षेपण से मुक्त हैं जिनमें कंक्रीट का संचयन गिराया जा सके ;

(ख) कंक्रीट बाल्टियां भ्रमण संकेतों द्वारा शासित हैं जो ऐसे भ्रमण से होने वाले किसी खतरे से बचने के लिये आवश्यक हैं।

99. **पाईप और पम्प** - कोई नियोजन किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) ऐसे कोई पाड़ जिस पर पम्प की हुई कंक्रीट के लिये कोई पाईप ले जाई जा रही है वह पर्याप्त मजबूत है जिससे कि वह ऐसी पाईप को उस समय जब ऐसी पाईप कंक्रीट या पानी से या किसी अन्य द्रव से भरी हुई है के लिये सहारा देने के लिये है और उसे भी भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ढोने के लिये है, जो उस समय ऐसी पाड़ पर सुरक्षा पूर्ण उपस्थित हो ;

(ख) पम्प की गई कंक्रीट का वहन करने के लिये प्रत्येक पाईप :-

(i) उसके अन्तिम सिरे के बिन्दु पर उसके प्रत्येक मोड़ पर सुरक्षा पूर्वक जुड़ा हुआ है ;

(ii) ऐसे पाईप के अग्रभाग के निकट एक वायु निर्वातक वाल्व लगा हुआ है; और

(iii) वह किसी पम्प नोजल के साथ किसी बोल्ट की गई कालर या अन्य पर्याप्त साधन से सुरक्षा पूर्वक संलग्न हैं ;

(ग) कंक्रीट पम्प का परिचालन मानक संकेतों से शासित होता है, जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुसंगत है ;

(घ) किसी कंक्रीट पम्प के आस-पास नियोजित भवन संनिर्माण कर्मकार सुरक्षा चश्में पहने हुए हैं।

100. **कंक्रीट का मिश्रण करना और उड़ेलना** - कोई नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कंक्रीट सम्मिश्रण में ऐसा कोई सामग्री नहीं होगी जो ऐसी कंक्रीट के सेट किए जाने को

असामयिक रूप से प्रभावित करे, ऐसी कंक्रीट या संक्षारित इस्पात जो ऐसी कंक्रीट में उपयोग किया गया है जो कमजोर करें ;

(ख) जब कंक्रीट के शुष्क तत्व परिरुद्ध स्थलों अर्थात् शिलोस में मिश्रित [illegible] जा रहे हो -

(i) मिश्रण के समय धूल को निकाला जाएगा ; और

(ii) उपखण्ड (i) में यथा विनिर्दिष्ट धूल के नहीं निकाले जाने की दशा में भवन संनिर्माण कर्मकार ऐसी मिश्रण करते समय स्वशस्त्र पहनेगे;

(ग) जब कंक्रीट बाल्टियों से उड़ेली जा रही हो तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसी बाल्टियों के किसी प्रतिघात के रेंज से दूर रखा जाता है ;

(घ) सेट की जाने वाली कंक्रीट का वर्ग भार से नहीं दबाया जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है।

101. **कंक्रीट प्रपट्ट और स्लैब** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) किसी कंक्रीट, प्रपट्टा या कंक्रीट स्लैब के सभी भाग समान रूप से उठाये गये हैं ;

(ख) कंक्रीट प्रपट्ट उनकी अंतिम स्थिति में पर्याप्त रूप से कसे गए हैं और ऐसा कसाव ऐसी स्थिति में तब तक बना रहेगा जब तक ऐसे प्रपट्टों को सन्निर्माण के उस अन्य भाग द्वारा पर्याप्त रूप से सहारा नहीं मिल जाता जिनके लिये ऐसे प्रपट्ट उपयोग में लाए गए है ।

(ग) कंक्रीट प्रपट्टों का अस्थायी कसाव, जब ऐसे प्रपट्टों को घुमाया जा रहा हो, ऐसे प्रपट्टों के किसी भाग को गिरने से रोकने के लिये सुरक्षित रुप से जकड़ा गया है।

102. **प्रतिवलित और पृष्ठ तनाव ग्रस्त तत्व** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जब कंक्रीट गार्ड्स और खम्भों पर कंक्रीट का प्रतिवलन किया जा रहा हो तब भवन सन्निर्माण कर्मकार सीधे ही जैक उपस्कर पर खड़े नहीं होते है :

(ख) कोई पूर्वप्रचलित कंक्रीट यूनिट का प्रयोग ऐसे यूनिट के किसी बिन्दु पर और ऐसी युक्तियों के विनिर्माता द्वारा ऐसे संकर्म के लिये विनिर्दिष्ट युक्तियों द्वारा प्रयोग के सिवाय नहीं की जाती है

(ग) पूर्वप्रचालित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों को, परिवहन के दौरान उन्हें कसकर या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा खड़ा रखा जाता है :

(घ) पूर्वप्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों को, पूर्व पृष्ठांकित पुनिन के लिये एंकर फिटिंग को ऐसे एंकर फिटिंग के विनिर्माण के अनुदेशों के अनुसार सुरक्षित दशा में रखा जाता है :

(ङ) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्वप्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों के पृष्ठ तनाव प्रक्रिया के दौरान तनाव यंत्रों और जैक उपस्करों को सीध में या जैकों के पीछे खड़े नहीं होते हैं

(च) भवन सन्निर्माण कर्मकार पूर्वप्रचलित कंक्रीट गार्डर या कंक्रीट खम्भों के तारों को पृष्ठ तनाव के दौरान ऐसे कंक्रीट के ऐसे गार्डरों या खम्भों के उपयोग के पूर्व पर्याप्त रूप से कठोर हो जाने से पहले नहीं काटते हैं।

103. **प्रकम्पक** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) ऐसा कोई भवन संनिर्माण कर्मकार जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हालत में हो, कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये, जाने वाले प्रकम्पकों का प्रचालन करता है ;

(ख) कंक्रीट संकर्म कार्य करने वाले प्रचालकों को सम्प्रेषित प्रकम्पन की मात्रा को कम करने के

लिये सभी व्यवहारिक उपाय करने होते हैं।

(ग) जब विद्युत प्रकम्पकों का कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जाता है -

(i) ऐसे प्रकम्पकों को भूसंपर्कित किया जाएगा-

(ii) ऐसे प्रकम्पकों की प्रवाही तारें अत्यधिक विद्युतरोधी होंगी ; और

(iii) जब इन प्रकम्पकों का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तब विद्युत धारा को बन्द कर दिया जायेगा।

104. **निरीक्षण और पर्यवेक्षण -** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कंक्रीट के संकर्म के लिये उत्तरदायी है वह फर्मा, टेक, कसाव और अन्य सहारों का जो ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किया जा रहा है, निरीक्षण करता है;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिए उत्तरदायी है वह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसा प्रत्येक फर्मा, परिनिर्माण के पश्चात् सुरक्षित है प्रत्येक फर्मा का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है;

(ग) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिये उत्तरदायी है कंक्रीट जमाये जाने के दौरान फर्मा, टेक, कसाव पुनर्टेक और अन्य सहारों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है ;

(घ) खण्ड (क) और खण्ड (ग) के अधीन उल्लिखित निरीक्षणों के दौरान किसी असुरक्षित दशा का पता चलता है तो उसका तुरन्त उपचार किया जाता है ;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंक्रीट संकर्म के लिये उत्तरदायी है कार्य स्थल पर ऐसे निरीक्षणों के सम्बन्ध मं खण्ड (क) और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षणों के सभी अभिलेख रखता है और उन्हें अधिकारिता रखने वाले किसी निरीक्षक को मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करता है ।

105. **लट्ठा, तल और छतें -** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की जा रही फर्मा की संरचनात्मक स्थिरता बनाये रखने के लिये यथा आवश्यक क्षितिजीय और द्विकोणीय कसाव का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दशाओं में उपबन्ध किया गया है और ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई टेकें समुचित रूप से शिखर पर और निर्माण तल पर रखी गई है तथा वे अपने स्थानों पर सुरक्षित है ;

(ख) जहां कंक्रीट संकर्म में टेकें उपयोग की जा रहीं है वहां शेष भूतल, आधार प्लेटें उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि ऐसी टेकें मजबूत और समतल बनीं रहे ;

(ग) जहां किसी कंक्रीट संकर्म की तलं से छत तक की उंचाई 9 मीटर से अधिक हो या जहां ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किए गये फर्मा के डैकों का दो या अधिक मंजिल में संन्निर्माण किया गया है ओर किसी टेक द्वारा सहारा लिया हुआ है या ऐसे कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये फर्मा पर अचल, चल ओर संघट्ट भार प्रति वर्ग मी. 700 कि. ग्राम से अधिक हो वहां ऐसे फर्मा का ढांचा सुसंगत क्षेत्र के किसी व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया जात है और ऐसे फर्मा के विनिर्देश और आरेख ऐसे सन्निमार्ण स्थल पर रखे जाते हैं तथा उन्हें अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के समक्ष मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाता है ;

(घ) जहां कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये फर्मा की संरचना किसी व्यवसायिक इंजीनियर द्वारा डिजाइन की जाती है वहां ऐसे इंजीनियर सन्निर्माण और ऐसी संरचना के स्थापित के

पर्यवेक्षक के लिये उत्तरदायी होगा।

106. **निर्लेपन** - नियोजक किसी भवन के संन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि . -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग किये गये फर्मा का निर्लेप तब तक आरम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे फर्मा पर कंक्रीट पूर्ण रूप से सैट नही हो जाती, उसका परीक्षण नहीं कर लिया जाता और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त उसे प्रमाणित नहीं कर दिया जाता ऐसे परीक्षण और प्रमाणन का अभिलेख रखा जाता है ;

(ख) कंक्रीट संकर्म में निर्लेपित किए गए फर्मा हटा लिये जाते हैं या उन सभी क्षेत्रों से जिन में भवन निर्माण कर्मकारों का कार्य करना या गुजरना अपेक्षित है उन्हें निर्लेपित करने के पश्चात् शीघ्रता से समूह में इकट्ठा कर दिया जाता है ;

(ग) बाहर निकाली हुई कीलें, तार तारबंधानी और अन्य फर्मा के उपांग जो पश्चात्वर्ती कंक्रीट संकर्म के लिये अपेक्षित नहीं है उन्हें खींच लिया जाता है , काट दिया जाता है या अन्यथा सुरक्षित बना दिया जाता है।

107. **पुनरटेकन** - कोई नियोजक किसी भवन संन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कंक्रीट संकर्म में उपयोग की गई पुनर्टेकनें उसके निर्लेपन के पश्चात् किसी स्लैब या लट्ठे में उसके सुरक्षित सहारे के लिये उपलब्ध कराई जाती है या ऐसे स्लैब या लट्ठे के ऊपर सन्निर्माण होने के कारण अध्यारोपित भार के अध्यधीन होता है ;

(ख) इस अध्याय के अधीन किसी कंक्रीट संकर्म में टेक के संबंध में लागू उपबन्ध ऐसे संकर्म में पुनर्टेकन के लिये भी लागू होगें।

अध्याय - 12
ध्वस्त करना

108. **तैयारी** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकट स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा - कि किसी ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य को आरम्भ करने से पहले सभी सीसे या उसी प्रकार की सामग्री या बाहर की ओर खुलने वाली वस्तुओं को हटा दिया जायेगा और सभी जल, वाष्प, विद्युत गैस और अन्य उसी प्रकार की प्रदाय संबंधी लाईनों को बन्द किया जाएगा तथा उन पर समुचित रुप से ढक्कन लगाया जाएगा और समुचित सरकार के सम्बद्ध विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को यह सूचना दी जाती है और ध्वस्त करने सम्बन्धी कार्य के आरम्भ करने से पूर्व जब कभी आवश्यक हो अनुज्ञा ली जाती है अर्थात् जहां कहीं जल गैसें या विद्युत लाईनें या विद्युत् शक्ति को ऐसे ध्वस्त करने के दौरान बनाये रखना आवश्यक है वहां ऐसी लाइनें उसी प्रकार अवस्थित रहेंगी या उन्हें पर्याप्त रूप से ढककर उनकी संरक्षा की जाएगी जिससे कि इन्हें नुकसान से संरक्षित किया जा सके और भवन निर्माण कर्मकारों तथा आम जनता की सुरक्षा प्रदान की जा सके।

109. **निकटवर्ती संरचनाओं का संरक्षण** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर किसी ध्वस्त करने संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी है, ऐसे ध्वस्त करने संबंधी संकर्म के ध्वस्तकरण के दौरान ध्वस्त की जाने वाली संरचना के निकटवर्ती सभी संरचनाओं की दीवारों का निरीक्षण उनकी मोटाई और ऐसे निकटवर्ती संरचनाओं की या सहारों की पद्धति अवधारित करेगा और यदि ऐसे नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी निकटवर्ती संरचना असुरक्षित है या ऐसी ध्वस्तकरण प्रक्रिया के दौरान असुरक्षित

होने की संभावना है तथा वह ऐसी निकटवर्ती असुरक्षित संरचना पर प्रभाव डालते हुए ध्वस्तकरण कार्य तबतक नहीं करेगा जब तक कि उपचारात्मक उपाय अर्थात् चादरें खड़ी करने के टेकबन्दी, कसाव या अन्य वैसे ही साधनों का उपयोग नहीं किया गया हो जिससे कि ऐसी असुरक्षित निकटवर्ती संरचना को ढहने से सुरक्षित और स्थिर रखा जा सके।

110. **दीवारों, संभागों आदि को ध्वस्त करना** - नियोजक किसी सन्निर्माण स्थल या किसी भवन या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगी कि, -

(क) दीवारों या संभागों का कोई भी ध्वस्त करने संबंधी कार्य सुव्यवस्थित रीति से मानक सुरक्षा प्रचालन परिपाटी के अनुसार आरम्भ किया गया है और ऐसे शहतीर के सहारे को हटाने से पूर्व प्रत्येक मंजिल के प्रत्येक स्तर से किसी तल की शहतीर हटाने संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) चिनाई को न तो ढीला छोड़ा गया है और न ही उसे अत्याधिक मात्रा में या आयतन में या भार में गिरने दिया जाता है जिससे कि किसी तल की संरचनात्मक स्थिरता या संरचनात्मक सहारे को खतरा हो ;

(ग) कोई दीवार, चिमनी या अन्य संरचना या संरचना के किसी अन्य भाग को ऐसी स्थिति में असुरक्षित नहीं छोड़ा गया है कि वह वायु दाब या प्रकम्पन के कारण गिरे, ढहे या कमजोर हो जाए ;

(घ) हाथ से बाह्य दीवारों को ध्वस्त किये जाने की दशा में, ऐसा ध्वंस करने के लिये नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों के लिए खड़े होने की समुचित व्यवस्था की गई है इसके लिये खड़े होने की मजबूत मचान या पाड़ की व्यवस्था की गई है ;

(ङ) ऐसी दीवारो या उनके संभाग जिन्हें हाथ से ध्वस्त किया जाना है सबसे ऊंचे तल पर जिस पर व्यक्ति काम कर रहा है, एक मंजिल से अधिक की ऊंचाई तक खड़ा नहीं छोड़ा जाता ;

111. **प्रचालन की पद्धति** - नियोजक किसी सन्निर्माण स्थल या किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि मलबा, ईंट और अन्य सामग्री या वस्तुएं हटाई जांगी -

(i) शूट. माध्यम द्वारा,

(ii) बाल्टी या उत्तोलक साधन द्वारा

(iii) तलों को खोलकर, या

(iv) किसी अन्य सुरक्षित साधन द्वारा

112. **तल तक पहुंच** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे भवन को ध्वस्त किये जाने के दौरान सभी समय प्रत्येक भवन तक सुरक्षित पहुंच और निकासी, जो प्रवेश बड़े कमरों के रास्ते, जाने के रास्ते या जीने द्वार से किये गये हैं वे इस प्रकार सुरक्षित हों कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को गिरने वाली सामग्री या वस्तुओं के उपयोग में सुरक्षित रक्षोपाय उपलब्ध है।

113. **संरचनात्मक इस्पात का ध्वस्त किया जाना** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी इस्पात संरचनाओं स्तम्भ से स्तम्भ तक और सोपान से सोपान तक ध्वस्त किये गये हैं और प्रत्येक संरचनात्मक इकाई जिसे ध्वस्त किया जा रहा हो वह किसी पृष्ठ तनाव के अधीन नहीं हो और ऐसी संरचनात्मक इकाई की इसके किसी अनियंत्रित रूप से लटकने या झुकने या गिरने से उपयुक्त रूप से रोकने की व्यवस्था की गई है ;

(ख) बृहत संरचनात्मक इकाईयां भवन में फेंकी या गिराई नही गई है कि किन्तु उपयुक्त सुरक्षित प्रणाली को अपनाकर सावधानीपूर्वक नीचे गिराई गई है ;

(ग) जहां उत्थापक साधित्र अर्थात् डैरिक ध्वस्त करने के लिये उपयोग में लाया गया है वहां वह तल जिस पर उत्थापांक साधित्र लगाया गया है पूर्ण रूप से तख्तों से ढक दिया गया है या सहारा दिया गया है और ऐसे उत्थापक साधित्र और उनके प्रचालन के लिये पर्याप्त रूप से मजबूत है।

114. **सामग्री या वस्तु का भंडारण** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी सामाग्रियाँ और वस्तुएं किसी भवन के जिसे ध्वस्त किया जा रहा है चबूतरे तल या जीनेद्वार पर भंडारित करके नहीं रखे गए हैं ;

परन्तु यह कि यह खण्ड किसी भवन के तल के लिये तब लागू नहीं होगा जब ऐसा तल इतना मजबूत न हो कि जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं को भंडारित किये जाने के द्वारा अधिरोपित भार को सुरक्षापूर्ण सहारा देने के लिये पर्याप्त है।

(ख) किसी सीढ़ी द्वार या गलीद्वार की पहुंच किसी सामग्री या वस्तु के भंडारण किये जाने से प्रभावित नहीं हुई है या रूकी नहीं है :

(ग) उपयुक्त रुकावटों का उपबन्ध किया गया है जिससे कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे किसी स्थान में सामग्री या वस्तुओं को रुकावट या टकराव न हो।

115. **तल का खोला जाना** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तल से मलवे को हटाने के लिये उपयोग में लाए जा रहे प्रत्येक निष्कासन द्वारा को जिसे पहुंच के लिये बन्द नहीं किया गया है केवल सबसे ऊपरी तल या उस तल के सिवाय जहां कार्य हो रहा है, जिनमें उस तल के छत तक कोई संलग्न लगाया गया है और ऐसे निकास द्वार को इस प्रकार रोका गया है कि कोई भवन निर्माण कर्मकार ऐसे निकास द्वार से जिससे मलबा गिराया जा रहा है 6 मीटर की क्षितिजीय दूरी के भीतर नहीं पहुंच सके।

116. **निरीक्षण** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्ति जो ध्वस्त किये जाने के कार्य के लिए उत्तरदायी है ऐसे ध्वस्त किये जाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर निरीक्षण करता है, जिससे कि ऐसे ध्वस्त किये जाने की प्रक्रिया के दौरान कमजोर या जर्जर तलों या दीवारों या खुली हुई सामग्री या वस्तुओं से होने वाले खतरे का पता चल सके और यह कि किसी भवन निर्माण कर्मकार को जहां ऐसा खतरा विद्यमान है तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाती है जब तक कि ऐसे खतरे को रोकने के लिये टेकबन्दी या कसाव जैसे उपचारात्मक उपाय नहीं कर दिये जाते।

117. **चेतावनी संकेत, रुकावटें आदि** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) ध्वस्त किये जाने की संक्रियाओं के दौरान ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म में व्यक्तियों के अप्राधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये ध्वस्त किये जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म के प्रत्येक ओर लम्बाई औ चौड़ाई में रुकावट और चेतावनी संकेत परिनिर्मित किया जाता है ;

(ख) किसी बाह्य चिकनाई की दीवार या किसी छत के ध्वस्त किये जाने के दौरान ऐसी दीवार या छत के निकटवर्ती भूतल स्तर के उपर 12 मीटर से अधिक से किसी बिन्दु पर यदि, व्यक्ति

ऐसी दीवार या छत के नीचे वस्तुएं गिरा रहा है उपयुक्त और सुरक्षित पकड़ चबूतरे का उपबंध किया जाता है और वह कार्य किये जाने वाले स्तर से 6 मीटर से अनधिक के उपर स्तर पर अवस्थित होता है और उसका अनुरक्षण किया जाएगा वहां के सिवाय जहां ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त सुरक्षा के लिये बाहर की ओर बनी हुई पाड़ की व्यवस्था की गई है ;

(ग) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयुक्त और मानक चेतावनी संकेत कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थानों या स्थलों पर संप्रदर्शित या परिनिर्मित किये जाते हैं।

118. **ध्वस्त किये जाने की यांत्रिक पद्धति** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ध्वस्त किये जाने के प्रयोजन के लिये ध्वस्त किये जाने की यांत्रिक पद्धति अर्थात् लटकते हुए भार क्लेम सेल बाल्टी, विद्युत बेलचा, बुलडोजर या अन्य उसी प्रकार की यांत्रिक पद्धतियों के उपयोग किये जाने की दशा में निम्नलिखित अपेक्षा पूरी की जा रही है, अर्थात् :-

(क) भवन या संरचना या उनके भाग उंचाई 24 मीटर से अधिक नहीं होंगे ;

(ख) जहां ध्वस्त किये जाने के लिये लटकते हुए भाग का उपयोग किया जाता है, वहां इस प्रकार ध्वस्त किये जाने वाली संरचना या उसके भाग की उंचाई के कम से कम डेढ़ गुणें व्यास का ऐसे ध्वस्तकरण कोई जोन; ऐसे लटकते हुए भार के बिन्दुओं के आस-पास बनाये रखा जाएगा ;

(ग) जहां ध्वस्तकरण के लिये किसी क्लेम सेल बाल्टी का उपयोग किया जा रहा है वहां ऐसी बाल्टी की मात्रा रेखा के 8 मीटर के भीतर ध्वस्तकरण का एक जोन बनाये रखा जायेगा ;

(घ) जहां किसी भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म को पूर्ण रूप से या भारतः गिराये जाने के लिये अन्य यांत्रिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है वहां उस क्षेत्र में जो ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म का जो गिरने वाला है के प्रभावित होने वाले भाग में एक ध्वस्तकरण जोन जो उसे ऐसे प्रभावित भाग के ढाई गुनी ऊंचाई पर बनाये रखा जाएगा ;

(ङ) ध्वस्त किये जाने की संक्रिया में लगे भवन सन्निर्माण कर्मकार या अन्य आवश्यक व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी ध्वस्तकरण जोन में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी उसके साथ पर्याप्त रुकावटों की व्यवस्था होगी।

अध्याय - 13
उत्खनन और सुरंग खोदने का संकर्म

119. **उत्खनन और सुरंग खोदने के संकर्म को रोकने के आशय के लिये अधिसूचना** - (1) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन संकर्म स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है, ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रारंभ करने से पूर्व 30 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के विस्तृत आरेख, सन्निर्माण की पद्धति और उसके कार्यक्रम के बारे में लिखित सूचना देगा।

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म या उसके किसी आनुषांगिक संकर्म या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के लिये अपेक्षित संकर्म में सम्पीडक वायु का उपयोग किये जाने की दशा में मैन लॉक के तकनीकी ब्यौरे और आरेख सभी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों जिनके पास इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची 11. में या अधिकथित अर्हता हैं, के नाम और पतों सहित और ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के प्रयोजन के लिये जो ऐसे नियोजक द्वारा नियत किए गए हैं। मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

120. **परियोजना इंजीनियर** - (1) प्रत्येक नियोजक जो कोई उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म की परियोजना के सुरक्षित प्रचालन के लिये जिसके लिये ऐसा इंजीनियर नियुक्त किया गया है, किसी परियोजन इंजीनियर की नियुक्ति करेगा ;

(2) ऐसा परियोजना इंजीनियर ऐसी परियोजना के क्रिया कलापों को सम्पूर्ण रुप से नियंत्रण करेगा और वह सुरक्षापूर्ण कार्यकलापों के किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

121. **उत्तरदायी व्यक्ति** - (1) प्रत्येक नियोजन जो किसी भवन संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर उत्खनन या सुरंग खोदने का संकर्म कर रहा है ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के सुरक्षापूर्ण संचालन के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा ;

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के कर्तव्य और दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, -

(क) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को निर्बाध रुप से करना ;

(ख) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के संबंध में किसी खतरनाक स्थिति का निरीक्षण और उसे दूर करना;

(ग) ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म से संबंधित किसी असुरक्षित प्रक्रिया या शर्तों से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय करना ;

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता मुख्य निरीक्षक को भेजा जाएगा।

122. **चेतावनी संकेत और सूचनाएं** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म को कर रहे भवन संनिर्माण कर्मकरों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित समुचित चेतावनी संकेत या सूचनाएं किसी सहज दृश्य स्थान पर हिन्दी और उस भाषा में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में लगे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है सम्प्रदर्शित और परिनिर्मित किये जायेंगे ;

(ख) सम्पीड़क वायु में कार्य करने के संबंध में ऐसे चेतावनी संकेत और सूचनाएं निम्नलिखित होंगे,-

(i) ऐसे सम्पीड़क वायु संकर्म में अन्तर्वलित खतरे ;

(ii) अग्नि और विस्फोट जोखिम ;

(iii) ऐसे खतरे या जोखिम से बचाव के लिए आपातकाल प्रक्रियाएं।

123. **रोजगार आदि का रजिस्टर** - (1) प्रत्येक नियोजक किसी भवन संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य चल रहा हो वहां ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई कर रहे भवन निर्माण कर्मकारों का एक रजिस्टर रखा जाता है और अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाता है ;

(2) ऐसे उत्खनन या सुरंग कार्य की अवधि जिसमें ऐसे भवन संनिर्माण कर्मकार नियोजित है रजिस्टर को दिन-प्रतिदिन के आधार पर रखी जाएगी और ऐसा रजिस्टर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

124. **प्रदीप्तिकरण** - (1) नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी कार्य स्थलों को जिसमें उत्खनन या सुरंग खोदने का काम चल रहा है सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रदीप्त किया जाएगा ;

(2) प्रत्येक नियोजक जो किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म उत्खनन या सुरंग खुदाई कार्य कर रहा है ऐसे सन्निर्माण स्थलों पर आपातकालीन जेनरेटरों की व्यवस्था करेगा जिससे कि उन सभी संकर्म स्थलों पर जहां ऐसे उत्खनन कार्य या सुरंग खुदाई कार्य चल रहे हैं विद्युत आपूर्ति में रूकावट आने पर पर्याप्त प्रदीप्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

125. **संरचना का स्थिरीकरण** - नियोजक भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जहां कार्य स्थान या उत्खनन किये जाने वाले अन्य क्षेत्रों में या जिसमें सुरंग खुदाई का कार्य किया जा रहा है के निकटवर्ती किसी संरचना के स्थिरीकरण के संबंध में कोई संदेह होने पर नियम 120 में निर्दिष्ट परियोजना इंजीनियर ऐसी संरचना को सहारा देने के लिए और ऐसी संरचना के निकटवर्ती स्थान पर कार्य कर रहे किसी भवन निर्माण कर्मकार को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए या ऐसी संरचना के निकटवर्ती किसी सम्पत्ति या समतुल्य को नुकसान से बचाने के लिए पुस्ता लगाना, इस्पात की चादरें खड़ी करना, टेकबन्दी करना, कसाव करना जैसे साधनों या अन्य वैसे ही उपायों की व्यवस्था करेगा ;

(ख) जहां कोई भवन सन्निर्माण कर्मकार जो उत्खनन कार्य में लगा है उसके ऊपर ऐसे उत्खनन स्थल या किसी किनारे से किसी खतरनाक वस्तु के गिरने या सामग्री फिसलने से खतरा होने का पता चलता है जो उसके खड़े होने के स्थान से डेढ़ मीटर ऊंचा है ऐसे कर्मकार को ऐसे किनारे या छोर पर पर्याप्त आड़ खड़ी कर के संरक्षित किया जाता है ;

(ग) उत्खनन स्थल या उसके आसपास की जांच नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वर्षा, तूफान या ऐसे ही घटित होने वाली अन्य घटनाओं के पश्चात् की जाएगी और ऐसी जांच करते समय किसी खतरे का पता चलने की दशा में ऐसे खतरे को रोकने के लिए तथा फिसलने और धसकने के विरूद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाता है ;

(घ) किसी प्रतिधारण दीवार का सन्निर्माण करने के लिये अधिस्थापित अस्थायी खड़ी की गई चादरें उत्खनन के पश्चात् हटाई नहीं जाती है सिवाय तब तक कि जब नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति ने कोई निरीक्षण किये जाने के पश्चात् ऐसी सलाह न दी हो;

(ङ) जहां किसी उत्खनन स्थल के किनारे काटे जा रहे हों तथा किसी ऐसे लटके हुए किनारे के उपर सामग्री या किसी वस्तु के सहारे की व्यवस्था की जाती है ;

(च) किसी खुले उत्खनन या खाई के किनारे से 0.65 (शून्य दशमलव छः पांच) मीटर पर उत्खनित सामग्री भंडारित नहीं की जाती है और ऐसे उत्खनन का किनारा या खाई खुरची जाती है खंडित चट्टानें और अन्य सामग्री जो फिसल, लुढ़क या गिर सकती है ऐसे किनारे के नीचे कार्य कर रहे किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार पर वह चट्टानें गिरने न पावें।

(छ) किसी व्यक्ति को उत्खनन या खाई में गिरने से रोकने के लिए उत्खनन कार्य स्थल के किसी सहज दृश्य स्थान पर पर्याप्त और समुचित चेतावनी संकेत लगाया जाता है ;

(ज) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति उत्खनन कार्य स्थल पर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को वहां कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है जहां ऐसे उत्खनन में उपयोग की गई उत्खनन सामग्री या वस्तुओं से ऐसे किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को आघात या खतरा हो सकता है।

126. **बल्ली लगाना, टेकबन्दी करना और कसना** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या

अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के कार्य में चादर खड़ने के काम में उपयोग में लाया गया तख्ता मजबूत सामग्री का और पर्याप्त टिकाऊ है ;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग किया गया टेकबन्दी या कसाव पर्याप्त विमाओं के और ऐसे स्थान पर लगाये हैं कि वे उन आशयित परियोजना के लिए प्रभावी हो सके ;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में लाये गये भूतल सहारे टेकबन्द या कसाव पर्याप्त रूप से गहरे होने के क्षेत्र और स्थिरता वाले हैं, जिससे कि ऐसे टेकबन्द या कसाव के हिलने को रोका जा सके।

127. **सुरक्षित पहुंच** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि निसैनी, सीना या रैम्पूस की उत्खनन में यथास्थिति सुरक्षित पहुंच और उत्खनन को फिसलने से बचने के लिए जहां ऐसे उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है, की व्यवस्था की गई है और ऐसे निसैनी, सीना या रैम्प सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

128. **खाईयां** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति के खाई या उत्खनन की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है और ऐसी सुरंग जहां ऐसी गहराई 4 मीटर से अधिक है वहां किसी व्यावसायिक इंजीनियर की डिजाइन और आरेख के अनुसार किसी सुधरी हुई संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

129. **खाईयों की गहराई** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जहां किसी की गहराई में चादर खड़ी करने की दो लम्बाईयों में एक दूसरे के उपर चादरें खड़ी करने की अपेक्षा है नीचे की पाइलिंग तल की गहराई पर या उपरी पाइल की दीवारों पर लगाई जाती है और ऐसे चादर की पाइलिंग नीचे की ओर ले जाई जाती है और उत्खनन दूरी रहने के दौरान उसे कस दिया जाता है ;

(ख) सभी चादर की पाइलें जो उत्खनन या किसी खाई के उपयोग में लाई जाती हैं उनकी सुरक्षित रूप से किन्हीं अन्य साधनों द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर झलाई की जाती है।

130. **मशीनरी का लगाना और उपयोग करना** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कोई मशीनरी की जो उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए लगाई जाती है, उससे उस परिक्षेत्र में मशीनरी के प्रचालक या अन्य किसी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं है।

131. **श्वसन साधित्र** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) किसी भवन निर्माण कर्मकार को जब वह सम्पीडक वायु पर्यावरण में कार्य कर रहा है तथा उसके उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग करने के लिए समुचित श्वसन साधित्रों की व्यवस्था की गई है ;.

(ख) ऐसे श्वसन साधित्रों को हर समय अच्छी हालत में बनाये रखा जाता है।

132. **सुरंग खोदने संबंधी सामग्री के लिए सुरक्षा उपाय** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जहां किसी छत या किसी सुरंग की दीवार सामग्री के गिरने या फिसलने का कोई खतरा हो

वहां पर्याप्त उपाय अर्थात् रोकबंदी, रॉकबोल्ट या इस्पात के सेट आदि द्वारा सहारा देकर भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है ;

(ख) उत्खनन करने या सुरंग खोदे जाने वाले क्षेत्र समुचित रूप से डिजाइन किये गये और अधिष्ठापित इस्पात, सेट, रॉकबोल्ट या वैसे ही अन्य सुरक्षित साधनों द्वारा सुरक्षित किये जाते हैं ;

(ग) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति किसी सुरंग मे कार्य आरंभ होने से पूर्व तो और तत्पश्चात् नियमित अन्तरालों पर ऐसे सुरंगों में भवन संनिर्माण कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण और निरीक्षण करेगा ;

(घ) खंडित भूमि या चट्टानों वाले किसी सुरंग के निर्वाह का क्षेत्र में जहां किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचने की संभावना है उन्हें सहारों द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

133. **गैस यांत्रिकी औजार** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग के भीतर उपयोग किए जाने वाले गैस यांत्रिकी औजारों के लिए प्रदाय लाइनें यथास्थिति नल या सुरक्षा चेन या सुरक्षा तार द्वारा फिट की गई हैं।

134. **शेफ्ट** - नियोजक किसी भवन सन्निमार्ण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) उत्खनन या सुरंग संकर्म में उपयोग किये जाने वाले शेफ्ट के चारों ओर समुचित ऊंचाइयों का सन्निर्माण करके बह जाने से सुरक्षित किया जाता है ;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी शेफ्ट में प्रविष्टि करने के लिए अपेक्षित किसी भवन सन्निर्माण कर्मकार को ऐसी प्रविष्टि के लिए सुरक्षित उपायों की व्यवस्था की जाती है ;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर प्रत्येक शेफ्ट में स्टील केसींग, कंक्रीट पाइलिंग, टिम्बर शोरिंग या अन्य पर्याप्त मजबूती की सामग्री से ऐसे शेफ्ट को भवन सन्निर्माण कर्मकार को कार्य करने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है ;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने में संकर्म पर किसी शेफ्ट को ऐसे केसिंग के लिए समुचित डिजाइन के अनुसार किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर ऐसे केसिंग की गहराई तक व्यवस्था की जाती है ;

(ङ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर यदि किसी शेफ्ट में प्रवेश के आसपास यदि ऐसे प्रवेश के भूतल के चारों ओर अस्थिरता या असुरक्षा है तो किसी पुनर्प्रचलित शेफ्ट और शहतीर की व्यवस्था की जाती है।

135. **शेफ्ट के लिए लिफ्ट** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म स्थल पर किसी शेफ्ट में अवरोही क्रम में 50 मीटर से अधिक नीचे भवन सन्निर्माण कर्मकरों और सामग्री या वस्तुओं के परिवहन के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।

136. **संचार के साधन** - कोई नियोजक किसी भवन संनिर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने से संकर्म पर अच्छी और प्रभावी संचार व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित अवस्थितियों में विश्वसनीय और प्रभावी संचार साधनों अर्थात् टेलीफोन

(क) [illegible] किया जाता है, अर्थात्

(i) किसी उत्खनन के [illegible],

(ii) [illegible] के साथ 100 मीटर के अन्तराल में ;

(iii) किसी [illegible] के निकट [illegible] होना ;

(iv) [illegible] के अन्त में ;

(v) [illegible] की स्थिति की अवस्थिति ;

(vi) [illegible] ;

(vii) प्राथमिक [illegible] ;

(viii) [illegible] किसी [illegible] के शिर के बाहर

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) से उपखण्ड (viii) तक में निर्दिष्ट अवस्थितियों में हर समय इतनी संख्या में घंटियाँ और सीटियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं जितनी ऐसे अवस्थितियों पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता हों।

137. **संकेत** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि मानक श्रव्य और दृश्य संकेत उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किया जाता है और कार्य स्थल तथा ऐसे अन्य अवस्थानों में जो ऐसे उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में नियोजित सभी भवन सन्निर्माण कर्मकारों की जानकारी में लाये जाने आवश्यक हैं, कार्य स्थलों के सहज दृश्य स्थान पर अवस्थित या उनके निकट सम्प्रदर्शित किये गये हैं।

138. **निकासी** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई के संकर्म में उपयोग किये गए किसी यान के किसी भाग और किसी जुड़नार या अन्य उपस्कर के बीच ऐसे जुड़नार या उपस्कर की फेंक या झूलन को अनुज्ञात करने के पश्चात् आधा मीटर की न्यूनतम पार्श्विक निवासी की जाती है ;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म का किसी लोकोमोटिव ड्राइव के लिए सीसों पर निकासी ऐसे ड्राइवर की सीट से उपर एक दशमलव दस मीटर से अधिक ओर उस प्लेटफार्म के उपर जहां ऐसा ड्राइवर उस चबूतरे पर खड़ा होता है, से 2 मीटर से अन्यून नहीं है या किसी भी अन्य विभा से जो सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार 2 मीटर से अन्यूत है।

139. **नियोजक** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सन्निर्माण कर्मकारों को उनके रक्षोपाय के लिए पर्याप्त संख्या में परिरक्षण उपलब्ध कराये गए हैं, क्योंकि कार्य करने के दौरान उन्हें यान के भ्रमण या किसी सुरंग में अन्य सामग्री की उठाई-धराई करने वाले उपस्करों से आघात हो सकता है।

140. **आंतरिक दहन इंजन का उपयोग** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी आंतरिक दहन इंजन का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इस प्रकार न बनाये गये हों कि -

(क) इंजन में प्रविष्ट वायु को इसके प्रवेश करने से पहले ही निकाल दिया जाता है ;

(ख) इंजन द्वारा कोई गन्ध या चिनगारी नहीं निकलती है ;

141. **प्रज्जवलनशील तेल** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रज्जवलनशील तेल जिसमें प्रज्जवलन बिन्दु कार्यकारी तापक्रम से कम है जिससे

किसी सुरंग में समागम किए जाने की संभावना है उसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में उपयोग में नहीं लाया जाता है।

142. **कपलिंग और होसेस** - नियोजक किसी भवन के निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिगत हाइड्रोलिक संयंत्र पर केवल उच्च दाब हाइड्रोलिक कपलिंग और होसेस का उपयोग किया जाता है और ऐसे होसेस और कपलिंग उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्भाव्य नुकसान के विरूद्ध पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

143. **होज अधिष्ठापन** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में मनुष्य के साथ दुर्घटनाओं के विरूद्ध सभी हाइड्रोलिक लाइनें और संयंत्र जो 70 सेंटीग्रेड से अधिक के तापक्रम पर कार्य कर रहे है उन्हें पर्याप्त गेथी या अन्यथा द्वारा संरक्षित किया जाता है।

144. **अग्नि प्रतिरोधी होसेस** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण सथल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब हाइड्रोलिक संक्रियात्मक, मशीनरी और उपस्कर सुरंग में लगाये जाते हैं तब अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस से भिन्न कोई अग्नि प्रतिरोधी हाइड्रोलिक होसेस प्रयोग में नहीं लाया जाता है।

145. **ज्वालारोधी उपस्कर** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि यहां सुरंग के भीतर प्रज्वलनशील या विस्फोटक वातावरण प्रचलित है और खतरा बना हुआ है वहां केवल ज्वालारोधी उपस्कर हो समुचित प्रकार का है तथा सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुसार है का उपयोग किया जाता है।

146. **तेल और भूमिगत ईंधन का भण्डारण** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी तेल, ग्रीज या भूमिगत भंडारित ईंधन उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में मजबूती से सील किये गये आधानों तथा अग्नि प्रतिरोधी क्षेत्रों में विस्फोटक और अन्य प्रज्वलनशील रसायनों से सुरक्षित दूरी पर रखे जाते हैं ;

(ख) समुचित ज्वालारोधी अधिष्ठापन का ऐसे भण्डारण क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो उपखण्ड (1) में यथा विनिर्दिष्ट है।

147. **भूमिगत गैस का उपयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) नियम, 120 के अधीन परियोजना इंजीनियर के पूर्वानुमोदन के सिवाय सुरंग के भीतर पेट्रोल या तरल पैट्रोलियम गैस या किन्हीं अन्य प्रज्वलनशील पदार्थों का उपयोग और भण्डारण नहीं किया जाता है ;

(ख) खण्ड "क" में विनिर्दिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने के पश्चात् सभी अवशिष्ट पेट्रोल या तरल पेट्रोलियम गैस या उच्च प्रज्वलनशील पदार्थों को ऐसी सुरंग से तुरंत हटा दिया जाता है ;

(ग) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म में किसी आक्सीएसीटिलीन गैस का सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में उपयोग नहीं किया जाता है।

148. **अग्निशमन के लिए जल** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर पर्याप्त संख्या में जल निकासों का उपबंध किया गया है और पूरी सुरंग में अग्निशमन संबंधी प्रयोजन के लिए आसानी से पहुंच के भीतर रखा जाता है और ऐसे जल निकासों को प्रभावी रूप से अग्निशमन के लिए बनाये रखा जाता है ;

(ख) उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर सभी एयर ब्लाक अग्निशमन सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं;

(ग) जब कभी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्नि लगती है तो भवन सन्निर्माण कर्मकारों को चेतावनी देने के लिए किसी श्रव्य अग्नि चेतावनी यंत्र का उपबंध किया जाता है ;

(घ) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर किसी अग्निशमन के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या और प्रकार के अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था की जाती है और आसानी से उपलब्ध रहते हैं ;

(ङ) सुरंग या अन्य अवरूद्ध स्थानों पर वाष्पीकरण द्रवों उच्च दाब कार्बनडाईआक्साईड वाले अग्निशामकों का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(च) किसी उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर अग्निशमन के लिए किए जाने वाले उपाय के संबंध में अनुदेश हिन्दी या ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म पर नियोजित अधिकांश भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लिखित रूप में ऐसे उत्खनन या सुरंग खोदने के संकर्म के किसी सहजदृश्य और सुरक्षित स्थान पर समप्रदर्शित किए जाते हैं।

149. **जल प्लावन** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जहां किसी शेफ्ट से एक से अनधिक सुरंग प्रचालित किये जाते हैं सुरंग खुदाई संकर्म के दौरान जल प्लावन को रोकने के लिए किसी सुरंग के प्रवेश द्वार पर जलरोधी भित्ति दरवाजे अधिष्ठापित किये जाते हैं।

(ख) जब किसी ऐसे संकर्म का भित्तिदरवाजा बन्द किया जाता है तब यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सुरंग के एकांत भाग में कोई कर्मकार फस नहीं जाए उसके लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं ;

(ग) जहां सुरंग खोदने से संकर्म के दौरान किसी सुरंग में जल प्लावन या जल भरने की संभावना है तो ऐसे जल भराव में से जल को बाहर निकालने के लिए तुरंत जल पंपो को आरंभ करने की व्यवस्था की जाती है और खतरे से भवन संनिर्माण कर्मकारों तथा अन्य व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए चेतावनी संकेत दिये जाते हैं ।

150. **इस्पात की कनातें** - नियोजन किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरंग खोदने के संकर्म पर जहां जल-प्लावन होने की संभावना है वहां वायुरोधी इस्पात कनातों की व्यवस्था की जाती है अवरोही सुरंग की दशा में ऐसी कनातें ऐसी सुरंगों के ऊपरी अर्द्धभाग पर लगाई जाती है जिससे कि वायु के पाकेटों को बचाव प्रयोजन के लिए प्रतिधारित किया जा सके।

151. **विश्राम गृह** - नियोजक किसी भवन से सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) जहां किसी सुरंग खोदने के संकर्म में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित किया जाता है और उन्हें दबाव से भी सम्पीड़ित करने के पश्चात् कार्य स्थल पर

एक घंटा या उससे अधिक रहना पड़ता है वहां ऐसे भवन सन्निर्माण कर्मकारों को विश्राम करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म और उत्खनन पर प्रत्येक मेनलाक, मेडिकल लॉक या किन्हीं अन्य सुविधाओं को इन लॉकों में स्वच्छ अवस्था और अच्छी मरम्मतशुदा स्थिति में रखा जाता है;

(ग) किसी सुरंग खोदने के संकर्म में सनिर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का उपबंध किया जाता है और उसे हर समय उपलब्ध रखा जाता है ;

(घ) प्रत्येक मेडिकल लॉक परिचय केन्द्र पर किसी सुरंग खुदाई संकर्म के संनिर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाती है।

152. **रसायनों के प्रभावों की अनुज्ञेय सीमा** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी सुरंग या किसी शेफ्ट में कार्य करने का पर्यावरण जिसमें भवन सन्निर्माण कर्मकार नियोजित है, कार्य करने के पर्यावरण में इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 12 में या अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक किन्हीं खतरनाक पदार्थों का सांद्रण अन्तर्विष्ट नहीं है ;

(ख) नियम 121 में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति व्यक्ति किसी सुरंग खोदने के संकर्म में कार्य आरंभ करने से पूर्व दिनमें मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुज्ञेय नियत किये अन्तरालों पर आवश्यक निरीक्षण करता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभाव की अनुज्ञेय सीमा अधिक नहीं है और ऐसे परीक्षण का अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक की मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

153. **संवातन** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वायु मुक्त सुरंग में वह कार्य क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक द्वारा यथाअनुमोदित संवातन पद्धति का उपबंध किया गया है, ताजा वायु प्रत्येक भवन, भवन-सन्निर्माण कर्मकारों के लिए ऐसी सुरंग में भूमिगत नियोजित हैं प्रत्येक मिनट 6 घनफुट मीटर से कम नहीं है और अवधि वायु प्रवाह ऐसे सुरंग के भीतर 9 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं है।

154. **वायु प्रदाय प्राप्ति बिन्दु** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वायु सम्पीड़कों के लिए वायु प्राप्ति बिन्दु उन स्थानों पर अवस्थित हैं जहां वे वायु प्राप्ति बिन्दु धूल, गन्ध वाष्प और निर्वातित गैसों या अन्य संदूषणों से संदूषित नहीं हों।

155. **आपात जेनरेटर** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी सुरंग में प्रत्येक सम्पीड़क वायु प्रणाली में ऐसी सम्पीड़क वायु प्रणाली में सम्पीड़क वायु के अबाध प्रदाय को बनाये रखने के लिए आपातकालीन विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की गई है, जो ऐसे सम्पीड़क वायु प्रणाली के वायु सम्पीड़क और आनुषंगित प्रणालियों के प्रचालन के लिए सक्षम हैं ;

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर आपातकालीन विद्युत प्रदाय प्रणाली बनाये रखी जाती है और वह हर समय आसानी से उपलब्ध रहती है।

156. **वायु प्रमुख द्वार** -नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वायु मुख्य द्वार जिससे कार्य चेम्बर मेनलॉक या मेडिकल लॉक को जो किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किया जाता है. वायु प्रदाय कर रहा है, उन्हें दुर्घटनाग्रस्त नुकसानियों से संरक्षित

किया जाता है, जहा ऐसे संरक्षण उपलब्ध कराना व्यवहारिक नहीं हैं वहां दूसरे वायु मुख्य द्वार की व्यवस्था की जाती है।

157. **बल्क हैड और एयर लॉक** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जब किसी बल्क हैड या वायुरोधी डायाफार्म जो सम्पीड़क वायु को प्रतिधारित करता है, तब उनका उपयोग किसी सुरंग या किसी शेफ्ट में किया जाता है, उन्हें ऐस बल्क हैड या डायोफार्म के अधिकतम कार्यकरण दबाव के 1.25 गुणे अधिकतम दबाव पर संनिर्मित किया जाता है और ऐसे बल्क हैड या डायाफार्म को नियम 121 में निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बल्क हैड या डायाफार्म समुचित कार्यकरण स्थिति में है, इसका प्रत्येक उपयोग के पूर्व परीक्षण किया जाता है ;

(ख) ऐसा उत्तरदायी व्यक्ति खण्ड "क" में निर्दिष्ट प्रत्येक परीक्षण का अभिलेख रखता है और ऐसा अभिलेख, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक के मांग किये जाने पर निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है ;

(ग) खण्ड "क" में निर्दिष्ट बल्क हैड या डायाफार्म पर्याप्त प्रबलता और मजबूत सामग्री से तैयार किया जाता है और यह अधिकतम दबाव धारित करने की क्षमता रखता है जिसके लिए वे किसी भी समय उपयोग के अधीन रहता है।

(घ) किसी बल्क हैड एंकरेज और वायुलॉक को, उनके कार्य स्थल प र किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उन्हें अधिष्ठापित किये जाने के तुरन्त पश्चात् उस स्थान पर परीक्षण किया जाता है।

158. **डायाफार्म** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी डायाफार्म जो किसी शेफ्ट में आर पार क्षितिजीय हैड के रूप में है, उन्हें उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर सुरक्षित रूप से स्थिर किया जाता है।

159. **वहनीय विद्युत हस्त औजार** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत या किसी बंद स्थान में उपयोग किये जाने वाले सभी वहनीय विद्युत हस्त और निरीक्षण लैम्प 24 वोल्ट से अनधिक की किसी वोल्टता पर प्रचालित किए जाते हैं।

160. **सर्किट ब्रेकर** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक विद्युत वितरण प्रणाली और उसकी उप प्रणालियों के लिए भिन्नात्मक भूमिगत दोष सर्किट ब्रेकर का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन किया गया है और प्रत्येक सर्किट की संवेदनशीलता सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित की जाती है :

(ख) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म में भूमिगत स्थान पर किसी अर्द्ध अनुलग्न फ्यूज युनिट का उपयोग नहीं किया जाता है।

161. **ट्रांसफ़ार्मर** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पीड़ित वायु के अधीन किसी सुरंग के किसी भाग में किसी ट्रान्सफार्मर का तब तक

उपयोग नहीं किया जाता जब तक कि ट्रान्सफार्मर का शुष्क प्रकार का औसत सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न हो।

162. **विद्युतधारा युक्त तारें** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म के कार्य क्षेत्रों में जिनकी पहुंच उन कर्मकारों से जो ऐसें विद्युतधारा युक्त लाइनों पर काम करने के लिए प्राधिकृत हैं, से भिन्न भवन संनिर्माण कर्मकारों तक है वहां कोई खुला विद्युत धारा युक्त तार नहीं हो।

163. **वेल्डिंग सेट** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सुरंग में उपयोग किए जाने वाले सभी वेल्डिंग सेट मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित पर्याप्त क्षमता के और समुचित प्रकार के हैं।

164. **वायु की क्वालिटी और मात्रा** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर प्रत्येक कार्यकारी चेम्बर जिसमें सम्पीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है यहां ऐसी वायु का प्रदाय उसमें कार्य [illegible] प्रति व्यक्ति प्रति मिनट 0.3 घनमीटर से अनधिक हो ;

(ख) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग किये ये मेन लॉक और मेडिकल लॉक के लिए सदैव सम्पीड़ित वायु का कोई सुरक्षित प्रदाय उपलब्ध कराया [illegible] है ;

(ग) किसी सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्पी[illegible] वायु पर्याप्त [illegible] प्रदाय की गई वायु यथाशक्य साध्य गन्ध और अन्य संदूषणों अर्थात् [illegible] और अन्य विषैले पदार्थों से मुक्त है।

165. **कार्य संचालन तापक्रम** -नियोजक किसी [illegible] सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म के किन्हीं कार्यकारी चेम्बर में जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये गये हैं वहां तापक्रम 29 (उन्तीस) डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है और यह कि अभिलेख रखने के लिए व्यवस्था की जाती है जिसमें तापक्रम ऐसे कार्यकारी चेम्बर के भीतर प्रत्येक घंटे पर शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब द्वारा नापा जाता है और ऐसे अभिलेख अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

166. **मेन लॉक सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करना** - नियोजक किसी भवन सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करता है कि, -

(क) किसी सुरंग खुदाई संकर्म के उपोग किये जाने वाले मेन लॉक पर्याप्त [illegible] के बने हुए हैं और किसी वायु दाब, आन्तरिक या बाह्य को धारित करने के लिए डिजाइन किये गये हैं, जिसके लिए यह सामान्य उपयोग या किसी आपातकालीन उपयोग के अधीन होते हैं ;

(ख) (i) किसी उत्खनन या सुरंग खुदाई संकर्म पर मेन लॉक के दरवाजे इस्पात के बनाये जाते हैं;

(ii) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये गये मेल लॉक वायुरोधी होते हैं और जब ऐसे लॉक वायु दबाव में अधीन हों दरवाजों को सील करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था की गई है ;

(iii) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेन लॉक का जुड़ाव मेन लॉक पर वायु द्वारा पड़ने वाला दबाव को सहन करने के लिए पर्याप्त प्रबलता का है :

(iv) सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये गये मेन लॉकमें कार्य कर रहे भवन सन्निर्माण कर्मकारों के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं ;

(v) जहां किसी सम्पीड़ित वायु सुरंग में कार्य किया जा रहा है ऐसे सुरंग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी मेनलॉक का उपयोग किया जाता है ।

(ग) (i) जहां किसी सुरंग खुदाई संकर्म में मेन लॉक का उपयोग किया जाता है वहां हिन्दी और स्थानीय भाषा में जो वहां काम कर रहे अधिकांश भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है, सुरक्षा निर्देश ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म से सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित किये जाते हैं;

(ii) आपातकाल के सिवाय सम्पीड़न और विसम्पीड़न संक्रियाएं सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेनलॉक में की जाती हैं ;

(iii) किसी आपातकाल में भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए किसी सुरंग खुदाई संकर्म में उपयोग में लाये गये किन्हीं मेटिरियल लॉक का उपयोग किया जा सकेगा इस का लिखित में अभिलेख रखा जाता है तथा अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है ;

(iv) जहां किसी सुरंग पर मेनलॉक और मेटिरियल लॉक दोनों का अधिष्ठापन किया जाना अव्यवहार्य है वहां भवन निर्माण कर्मकारों के सम्पीड़न और विसम्पीड़न के लिए मुख्य निरीक्षक का अनुज्ञा से मेटिरियल लॉक का उपयोग किया जाता है ;

(v) सुरंग खुदवाई संकर्म पर सभी कर्मकारों का वातावरणीय दशाओं में सम्पीड़न मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किसी विसम्पीड़न प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ;

(vi) भवन संनिर्माण कर्मकार के सम्पीडन या विस्मपीड़न से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए सुरंग खुदाई संकर्म में मेन लॉक का उपयोग नहीं किया जाता है ;

(vii) किसी आपातकाल के सिवाय सुरंग खुदाई संकर्म पर भवन संन्निर्माण कर्मकारों का निम्नगमण मुख्य निरीक्षक के पूवानमोदन के बिना नहीं किया जाता है ;

(viii) किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग में लाये गये किसी मेनलॉक में उसके विसम्पीड़न के दौरान किसी भवन संनिर्माण कर्मकार के गिर जाने या उसके बीमार पड़ जाने की दशा, में, ऐसे मेन लॉक का लॉक परिचर ऐसे मेनलॉक में तब तक दबाव डालता है जब तक कि ऐसे दबाव अधिकतम दबाव के बराबर न हो जाये जिसमें ऐसे विसम्पीड़न से पूर्व में भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा कृत्यकारी चेम्बर में लगाया गया था और ऐसा लॉक परिचर, ऐसे गिर जाने की घटना के संबंध में, मेडिकल लॉक परिचर और ऐसी सुरंग खुदाई संकर्म में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करता है ;

(ix) ऐसा कोई भवन संनिर्माण कर्मकार जिसने किसी प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार से सुरंग खुदाई संकर्म में किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने का पूर्व में प्रशिक्षण लिया था उसे ऐसे सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नियोजित किया जाता है ;

(x) ऐसा कोई भवन संनिर्माण कर्मकार, जो सुरंग खुदाई संकर्म पर आठ घंटे की अवधि के भीतर एक छड़ से अधिक के दबाव से तीन विसंपीड़कों से गुजर चुका है, उसे बचाव कार्य करने के प्रयोजन के सिवाय, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है ;

(xi) ऐसा कोई भवन संनिर्माण कर्मकार जो किसी सुरंग खुदाई संकर्म में आठ घंटे की अवधि के लिए किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियाजित किया जाता है उसे तब तक दुबारा ऐसे पर्यावरण में नियोजित नहीं किया जाता जबतक उसने वातावरणी बाद में 12 घंटे से अन्यून का समय विश्राम में नहीं बिताया हो ;

(xii) किसी भवन संनिर्माण कर्मकार को, किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में उस दाब पर जो तीन छड़ों से अधिक है, सुरंग खुदाई संकर्म में तब तक नियोजित नहीं किया जाता जब तक कि मुख्य निरीक्षक से ऐसे नियोजित किये जाने के संबंध में लिखित में पूर्व अनुज्ञा नहीं ले ली गई हो

(xiii) किसी भवन संनिर्माण कर्मकार को, किसी सुरंग खुदाई संकर्म में एक मास के दौरान किसी सम्पीड़क वायु पर्यावरण में लगातार 14 दिनों से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है ;

(xiv) किसी सुरंग खुदाई पर सम्पीड़क वायु पर्यावरण में नियोजित सभी भवन संनिर्माण कर्मकारों के रोजगार का एक रजिस्टर रखा जाता है;

(xv) सुरंग खुदाई संकर्म में सम्पीड़क वायु पर्यावरण किसी भवन संनिर्माण कर्मकार के लिए एक पहचान बैज प्रदान किया जाता है ;

(xvi) उपखण्ड (xv) में निर्दिष्ट किसी भवन संनिर्माण कर्मकार के बैज में उसका नाम कार्य के लिए उसको आवंटित किये गये मेडिकल लॉक की अवस्थिति, उसके उपचार के लिए सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारी का टेलीफोन नम्बर और उसको अज्ञात बीमारी और संदेहपूर्ण कारणों की दशा में निदेश अन्तर्विष्ट होते हैं ;

(xvii) उपखण्ड (xvi) के अधीन भवन संनिर्माण कर्मकार को प्रदाय किये गये सभी पहचान बैजों का अभिलेख एक रजिस्टर में रखा जाता है ;

(xviii) ऐसे सभी भवन संनिर्माण कर्मकार जिनका नाम उपखण्ड (xvii) में निर्दिष्ट रजिस्टर में है उन्हें खण्ड (xv) के अधीन प्रदाय किये गये बैज सुरंग खुदाई संकर्म पर उनके कार्य समय के दौरान सभी समय पहनने होते हैं ;

(xix) सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में समुचित चेतावनी संकेत निम्नलिखित को रोकने के लिए सम्प्रदर्शित किये जाते हैं :-

(क) अल्कोहलिक पेयों का उपभोग,

(ख) लाईटर, माचिस या आग लगने के अन्य स्रोतों का उपयोग और ले जाया जाना,

(ग) धूम्रपान, और

(घ) ऐसे व्यक्ति की प्रविष्टि जिसके अल्कोहलिक पेयों का उपभोग किया हो।

167. **सुरक्षा अनुदेश -** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करता है कि सभी भवन संनिर्माण कर्मकार जो सुरंग खुदाई संकर्म पर सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में नियोजित हैं ऐसे नियोजन के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जारी किये गये निदेशों का पालन करेगा।

168. **मेडिकल लॉक -** नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) सुरंग खुदाई संकर्म पर जहां भवन संनिर्माण कर्मकार एकछड़ से अनधिक दाब के किसी कार्यकारी चेम्बर में नियोजित किये जाते हैं वहां समुचित रूप से संनिर्मित मेडिकल लॉक की व्यवस्था की जाती है ;

(ख) जहां किसी सम्पीड़ित वायु पर्यावरण में किसी सुरंग खुदाई संकर्म पर एक छड़ से अनधिक

का सम्पीड़ित वायु दबाव है, वहां 100 से अधिक भवन संनिर्माण कर्मकारों के लिए या उसके भाग के लिए एक मेडिकल लॉक का उपबंध किया जाता है और ऐसा मेडिकल लॉक ऐसे सुरंग खुदाई संकर्म पर उपयोग किये गये मुख्य लॉक के यथासंभव निकट स्थित होता है।

अध्याय - 14
दुरारोह छत का संनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण

169. **दुरारोह छत पर संकर्म** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई भवन संनिर्माण कर्मकार दुरारोह छत पर कार्य कर रहा है तो उसे गिरने से बचाने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय किये जाते हैं।

170. **छत की रुकावटों का संनिर्माण और अधिष्ठापन** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) **छत ब्रेकेटों का निर्माण** - दुरारोही छत के गड्ढे को भरने के लिए छत ब्रेकेट्स का संनिर्माण किया जाता है और ऐसे ब्रेकेट्स का उपयोग चबूतरे को समतल करने में किया जाता है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट छत अपने स्थान पर ऐसे ब्रेकेट के भीतरी ओर संलग्न कील बिन्दु वाली धातु प्रक्षेपकों द्वारा सुरक्षित है और उस दुरारोह छत पर जिस पर इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षित रूप से चलाया जाता है या चोटी के खम्ब के ऊपर किसी रस्सी को डालकर सुरक्षित किया जाता है और ऐसी छत से बांधा जाता है।

171. **रिगड़ बोर्ड** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) दुरारोह छत पर कार्य करने के लिए उपयोग में लाये गये सभी रिंगड़ बोर्ड पर्याप्त प्रबलता के हैं, मजबूत सामग्री के बने हैं और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपयोग के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रकार के हैं ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रिंगड़ बोर्ड की अच्छी तरह मरम्मत की जाती है और उनको प्रयोग में लाने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रिंगड़ बोर्ड में किसी दुरारोह छत पर जहां पर इसका उपयोग किया जाता है चोटी हुक या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा सुरक्षित है ;

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक रिंगड़ बोर्ड के अतिरिक्त ऐसे रिंगड़ बोर्ड के उपयोग किये जाते समय उसकी सम्पूर्ण लम्बाई के साथ पर्याप्त प्रबलता में जकड़ी हुई बचाव रस्सी लगी होगी।

अध्याय - 15
निसैनी और सोपान निसैनी

172. **संनिर्माण और सुरक्षित उपयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्रत्येक निसैनी या सोपान निसैनी जो भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण संकर्म में उपयोग में लाई जाती है वह अच्छी संरचना, मजबूत सामग्री से बनी और पर्याप्त प्रबलता की है तथा उस प्रयोजन के लिए है जिसके लिए निसैनी या सोपान निसैनी उपयोग में लाई जाती है;

(ख) जब किसी निसैनी का संचार के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तब उसे किसी स्थिर ढांचे से बांध दिया जाता है जिससे कि ऐसे सीढ़ी पर कार्य करते समय वह फिसल न जाए ;

(ग) कोई निसैनी या सोपान निसैनी खुली हुई ईंटो पर या अन्य खुली पैकिंग पर खड़ी नहीं जाती है और उसका आधार स्थल समतल और मजबूत होता है ;

(घ) स्थिर निसैनी के उपयोग की दशा में, जहां यह अपेक्षित है, पर्याप्त पैर रखने की जगह और तथा, भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है ;

(ङ) प्रत्येक निसैनी, -

(i) सुरक्षित है जिससे असम्यक् झूलन को रोका जा सके,

(ii) इसके प्रत्येक सोपान पर समान रूप से समुचित रूप से टेक लगाये गये हैं,

(iii) इस प्रकार उपयोग में लाये जाएं जिससे कि धमकन न हो,

(iv) यथासंभव इस प्रकार निकट रखा जाए जिससे कि एक पर चार का तारतम्य बना रहे ;

(च) सभी निसैनी और सोपान निसैनी उनके उपयोग के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों उपयोग में लाई जाएं ;

173. **डण्डे** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई निसौनी जिसमें कोई डंडा गायब हो या दोषयुक्त है या ऐसे डंडे जो पूर्ण रूप से उसके कीलों के सहारे के लिए, नोक या अन्य वैसी ही जुड़नार पर निर्भर है, का उपयोग नहीं किया जाए।

174. **निसैनी के लिए सामग्री** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि भवन संनिर्माण संकर्म में उपयोग में लाई गई सभी काष्ठ की निसैनी, -

(क) पर्याप्त प्रबलता की संनिर्मित हों और सीधी ग्रेडवुड से बनी हो और दोषों से मुक्त हो और उस काष्ठ की लम्बाई में ग्रेन हो ;

(ख) सीधी ग्रेडवुड से बने डण्डे दोषो से मुक्त और सीधे हों उनके मोरटाइज या सुरक्षित रूप से खांचे बनाये गये हों ;

(ग) यदि ऐसी निसैनी के जोड़ बैजों द्वारा सुरक्षित नहीं है तो उसे पुनर्प्रवलित धातु से बांधा गया हो

अध्याय - 16

कैच प्लेटफार्म और होर्डिंग, शूट सुरक्षा बेल्ट और जाल

175. कैच प्लेटफार्म:- नियोजक किसी भवन, के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कैच प्लेटफार्म सामग्री का भंडारण या किसी कार्यकारी प्लेटफार्म के रूप में उपयोग नहीं किया जाता ;

(ख) कैच प्लेटफार्म कम से कम दो मीटर चौड़ा और झुका हुआ है जिससे कि ऐसे प्लेटफार्म के बाहरी किनारे की स्थिति आंतरिक किनारे से 1500 मि.मी. ऊंची हो ;

(ग) कैच प्लेटफार्म का खुला हुआ किनारा एक मीटर से अन्यून की उंचाई पर समुचित मजबूत तारों से घेरा गया हो।

176. **होर्डिंग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि होर्डिंग्स का संनिर्माण तब किया जाता है जब मुख्य निरीक्षक इसे भवन संनिर्माण कर्मकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे और ऐसे नियोजक को ऐसे संनिर्माण करने का निर्देश दें।

177. **शूट इसका संनिर्माण और उपयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) काष्ठ या धातु शूट जो क्षितिजीय 45° के कोण पर है और सामग्री हटाने के उपयोग में लाया जाता है वे सभी ओर बंद हैं सिवाय उनके जो खुले उपयोग के लिए सामग्री या वस्तुओं के प्राप्त करने या उनका निवर्हन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है;

(ख) शूट के सभी छोर उनके शिरे के भाग के सिवाय जब से उपयोग में नहीं हैं, बंद कर दिये जाते हैं ;

(ग) प्रत्येक शूट, -

(i) मजबूत सामग्री से संनिर्मित है पर्याप्त प्रबलता की है और उस प्रयोजन के लिए जिसका उपयोग आशयित है उपयुक्त हैं,

(ii) ऊंचाई में 12 मीटर से अधिक है और इसका संनिर्माण किसी व्यावसायिक इंजीनियर द्वारा ऐसे संनिर्माण के लिए तैयार की गई डिजाइन या आरेख तथा मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है,

(घ) प्रत्येक शूट के निर्वहन के समय एक समुचित चेतावनी सूचना सहज दृश्य अवस्थिति पर हिन्दी में लिख कर सम्प्रदर्शित की जाती है ;

(ङ) प्रत्येक शूट को तब पास किया जाता है जब मलबा जो एक ऊंचाई तक इकठ्ठा हो जाता है; जिससे भवन संनिर्माण कर्मकारों को खतरा हो सकता है किन्तु ऐसा पास किया जाना किसी भी दशा में दिन में एक बार से कम की आवृत्ति पर नहीं किया जाता।

178. **सुरक्षा बेल्ट और इसका उपयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सुरक्षा बेल्ट, लाइफ लाइन और ऐसे लाइफ लाइन से संलग्न करने के लिए अन्य उपकरण सुसंगत राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होते हैं ;

(ख) प्रत्येक भवन संनिर्माण कर्मकारों को उसके संरक्षण के लिए सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइफ लाइन प्रदाय की जाती है ओर ऐसे भवन संनिर्माण कर्मकार ऐसे बेल्ट और लाइफ लाइनों को अपने कार्य निष्पादन के दौरान उपयोग करते हैं ;

(ग) सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइन का उपयोग करने वाले सभी भवन संनिर्माण कर्मकारों को ऐसे बेल्ट और लाइफ के सुरक्षित उपयोग और अनुरक्षण का ज्ञान होता है तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुदेश प्रदाय किये जाते हैं ;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइफ के उपयोग का पर्यवेक्षण करने वाला उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा लाइफ लाइन उपयोग के लिए दिए जाने से पूर्व ठीक है।

179. **सुरक्षा जाल और इसका उपयोग** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) पत्येक सुरक्षा जाल पर्याप्त प्रबलता का है, मजबूत सामग्री का बना है और सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त है ;

(ख) सुरक्षा जाल और उनके उपयोग के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे सुरक्षा जालों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करता है और ऐसे सुरक्षा जालों के उपयुक्त और पर्याप्त बांधे जाने की व्यवस्था करता है जिससे कि वह प्रयोजन जिसके लिए सुरक्षा जाल आशयित है,

उपयोग किये जाने के प्रयोजन को पूरा करता है।

180. **सुरक्षा बेल्ट और जाल आदि का भण्डारण** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थलपर यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बेल्ट, लाइफ लाइन और सुरक्षा जालों के सुरक्षित भंडारण के लिए जब वे उपयोग में नहीं है, समुचित व्यवस्था की गई है और यात्रिक नुकसानी रसायनों से नुकसानी और जैव वैज्ञानिक कारकों से नुकासानी विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।

अध्याय - 17
संरचनात्मक चौखटा और फर्मा

181. **साधारण उपबंध** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल पर या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन संरचनात्मक चौखट और फार्म के लिए प्रशिक्षित भवन संनिर्माण कर्मकार, ऐसे संरचनात्मक चौखटा या फर्मा, भवन या ढांचे को खोलने और किसी इंजीनियरों संकर्म, फर्मा, कच्चे संकर्म, और टेकबंदी संकर्म के परिनिर्माण करने के लिये नियोजित किये जाते हैं ;

(ख) किसी ढांचे के अस्थायी कमजोरी की दशा में या अनुपयुक्तता की दशा में खतरा उत्पन्न होने से रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं।

182. **फर्मा, कच्चा संकर्म और टेकबन्दी** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) फर्मा और कच्चे संकर्म का इस प्रकार डिजाइन, सनिर्माण और अनुरक्षण किया जाएगा कि ऐसे फर्मा और कच्चे संकर्म उस भाग को जो उन पर अधिरोपित किया जाए सहारा दे सके ;

(ख) ऐसे फर्मा को इस प्रकार परिनिर्मित किया जाता है कि कृत्यकारी चबूतरा, पहुंच के साधन कसाब उठाई-धराई करने और स्थिरीकरण के साधन आसानी से ऐसे फर्मा के साथ जोड़े जा सकें।

183. **इस्पात के पूर्वरचित ढांचे का परिनिर्माण और उसे खोलना** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) इस्पात ढांचे और पूर्वरचित ढांचे के परिनिर्माण और उसे खोलने में नियाजित भवन संनिर्माण कर्मकारों की खतरों से सुरक्षा समुचित साधन अर्थात् निम्नलिखित का उपयोग करके सुनिश्चित किया जाता है,-

(i) निसैनी मार्ग या जोड़ा हुआ चबूतरा,

(ii) चबूतरे, बाल्टियां, नावनुमा कुर्सियां या अन्य समुचित साधन जो उत्थापक साधित्रों से निलंबित किये गये है ;

(iii) संकट में सुरक्षा, लाइफ लाइन, पकड़ जाल या पकड़ चबूतरा ;

(iv) विद्युत शक्ति से प्रचालित चल कार्यकारी चबूतरा ;

(ख) भवन या संरचना या फर्मा या कच्चे संकर्म या टेकबंदी या किसी सिविल इंजीनियरी संकर्म के परिनिर्माण या खोलने का कार्य प्रशिक्षित भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसे संकर्म के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन किये जाते हैं ;

(ग) इस्पात या ढाल से पूर्वरचित ढांचे इस प्रकार डिजाइन किए और बनाये जाते हैं कि ऐसे ढांचे सुरक्षित रूप से परिवहनित, परिनिर्मित किये जा सकें और ऐसे ढांचे की प्रत्येक यूनिट का भार ऐसे यूनिट के उपर स्पष्ट रूप से अंकित किये जाते हैं ;

(घ) ऐसे प्रत्येक भाग का डिजाइन, खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट ढांचे के प्रत्येक भाग की स्थिरता को बनाये रखता है, जब परिनिर्मित किया जाए, और खतरे को रोका जाए, तब डिजाइन में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाएगा, -

(i) ऐसे भागों के परिनिर्माण दौरान छिलाई, परिवहन, भंडारण और स्थायी सहारे संबंधी प्रचालनों में सुसंगत दशा और संलग्नक करने की पद्धति,

(ii) कार्यकारी चबूतरे के साथ रेलिंग के उपबंध और ऐसे रेलिंग या चबूतरों का ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पुर्जो का आसानी से चढाने के लिए रक्षोपाय ;

(ङ) ढांचागत इस्पात या पूर्वरचित पुर्जो पर हुक और अन्य उपकरणों का बनाया या उपलब्ध कराना जो उत्थापन और परिवहन के लिए अपेक्षित है, ऐसे भाग को इस प्रकार आकार दिया जाता है, विमाओं में बनाया जाता है और ऐसे पृष्ठ तनावों को जिनके लिए ऐसे हुक या अन्य उपकरण अध्यधीन हैं सहारा देने के लिए अवस्थित किये जाते हैं ;

(च) कंक्रीट से बनाये गये पूर्वरचित पुर्जो ऐसे कंक्रीट से सेट होने और आरेख मेंउपबंधित पर्याप्त सीमा तक उनके कठोर होने से पूर्व छीले या परिनिर्मित नहीं किये जाते हैं और ऐसे पुर्जों का उनके उपयोग किये जाने से पूर्व उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नुकसानी के किसी चिह्न का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है।

(छ) भंडारण स्थान इस प्रकार संनिर्मित किये जाते हैं कि -

(i) ढांचागत इस्पात या पूर्व रचित पुर्जो के गिरने या लुड़कने का कोई जोखिम न हो,

(ii) भंडारण की दशाओं में साधारणतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि भंडारण की सहमति पर और वातावरणीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्थिरता को बनाए रखा जाता है और नुकसानों से बचाया जाता है ;

(iii) रैंकों को मजबूत आधार पर सेट किया जाता है और इस प्रकार डिजाईन किया जाता है कि यूनिटें ऐसे भंडारण स्थलों में संयोगवश हिल न सकें ;

(ज) ढांचागत इस्पात या पूर्व रचित पूर्जे जब वे भंडारित या परिवहनित या उठाये या गिराये जा रहे हों इनके प्रतिकूल दबाव के अधीन न हों ;

(झ) ढांचागत इस्पात या पूर्व रचित पुर्जे के उत्थापन के लिए चिमटे, क्लैम्प और अन्य साधित्र-

(क) ऐसे आकार और विमाओं के हों जिससे ऐसे पुर्जों को नुकसान पहुंचाये बिना कोई सुरक्षित पकड़ सुनिश्चित की जा सके,

(ख) अधिकतम प्रतिकूल उत्थापन दशाओं में अधिकतम अनुज्ञेय भार अंकित किया जाता है ;

(ञ) ढांचागत इस्पात या पूर्व रचित पुर्जे ऐसी पद्धति और साधित्रों द्वारा उत्थापित किये जाते हैं जो जिससे उनके दुर्घटनाग्रस्त घुमाव को रोका जा सके ;

(ट) ढांचागत इस्पात या पूर्व रचित पुर्जे से किसी संकर्म के किये जाते समय ऐसे पुर्जों के उत्थापक से पूर्व भवन संनिर्माण कर्मकारों, सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण नुकसानी को रोकने के लिए रेलिंग और कार्यकारी चबूतरों की व्यवस्था की गई है ;

(ठ) ढांचागत इस्पात द्वारा पूर्व रचित पुर्जो की उठाई-धराई या भंडारण या परिवहन या उनके

उत्थापन या उनको उतारने के समय भवन संनिर्माण कर्मकारों, भवन संरचना या उपस्करों को होने वाली क्षति से बचने के लिए सभी आवश्यकता व्यवहार्य उपाय किये जाते हैं ;

(ड) ढांचो पर तेज तूफान या तीव्र हवाओं या किन्हीं अन्य खतरनाक परिस्थितियों में कार्य नहीं किया जाता ;

(ढ) उस भवन संनिर्माण कर्मकारों के जो उच्च ढालू गार्डरों पर चल रहे हैं, गिरने के जोखिम को पर्याप्त सामूहिक सुरक्षा के संपूर्ण साधनों द्वारा या गर्दिश में सुरक्षा के उपयोग द्वारा जो पर्याप्त रूप से किसी मजबूत सहारे के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित है, की सीमा तक, प्रकट किया गया है;

(ण) ढांचागत इस्पात पुर्जे जिन्हें अत्यधिक ऊंचाई पर परिनिर्मित किया जाए उन्हें यथाव्यवहार्य रूप में धरातल पर समज्जित किया जाता है ;

(त) जब ढांचांगत इस्पात पूर्व निर्मित पुर्जे परनिर्मित किये जा रहे हों, कार्य स्थल के समीप पर्याप्त विस्तारित क्षेत्र को तारों से घेरकर सुरक्षित किया जाएगा ;

(थ) ऐसे इस्पात बंध जिन्हें परिनिर्मित किया जा रहा है, उनकी तब तक पर्याप्त रूप से टेकबन्दी कसाव या तारबंधाई नहीं की जाती है जब तक कि वह स्थाई रूप से सुरक्षित स्थिति में नहीं है ;

(द) जब कोई भवन संनिर्माण कर्मकार ऐसी स्थिति में हो कि उसको प्रचालन से चोट लगने की संभावना है तो संरचनात्मक संघटक उत्थापक मशीनों द्वारा उस स्थान पर नहीं रखा जाता है ।

184. **फर्मा** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) सभी फर्मा, भवन संनिर्माण कर्मकारों, भवन संरचना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से डिजाइन किये गये हैं;

(ख) संरचनात्मक चौखटे और फर्मे के लिए कोई उत्तरदायी व्यक्ति, -

(i) सामग्री, काष्ठ ढांचागत इस्पात और पाड़ा को प्रबलता तथा समुचितता का उपयोग में लाये जाने से पूर्व निरीक्षण और परीक्षण करता है;

(ii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा के सभी प्रक्रमों को इसके अन्तर्गत लाने की प्रक्रिया अधिकथित करता है,

(iii) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा का पर्यवेक्षण करता है;

(iv) ऐसे संरचनात्मक चौखटे और फर्मा, सकर्म के निष्पादन के दौरान दुर्घटना या होनेवाली खतरनाक घटनाओं को रोकने को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है या उपाय करता है ।

185. **टेक-हटाना** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जब टेक हटाई जाती है तो किसी खतरे से बचने के लिए ऐसी टेकबन्दी के स्थान पर पर्याप्त अवलंब छोड़ दिए जाते हैं ;

(ख) किसी खतरे से बचने के लिए टेक हटाये जाने पर किसी सहारे के साथ पर्याप्त रूप से कसाव या खिचाव किया जाता है ;

अध्याय - 18

चट्टा लगाना और चट्टा हटाना

186. **सामग्री और वस्तुओं के चट्टे लगाना और चट्टे हटाना** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जहां सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं का चट्टा लगाने या चट्टा हटाने, भराई या खाली करने उसके संबंध में उठाई-धराई की जा रही हो तथा उसे बिना सहायता के सुरक्षापूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता ऐसी उठाई-धराई से होने वाली किसी खतरे को रोकने के लिए दुर्घटना या खतरानक घटनाओं के होने को रोकने के लिए टेकबन्दी या अन्य उपाय द्वारा युक्तियुक्त उपाय किये जाते हैं ;

(ख) सामग्री या वस्तुओं में चट्टा लगने या कार्य मजबूत नींव पर किया जाता है जो ऐसी सामग्री या वस्तुओं के टिकने या इधर-उधर होने के लिए दायी नहीं है ऐसे तल पर अधिक भार नहीं डाला जाता है जिस पर ऐसे चट्टे लगाने का कार्य चल रहा है :

(ग) सामग्री या वस्तुओं के किसी भांडागार या भंडारण या भंडारण स्थान के भाग या दीवारों पर तब तक चट्टे नहीं लगाये जाते जब तक यह ज्ञात नहीं हो कि ऐसी सामग्री वस्तुओं के दबाव को सहने के लिए ऐसे भाग या दीवार पर्याप्त रूप से मजबूत न हो ;

(घ) सामग्री या वस्तुओं के चट्टे इतनी ऊंचाई पर और उस रीति में नहीं लगाये जाते जिससे कि ऐसे चट्टे की श्रेणी अस्थायी हो जाए और भवन संनिर्माण कर्मकारों या आम आदमी को खतरा उत्पन्न हो ;

(ङ) जहां भवन संनिर्माण कर्मकार डेढ मीटर से अधिक की ऊंचाई के चट्टे पर कार्य कर रहा हो वहां चट्टे पर सुरक्षित पहुंचने के साधनों की व्यवस्था की जाती है ;

(च) चट्टा लगाने या चट्टा हटाने संबंधी सभी संक्रियाएं, ऐसे चट्टे लगाने या चट्टे हटाने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षणधीन की जाती है;

(छ) सन्निर्माण सामग्री या वस्तुओं के चट्टे उत्खनन, शेफ्ट गड्ढे या किन्हीं अन्य ऐसे अभिसुख के निकट नहीं लगाये जाते हैं।

(ज) ऐसे चट्टे बहुत संकरे या अस्थिर होने वाले है या गिरने वाले हैं तो उनके चारों ओर रुकावटें लगाई जाती हैं।

187. **सीमेंट और अन्य सामग्री के थैलों के चट्टे लगाना** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) चट्टे का खंचा ऊंचाई में दस थैलों से अनधिक की ऊंचाई पर नहीं होता है जब तक कि ऐसे चट्टे के खांचे को समुचित अनुलग्नक या अन्यथा पर्याप्त रूप से सहारा प्रदान करने के लिए चट्टे नहीं लगाये गये हों ;

(ख) चट्टे के खांचे से थैलों को निकालते समय ऐसे चट्टे के खांचे की स्थिरता को सुनिश्चित किया जाता है ;

(ग) सीमेंट या चूनेवालो थैलों को शुष्क स्थानों पर भंडारित किया जाता है ;

(घ) ईंटे, टाइलें या बलाकों को मजबूत आधार भंडारित किया जाता है ;

(ङ) पुनर्प्रबलित इस्पात को उसके आकार प्रकार और लंबाई के अनुसार भंडारित किया जाता है ;

(च) पुनर्प्रलित इस्पात के चट्टे यथासम्भव कम ऊंचाई पर रखे जाते हैं ;

(छ) किसी पाइप को ऐसे रैक या चट्टे में जिसमें ऐसे पाइप को मोड़े जाने में गिरने की संभावना हो, भंडारित नहीं किया जाता है;

(ज) जहां किसी खुली सामग्री के चट्टे लगाये जाते हैं वहां प्रतिस्थापित कोण बनाये रखा जाता है;

(झ) जब धुलकणग्रस्त सामग्री भंडारण या उसकी उठाई-धराई की जानी है तो ऐसे भंडारण या उठाई-धराई से उत्पन्न होने वाली धूल को दवाने के लिए उपाय किया जाता है और ऐसे भंडारण या उठाई-धराई के लिए भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपयुक्त संरक्षात्मक उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

अध्याय - 19

पाड़

188. **पाड़ का सन्निर्माण** - नियोजक किसी भवन संनिर्माण स्थल या संनिर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करता है, कि-

(क) प्रत्येक पाड़ और उसके संघटक पर्याप्त रूप से सन्निर्मित हैं, मजबूत सामग्री से बने हैं, दोषों से मुक्त हैं और उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना आशयित है, सुरक्षित है ;

(ख) पाड़ के लिए बांस के उपयोग किए जाने की दशा में ऐसे बांस उपयुक्त क्वालिटी तथा अच्छी स्थिति का है ओर इसकी गांठे बाहर निकली हुई नहीं होंगी और ऐसे बांस का काम करते समय भवन संनिर्माण कर्मकारों को होने वाली किसी क्षति से बचाने के लिए उन्हें छीला जाता है;

(ग) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी धातु की पाड़ें सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

189. **किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, किसी पाड़ को परिनिर्मित करने या उसके जोड़ने या परिवर्तित करने या उसे खोले जाने के कार्य ऐसे परिनिर्माण जोड़े या परिवर्तन या खोले जाने के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय नहीं किये जाते हैं।

190. **अनुरक्षण** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) भवन संनिर्माण या अन्य संनिर्माण संकर्म में उपयोग की गई पाड़ को अच्छी मरम्मत करके अनुरक्षित किया जाता है और इसके दुर्घटनापूर्ण विस्थापन या किन्हीं अन्य खतरों के विरूद्ध उपाय किया जाता है ;

(ख) किसी पाड़ या उसके भाग को भागत: निसमज्जित नहीं किया जाता है और न ही उसे ऐसी स्थिति में रहने दिया जाता हे जब तक कि-

(i) ऐसे पाड़ की सुरक्षा के लिए किसी उत्तरदायी द्वारा ऐसे पाड़ के शेष भाग पर स्थिरता या सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है;

(ii) भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा ऐसी पाड़ के शेष भाग का उपयोग नहीं किया जाने की दशा में हिन्दी और किसी ऐसी भाषा मे जो अधिकांश भवन संनिर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाती है लिखित मे यह आवश्यक सावधानी सूचना कि ऐसी पाड़ उपयोग में लाने के लिए अनुपयुक्त है, उस स्थान पर जहां ऐसी पाड़ का परिनिर्माण किया जाता है, संप्रदर्शित की गई है।

191. **मानक, आड़, अड़वार** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म

पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) पाड़ के मानक निम्न प्रकार है :-

(i) साहुल जहां साध्य हो ;

(ii) ऐसी पाड़ के आशयित उपयोग के लिए सभी संभाव्य कृत्यकारी परिस्थितियों और दशाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी पाड़ की स्थिरता को सुरक्षित बनाने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त रूप से सटी हुई दूरी, पर स्थिर किया जाना ;

(iii) ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यथा साध्य निकट दूरी रखना ;

(ख) यथावश्यक पूर्ण प्लेट या किसी आधार प्लेट की व्यवस्था करके किसी पाड़ के मानक के विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाते हैं ;

(ग) ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए धातु की पाड़ की आड़ों को लम्वत् अंतरालों पर रखा जाता है;

(घ) बांस की पाड़ की आड़ों को यथासम्भव निकट रखा जाता है, ऐसे पाड़ की स्थिरता का सम्यक् ध्यान रखते हुए किसी पाड़ के मानकों पर जकड़ा जाता है ।

192. **कृत्यकारी चबूतरा** - नियोजक किसी भवन के संनिर्माण स्थल या अन्य संनिर्माण संकर्म स्थलों पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) कृत्यकारी चबूतरा सन्निर्माण ऐसे भवन के स्थायी ऊपरी तल के निकट वाले किसी भवन के सामने या उसके किनारे पर और किसी ऐसे स्तर पर जहां ऐसे भवन का संनिर्माण कार्य किया जा रहा है उपलब्ध कराया जाता है ।

(ख) किसी पाड़ के प्रतयेक खंड पर नियोजित किये जाने वाले भवन संनिर्माण कर्मकारों की संख्या, ऐसे चबूतरे पर पाड़ का कार्य और सामग्री या वस्तुएं तथा औजार जो उनके साथ ऐसे खंड पर ले जाये जाते हैं के अनुकूल एक चबूतरे का डिज़ाइन किया जाता है ।

(ग) किसी पाड़ के प्रत्येक खंड सुरक्षित कार्यकारी भार और भवन संनिर्माण कर्मकारों की संख्या जिन्हें नियोजित किया जाना है, ऐसे संनिर्माण स्थल पर नियोजित सभी संनिर्माण कर्मकरों की जानकारी के लिए सम्प्रदर्शित की जाती है ।

193. **बोर्ड, तख्ता और छत** - नियोजक किसी भवन के सन्निर्माण स्थल या अन्य सन्निर्माण संकर्म स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) कृत्यकारी-चबूतरे के सन्निर्माण में उपयोग किये गये बोर्ड तख्ता और छत समान आकार और प्रबलता के हों और ऐसे भवन संनिर्माण कर्मकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भार और भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या को सहारा देने के लिए समर्थ है ;

(ख) धातु की छत जो किसी कृत्यकारी चबूतरा का एक भाग बनाती हैं बिना फिसलने वाले पृष्ठतल की व्यस्था की गई है ;

(ग) ऐसा कोई बोर्ड या तख्ता जो कार्यकारी चबूतरे का भाग बनात है, इसकी किनारे की टेक के परे तब तक प्रक्षेपित नहीं किये जात हैं जब तक कि इसे प्रभावि रूप से मुड़ने या उठने से रोका नहीं जाता ;,

(घ) बोर्ड तख्ता या छत जकड़े जाते हैं और सुरक्षित किये जाते हैं ।

(ङ) किसी ऐसे एक समय में प्रत्येक दिन से अनधिक कृत्यकारी चबूतरे ऐसे खंड पर भवन निर्माण कर्मकारों या सामग्री या वस्तुओं को सहारा देने के लिए उपयोग में नहीं लाए जाते हैं ;

(च) ऐसी किसी क्षति को रोकने के लिए जो सामग्री या वस्तुओं के गिरने के कारण कारित होती है, सुरक्षा जालों या अन्य समुचित साधनों का उपयोग करके समुचित उपाय किये जाते हैं;

(छ) ऐसी पाड़ के किसी चबूतरे पर कंक्रीट या अन्य मलबे या सामग्री को इकट्ठा होने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

(ज) किसी दीवार के छोर पर जहां किया जाना है, ऐसे कार्य स्थल पर कृत्यकारी चबूतरा या जहां साध्य हो, ऐसी दीवार के छोर के परे कम से कम शून्य दशमलव साठ मी. दूरी पर बनायी जाती है।

194. **क्षतिग्रस्त पाड़ की मरम्त** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार ऐसी पाड़ा पर जो क्षतिग्रस्त या क्षीण हो गई है, जब तक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सुरक्षा उपाय नहीं कर लिए जाते हैं कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं है ;

(ख) ऐसे स्थानों पर, जहां पाड़ की मरम्मत का जिम्मा ले लिया हो, चेतावनी संकेत संप्रदर्शित कर दिये जाते हैं ;

195. **खुली जगह** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) ऐसे कार्यकरण प्लेटफार्म पर पहुंचने के सिवाय, किसी भी कार्यकरण प्लेटफार्म में कोई भी खुली जगह नहीं है ;

(ख) किसी प्लेटफार्म पर जहां भी खुली जगह अपरिहार्य है, ऐसे प्लेटफार्म से सामग्री या भवन निर्माण कर्मकारों के गिरने से परित्राप के लिए उपयुक्त सुरक्षाजल, पट्टे या इसी प्रकार के कोई अन्य साधनों की व्यवस्था करके आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं;

(ग) किसी पाड़ पर एक कार्यकरण प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंचना यदि अपेक्षित हो,ऐसे प्लेटफार्मो पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कार्यकारों के उपयोग के लिए उपर्युक्त और सुरक्षित नसैनी की व्यवस्था कर दी जाती है;

196. **रक्षक पटरियां** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ऐसे कार्यकरण प्लेटफार्म की प्रत्येक पार्श्व पर जिससे किसी व्यक्ति के गिरने की संभावना है ऐसे प्लेटफार्म से किसी भवन निर्माण कर्मकार, सामग्री या औजारों को गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित रक्षक पटरियों और यथोचित मजबूती के टोबवोर्ड की व्यवस्था कर दी जाती है।

197. **विभिन्न नियोजकों के भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाई गई पाड़** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जहां किसी ऐसी पाड़ या पाड़ के किसी ऐसे भाग का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग पूर्व में किसी अन्य नियोजक द्वारा उसके भवन निर्माण कर्मकारों के लिए किया गया है, ऐसी पाड़ या उसके भाग का उपयोग केवल, उसके उपयोग के लिए किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे निरीक्षण और जांच के पश्चात् ही किया जाता है कि ऐसी पाड़ या भाग ऐस उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है।

(ख) यदि किसी पाड़ या उसके भाग में उसके उपयोग के सुभीते के लिए किसी सुधार, परिवर्तन या उपांतरण की जरूरत समझी जाती है तो ऐसा सुधार, परिवर्तन या उपांतरण ऐसी पाड़ या भाग के उपयोग में लाने से पूर्व खंड (क) में निर्दिष्ट उत्तरदायी व्यक्ति के परामर्श से किया जाता है;

198. **विद्युत शक्ति लाइन से संरक्षण** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य सनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पाड़ पर कार्य करने वाले ऐसे किसी भी भवन निर्माण कर्मकार को विद्युत तारें या खतरनाक उपस्कर के सम्पर्क में आने से रोकने के लिए उसके परित्राण के लिए सभी आवश्यक और व्यवहारिक उपस्कर लिए जाते हैं।

199. **रक्षावरण जाल और तार की जालियां** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां पाड़ किसी क्षेत्र में परिनिर्मित की जाती है जहां संनिर्माण क्रियाकलापों से नजदीक के पैदल चलने वालों या यानीय यातायात को सामग्री के गिरने से परिसंकट की संभावना हो सकती है, वहां ऐसी पाड़ के आचरण के आवरण के लिए तारों की जालियां या रक्षावरण जाल उपयोग में लाए जाते हैं,

200. **टावर पाड़** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में उपयोग में ली गई प्रत्येक टावर पाड़ की ऊंचाई ऐसी पाड़ के आधार माप की लघुतर की आठ गुनी से अधिक नहीं है,

(ख) टावर पाड़ को भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने के पूर्व किसी भवन या किसी स्थिर इमारत के साथ रस्सी से बांध दिया जाता है।

(ग) कोई भी ऐसी टावर, पाड़ जिसे घुमाया या संचयक किया जा सकता है -

(i) उसके स्थायित्व को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है और यदि आवश्यक हो, उसके आधार पर यथोचित रूप से भारित किया जाता है ;

(ii) उसका केवल समतल और भूतल पर ही उपयोग किया जाता है, और

(iii) जिसमें ऐसी पाड़ को स्थिति में रखने के लिए सकारात्मक परिबंधन युक्तियों के साथ कास्टरों की व्यवस्था है।

(घ) कोई भी भवन निर्माण कर्मकार, औजार, सामग्री पाड़ पर नहीं रहता है जब उसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदला जाता है।

201. **पाड़ के निलंबन के लिए गियर** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि -

(क) पाड़ के निलंबन के लिए उपयोग में ली गई जंजीरें, रस्से या उठाने वाले गियर यथोचित मजबूती की अच्छी सामग्री के बने और उनके उपयोग के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हैं तथा अच्छी मरम्मत से पोषित किए जाते हैं ;

(ख) पाड़ के निलंबन के लिए प्रयुक्त जंजीरें, तार, रस्से और धातु की नालियां-

(i) प्रत्येक जकड़ बिन्दु पर और ऐसी पाड़ के समर्थन के लिए प्रयुक्त उस पाड़ के अन्य मुख्य सहायक सदस्यों की आड़ी लकड़ियों की उचित रूप से तथा मजबूती से जकड़कर बांध दी जाती है, और

(ii) इस प्रकार की स्थिति में रखी जाती हैं जिससे कि पाड़ की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके

202. **मंचिका पाड़ और शहतीर पाड़** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण

स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) कोई भी मंचिका पाड़ तीन खन से अधिक सन्निर्मित नहीं की जाती है या यदि उसका कार्यकरण प्लेटफार्म भूमि या फर्श या अन्य भूतल जिस पर ऐसी पाड़ निर्मित की जाती है से ऊपर चार प्वाइंट पांच मीटर से अधिक है तो ऐसी मंचिका पाड़ की पेशावर इंजीनियर द्वारा डिजाइन की जाती है और उपयोग में लिए जाने से पूर्व मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है ,

(ख) कोई भी मंचिका पाड़ किसी निलंबित पाड़ पर निर्मित नहीं की जाती है,

(ग) कोई भी शहतीर या जिब पाड़ जब तक उसके सहारे के सामने के पार्श्व यथोचित रूप से समार्थत, स्थिर या जकड़ नहीं दिया जाता है और यथोचित लम्बाई का बाहरी सहारे को जहां आवश्यक हो ऐसी पाड़ की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सहारा नहीं दिया जाता है उपयोग में नहीं ली जाती है।

(घ) जब तक ऐसे धारक जो यथोचित मजबूती वाले हैं, दिशा से होकर कस नहीं दिए जाते है और वे दूसरी तरफ मजबूती से बांधे नहीं जाते हैं कोई भी ऐसा कार्यकरण प्लेटफार्म जो धारकों पर आधारित है जिसका एक सिरा दीवार में लगा दिया जाता है और बिना दूसरे सहारे के उपयोग नहीं किया जाता है।

203. **भवन द्वारा समर्थित पाड़ -** नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जब तक उस भवन का ऐसा भाग पर्याप्त मजबूती से और सुरक्षित समर्थन देने के लिए मजबूत सामग्री का नहीं बनाया जाता है भवन को किसी भी भाग का किसी पाड़ के समर्थन या उसके भाग के रुप में उपयोग नहीं किया जाता है,

(ख) बाहर निकले हुए छज्जे, परनाले पाड़ के समर्थन के लिए उपयोग में नहीं लिए जाते हैं,

(ग) निलंबित पाड़, भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा उपयोग किए जाने के पूर्व सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाई जाती है।

204. **निलंबित पाड़ के लिए विंच और क्लाइम्बरों का उपयोग -** नियोजक, भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि,-

(क) जब तक ऐसी पाड़ मज़बूत सामग्री से यथोचित ताकत की नहीं बनाई जाती है और उपयोग में लिए जाने से पहले किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ऐसे उठाने और नीचा करने के लिए विंच या कलाइम्बर के उपयोग के लिये उसका परीक्षण नहीं कर किया गया है और उसके द्वारा निरापद प्रमाणित नहीं कर दी गई हैं, कोई भी निलंबित पाड़ विंच या क्लाइम्बरों द्वारा ऊंची या नीची नहीं की जाती है,

(ख) प्रतिभार द्वारा प्रति संतुलित सभी निलंबित पाड़ की टाइप ऐसी हैं जो भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने से पहले मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित की जाती है,

(ग) निलंबित पाड़ के कार्यकरण प्लेटफार्म को सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसे प्लेटफार्म को हिलने से रोकने के लिए भवन या इमारत से मजबूती से बांध दिया जाता है,

(घ) उस सुरक्षित कार्यकरण भार को जिसे निलंबित पाड़ वहन कर सकती है वहां संप्रदर्शित कर

दिया जाता है जहां पर ऐसी पाड़ का उपयोग किया जाता है ।

205. **निलंबित पाड़ के लिए सुरक्षा युक्तियां** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, विंच क्लाइम्बरों द्वारा उठाई गई या नीचे की गई प्रत्येक निलंबित पाड़ के साथ ऐसे प्रत्येक रस्से पर लगी स्वचालित सुरक्षा युक्ति के साथ एक सुरक्षा रस्सा की इसके प्रत्येक निलंबन बिन्दु पर व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसी स्वचालित सुरक्षा युक्ति वाला ऐसा सुरक्षा रस्सा ऐसी निलंबित पाड़ को उठाने या नीचा करने के लिए प्रयुक्त प्राथमिक निलंबन तार के रस्सों, विंच क्लाइम्बर या ऐसी मैकेनिज्म के किसी भाग के असफल होने की स्थिति में ऐसी पाड़ के प्लेटफार्म को समर्थन देता है परन्तु यह नियम निम्नलिखित दशा में लागू नहीं होगा : -

(क) जहां ऐसीपाड़ का प्लेटफार्म, जिसके ऐसे प्लेटफार्म के प्रत्येक सिरे पर वा उसके निकट दो स्वतंत्र निलंबन तार रस्सों से समर्थन मिलता है ताकि ऐसे एक निलंबन तार रस्सा के काम नं करने की स्थिति में दूसरा रस्सा ऐसे प्लेटफार्म के वजन और इसके भार को उठाने और इसे झुकने से रोकने में समर्थ हो ;

(ख) जहां किसी ऐसी पद्धति समाविष्ट है जो ऐसी पाड़ के प्राथमिक निलंबन तार रस्सा के काम न करने की स्थिति में ऐसा पाड़ के प्लेटफार्म और इसके भार को समर्थन देने के लिए स्वाचालित रूप से प्रचालित होता है ।

अध्याय -20

जलापरोध और नींव कोष्ठक

206. साधारण उपबंध - नियोजक भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्रत्येक जलापरोध और नींव कोष्ठक -

(i) अच्छी बनावट, मजबूत सामग्री का और यथोचित सामर्थ्य का है ;

(ii) यथास्थिति ऐसे जलापरोध या नींव कोष्ठक की चोटी पर पानी के आधिक्य की स्थिति में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षित रुप से पहुंचने केलिए यथोचित साधनों का प्रबंध हैं ;

(iii) यथास्थिति ऐसे जलापरोध और नीवं कोष्ठक के ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहां, भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं, पहुंचने के सुरक्षित के साधनों की व्यवस्था है;

(ख) जलापरोध या नींव कोष्ठकों के निर्माण, स्थिति बनाने, उपांतरण या उनको नष्ट करने से संबंधित कार्य किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संपादित किया जाता है ;

(ग) सभी जलापरोध और नींव कोष्ठक मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किए जाते हैं ;

(घ) मुख्य निरीक्षक द्वारा तथा अनुमोदित ऐसी पिछली अवधि के भीतर ऐसे जलापरोध या नींव कोष्ठक का उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण कर लिया जाता है और सुरक्षित पाया जाता है, उसके पश्चात् ही जलापरोध या नींव कोष्ठक में किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्य करने दिया जाता है और ऐसे निरीक्षण का अभिलेख एक रजिस्टर में घोषित किया जाता है ;

(ङ) किसी जलापरोध या नींव कोष्ठक में संपीड़ित वायु में कार्य -

(i) सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ;

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा संपादित किया जाता है जो अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी

कर चुके हैं और नियम 223 के अधीन यथा अपेक्षित जिनकी चिकित्सकीय परीक्षा कर ली जाती है ;

(iii) किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संपादित किया जाता है ;

(च) यदि जलापरोध या नींव कोष्ठक में कार्य पारियों में संपादित किया जाता है प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार द्वारा ऐसी प्रत्येक पारी में किए गए कार्य के लिए व्यतीतं समय का अभिलेख ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के संपीड़न के लिए, लिये गए समय की विशिष्टियों के साथ यदि, कोई हो, एक रजिस्टर में पोषित किया जाता है ;

(छ) जलापरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर जहां भवन निर्माण कर्मकार संपीड़ित वायु पर्यावरण में कार्य करने के लिए नियोजित किए जाते हैं, ऐसे कार्य के दौरान ऐसे स्थल या परियोजना पर एक नर्स या प्रशिक्षित प्राथमिक, उपचार परिचर द्वारा सहायता प्राप्त एक निर्माण चिकित्सा अधिकारी सभी समयों पर उपलब्ध है;

(ज) जलापरोध या नींव कोष्ठक में प्रत्येक कार्य स्थल या परियोजना पर आपातकाल के लिये एक आपात उपलभ्य संपीड़क है ;

207. **दाब संयंत्र और उपस्कर** - नियोजक भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) दाब संयंत्र और उपस्कर, -

(i) ऐसे कार्य के लिए अपयोग में लिए जाने से पहिले सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच और परिक्षित कर लिए जाते हैं ;

(ii) उपयुक्त डिजाइन और मजबूत सामग्री का बना हुआ है तथा उस कार्य के संपादन की यथोचित सामर्थ्य का है जिसके लिए वह उपयोग किया जाता है ;

(iii) अच्छी मरम्मत और कार्यकरण की दशा में उचित रुप से पोषित किया जाता है ;

(ख) उप नियम (क) में निर्दिष्ट दाब संयंत्र और उपस्कर के साथ निम्नलिखित लगा हुआ है, -

(i) किसी भी समय अधिकतम सुरक्षित दाब को आगे बढ़ते हुए को निकालने के लिए एक उपयुक्त सुरक्षा वाल्व ;

(ii) ऐसे संयंत्र और उपस्कर पर अधिकतम सुरक्षित कार्यकरण दाब के साथ प्रति वर्ग सेन्टीमीटर किलोग्राम में आंतरिक ताब और चिन्हित सभी समयों पर आसानी से दिखने योग्य और दर्शित करने के लिए बनाया गया एक प्वाईन्ट पांच गुना से अन्यून और अधिकतम कार्यकरण दाब के दुगुने से अनधिक की एक डायल रेंज के साथ एक उपयुक्त दाब गेज ;

(iii) एक उपयुक्त स्टाप वाल्व या ऐसे वाल्व जिनके द्वारा संयंत्र या दाब संयंत्र की प्रणाली को दाब के प्रदाय के स्रोत या अन्यथा से अलग-थलग किया जा सकेगा।

(ग) प्रत्येक दाब संयंत्र या उपस्कर का सक्षम व्यक्ति द्वारा पूर्णतया परीक्षण किया जाएगा, -

(i) बाह्य रुप से छः मास की प्रत्येक अवधि में एक बार;

(ii) आंतरिक रुप से बारह मास की प्रत्येक अवधि में एक बार ;

(iii) जलीय परीक्षण द्वारा चार वर्ष की अवधि में एक बार ;

अध्याय - 21

सुरक्षा संगठन

208. **सुरक्षा समितियां** - (1) प्रत्येक स्थापन जिसमें पांच सौ या उससे अधिक भवन निर्माण कर्मकार साधारणतः नियोजित हैं वहां नियोजक द्वारा एक सुरक्षा समिति गठित की जाएगी जो नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों की समान संख्या द्वारा रुपित होगी। किसी भी दशा में नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या भवन निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से अधिक नहीं होगी जहां भी ऐसे संघ विद्यामन हैं समिति मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों द्वारा रुपित होगी।

(2) सुरक्षा समिति के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में दुर्घटना के अधिसंभाव्य कारणों और असुरक्षित पद्धतियों को पहचानना और उपचारी उपाय सुझाना ;

(ख) जैसे ही और जब भी अपेक्षित या जैसे ही आवश्यक हो सुरक्षा सप्ताहों, सुरक्षा प्रतियोगिता, बात-चीतों और सुरक्षा पर फिल्म प्रदर्शनों, इश्तहार तैयार करके या वैसे ही अन्य उपायों के आयोजन द्वारा नियोजक और भवन निर्माण कर्मकारों के हित में सुरक्षा को बढ़ावा देना ;

(ग) असुरक्षित पद्धतियों की जांच-पड़ताल करने तथा असुरक्षित दशाओं का पता लगाने के उद्देश्य से निर्माण स्थल का दौरा करना और उनके सुधार के लिए उपचारी उपाय जिसके अन्तर्गत प्रथम उपचार चिकित्सीय और कल्याणकारी सुविधाएं भी हैं, की सिफारिश करना।

(घ) विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों, रसायनों और अन्य निर्माण, सामग्री की उठाई-धराई से सम्बद्ध स्वास्थ्य परिसंकटों का ध्यान रखना तथा उचित व्यक्तिगत संरक्षा उपस्कर के उपयोग जिसके अंतर्गत उपचारी उपाय भी हैं, सुझाना ;

(ङ) निर्माण स्थल में कल्याणकारी सुख सुविधाएं समुन्नत करने और भवन निर्माण या अन्य निर्माणकार्य में सुरक्षा स्वास्थ तथा कल्याण के अन्य विविध पहलुओं के लिए उपाय सुझाना।

(च) भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपस्कर के उपयोग, उठाई-धराई तथा रख-रखाव से सम्बद्ध परिसंकटों का नियोजक का ध्यान दिलाना।

(3) सुरक्षा समिति की नियमित अंतरालों पर कम से कम एक मास में एक बार बैठक होगी और निर्माण स्थल के काम काज पर संपूर्ण नियंत्रण रखने वाला ज्येष्ठ व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) बैठक की कार्य सूची और कार्य वृत्त सभी सरोकार रखने वालों को परिचालित की जाएगी और यह भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी तथा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) सुरक्षा समिति के विनिश्चयों तथा सिफारिशों का नियोजक द्वारा युक्तियुक्त समय-सीमाओं के भीतर पालन किया जाएगा।

209. **सुरक्षा अधिकारी** - (1) ऐसे प्रत्येक स्थापन में जहां पर पांच सौ या इससे अधिक कर्मकार साधारणतया नियोजित किए जाते हैं नियोजक इन नियमों से संलग्न अनुसूची-8 में अधिकथित वेतनमान के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करेगा। ऐसे सुरक्षा अधिकारी उपयुक्त तथा यथोचित कर्मचारी वृंद द्वारा सहायता प्राप्त हो सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, अर्हताएं और सेवा शर्तें इन नियमों से संलग्न अनुसूची 8 में यथा उपबंधित होगी।

(3) - जहां भी एकल नियोजक द्वारा नियोजित कर्मकारों की संख्या पांच सौ से कम है, वहां नियोजक एक समूह बना सकेंगे और मुख्य निरीक्षक की पूर्व अनुज्ञा से नियोजकों के ऐसे समूह के लिए एक सामूहिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।

210. **दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देना** - (1) निर्माण स्थल पर ऐसी दुर्घटना जो या तो :-

(क) जीवन हानि कारित करती है ; या

(ख) दुर्घटना के ठीक बाद अड़तालीस घंटे या इससे अधिक की अवधि के लिए किसी भवन निर्माण कर्मकार को कार्यकरण से निर्योग्य बनाती है, घातक दुर्घटनाओं की दशा में चार घंटों के भीतर और ऐसी अन्य दुर्घटनाओं की दशा में जिसमें भवन निर्माण कर्मकार अंतर्ग्रस्त हैं, बहत्तर घंटों के भीतर तार, दूरभाष, फैक्स या वैसे ही अन्य साधन जिसके अंतर्गत विशेष संदेहवाहक भी है, द्वारा निम्नलिखित को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी , -

(i) उस क्षेत्र की अधिकारिता वाला सहायक श्रम आयुक्त या श्रम अधिकारी जिसमें ऐसी स्थापन अवस्थित है जिसमें ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई। ऐसा सहायक श्रम आयुक्त या श्रम अधिकारी अधिनियम की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होगा ;

(ii) बोर्ड जिसके साथ दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार हितग्राही के रुप में रजिट्रीकृत किया गया था ;

(iii) मुख्य निरीक्षक ; और

(iv) दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकार का निकट संबंधी या अन्य संबंधी

(2) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर कोई ऐसी दुर्घटना जो , -

(क) जीवन हानि कारित करती है ; या

(ख) दुर्घटना के ठीक बाद दस दिन से अधिक के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को काम से निर्योग्य बनाती है ;

कि सूचना निम्नलिखित को भेजी जाएगी :-

(i) निकटतम पुलिस थाना का भार साधक अधिकारी,

(ii) जिला मजिस्ट्रेट या यदि जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसा चाहता है तो उपखण्ड मजिस्ट्रेट को।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन होने वाली दुर्घटना की दशा मेंआहत भवन निर्माण कर्मकार को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और उसके बाद चिकित्सकीय उपचार के लिए किसी अस्पताल या अन्य स्थान में तुरन्त अंतरित कर दिया जाएगा।

(4) जहां कोई दुर्घटना नि:शक्तता कारित करते हुए तत्पश्चात् किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु में परिणित हो जाती है तो ऐसी मृत्यु की लिखित रुप में सूचना ऐसी मृत्यु के बहत्तर घंटे के भीतर उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा उल्लेखित प्राधिकारियों को संसूचित की जाएगी।

(5) खतरनाक घटनाओं के निम्नलिखित वर्ग चाहे उनसे किसी भवन निर्माण कर्मकार की मृत्यु या नि:शक्ता कारित होती है या नहीं , उपनियम (1) में विहित रीति में अधिकारिता वाले निरीक्षक को रिपोर्ट की जाएगी, अर्थात् :-

(क) उत्थापक साधनों या उत्तोलक या प्रवहयी या भवन या निर्माण सामग्री की उठाई-धराई के लिए अन्य वैसे ही उपस्कर का ढह जाना या निष्फल हो जाना या रस्सा, जंजीर या वियोजित गियरों का निष्फल हो जाना, भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली क्रेनों का उलट जाना, ऊंचाई से वस्तुओं का गिर जाना;

(ख) मिट्टी किसी दीवार, फर्श, गैलरी, छत या किसी संरचना, प्लेटफार्म, मंजिल, पाड़ के किसी अन्य भाग या पहुंच का किसी साधन जिसके अंतर्गत फोर्मवर्क (प्ररुप कार्य) भी है, का ढह जाना या धसाव ;

(ग) संविदा कार्य, उत्खनन,पारेछाय वूर्जो,पाइप लाइनों,पुलों आदि का ढह जाना ;

(घ) भवन निर्माण सामग्री के रुप में उपयोग की जाने वाली किसी गैस या गैसों या किसी द्रव या ठोस का भण्डारकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रापके वादपात्र का वातावरणिक दबाव से अधिक दबाव पर विस्फोट ;

(ङ) ऐसे निर्माण स्थल पर, जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये जाते हैं श्रति कारित करने वाली अग्नि और विस्फोट ;

(च) हानिकारक पदार्थों का बहाव या रसाव और उनके आधानों की क्षति ।

(छ) यातायात उपस्कर का ढह जाना, लुड़क कर गिर जाना, टकरा जाना ;

(ज) निर्माण स्थल पर हानिप्रद विषैली गैसों का रिसाव या निर्मोचन ।

(6) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर किसी उत्थापक साधन, वियोजित गियर, उत्तोलक या भवन निर्माण और अन्य संनिर्माण कार्य मशीनरी तथा यातायात उपस्कर की असफलता की दशा में ऐसे साधन, गीयर, उत्तोलक मशीनरी या उपस्कर और ऐसी घटना के उस स्थल का जब तक अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है, यथासाध्य अविक्षुब्ध रखा जाएगा ।

(7) उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना के अनुसरण में उचित अभिस्वीकृति के अधीन निरीक्षक, अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्राधिकारी, बोर्ड और मुख्य निरीक्षक को प्ररुप 14 में एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी ।

211. दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों के जांच की प्रक्रिया - (1) अधिनियम की धारा 39 की यथास्थिति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन जांच, नियम 210 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखिंत रीति में की जाएगी, अर्थात् :-

(क) जांच यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी और किसी भी दशा में नियम 210 के अधीन दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रारम्भ की जाएगी ;

(ख) जांच, नियम 210 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड ख1, में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वयं या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी जांच अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी ;

(ग) यथास्थिति प्राधिकारी या जांच अधिकारी ऐसी जांच में हाजिर होने के हकदार उन सभी व्यक्तियों को जिनके नाम औ पते ऐसे प्राधिकारी या जांच अधिकारी को ज्ञात हैं, ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए लिखित में सूचनाओं की तामील करेगा या तामील करवाएगा ;

(घ) खण्ड (ख) के उपबंध के होते हुए भी ऐसे अन्य व्यक्ति जो किसी तरह से ऐसी जांच में संबद्ध या हितबद्ध है, यथास्थिति प्राधिकारी या जांच अधिकारी अधिसूचित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी जांच की तारीख, समय और स्थान संसूचित करते हुए, एक या अधिक स्थानिय समाचार-पत्रों में ऐसी जांच की सूचना प्रकाशित कर सकेंगे ।

(2) जांच के लिए हाजिर होने के हकदार व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित आ सकेगा :-

(क) अधिनियम के सुरक्षा उपबंधों और संबंधित स्थापन के लिए इन नियमों के प्रवर्तन या अनुपालन से सम्बद्ध राज्य सरकार या किसी उपक्रम या लोक निकाय का निरीक्षक या कोई अधिकारी ;

(ख) व्यवसाय संघ या कर्मकारों का संगम या नियोजकों का संगम ;

(ग) दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त कर्मकार या उसका वैधिक वारिस या प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(घ) उस परिसर का स्वामी जिसमें घटना घटी ;

(ङ) यथास्थिति प्राधिकारी या जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो

किसी दुर्घटना के कारण में हितबद्ध हो सकेगा या कारण से संबद्ध हो सकेगा या जो ऐसे कारण के बारे में जानकारी रखता है या जिसके ऐसे दुर्घटना या खतरनाक घटना के संबंध में तात्विक साक्ष्य या सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावना है।

(3) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट हकदार व्यक्ति कोई निगमित निकाय, कोई कम्पनी या कोई अन्य संगठन, संगम, व्यक्तियों का समूह है तो ऐसे समूह को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसके अंतर्गत कांउसेल या सोलिसीटर भी है, के माध्यम से निरुपित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच सार्वजनिक रुप से की जाएगी।

(5) ऐसी दशाओं में जहां, -

(क) राज्य सरकार की यह राय है कि जांच के विषय या उसका कोई भाग ऐसी प्रकृति के हैं कि सार्वजनिक रुप से जांच करना राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल होगी और यथास्थिति उक्त प्राधिकारी की जांच उक्त अधिकारी को बंद कमरे में जांच करने का निदश देती है; या

(ख) जांच के किसी पक्षकार द्वारा उसको लिए गए आवेदन पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति प्राधिकारी या जांच अधिकारी यदि उसकी यह राय है कि सार्वजनिक जांच करने से किसी व्यवसाय गुप्त से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण होगा, उस जांच या इसके ऐसे भाग की जांच बंद कमरे में करने का विनिश्चय करता है तो ऐसी जांच सार्वजनिक रुप से नहीं की जाएगी।

(6) सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई जानकारी या उपनियम (5) के अंतर्गत आने वाले मामलों में साक्ष्य, जांच के प्रयोजन सिवाय किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी।

(7) किसी जांच में साक्ष्य या व्यपदेशन देने के लिए बुलाया गया उपनियम (2) के अधीन हाजिर होने का हकदार व्यक्ति केवल जांच करने वाले प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीमा तक और अवस्था पर ही प्रारंभिक कथन करने, साक्ष्य देने, विनिर्दिष्ट दस्तावेज या साक्ष्य के लिए मांग करने के लिए जांच अधिकारी को अनुरोध करने अन्य व्यक्ति की साक्ष्य की प्रति परीक्षा करने का हकदार होगा।

(8) किसी जांच के कोई भी साक्ष्य जांच के दौरान प्राधिकारी या जांच अधिकारी के विवेकाधिकार पर ही ग्रहण की जाएगी जो यह भी निदेश दे सकेगा कि साक्ष्य में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को किसी हकदार या ऐसी जांच में हाजिर आने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा और यह कि उनकी प्रतियां लेने या प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

(9) प्राधिकारी या जांच करने वाला जांच अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य सरकार का अधिकारी है, जहां आवश्यक हो, जांच करने के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी या जांच अधिकारी की सहायता करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया अधिकारी सम्बद्ध स्थापन के परिसर में कार्य के घंटों के दौरान प्रवेश कर सकेगा, और ऐसी जांच से सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा, अन्वेषण कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो ऐसी जांच करने के लिए अपेक्षित हो।

(10) गवाहों के कथनों सहित मूल रुप में सभी साक्ष्यों के साथ जांच के निष्कर्षों को, ऐसे मामलों में जहां उप जांच ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वयं नहीं की गई थी, जांच की समाप्ति के पांच दिन के भीतर अधिनियम की धारा 39 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।

(11) इस नियम के अधीन की गई जांच से संबंधित तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ निष्कर्षों की एक प्रति मुख्य निरीक्षक और राज्य सरकार को नियम 210 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी जाएगी।

अध्याय - 22
विस्फोटक

212. **विस्फोटकों की उठाई-धराई** - नियोजक भवन या संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ; -

(क) सभी विस्फोटकों की उठाई, धराई, उपयोग या भंडारण ऐसे विस्फोटकों के विनिर्माता द्वारा दिए गए अनुदेशों और सामग्री आंकड़े शीट के अनुसार किए जाते हैं ;

(ख) विस्फोटकों का उपयोग किसी भी व्यक्ति को क्षति से बचाने केलिए सुरक्षित रीति से और किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है।

(ग) किसी विस्फोटक के उपयोग से पूर्व आवश्यक चेतावनी और खतरा के संकेत भवन कर्मकारों और साधारण जनता को ऐसे उपयोग में अंतर्गत खतरे की चेतावनी देने के लिए, ऐसे उपयोग के सहज दृश्य स्थानों पर परिनिर्मित किये जाते हैं।

213. **पूर्वावधानियां** - नियोजक भवन या संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) नियम 212 के उपबंधों के होते हुए भी ऐसे विस्फोटकों के परिवहन, उठाई, धराई, उपयोग या भंडारण और उपयोग के स्थानों पर निम्नलिखित पूर्वावधानियों का पालन किया जाता हैं, अर्थात् :-

(i) जहां विस्फोटकों की उठाई, धराई, भंडारण और उपयोग किया जाता है उसके आस-पास में धूम्रपान खुली बस्तियों और अन्य ज्वलन के स्रोतों का प्रतिषेध ;

(ii) विस्फोटकों के पैकेजों को खोलते समय सुरक्षित दूरी रखना तथा चिनगारी न छोड़ने वाले औजारों का उपयोग करना,

(iii) जब मौसम के हालात ऐसे उपयोग या उठाई धराई के लिए उपयुक्त नहीं हों तो विस्फोटकों के उपयोग और उनकी उठाई धराई को बंद रखना ;

(ख) इस अध्याय के उपबंधों के अतिरिक्त विस्फोटक अधिनियम , 1884 (1884 का 4) के अधीन बनाए गए नियम के अधीन विस्फोटकों के उपयोग, उठाई, धराई, भंडारण या परिवहन के लिए पालन किये जाने वाले सभी अपेक्षित उपायों और पूर्वावधानियों का अनुपालन किया जाता है।

अध्याय - 23
पाइलिंग

214. **साधारण उपबंध** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ,-

(क) सभी पाइल चालन उपस्कर एर्गोनोमिक सिद्धांतों का विचार करते हुए अच्छी डिजाइन और ठोस संनिर्माण के हैं तथा उपयुक्त रुप से पोषित किए जाते हैं ;

(ख) पाइल चालक को किसी भारी काष्ठ सिल कंक्रीट बैड या अन्य सुरक्षित आधार पर मजबूत सहारा दिया जाता है;

(ग) यदि किसी पाइल ड्रायवर के किसी विद्युत कन्डक्टर के खतरनाक या सामीप्य में परिनिर्मित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां ली जाती हैं ;

(घ) वादय के हौज और वायु हथौड़ा ऐसे हथौड़ा से मजबूती से बांध दिए जाते हैं ताकि कनेक्शन या ब्रेक की दशा में कशाताड़न से उनको रोका जा सके ;

(ङ) पाइल चालक को उलटने से रोकने के लिए यथोचित पूर्वावधानी ली जाती है ;

(च) हथौड़े को पाइल से चूकने से रोकने के लिए समस्त आवश्यक पूर्वावधानी ली जाती है ;

(छ) पाइल चालन उपस्कर निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसके उपयोग में लेने से पूर्व ऐसे उपस्कर का निरीक्षण करता है और ऐसे उपस्कर द्वारा पाइलिंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भवन कर्मकारों की सुरक्षा के लिए यथा अपेक्षित समस्त समुचित उपाय लेता है ।

215. **पार्श्वस्थ संरचना की स्थिरता** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि जहां संरचना की स्थिरता का कोई प्रश्न है, उसके साथ लीगे हुए क्षेत्र के लिए पाइल किए जाने के लिए जिसका ऐसी संरचना को जहां आवश्यक हो,अंडर पाइलिंग, शीट पाइलिंग, शोरिंग ब्रासिंग द्वारा या ऐसी संरचना की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के और किसी व्यक्ति की क्षति रोकने के लिए अन्य साधनों का सहारा दिया जाता है ।

216. **आपरेटर का संरक्षण** - नियोजक, भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पाइल चलन उपस्कर का आपरेटर वस्तुओं, वाष्प, सिंडरों या पानी गिरने से सारत आवरक द्वारा या अन्यथा या अन्य साधकों द्वारा संरक्षित हैं ।

217. **पाइल चालन उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों को अनुदेश तथा उनका पर्यवेक्षण** - नियोजक, भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिशिच्त करेगा कि पाइल चलन उपस्कर पर कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मकार को पाइलिंग प्रचालन में अनुसरण की जाने वाली सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के विषय में अनुदेश दे दिया जाता है और ऐसे समस्त कार्य के दौरान किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षित होता है ।

218. **अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश** - नियोजक, भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पाइलिंग क्षेत्र जहां पाइल चालन उपस्कर उपयोग में हैं, अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए प्रभावी रुप से परिवेष्ठित कर दिये जाते हैं ।

219. **पाइल चलन उपस्कर का निरीक्षण और अनुरक्षण** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) पाइल-चालन उपस्कर, जब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण नहीं कर लिया गया है और ऐसे उपयोग के लिए सुरक्षित होना नहीं पाया गया है, उपयोग में नहीं लिया जाता हैं ;

(ख) उपयोग में चल रहे पाइल-चालन उपस्कर का ऐसे उपस्कर पर कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अंतरालों पर ऐसे निरीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

(ग) सभी पाइल लाइनों और पुल्ली ब्लाकों का पाइलिंग प्रचालन की प्रत्येक पारी के शुरु होने से पूर्व किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

220. **पाइल-चालन उपस्कर का प्रचालन** - नियोजक भवन या संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) केवल अनुभवी और प्रशिक्षित भवन निर्माण कर्मकार ही पाइल-चालन प्रचालित करता है ताकि ऐसे प्रचालन से कोई किसी अधिसंभाव्य खतरे से बचा जा सके ;

(ख) पाइल-चालन संक्रियाएं साधारणतः प्रचालित या स्वीकृत संकेतों से शासित होती हैं ताकि ऐसी संक्रियाओं से अधिसंभाव्य खतरा रोका जा सके ;

(ग) पाइल-चालन प्रचालन में नियोजित या ऐसे पाइल-चालन प्रचालन के सामीप्य में भवन निर्माण कर्मकार कर्ण परित्राण और सुरक्षा हेल्मेट या सख्त टोप और सुरक्षा जूते पहनता हैं;

(घ) पाइल-चालन संक्रियाओं के स्थान से कम से कम सबसे लम्बे पाइल की लम्बाई की दुगुनी लम्बाई के बराबर की दूरी पर पाइल तैयार किये जाते हैं ;

(ङ) जब कोई पाइल चालक प्रयोग में नहीं हैं ऐसे पाइल चालक का हथौड़ा ऐसे पाइल चालक के सिरों के पैदे पर निरुद्ध कर दिया जाता है ;

221. **पाइलिंग चौखटों पर कार्यकरण प्लेटफार्म** - नियोजक, भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि - जहां कोई संरचनात्मक बुर्ज पाइली चालक के शीशा को सहारा देती है वहां ऐसे शीशों के समतलों पर यथोचित ताकत के उपयुक्त कार्यकरण प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाती है जो कि भवन निर्माण कर्मकारों के लिए काम करने के लिए आवश्यक है और ऐसे पाइल चालकों के हथौड़े या ऐसे प्लेटफार्म के शीशा के पार्श्वों को छोड़कर ऐसे प्लेटफार्मो में सुरक्षा रेलिंग और ऐसे प्लेटफार्मों की प्रत्येक पार्श्व पर दो बोर्ड लगाए जाते हैं और जहां ऐसे प्लेटफार्मो में ऐसी रेलिंग और दो बोर्डों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, वहां प्रत्येक ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को एक सुरक्षा बेल्ट प्रदान की जाती है ।

222. **पाइल परीक्षण** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) पाइल का परीक्षण ऐसे परीक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित कियां जाता हैं ;

(ख) जहां पाइल परीक्षण किया जाता है वहां सभी यथासाध्य उपाय जैसे चेतावनी सूचनाओं का प्रदर्शन, क्षेत्र का अवरुद्ध करना और इसी प्रकार के उपाय क्षेत्र की संरक्षा के लिए किये जाते हैं ;

(ग) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाइल परीक्षण क्षेत्र में साधारण जनता का प्रवेश प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

अध्याय - 24
चिकित्सीय सुविधाएं

223. **भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सकीय परीक्षा आदि** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) (i) ऐसा कोई भवन निर्माण कर्मकार जो ऐसे कार्य जिसमें जोखिम या परिसंकट अंतर्निहित है के लिए नियोजित किया जाता है, ऐसे कर्मकार के कालिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए

जैसा मुख्य निरीक्षक समुचित समझता है, उसकी चिकित्सक दृष्ट्या जांच ऐसे अंतरालों पर कर ली जाती है जैसा मुख्य निरीक्षक समय-समय पर निदेश देता हैं ;

(ii) क्रेन, विंच या अन्य उत्थापक यातायात उपस्कर या यान के प्रत्येक आपरेटर की ऐसे आपरेटर के नियोजन से पूर्व और पुन: कालिकत: ऐसे अंतरालों पर जैसा मुख्य निरीक्षक समय-समय पर निदेश देता है चिकित्सक दृष्ट्या जांच कर ली जाती है ;

(iii) उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-7 के अनुसार है और ऐसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा या ऐसे अस्पतालों पर संचालित होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय सर अनुमोदित की जाती हैं ;

(iv) किसी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की दशा में जो ऐसे कर्मकार को नियत नौकरी या कार्य के कारण से विशेष उपजीविका जन्म स्वास्थ्य परिसंकट के लिए आरक्षित छोड़ दिया जाता हैं उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट उस कालिक चिकित्सकीय परीक्षा के अंतर्गत उपजीविका जन्य रोग के निदान के लिए ऐसे भवन निर्माण कर्मकार की जांच करने वाले संनिर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा गया ऐसे विशेष अन्वेषण भी हैं ;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा के लिए कोई भवन निर्माण कर्मकार प्रभारित नहीं किया जाता है और ऐसी परीक्षा का खर्च ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा वहन किया जाता है।

(ग) खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण-पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररुप-11 में जारी किया जाता है ;

(घ) उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार का खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा का अभिलेख इन नियमों से संलग्न प्ररुप-12 में एक रजिस्टर में पोषित किया जाता है और ऐसा रजिस्टर मांग किए जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षक को उपलब्ध कराएगा।

(ङ) यदि खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) के अधीन किसी भवन निर्माणकर्मकार की जांच कर रहे संनिर्माण चिकित्सीय अधिकारी की यह राय है कि इस प्रकार परीक्षित ऐसे भवन निर्माण कर्मकासर का उस भवन या अन्य संनिर्माण कार्य से, जिस पर वह नियोजित किया जाता है, दूर ले जाया जाना स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अपेक्षित हैं, ऐसा चिकित्सा अधिकारी तदनुसार ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के नियोजक को जाकारी देगा और ऐसा नियोजक, जहां ऐसा कर्मकार हिताधिकारी के रुप में रजिस्ट्रीकृत है, उस बोर्ड को इत्तिला देगा।

224. **सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारियों के कर्तव्य** - (1) नियम 223 के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) और उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट चिकित्सीय परीक्षा किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसे सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नीचे दी गई अनुसार होंगी, अर्थात् :-

(क) भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय परीक्षा ;

(ख) प्राथमिक उपचार देखरेख जिसमें आपात चिकित्सीय उपचार भी सम्मिलित है ;

(ग) इन नियमों के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकारियों को उपजीविका जन्य बीमारियों की अधिसूचना;

(घ) प्रतिरक्षण सेवाएं ;

(ङ) चिकित्सीय अभिलेख अनुरक्षण और रख-रखाव ;

(च) स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण पर सलाहकार सेवाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा भी है ;

(छ) परामर्श सेवाएं ;

225. **उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें इन नियमों से संलग्न अनुसूची - 9 के अधीन विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्गत हैं, के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) ऐसे स्थल पर चल या स्थिर उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंध कर दिया जाता है और सुव्यवस्था में रखा जाता है ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर इन नियमों से संलग्न अनुसूची- 10 में अधिकथित मापमान के अनुसार सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं;

(ग) उपजीविका जन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त संनिर्माण चिकित्सा अधिकारी इन नियमों से संलग्न अनुसूची-11 में यथा अधिकथित अर्हता रखता है ।

226. **एम्बुलेंस कमरा** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) यदि ऐसे संनिर्माण स्थल पर पांच सौ या इससे कम कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां ऐसे संनिर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस कमरा है या किसी निकट के अस्पताल से एम्बुलेंस कमरा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भार साधन में है ऐसे एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे संनिर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है, प्रत्येक समय उपलब्ध है ;

(ख) यदि ऐसे संनिर्माण स्थल पर पांच सौ से अधिक भवन और अन्य संनिर्माण नियोजित किए जाते हैं वहां प्रभावी संचार पद्धति के साथ एक एम्बुलेंस कमरा है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी अर्हता प्राप्त नर्स के भार साधन में है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा की सेवा ऐसे संनिर्माण स्तर पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को जब वह काम पर है प्रत्येक समय पर उपलब्ध है और ऐसा एम्बुलेंस कमरा किसी संनिर्माण चिकित्सा अधिकारी के संपूर्ण भार साधन में है ;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सज्जित है ।

(घ) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट एम्बुलेंस कमरा पर उपचारित दुर्घटनाओं और बीमारियों के सभी मामलों का अभिलेख पोषित किया जाता है और मांग किये जाने पर अधिकारिता वाले निरीक्षण को प्रस्तुत किया जाता है ।

227. **एम्बुलेंस वेन** - नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संनिर्माण स्थल पर एक एम्बुलेंस वेन उपलब्ध है या भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटना या बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पताल के लिए तत्परता से परिवहन के लिए ऐसे एम्बुलेंस वेन उपलब्ध कराने के लिए निकट के अस्पताल से व्यवस्था करवा दी जाती है और ऐसा एम्बुलेंस वेन अच्छी मरम्मत में रखा जाता है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट मानक सुविधाओं से सुसज्जित रहता है ।

228. **स्ट्रेचर** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिशिच्त

करेगा कि ऐसे संनिर्माण स्थल पर आपातकाल में आसानी से उपलब्ध कराए जाने के लिए स्ट्रेचर की पर्याप्त संख्या का प्रबंध कर दिया जाता है।

229. **भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उपजीविका जन्य स्वास्थ्य सेवाएं** - (1) नियोजक भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर, जहां पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये जाते हैं, यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) ऐसे संनिर्माण स्थल पर सभी समयों पर विशेष चिकित्सीय सेवा या उपजीविका जन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है और ऐसी सेवा, -

(i) प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार का प्रबंध करेगी ;

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के लिए उनके नियोजन से पूर्व उपजीविका जन्य परिसंकटों के लिए और उसके पश्चात् समय-समय पर ऐसे अंतरालों पर जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे, विशेष चिकित्सीय सेवा का संचालन करेगी ;

(iii) ऐसी चिकित्सीय सेवा के प्राथमिक उपचार कार्मिकों के प्रशिक्षण का संचालन करेगी ;

(iv) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य को परिसंकटों से बचाने के लिए ऐसे नियोजक को कार्य की दशाओं और अपेक्षित सुधार पर सलाह देगी ;

(v) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें परिवार कल्याण भी सम्मिलित हैं, प्रोन्नत करेगी ;

(vi) ऐसे भवन कर्मकारों के लिए हानिप्रद होने के संदिग्ध रासायनिक, भौतिक या जैव कारकों का पता चलाने, मापन और मूल्यांकन करने में अधिकारिता वाले निरीक्षक का सहयोग करेगी ;

(vii) टिटेनस, मोतीझरा, हैजा के और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध ऐसे सभी कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण का जिम्मा लेगी।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विशेष, चिकित्सीय सेवा उसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपचार, नौकरी नियोजन, दुर्घटना निवारण और कल्याण के मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग या किसी अन्य सम्बद्ध विभाग या सेवा के साथ सहयोग करती है।

(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष, चिकित्सीय सेवा की अध्यक्षता किसी सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है और उसमें उसमें यथोचित कर्मचारीवृंद, प्रयोगशाला और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाती है ।

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा के परिसर सुविधानुसार सुगम है जिनमें कम से कम एक प्रतीक्षालय कक्ष एक उपचार कक्ष एक प्रयोग यान और ऐसी सेवा की नर्सो और अन्य कर्मचारीगण के लिए उपयुक्त वास सुविधा होती है।

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विशेष चिकित्सीय सेवा खण्ड (क) के उपखण्ड (i) से (vii) में निर्दिष्ट इसके कार्यकलापों के संबंध में अभिलेख पोषित करती है तथा प्रत्येक तीन मास में एक बार निम्नलिखित पर लिखित रुप में जानकारी मुख्य निरीक्षक को भेजती है, -

(i) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य की दशा ; और

(ii) ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों में से किसी को भी होने वाली उपजीविकाजन्य क्षति या बीमारी की प्रकृति और कारण ऐसे कर्मकार को उपलब्ध कराया गया उपचार और

ऐसी क्षति या बीमारी के आवर्तन निवारण में लिये गये उपाय।

230. **विषक्ता या उपजीविकाजन्य बीमारियों की सूचना** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी के संस्पर्श में आता है तो इन नियमों से संलग्न प्ररुप 13 में एक सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक और उस बोर्ड को अविलम्ब भेज दी जाती है, जिसके साथ ऐसा भवन निर्माण कर्मकार एक हिताधिकारी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

(ख) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी या सन्र्माण चिकित्सा अधिकारी खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित किसी भवन निर्माण कर्मकार की देखभाल करता है तो ऐसा चिकित्सा व्यवसायी या सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नाम और संपूर्ण विशिष्टियों और उसके द्वारा उस बींमारी के विषय में जिससे वह पीड़ित है अविलम्ब सूचना मुख्य निरीक्षक को भेज दी जाती है।

231. **प्राथमिक उपचार पेटियां** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) प्राथमिक उपचार पेटियों या आल्मारियों की पर्याप्त संख्या का भवन निर्माण कर्मकारों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिये प्रबंध किया जाता है तथा पोषित किये जाते हैं;

(ख) प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटी या आल्मारी स्पष्टत: "प्राथमिक उपचार" चिन्हित की जाती है और इन नियमों से संलग्न अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से सुसज्जित रहती है;

(ग) प्राथमिक उपचार पेटी या आल्मारी में प्राथमिक उपचार के लिये अपेक्षित वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाता है और ऐसी पेटी या अल्मारी को इस प्रकार रखा जाता है ताकि इसकी धूल या अन्य बाह्य पदार्थ के संदूषण से या आर्द्रता के भेदन से संरक्षा की जा सके तथा ऐसी पेटी या आल्मारी प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित किसी ऐसे व्यक्ति के भार साधन में रखी जाती है जो कार्यकरण के घंटों के दौरान सदैव आसानी से उपलब्ध रहता है।

232. **आपातकालीन देखभाल सेवाएं या आपातकालीन उपचार** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि, -

(क) अनिवार्य जीवन रक्षक सहायक और अपेक्षित साधन उपलब्ध करा दिये जाते हैं। और किसी संनिर्माण चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखे जाते है।

(i) सिर की क्षति एवं मेरुदंड की क्षति ;

(ii) रक्त बहना ;

(iii) अस्थियों और जोड़ों का भंग और विसंधान ;

(iv) कुचलकर क्षति;

(v) आघात जिसमें विद्युत आधार भी सम्मिलित हैं ;

(vi) किसी भी कारण से निर्जलित होना ;

(vii) सांप का काटना, कीड़े का काटना, बिच्छु और मधुमक्खी का डंक मारना ;

(viii) जलने जिसमें रासायनिक जलन भी सम्मिलित है ;

(ix) मोड़ या विविध पक्षाघात ;

(x) अन्य शल्य चिकित्सा संबंधी, स्त्री रोग संबंधी, अवरोधन संबंधी या बाल चिकित्सा संबंधी आपातकाल ;

(xi) डूब जाना ;

(xii) भवन निर्माण कर्मकारों को लू लगना और पाला मारना ;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड के (i) से (xii) में निर्दिष्ट किसी भी आपातकालिक प्रास्थिति के लिये आवश्यक जीवन साधन किसी क्षतिग्रस्त या किसी बीमार भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे भवन निर्माण स्थल से किसी अस्पताल तक उसके परिवहन के दौरान और ऐसे अस्पताल में किसी डाक्टर द्वारा ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के देखभाल किये जाने तक उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

(ग) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे भवन निर्माण स्थल पर विशेष स्थानीय दशाओं और सन्निर्मा कर्मकार प्रक्रियाओं से उद्भूत भवन निर्माण कर्मकारों की आपात कालीन देखभाल या उपचार के लिये अपेक्षित कोई अन्य उपस्कर या सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है।

अध्याय - 25
भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना

233. **भारतीय मानक ब्यूरो को सूचना देना -** नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) भवन या अन्य सन्निर्माण परियोजन के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त प्रत्येक वास्तुविद और अन्य वृतिक जैसे संरचना इंजीनियर या परियोजना इंजीनियर भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रिया के संपादन और विचलन या कमी यदि कोई हो तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना जिसके लिये भारतीय मानक पहले से ही उपलब्ध हैं, के विषय में ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो को देता है ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट वास्तुविद और अन्य वृत्तिक भवन निर्माण सामग्री वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रियाओं तथा अन्य ऐसे सन्निर्माण कार्य-कलाप जिसके लिये भारतीय मानक ब्यूरो के साथ भारतीय मानक विद्यमान नहीं है और ऐसी सामग्री वस्तुओं या प्रक्रियाओं के संपादन के ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरो के विचार करने और आवश्यक मानक स्थापित करने में उसे समर्थ बनाने के लिये उनके सुधार के लिये सुझाओं के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को जानकारी देता है।

भाग - 4

काम के घंटे, सुविधाएं, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि

अध्याय - 26

काम के घंटे, विराम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टी आदि

234. **काम के घंटे, विराम अंतराल और विस्तृति आदि** - (1) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से एक दिन में नो घंटे या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिये कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से जब तक वह आधा घंटा से अन्यून का विराम का अंतराल नहीं ले लेता है, पांच घंटों से अधिक के लिये लगातार कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार का कारकरण दिन इस प्रकार क्रमांकित किया जाएगा कि विराम अंतराल यदि कोई हो, को मिलाकर किसी भी दिन को बारह घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी।

(4) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी दिन को नौ घंटे से अधिक के लिये या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिये कार्य करता है तो वह अतिकालिक कार्य की बाबत मजदूरी की सामान्य दर से दूगनी मजदूरी के लिए हकदार होगा।

235. **साप्ताहिक विराम, विराम के दिन पर किये गये कार्य के लिये अतिकालिक दर पर संदाय** - इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह विराम का एक दिन (जिसे इसमें इसके पश्चात् विराम दिन कहा गया है) अनुज्ञात होगा जो सामान्य रुप से रविवार होगा, किन्तु नियोजक सप्ताह का कोई अन्य दिन विराम दिन के रुप में नियत कर सकता है।

परन्तु यह कि विराम के रुप में नियत किये गये दिन की और ऐसे विराम दिन में कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन की जानकारी ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व इस निमित्त अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर नियोजन के स्थान में तदर्थक एक सूचना के संप्रदर्शन द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को दे दी जाएगी।

(2) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी कर्मकार किसी विराम दिन पर कार्य करने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे विराम दिन से ठीक पहले या बाद में पांच दिन में से एक संपूर्ण दिन के लिये प्रतिस्थापित विराम पहले से नहीं ले लिया गया था या ले लिया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जो किसी भवन निर्माण कर्मकार का एक संपूर्ण दिन के लिये किसी विराम दिन के बिना लगातार रुप से दस दिन से अधिक के लिये कार्य करने का कारण हो जाता है।

(3) जहां भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार ने किसी विराम दिन पर कार्य किया है और इसे उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथाउपबंधित उस विराम दिन से पूर्व या बाद के पांच दिन में से कोई एक प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है। ऐसा विराम दिन कार्य के साप्ताहिक घंटों की गिनती करने के प्रयोजन के लिये उस सप्ताह में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापित विराम दिन आता है, सम्मिलित किया जाएगा।

(4) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर संगणित किसी विराम दिन के लिये मजदूरी दी जाएगी और यदि उसमें किसी विराम दिन पर कार्य किया है और कोई प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है ऐसे विराम दिन के लिये जिस पर उसने काम किया था उसे अतिकालिक दर पर मजदूरी और ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के लिये मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - (1) इन नियम के प्रयोजन के लिये ''पूर्ववर्ती दिन'' से अभिप्रेत है यथास्थिति किसी विराम दिन का पूर्ववर्ती वह अंतिम दिन या कोई प्रतिस्थापित विराम दिन जिसको किसी भवन निर्माण कर्मका ने कार्य किया था और जहां ऐसा प्रतिस्थापित विराम दिन ऐसे विराम दिन के ठीक बाद में पड़ता है ऐसे ''पूर्ववर्ती दिन'' से अभिप्रेत है ऐसे विराम दिन का पूर्ववर्ती ऐसा अंतिम दिन जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था।

स्पष्टीकरण - (2) इस नियम के प्रयोजन के लिये ''सप्ताह'' शनिवार रात्रि को मध्यरात्रि पर आरंभ होने वाले सात दिन की कालावधि अभिप्रेत करेगा।

236. **रात्रि की पारियां** - जहां भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी ऐसी पारी पर कार्य करता है जिसका मध्यरात्रि के पश्चात् विस्तार होता है, -

(क) नियम 235 के प्रयोजनों के लिये विराम दिन उस समय से जब ऐसे पारी समाप्त होती है, आरंभ होने वाले लगातार चौबीस घंटे की कालावधि अभिप्रेत करेगा ;

(ख) मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे घंटे जिनके दौरान ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया है पूर्ववर्ती दिन के लिये गिने जाएंगे ; और

(ग) अगला दिन ऐसी पारी जब समाप्त होती है उस समय से आरंभ होने वाले चौबीस घंटे की अवधि समझी जाएगी।

237. **भवन निर्माण कर्मकारों के कतिपय वर्गों को इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना**-(1) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट भवन निर्माण कर्मकारों के वर्गों को इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के अध्याधीन लागू होंगे, अर्थात् :-

(क) भवन निर्माण, या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार विराम अंतराल को मिलाकर एक दिन में पन्द्रह घंटे या एक सप्ताह में साठ घंटे से अनधिक के लिये लगातार कार्य करने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु यह कि नियम 234 के उपनियम (2) में अधिकथित अनुसार लगातार कार्य के प्रत्येक पांच घंटे के पश्चात् आधा घंटा से अन्यून के विराम अंतराल दिए जाते हैं ;

(ख) जब तक ऐसे कर्मकार को विराम के लिये चौबीस घंटे का विराम नहीं दिया जाता है, भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार चौदह लगातार दिन से अनधिक के लिए कार्य करने के लिये अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) जहां भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार की बाबत कार्यकरण घंटे नियम 234 के उपनियम (1) में यथाअधिकथित काम के घंटों से अधिक हो गए हैं या जहां ऐसी कर्मकार इस नियम के उपनियम (1) के लागू होने के कारण किसी विराम दिन से वंचित कर दिया गया है, ऐसे कर्मकार को ऐसे दैनिक या साप्ताहिक घंटों के अतिरिक्त किये गये कार्य और ऐसे विराम दिन पर किये गये कार्य की बाबत सामान्य मजदूरी की दर से दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा।

अध्याय - 27

सूचनाएं, रजिस्टर, अभिलेख और आंकड़ों का संग्रहण

238. **मजदूरी कालावधि आदि की सूचना** - (1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्य स्थान के सहज दृश्य स्थान पर एसे स्थापन में कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी की दरें, उनकी मजदूरी कालावधि, ऐसी मजदूरी के संदाय की तारीख, ऐसे स्थापन की अधिकारित वाले निरीक्षकों

के नाम और पते, ऐसे कर्मकारों की असंदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दिर्शित करने वाली सूचना अंग्रेजी, हिन्दी में और ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित करवाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब भी ऐसी सूचना में अंतर्विष्ट तथ्यों की बाबत् कोई परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन ऐसे निरीक्षक के नियोजक द्वारा भेज दिया जाएगा।

239. **प्रारंभ और पूरा होने की सूचना** - (1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन किसी भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीन दिन पहले ऐसे प्रारंभ वास्तविक तारीख, पूरा होने की अधिसंभाव्य तारीख और ऐसे भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य की बाबत अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य विशिष्टियों को संसूचित करेत हुए, इन नियमों से संलग्न प्ररुप - 4 में एक लिखित सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजेगा या भिजवाएगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन भेजी गई विशिष्टियों में से किसी में भी कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर अधिकारिता वाले निरीक्षक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(3) उपनियम (1) की कोई भी बात भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य के ऐसे वर्ग की दशा में लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आपातिक कार्य होना विनिर्दिष्ट करती है।

240. **भवन निर्माण कर्मकारों के रुप में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर** - प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत् जहां वह भवन निर्माण कर्मकार नियोजित करता है इन नियमों से संलग्न प्ररुप-15 में एक रजिस्टर घोषित करेगा।

241. **मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर अतिकालिक रजिस्टर और मजदूरी बहियों और सेवा प्रमाण-पत्रों का जारी किया जाना** - (1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है निम्नलिखित घोषित करेगा,-

(क) इन नियमों से संलग्न प्ररुप 16 और प्ररुप 17 में क्रमशः एक मस्टर रोल और एक रजिस्टर :
परन्तु यह कि इन नियमों से संलग्न प्ररुप 18 में मजदूरी सह-मस्टर रोल का एक सम्मिलित रजिस्टर जहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकार के लिये मजदूरी कालावधि एक पक्ष या इससे कम है नियोजक द्वारा घोषित किया जाएगा ;

(ख) इन नियमों में संलग्न प्ररुप 19, प्ररुप 20 और प्ररुप 21 में क्रमशः नुकसानी या हानि के लिए रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टर और अग्रिमों का रजिस्टर ;

(ग) शीतकालिक कार्य, यदि कोई हो, के घंटों की संख्या और उसके लिये संदत्त मजदूरी का उसमें अभिलेख करने के लिये इन नियमों से संलग्न प्ररुप 22 में अतिकाल का एक रजिस्टर।

(2) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्यक कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकार को लगाता है,

(क) जहां मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या इससे अधिक है ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररुप 23 में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को मजदूरी पुस्तिका जारी करेगा, जिसमें उनको मजदूरी के संवितरण के कम से कम एक दिन पूर्व प्रविष्टियां की जाएंगी;

(ख) ऐसे कार्य के पूर्व होने के कारण या किसी अन्य कारण से उसकी सेवा की समाप्ति पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररुप 24 में ऐसा प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को एक सेवा प्रमाण-पत्र जारी करेगा ;

(ग) यथास्थिति, मजदूरियों के रजिस्टर या मस्टर रोल-सह मजदूरियों के रजिस्टर पर प्रत्येक ऐसे भवन कर्मकार से संबंधित प्रविष्टियों के सामने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा

और ऐसे प्रविष्टियां नियोजक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित की जाएंगी।

(3) ऐसे किसी स्थापन की बाबत् जिसकी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या ठेका श्रम (विनिमय और उत्पदान) अधिनियम, 1970 लागू होते हैं। ऐसे अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोजक द्वारा घोषित किये जाने वाले निम्नलिखित अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन उस नियोजक द्वारा घोषित रजिस्टर और अभिलेख समझा जाएगा, अर्थात् :-

(क) मस्टर रोल ;

(ख) मजदूरियों का रजिस्टर ;

(ग) कटौतियों का रजिस्टर ;

(घ) अतिकाल का रजिस्टर ;

(ङ) जुर्मानों का रजिस्टर ;

(च) अग्रिमों का रजिस्टर ;

(छ) मजदूरी-सह-मस्टर रोल का सम्मिलित रजिस्टर।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्ररुप के बदले में कोई सम्मिलित या अनुकल्पित प्ररुप का, किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिये या प्रशासनिक सुविधा के लिये कार्य के दोबारा करने से बचने के लिये किसी नियोजक द्वारा उपयोग किया जाना चाहा जाता है वहां ऐसे सम्मिलित या अनुकल्पिक प्रारुप का राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपयोग किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक नियोजक ऐसे कार्य स्थल के सहजदृश्य स्थान पर, जहां यह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है अधिनियम और इन नियमों के संक्षिप्त सार को अंग्रेजी में और हिन्दी में तथा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली किसी भाषा में संप्रदर्शित करेगा।

(6) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित किये जाने वाले अपेक्षित रजिस्टर या अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाता तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय सम्बद्ध कार्य स्थान की प्रसीमाओं के भीतर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाता है।

(7) किसी स्थापन से संबंधित रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को जिनका अधिनियम और इन नियमों के अधीन पोषित किया जाना अपेक्षित है, सुपाठ्य अंग्रेजी में और हिन्दी में या ऐसे स्थापन में नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में पोषित किया जाएगा।

(8) उपनियम (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्टर या अन्य अभिलेख को उस नियोजक द्वारा, जिससे ऐसा रजिस्टर या अन्य अभिलेख संबंध रखता है, उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिये मूल रुप में बनाए रखा जाएगा।

(9) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित प्रत्येक रजिस्टर लेख या सूचना को मांग किये जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या संबद्ध नियोजक द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा।

(10) जहां किसी मजदूरी कालावधि के दौरान किसी भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा कोई अतिकालिक कार्य संपादित नहीं किया गया है, या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को

अतिकालिक कार्य के लिये संदाय नहीं किया गया है कि दशा में यथास्थिति प्ररुप 19, 20, 21 या 22 में पोषित सुसंगत रजिस्टर में समुचित स्थान पर ऐसे मजदूरी कालावधि के सामने "शून्य" प्रविष्टि की जाएगी।

242. **विवरणियां** - किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक नियोजक इन नियमों से संलग्न प्ररुप-25 में दो प्रतियों में ऐसे स्थापन की बाबत् एक विवरणी प्राधिकारिता वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अधिकारिता वाले निरीक्षक की एक प्रति के साथ प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि उसके पास प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद पन्द्रह फरवरी तक पहुंच सकें। '

अध्याय - 28
भवन निर्माण कर्मकारों के लिये सुविधाएं

243. **शौचालय और मूत्रालय सुविधा** - यथास्थिति शौचालय या मूत्रालय अधिनियम की धारा 33 के अधीन उपबंधित की अपेक्षानुसार नीचे यथा विनिर्दिष्ट टाइप के होंगे, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा ताकि एकांतता सुनिश्चित कर सके तथा उसमें यथोचित दरवाजा और कसाव होंगे ;

(ख) (i) जहां पुरुष और महिला दोनों भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किये जाते हैं वहां शौचालयों या मूत्रालयों के प्रत्येक खण्ड के बाहर की तरफ एक सूचना संप्रदर्शित की जाएगी उसमें यथास्थिति "केवल पुरुषों के लिये" या "केवल महिलाओं के लिये" ऐसे कर्मकारों का बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा ;

(ii) ऐसी सूचना में यथास्थिति पुरुष की या महिला की आकृति भी लगी होगी ;

(ग) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय सुविधाजनक रुप से स्थित होगा और सभी समयों पर भवन निर्माण कर्मकारों की पहुंच में होगा ;

(घ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय यथोचित रुप से प्रकाशित होगा और सभी समयों पर स्वच्छ तथा स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा ;

(ङ) फलस सेवेज प्रणाली से संसक्त से भिन्न प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ;

(च) पानी का नल या किसी अन्य साधन से इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय में या उसके निकट सुविधाजनक रुप से पहुंच सके ;

(छ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय की दीवारें भीतरी छतें और विभाजनों पर चार मास की प्रत्येक अवधि में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा।

244. **कैंटीन** - (1) ऐसे प्रत्येक स्थान में जिसमें दो सौ पचास से अनून्य भवन निर्माण कर्मकार साधारणत: नियोजित किये जाते हैं वहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजक ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों के उपयोग के लिये इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट रीति में यथोचित कैंटीन का प्रबंध करेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में ऐसी कैंटीन का उपयोग करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की सुविधा के लिये पर्याप्त फर्नीचर सहित एक डाइनिंग हाल, एक रसोई, स्टोर कक्ष, पेंट्री और भवन निर्माण कर्मकारों तथा बर्तनों के लिये पृथक रुप से धुलाई के स्थान होंगे।

(3) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन जब भी कोई व्यक्ति इसमें पहुंच रखता है सभी समयों पर पर्याप्त रुप से प्रकाशित रहेगी ;

(ii) ऐसी कैंटीन की फर्श चिकनी और अप्रवेश्य सामग्री की बनी होगी तथा ऐसी कैंटीन की भीतरी दीवारों पर कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सफेदी की जाएगी या रंग किया जाएगा:

परन्तु ऐसी कैन्टीन की रसोई की ऐसी भीतरी दीवारों पर प्रत्येक तीन मास में एक बार सफेदी की जाएगी ।

(4) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन की प्रसीमाएं साफ और स्वच्छ हालत में रखी जाएंगी;

(ii) ऐसी कैंटीन से अपशिष्ट पानी उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और ऐसी कैंटीन के आस-पास में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा ;

(iii) ऐसी कैंटीन से जूठन के संग्रहण और व्ययन के लिये उपयुक्त इंतजाम किया जाएगा ।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन का भवन किसी शौचालय या मूत्रालय या धूल, धूआं या आपत्तिजनक भोंप के किसी स्त्रोत से कम से कम पन्द्रह प्वाइंट दो मीटर की दूरी पर स्थित होगा ।

245. **कैंटीन में परोसा जाने वाले खाद्य पदार्थ** - नियम 244 के उपनियम (1) निर्दिष्ट कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भवन निर्माण कर्मकारों की सामान्य आहारी आदतों के अनुरुपत: होंगी ।

246. **कार्य स्थानों पर चाय और हल्का भोजन का परोसा जाना** - ऐसे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जहां कोई कार्य स्थान नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन से शून्य प्वाइंट दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थान पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को चाय और हल्का नाश्ता परोसने के लिये ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा इंतजाम किया जाएगा ।

247. **खाद्य पदार्थ के प्रभार** - (1) नियम 244 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन में परोसे गए खाद्य पदार्थ, सुपेय और अन्य चीजों के लिये प्रभार "न लाभ न हानि" पर आधारित होंगे तथा ऐसी वस्तुओं की मूल्य सूची ऐसी कैंटीन में सहज दृश्य संप्रदर्शित की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य निकालते समय निम्नलिखित को व्यय के रुप में विचार में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी कैंटीन की भूमि और भवन के लिये किराया ;

(ख) भवन और ऐसी कैंटीन में उपलब्ध कराये गए उपस्कर के लिये अवक्षण और अनुरक्षण प्रभार;

(ग) क्रय करने, मरम्मत और उपस्कर जिसके अंतर्गत फर्नीचर, क्राकरी, कटलरी, बर्तन भी हैं, के स्थान पर दूसरे बदलने की तथा ऐसी कैंटीन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई वर्दी की लागत ;

(घ) जल प्रभार और ऐसी कैंटीन की रोशनी और संचालन के लिये उपगत अन्य प्रभार ; और

(ङ) ऐसी कैंटीन के लिये फर्नीचर और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जाने और उनके अनुरक्षण के लिये खर्च की गई रकम पर ब्याज ।

अध्याय - 29

मजदूरी

248. **मजदूरी का संदाय** - नियोजक भवन या सन्निर्माण कार्य करने के लिये निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि , -

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर जहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकार एक हजार से कम नियोजित किये जाते हैं वहां नियोजित किये गये प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी का उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेय है के सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है और अन्य दशाओं में उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरियां संदेय हैं, के अंतिम दिन के पश्चात् दसवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है ;

(ख) यदि ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन ऐसे नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, तो ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरियों का संदाय उस दिन से, जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन समाप्त किया जाता है, द्वितीय कार्यकरण दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है ;

(ग) मजदूरियों के सभी संदाय ऐसे सन्निर्माण स्थल पर और कार्यकरण समय के दौरान और पहले से ही अधिसूचित तारीख को कार्यकरण दिन में किये जाते हैं और यदि कार्य पूरा हो जाता है तो ऐसे समापन के अड़तालीस घंटों के भीतर मजदूरियों का अंतिम संदाय किया जाता है।

249. **मजदूरियों के संदाय की तारीख के बारे में मजदूरी की सूचनाओं का प्रदर्शन** - नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कालावधि जिसके लिये मजदूरियों का संदाय किया जाता है, ऐसी मजदूरियों के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऐसे सन्निर्माण स्थल के सहज दृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है।

भाग - 5

भवन निर्माण कर्मकारों का कल्याण

अध्याय - 30

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

250. परिभाषाएं - इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) प्रसुविधा से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम, 277 में विनिर्दिष्ट कोई प्रसुविधा ;

(ख) मंडल से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल।

(ग) अभिदाय से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 16 के अधीन हिताधिकारी द्वारा निधि को देय धनराशि।

(घ) किसी हिताधिकारी के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है पति या पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा पूर्णरूप से निर्भर माता - पिता।

(ङ) निधि से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 24 के अधीन मंडल द्वारा गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि।

(च) सचिव से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मंडल का सचिव।

(छ) वर्ष से अभिप्रेत है वित्तिय वर्ष।

251. मंडल का गठन - मण्डल में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़, पदेन अध्यक्ष के रूप में,

(दो) एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,

(तीन) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, एक पदेन सदस्य के रूप में,

(चार) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्य, जो कि शासकीय विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से श्रम तथा वित्त विभाग का प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा तथा दो सदस्य भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि होंगे,

(पांच) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्य, जो कि भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, और

(छह) राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त पांच सदस्य, जो कि भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों।

252. पदावधि :-

(1) नियम 251 के खण्ड (चार), (पांच) तथा (छह) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पदधारण करेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसमें विनिर्दिष्ट कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वत्तर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई बहिर्गामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक पद धारण किए रहेगा ।

253. त्याग पत्र :-

(1) नियम 251 के खण्ड (पांच) या (छह) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा ।

254. पद में रिक्ति :- नियम 251 के खण्ड (पांच) अथवा (छह) के अधीन नियुक्त किसी सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि -

(क) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त का या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ग) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना मंडल की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो, या

(घ) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था ।

255. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा अद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है ।

256. मंडल की बैठक तथा गणपूर्ति - (1) मंडल की बैठक सामान्यतः तीन मास में एक बार होगी :

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसकी विशेष बैठक बुलाएगा ।

(2) मंडल की किसी बैठक में कोई काम-काज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम एक उन सदस्यों में से होगा, जो नियम 251 के खण्ड (चार) के अधीन नियुक्त किए गए हों ।

257. बैठक की सूचना और कामकाज की सूची - प्रत्येक बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, बैठक में संपादित किए जाने वाले काम-काज की सूची के साथ, बैठक से, पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी ।

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, बैठक बुलाता है तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी ।

258. अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा - अध्यक्ष (चेयर पर्सन), मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष, मंडल की बैठक में उपस्थित, रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य तथा ऐसा नामनिर्देशन न होने पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

259. काम - काज का संपादन - ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल की किसी बैठक के समक्ष आएं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

260. बैठक के कार्यवृत्त - मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, बैठक के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी ।

261. अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते - मंडल तथा उसकी उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

262. मंडल की उप - समितियां -

(1) मंडल ऐसी उप समितियां नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे ।

(2) प्रत्येक उप - समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें भवन कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी ।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप-समिति के उपस्थित सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे ।

(4) उप-समिति की बैठक में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से एक नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से होगा तथा दूसरा भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से होगा ।

(5) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर किसी उप-समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा :

परन्तु उप-समिति जब तक कि नई उप-समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी :

परन्तु यह और कि किसी दशा में कोई उप-समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के परे कार्य नहीं करेगी ।

(6) प्रत्येक उप-समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चिय के लिए रखी जाएगी ।

263. क्षेत्रीय कार्यालय खोलना - मण्डल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उतने क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकेगा, जितने वह अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

264. मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य - (1) मंडल निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(क) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनियम के लिए नीतियां अधिकथित करना सम्मिलित है,

(ख) अधिनियम की क्रमशः धारा 25, 26 तथा 27 के अधीन शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना,

(ग) अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अनुसार लेखाओं को समुचित बनाए रखना तथा उनकी वार्षिक संपरीक्षा।

(घ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,

(ङ) मंडल को देय रकमों की समुचित एवं समय पर वसूली,

(च) अधिनियम की धारा 54 (1) (क) के अधीन, जहां आवश्यक हो, मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् अभियोजन दायर करना और

(छ) अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना।

(2) मण्डल, शासन को, समय-समय पर ऐसी जानकारी देगा, जैसी कि वह चाहे।

265. सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति - (1) मंडल, सरकार की पूर्व सहमति से, किसी अधिकारी को, जो सहायक श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मंडल के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले अनुमोदित न कर दिया गया हो।

266. मंडल के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भरती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें - (1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू निम्नलिखित नियम, यथावश्यक परिवर्तन सहित, मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगे :-

(एक) छ.ग. सिविल सर्विसेज (जनरल कंडीशंस आफ सर्विस) रूल्स 1961

(दो) छ.ग. सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1965,

(तीन) छ.ग. सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1966

(चार) छ.ग. सिविल सर्विसेज (मेडिकल एक्जामिनेशन) रूल्स 1972

(पांच) छ.ग. सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स 1977

(छह) छ.ग. सिविल सर्विसेज (ज्वाइनिंग टाइम) रूल्स 1982

(सात) छ.ग. एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज ऑन पोस्ट्स आफ क्लास एण्ड क्लास रूल्स 1985,

(आठ) छ.ग. सिविल सर्विसेज (स्पेशन प्रोवीज़न ऑफ एम्पलॉयमेन्ट ऑफ वूमन) रूल्स, 1997

(नौ) छ.ग. पब्लिक सर्विसेज (प्रमोशन) रूल्स 2002,

(2) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें उस सीमा तक जहां तक कि वे उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों में अभिव्यक्त रूप में उपबंधित नहीं हैं, ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

267. छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि - (1) मंडल, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिनियम के तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक निधि का गठन कर सकेगा, जो छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि कहलाएगी ।

(2) निधि, मंडल में निहित होगी तथा उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी ।

268. विनिधान - निधि की समस्त धनराशि का विनिधान राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जा सकेगा ।

269. बजट - (1) मंडल, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष 10 मार्च से पूर्व, उसकी प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए उसका बजट तैयार करेगा तथा उसका अनुमोदन करेगा ।

(2) बजट प्ररूप-सत्ताईस में तैयार किया जाएगा तथा मंडल के कार्यकरण की रिपोर्ट, आगामी वित्तीय वर्ष की 15 जून के पूर्व मंडल द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा शासन को उस वर्ष की 31 जुलाई तक प्रस्तुत की जाएगी ।

271. संविदा का निष्पादन - मंडल की ओर से समस्त आदेश तथा अन्य लिखित, मंडल के नाम से तैयार तथा निष्पादित किये जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे, जैसा कि मंडल विनिर्दिष्ट करें ।

अध्याय - 31

हिताधिकारियों का रजिस्ट्रीकरण तथा मंडल के प्रति नियोजक के कर्तव्य

272. हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया - (1) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप-अट्ठाईस में, दो प्रतियों में, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन मंडल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात :-

(क) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक या अधिक में आयु का सबूत, अर्थात :-

(एक) परीक्षा लेने वाले किसी मंडल या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र;

(दो) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टर से प्रमाण-पत्र;

(तीन) उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य-चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(ख) पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम नब्बे दिन के लिये भवन कर्मकार की प्रास्थिति का सबूत, जो सामान्यतः उस नियोजक या ठेकेदार द्वारा, जिसके लिये आवेदक काम कर रहा हो, जारी किया गया उस आशय का प्रमाण-पत्र होगा । तथापि, समुचित मामलों में प्रास्थिति के सबूत के रूप में निम्नलिखित पर भी विचार किया जा सकेगा, अर्थात :-

(एक) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भवन कर्मकार संघ द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण-पत्र;

(दो) संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र;

(तीन) संबंधित जनपद पंचायत या नगरपालिक निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र;

(ग) प्रारूप - उन्नीस में नामनिर्देशिन।

(घ) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ पच्चीस रूपये फीस होगी, जो नगद में या अकाउन्ट-पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र के प्राप्ति की अभिस्वीकृति मंडल द्वारा की जाएगी।

(4) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी का सम्यक् जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करता है तथा उसने अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन किया है तो वह हिताधिकारियों के रजिस्टर में हिताधिकारी के रुप में कर्मकार के नाम की प्रविष्टि करेगा, जो प्ररूप-तीस में रखा जाएगा तथा प्ररुप इकत्तीस में उसे एक पहचान पत्र भी जारी करेगा।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन-पत्र को नामंजूर कर सकेगा, यदि जांच के पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक, पात्रता के मापदंड की पूर्ति नहीं करता है और/या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के पालन नहीं किया है :

परन्तु यह और कि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक आवेदन-पत्र पर विनिश्चत साधारणतया एक मास की अधिकतम कालावधि के भीतर किया जाएगा तथा नामंजूरी की दशा मे उसके कारण, आवेदक को लिखित में संसूचित किए जाएंगे।

(5) यदि किसी हिताधिकारी के संबंध में, उपनियम (4) में निर्दिष्ट पहचान-पत्र में विनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है या उसे अद्यतन करना आवश्यक हो गया है तो हिताधिकारी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को, यथास्थिति उस तारीख से, जब ऐसा परिवर्तन होता है या अद्यतन करना आवश्यक हो जाए, साठ दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की तारीख तथा विशिष्टिया या अद्यतन किए जाने की आवश्यकता तथा उसके कारण, प्रारूप - बत्तीस में संसूचित करेगा।

(6) जहां, उपनियम (5) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर, अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पहचान-पत्र में प्रविष्टि की गई हिताधिकारी की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हुआ है या यह कि ऐसी विशिष्टियों को अद्यतन करने की आवश्यकता है तो, वह उक्त पत्र (कार्ड) में संशोधन करेगा तथा जो परिवर्तन हुआ है उसे भी उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(7) यदि कोई पहचान-पत्र खो जाए, विकृत हो जाए या उसमें के पृष्ट निःशेष हो जायें तो संबंधित हिताधिकारी, डुप्लीकेट/निरन्तर पहचान-पत्र जारी किये जाने के लिये, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्ररूप तैंतीस से आवेदन कर सकेगा। डुप्लीकेट पहचान-पत्र के लिये आवेदन-पत्र के साथ केवल पच्चीस रूपये की फीस होगी, जो मंडल को नकद में या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

(8) उपनियम (7) के अधीन किसी आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर संबंधित अधिकारी, हिताधिकारियों के रजिस्टर में की प्रविष्टियों के साथ उसकी विषयवस्तु की जांच पड़ताल करने तथा

आवेदन-पत्र की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् डुप्लीकेट या निरंतरता पहचान-पत्र जारी करेगा।

परन्तु डुप्लीकेट पहचान-पत्र के लिये आवेदन-पत्र, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर किया जा सकेगा।

273. अपील - (1) नियम 272 के उपनियम (4) या उपनियम (8) के अधीन किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चिय की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव या मंडल द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) अपील कर सकेगा।

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रमाणित प्रति तथा मंडल को नकद या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट में देय पच्चीस रूपये की फीस होगी।

(3) जब अपील का ज्ञापन व्यवस्थित हो तो अपील अधिकारी, अपील ग्रहण करेगा, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करेगा और उसकी प्रविष्टि प्ररूप-चौबीस में इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में की जायेगी, जो अपीलों का रजिस्टर के नाम से जाना जाएगा।

(4) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अपील ग्रहण की गई हो, तब अपील अधिकारी, संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से मामले के अभिलेख की अध्यापेक्षा करेगा और अभिलेख प्राप्त होने पर, मामले के अभिलेख का परीक्षण करने तथा अपीलार्थी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सुनने के पश्चात् लिखित आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा करेगा।

274. निधि में अभिदाय - (1) प्रत्येक हिताधिकारी, ऐसी मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा, जैसी कि अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अभिदाय, मंडल द्वारा उस जिले में, जहां हिताधिकारी निवास करता है, मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए बैंको में से किसी बैंक में मासिक त्रैमासिक आधार पर अग्रिम में विप्रेषित किया जाएगा।

(2) हिताधिकारी, अपनी मासिक मजदूरी में से अपने अभिदाय की कटौती करने तथा ऐसी कटौती करने से पन्द्रह दिन के भीतर मंडल को उसे विप्रेषित करने के लिये अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) यदि कोई हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने से चूक करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रह जाएगा।

परन्तु यदि मंडल के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि किसी युक्तियुक्त कारण से अभिदाय का संदाय नहीं किया गया था, और यह कि भवन कर्मकार बकाया को जमा करने के लिए रजामंद है, तो वह भवन कर्मकार को उसके अभिदाय का बकाया को जमा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा तथा ऐसा जमा किए जाने पर भवन कर्मकार का हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

275. मंडल को विवरणियां फाइल करने के नियोजक का कर्तव्य - (1) प्रत्येक नियोजक, किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर, सचिव को प्ररूप-पैतीस में एक प्रारंभिक विवरपणी भेजगा, जिसमें :-

(एक) इन नियमों के प्रारंभ पर स्थापन में नियोजित भवन कर्मकार; और

(दो) शाखाओं, संचालकों, प्रबंधकों, अधिभोगियों, भागीदारों, व्यक्ति/व्यक्तियों की, जिनका स्थापन के कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष या अंतिम नियंत्रण है, विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

(2) प्रत्येक नियोजक, किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जिसे यह अधिनियम, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय लागू हो, प्रत्येक मास के बाइसवें दिन के पूर्व, सचिव को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, प्ररूप-छत्तीस में एक मासिक विवरणी भेजेगा। जिसमें पूर्ववर्ती मास के अंत में उसके द्वारा नियोजित भवन कर्मकारों के, और अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उनकी मजदूरियों से कटौती किये गये और मंडल को भेजे गए अभिदाय के ब्यौरे दर्शाए जायेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन हिताधिकारियों से पिछले माह में कटौती किए गए अभिदाय की राशि बोर्ड को भेजने हेतु क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट भी, उपर्युक्त उप नियम (2) के अधीन भेजी जाने वाली मासिक विवरणी के संलग्न भेजा जाएगा।

276. अभिलेखों तथा रजिस्टरों का रखा जाना तथा प्रस्तुत किया जाना - (1) प्रत्येक नियोजक, इन नियमों के प्रारंभ से निम्नलिखित संधारित करेगा :-

(i) प्रारूप-पंद्रह में रखे गए रजिस्टर में हिताधिकारियों से संबंधित जानकारी, और

(2) प्रारूप-सैतीस में ऐसे हिताधिकारियों, जिन्होंने अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के निबन्धनों के अनुसार नियोजक को प्राधिकृत किया है, के संबंध में अभिदाएं का एक रजिस्टर।

(2) जब कभी सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी नियोजक से व्यक्तिशः या लिखित सूचना द्वारा, उपनियम (1) में उल्लिखित रजिस्टर तथा भवन कर्मकारों के बारे में कोई संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें तो नियोजक, संबंधित अधिकारी को ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा और यदि अभिलेख तत्काल वापिस नहीं किए जाते हैं तो नियोजक, संबंधित अधिकारी को ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा और यदि अभिलेख तत्काल वापिस नहीं किए जाते हैं तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी, उसके द्वारा इस प्रकार रखे गए अभिलेखों की एक रसीद जारी करेगा।

अध्याय - 32

प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

277. प्रसुविधाएं - (1) मंडल, अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उन हितग्राहियों को, जिन्होने सारणी के कॉलम-2 में विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम कालावधि के लिये निधि में अंशदान किया है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम में विनिर्दिष्ट की गई समस्त या किन्हीं प्रसुविधाओं को विस्तारित कर सकेगा :-

सारणी

प्रसुविधाएं तथा न्यूनतम पात्रता मानदंड

प्रसुविधा	न्यूनतम वर्षों की संख्या जिसके लिये किसी हिताधिकारी द्वारा प्रसुविधा हेतु पात्र होने के लिये निधि में अंशदान किया हुआ होना चाहिए,
(1)	(2)
1. **पेंशन**	
1.1 वृद्धावस्था पेंशन	तीन वर्ष

1.2 परिवार पेंशन	तीन वर्ष
1.3 निःशक्तता सहायता तथा पेंशन	एक वर्ष
2. गृह निर्माण सहायता	
2.1 मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण	पांच वर्ष
2.2 किसी गृह निर्माण वित्तीय संस्था से लिये गए गृह निर्माण ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	तीन वर्ष
3. शिक्षा सहायता	
3.1 छात्रवृत्ति	एक वर्ष
3.2 शिक्षा ऋण	पांच वर्ष
3.3 किसी वित्तीय संस्था से लिये गए शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी	तीन वर्ष
(1)	(2)
3.4 मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार	एक वर्ष
4. आय संवर्धन के लिये सहायता	
4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के क्रय हेतु ऋण	तीन वर्ष
4.2 अनुपूरक आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी	एक वर्ष
5. विवाह सहायता	तीन वर्ष
6. चिकित्सा सहायता	एक वर्ष (दुर्घटना के मामले को छोड़कर जिसमें न्यूनतम वर्ष संख्या की कोई अपेक्षा नहीं होगी)
7. प्रसूति सहायता	एक वर्ष
8. बीमा सहायता	एक वर्ष
8.1 समूह बीमा	एक वर्ष
8.2 बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	एक वर्ष
9. मृत्यु के मामले में सहायता	
9.1 अंतिम संस्कार सहायता	निरंक
9.2 अनुग्रह राशि भुगतान	निरंक

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये अंशदान की कालावधि की गणना में ऐसी कालावधि की गणना नहीं की जाएगी, जिसके लिये मंडल ने अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अंशदान के भुगतान को अधित्यक्त कर दिया है।

278. प्रसुविधाओं के संबंध में मुख्य उपबंध - (1) जब तक कि इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, प्रसुविधा के तौर पर देय किसी धनराशि का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा, परन्तु यथास्थिति, हिताधिकारी या अन्य प्राप्तिकर्ता के राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में संधारित बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(2) नियम 277 में प्रगणित की गई प्रसुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित विषयों के बारे में विस्तृत उपबंध, अर्थात :-

(एक) प्रसुविधा की प्रकृति;

(दो) वह व्यक्ति, जिसे प्रसुविधा देय होगी;

(तीन) नियम 277 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त पात्रता की शर्तें, यदि कोई हो; और

(चार) उस दर को, जिस पर प्रसुविधा दी जाएगी, शासित करने वाले व्यापक दिशा-निदेश, यदि कोई हो;

इन नियमों में संलग्न अनुसूची-तेरह में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

279. मंडल द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अन्य अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करने वाली स्कीमों को अधिसूचित किया जाना - मंडल, नियम 277 में विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसुविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूप तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक स्कीम, जो अधिनियम तथा इन नियमों में अभिव्यक्त रूप में उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होगा :-

(एक) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होगी :

(दो) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्रारूप;

(तीन) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिये सक्षम प्राधिकारी;

(चार) संवितरण के लिये प्रक्रिया; और

(पांच) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।

280. सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप - (1) मंडल, व्यष्टिक हिताधिकारियों को नियम 277 तथा 278 में निर्दिष्ट प्रसुविधाएं देने के अतिरिक्त, भवन कर्मकारों के सामान्य कल्याण में संवर्धन की दृष्टि से निम्नलिखित क्रियाकलाप हाथ में ले सकेगा, अर्थात :-

(क) भवन कर्मकारों के नियोजन का पैटर्न, कौशल, आय, मजदूरी तथा कार्य करने की शर्तों और उनके कल्याण के लिये आशयित शासन तथा मंडल के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिये सर्वेक्षण, अध्ययन आदि करना;

(ख) उनके कानूनी अधिकार, उन अधिकारों को प्रवर्तित कराने की प्रक्रिया, शिकायतो को दूर करना और विभिन्न कल्याण तथा विकास स्कीमों का लाभ उठाने के प्रति उनमें जागरूकता का प्रसार करना;

(ग) महिलाओं तथा संतानों के स्वास्थ्य में सुधार, छोटे परिवार की अवधारणा और सामाजिक बुराईयों जैसे मद्यपान, दहेज, बाल विवाह आदि को दूर करना;

(घ) भवन कर्मकारों के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक तथा आमोद-प्रमोद के क्रियाकलाप संचालित करना और हिताधिकारियों के लिये अध्ययन दौरे (टूर) आयोजित करना; और

(ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य क्रियाकलाप, जिनका उद्देश्य भवन कर्मकारों के समग्र कल्याण में अभिवृद्धि करना हो।

(2) उप-नियम (1) में प्रमाणित क्रियाकलापों पर किसी वित्तीय वर्ष में व्यय, उस वर्ष में मंजल के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भाग - 6

प्रकीर्ण उपबन्ध

अध्याय - 33

मुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षकों की शक्तियां

281. विशेषज्ञ, अभिकरण नियोजित करने की शक्ति - (1) मुख्य निरीक्षक, जैसा आवश्यक समझे, सिविल इंजीनियरी संरचनात्मक इंजिनियरी, स्थापत्य कला के क्षेत्रों से तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की अन्य शाखाओं से किसी दुर्घटना या किसी खतरनाक घटना या अन्यथा के कारण के निरीक्षण, अन्वेषण या जांच के संचालन के प्रयोजन के लिये जब भी अपेक्षित हो, विशेषज्ञ या अभिकरण नियोजित कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में उपाधि (डिग्री) होगी;

(ख) सुसंगत, क्षेत्र में दस साल से अन्यून का कार्यकरण का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में, का होगा।

(3) उपनियम (1) निर्दिष्ट अभिकरण, सुसंगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी और सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी।

(4) राज्य सरकार, समय-समय पर, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों का एक पैनल तैयार कर सकेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजीनियर या विशेषज्ञ या अभिकरण को ऐसे यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का, जो उसे, उसके उस संगठन द्वारा अनुज्ञात है, जहां वह नियोजित है या ऐसे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का, जो उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन की पद श्रेणी के अधिकारी को अनुज्ञेय है, संदाय किया जाएगा।

(6) किसी इंजीनियर या वास्तुविद या अभिकरण को उपनियम (5) में निर्दिष्ट ऐसे यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों के अतिरिक्त समय-समय पर, ऐसी दरों पर मानदेयं का भी संदाय किया जाएगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

282. निरीक्षकों की शक्तियां - (1) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर -

(एक) ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिये उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने वाले ऐसे सन्निर्माण स्थल या स्थान या परिसर का परीक्षण कर सकेगा;

(दो) किसी व्यक्ति की ऐसी साक्ष्य, घटना स्थल पर या अन्यथा ले सकेगा, जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य से सम्बद्ध किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझता है;

परन्तु ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या कोई ऐसी साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रवृत्ति उसे अपराध में फंसाने की हो।

(तीन) फोटोचित्र, वीडियो क्लिप्स, सैम्पल वजन, माप या अभिलेख ले सकेगा या ऐसे रेखांचित्र बना सकेगा जो इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये वह आवश्यक समझता है;

(चार) किसी ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारण की जांच कर सकेगा जिसके लिये उसके पास यह विश्वास करने के लिये कारण है कि वह ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य से सम्बद्ध या आनुषंगिक किसी संक्रिया का परिणाम था या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों में से किसी के अनुपालन का परिणाम था।

(2) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम या नियमों के अधीन यथा-उपबंधित भवन निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के विषय में नियोजकों को कारण बताओ सूचना या चेतावनी जारी कर सकेगा।

(3) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई परिवाद या अन्य कार्यवाही फाइल कर सकेगा।

(4) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी ठेकेदार या नियोजक को, भवन निर्माण कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(5) निरीक्षक, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिये वह नियुक्त किया जाता है, भवन या अन्य संन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति वाले यथास्थिति किसी व्यक्ति या ऐसे सन्निर्माण स्थल के नियोजक, परियोजना भारसाधक या स्थल भारसाधक से ऐसे साधन या सहायता उपलब्ध करवाये जाने कीअपेक्षा कर सकेगा जो अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) या ऐसे सन्निर्माण स्थल या परियोजना से संबंधित इस नियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ऐसे निरीक्षक द्वारा प्रवेश निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिये अपेक्षित है।

283. प्रतिषेध आदेश - (1) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि कोई स्थल या स्थान, जिस पर कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसी हालत में है कि वह भवन कर्मकारों या आम जनता के जीवन सुरक्षा और स्वस्थ्य के लिये खतरनाक है तो वह लिखित में भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजक पर या उस स्थापन के स्वामी पर या उस स्थल या स्थान के प्रभावी व्यक्ति पर ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या सन्निर्माण कार्य का तब तक लिये प्रतिषेध करते हुए आदेश तामील कर सकेगा, जब तक कि उसके समाधानप्रद रूप में खतरे के कारण दूर करने के उपाय न कर लिये जाएं।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश तामील करने वाला निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक को एक प्रति पृष्ठांकित करेगा।

(3) ऐसे प्रतिषेध आदेश का नियोजक द्वारा तुरन्त पालन किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे ऐसा आदेश संसूचित किया जाता है, 15 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को या जहां सैसा आदेश मुख्य निरीक्षक का है वहां सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को अपील कर सकेगा और यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या सचिव, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटारा करेगा ;

परन्तु यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी द्वारा समय के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था तो वह 15 दिन की उक्त समयावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ;

परन्तु यह और कि प्रतिषेध की बाध्यता, मुख्य निरीक्षक या सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के विनिश्चय के लंबित रहने तक रहेगी।

अनुसूची

अनुसूची - 1

(नियम 56 (क), नियम 71 और नियम 72 देखें)

उत्थापक साधित्र, वियोजित गियर और तार रज्जु के प्रथम उपयोग से पूर्व किये जाने वाली जांच और परीक्षण की रीति।

जांच भार :

(1) उत्थापक साधित्र - प्रत्येक उत्थापक साधित्र इसके उपसाधन गियर के साथ, ऐसे जांच-भार के अध्यधीन रखा जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार (नि.का.भा.) से इस प्रकार अधिक होगा जैसा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट है :-

सारणी

निरापद कार्यकरण भार	जांच भार
(1)	(2)
20 टन तक	निरापद कार्यकरण भार से 25 प्रतिशत अधिक
20 से 50 टन	निरापद कार्यकरण भार से 5 प्रतिशत टन अधिक
50 से अधिक	निरापद कार्यकरण भार से 10 प्रतिशत अधिक

(2) वियोजित गियर - (क) प्रत्येक रिंग, हुंक, चैन, शैकल, सिववैल, आई-बोल्ट, प्लैट क्लैम्प, त्रिभुजाकार प्लैट अथवा घिरनी खंड (सिबान एकल शीव खंड के) ऐसे जांच भार के अध्याधीन रखा जाएगा जो निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा :

सारणी

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
(1)	(2)
25 तक	2 निरापद कार्यकरण भार
25 से उपर	1.22 * निरापद कार्यकरण भार) + 20

(ख) एकल शीव खंड के मामले में निरापद कार्यकरण भार ऐसा अधिकतम भार होगा जिसे खंड, जब इसे शीर्ष फिटिंग द्वारा लटकाया गया हो और भार उस रज्जु से जोड़ा गया हो जो खंड की शीव के चारों ओर लिपटी है, सुरक्षित रूप से उठा सकता है और प्रस्तावित निरापद कार्यकरण भार के चार गुणा से कम कार्यभार खंड के शीर्ष पर नहीं लगाया जाएगा।

(ग) बहु शीव खंड के मामले में, जांच भार निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम नहीं होगा

सारणी

निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
(1)	(2)
25 तक	2 * निरापद कार्यकरण भार
25 से 160	(0.9933* निरापद कार्यकरण भार) 27
160 से ऊपर	1.1* निरापद कार्यकरण भार

(घ) हस्त चालित घिरनी खंडो के, जो स्थिर चैनों और रिंगों, हुकों शैवलस अथवा इससे स्थायी रूप से जुड़ी सिववेल के साथ प्रयुक्त होते हैं, मामले में वह जांच भार लगाया जाएगा जो निरापद कार्यकरण भार से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होगा।

(ङ) बाल्टी से युक्त घिरनी खंड की दशा में, बालटी की जांच की जाएगी और उस खंड की जांच के दौरान बाल्टी पर लगाये गए भार को बाल्टी के जांच भार के रूप में स्वीकार किया जाएगी।

(च) दो टांगो वाली स्लिंग की दशा में, निरापद कार्यकरण भार तब संगणित किया जाएगा, जब दोनों टांगों के बीच 9 अंश का कोण हो। कई टांगो वाली स्लिंग की दशा में निरापद कार्यकरण भार राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक उत्थापक बीम, उत्थापक विरचना, छिड़काल करने वाला पात्र (कन्टेनर सप्रेडार) बालटी, टब अथवा अन्य समान युक्तियों पर नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट भार से कम जांच भार नहीं लगाया जाएगा -

सारणी

प्रस्तावित्त निरापद कार्यकरण भार (टनों में)	जांच भार (टनों में)
(1)	(2)
10 टन तक	2 *निरापद कार्यकरण पर
10 से 160	1.04 *निरापद कार्यकरण भार) 9.6
160 से ऊपर	1.1. * निरापद कार्यकरण भार

(ज) तार रज्जु: तार रज्जुओं की दशा में एक नमूने की, जब तक वह नष्ट हो न जाए, जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी। निरापद कार्यकरण भार उस भार को जिस पर नमूना टूट जाता है, उपयोग के गुणांक से जो न्मिनलिखित सारणी में विनिर्दिष्टानुसार अवधारित होता है, भाग देकर निश्चित किया जाएगा :-

सारणी

	मद	उपयोग का गुणांक
	(1)	(2)
(क)	वह तार रज्जु जो स्लिंग का भाग है:	5
	स्लिंग का नि. कां. भा. 10 टन तक	
	या उसके बराबर नि.का.भा.	10
	10 टन से ऊपर 160 टन तक या	8.85 * नि.का.भा. 1910
	160 टन के बराबर	3
(ख)	वह तार रज्जु जो उत्थापक संधित्र	
	का अभिन्न अंग है :	
	उत्थापक साधिन्न का नि.का.भा.	
	160 टन तक या उसके बराबर	
	सु.का.भा.	10
		(8.85 * नि.का.भा.)+ 1910
	160 टन से ऊपर नि.का.भा.	3

(झ) कोई जांच किये जाने के पूर्व लगे हुए उत्पादक साधित्र या उत्पादक गिअर का प्रत्यक्ष निरीक्षण संचालित किया जाएगा और कोई प्रकट खराब गिअर प्रतिस्थापित या नवीकृत किया जाएगा।

(ञ) जांच किए जाने के पश्चात् समस्त उत्पादक गिअर का यह देखने के लिये परीक्षण किया जाएगा कि क्या कोई भाग, जांच से क्षतिग्रस्त या स्थायी रूप से विरूपित हुए हैं।

जांच की प्रक्रिया :

(3) डेरिक - (क) डेरिक की जांच ऐसी अवस्था में होगी जब इसकी बूम इसके क्षैतिज से जिसके लिये डेरिक बनाया गया है, न्यूनतम कोण पर हो (साधारणतया 15 अंश) अथवा कोई ऐसा बड़ा कोण जिन पर सहमति हो। वह कोण जिस पर जांच की गई है, जांच प्रमाण पत्र में उल्लिखित होगा। जांच भार चल बाटों के उत्तोलन के द्वारा लगाया जाएगा। जांच के दौरान बूम को जांच भार के साथ दोनों दिशाओं में जहां तक हो सके झुलाया जाएगा।

(ख) लटके हुए भार के साथ शक्ति से ऊपर उठाये जाने के लिये बनाये गये डेरिक बूम को (क) में की जांचों के अतिरिक्त (लटके हुए भार के साथ) क्षैतिज से और दो बाह्यतम स्थितियों से अधिकतम कार्यकरण कोण तक उठाया जाएगा।

(ग) भारी उत्थापक डेरिक पर जांच भार लगाते हुए, जांच के लिये जिम्मेदार सक्षम व्यक्ति उस पर चल बाट लगाते समय मालिक से यह अभिनिश्चित करेगा कि पोत जांच के लिये पर्याप्त मजबूत है।

(4) खंड (3) के अधीन जांचे गये डेरिक का उपयोग संघ क्रय रिंग में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(क) संघ क्रय रिगड़ डेरिकों की जांच संघ क्रय में नि.का.भा. के समुचित जांच भार से नहीं की जाती (बनाए गए हैं हैडरूम पर अगर [illegible] डेरिक बूम अपनी अनुमोदित कार्यकरण स्थितियों में हो);

(ख) उस डेरिक का संघ क्रय रिंग में दिया निरापद कार्यकरण भार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्ररूप की रिपोर्ट में भी विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता;

(ग) उक्त रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं या शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता; और

(घ) दोनों उत्तोलक रज्जुओं की स्विवेल असेम्बली द्वारा इकट्ठे युग्मित नहीं किया जाता।

टिप्पणी - डेरिकों का निरापद कार्यकरण भार (संघ क्रय सहित रिंग की प्रत्येक रीति के लिये) जांच के प्रमाण-पत्र पर उपदर्शित किया जाएगा और डेरिक बूमों पर भी चिन्हांकित किया जाएगा।

(5) उत्थापक साधित्र - (क) जांच भार को ऊपर उठाया जायेगा और दोनों दिशाओं में जितनी दूरी तक संभव हो झुलाया जाएगा। यदि क्रेन के जिब या बूम का अर्द्धव्यास परिवर्तन शील है तो उसकी जांच अधिकतम और न्युनतम अर्द्धव्यासों पर जांच भार लगा कर की जाएगी। हाइड्रोलिक क्रेनों की दशा में जब दबाव की परिसीमा के कारण मद (1) के अधीन सारणी के अनुसरण में जांच भार उठाना असंभव है तब सर्वाधिक संभव भार को जो निरापद कार्यकरण बार से अधिक होगा, उठाना पर्याप्त है।

(ख) जांच अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती अर्द्धव्यास बिन्दुओं पर और साथ ही चक्रानुसार के वृतांश के ऐसे बिन्दुओं पर जो सक्षम व्यक्ति विनिश्चित करे संपादित की जाएगी। जांच में उत्तोलन, नीचे करना, तोड़ना और सभी स्थितियों में भुनाना और सामान्यतः संपादित संक्रियाएं सम्मिलित हैं। निरापद कार्यकरण भार तोड़ना और सभी स्थितियों में भुनाना और सामान्यतः संपादित संक्रियाएं सम्मिलित हैं। निरापद कार्यकरण भार लटकाकर मशीन का उसकी अधिकतम कार्यकरण गति पर परिचालन कर एक अतिरिक्त जांच भी की जाएगी।

(6) जांच भार डालने के लिये स्पिंग या हाईड्रोलिक तुला इत्यादि का उपयोग - सामान्यतः सभी जांचे स्थावर बाटों की सहायता से की जाएगी। कालिक जांच प्रतिस्थापनों या नवीकरण, की दशा में जांच भार स्पिंग या हाईड्रोलिक तुला के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, जांच भार, जब बूम दोनों दिशाओं में यथासाध्य बाहर हो, लगया जायेगा। जांच को तब तक संतोषप्रद नहीं माना जाएगा जब तक कि तुला 2.0 प्रतिशत तक की यथार्थता के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती और मशीन की सुई जांच-भार पर कम से कम पांच मिनट की अवधि के लिये स्थिर नहीं रहती।

(7) जांच करने वाली मशीनें और स्थावर बाट - (क) जंजीरों, तार रज्जुओं और अन्य उत्थापक गियरों की जांच के लिये उपयुक्त जांच मशीनों का उपयोग किया जाएगा;

(ख) जांच भार लगाने, जांच और चैक करने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली जांच मशीनों और तुलाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुववर्ती बारह मासों में कम से कम एक बार यथार्थता के लिये प्रमाणित न किये गये हों ;

(ग) उत्थापक साधिन्नों को जांच भार लगाने में प्रयुक्त होने वाले जंगम बाट, जिनका निरापद कार्यकरण भार बीस टन से अधिक नहीं है, यथार्थता के लिये प्रमाणित यथार्थता वाली उपयुक्त तुलन मशीन द्वारा चैक किए जाएंगे।

(8) जांच अथवा जांच के लिये भार लगाने के पश्चात् सम्पूर्ण परीक्षण - जांच अथवा जांच के लिये भार लगाने के पश्चात् प्रत्येक उत्थापक साधिन्न और सहयुक्त गियर की सम्पूर्ण जांच यह देखने के लिये की जाएगी कि जांच के दौरान इनके किसी भाग को नुकसान तो नहीं पहुंचा अथवा वह स्थायी तौर पर विरूपित तो नहीं हो गया।

इस प्रयोजन के लिये उत्थापक साधिन्न या गियर को उस प्रमाण तक खोला जाएगा जिसे सक्षम व्यक्ति आवश्यक समझता है।

अनुसूची - 2
भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में अधिसूचनीय
उपजीविका जन्य रोग

(नियम 230 (क) देखें)

1. उपजीविकाजन्य त्वचा शोध
2. उपजीविकाजन्य कैंसर
3. एस्वे स्टोसिस
4. सिलिकोसिस
5. सीसा विषाक्तता जिसमें सीसे की किसी निर्मिती या सम्मिश्रण या उनके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है।
6. बैनजोन विषाक्तता जिसमें इसकी किसी सजातीय, उनके नाइट्रो अथवा अमाइडो व्युत्पन्न या इसके अनुगम की विषाक्तता सम्मिलित है।
7. उपजीविकाजन्य दमा
8. जीवनाशी विशाक्तता
9. कार्वन मोनो आक्साइड विषाक्तता
10. विषैली पीलिया
11. विषैली रक्तक्षीणतता

12. संपीड़ित वायु रुग्णता (रो नीष कोष्ठक)
13. शोर प्रेरित श्रवण क्षति
14. आइसोसाइनेट विषाक्तता
15. विषैली नैफाइटिस

अनुसूची - 3

प्राथमिक उपचार पैटिका की अंर्तवस्तु

(नियम 231 (ख) देखें)

(i) आसुल जल अथवा उपयुक्त द्रव से भरी नेत्र धवन बोतलों की पर्याप्त संख्या जो सदैव दृश्यमान सुभेदक चिन्ह द्वारा उपदर्शित होगी।

(ii) 4% जाइलोकेन आई ड्राप्स और बौरिक एसिड आई ड्राप्स और सोड़ा बाई कार्बोनेट आई ड्राप्स।

(iii) चौबीस छोटी विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(iv) बारह माध्यम आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(v) बारह बड़े आकार की विसंक्रमित मरहम पट्टी।

(vi) बारह बड़े आकार की विसंक्रमित बर्न मरहम पट्टी।

(vii) बारह (पन्द्रह से.मी.) विसंक्रमित रूप के पैकेट।

(viii) सिटरी माईड घोल (1 प्रतिशत) या उपयुक्त पूर्तिरोधी घोल का बोतल (दो सौ मि.ली.)

(ix) पानी में मरक्यूरोक्रोम (2 प्रतिशत) घोल की 1 बोतल (दो सौ मि.ली.)

(x) ऐमोनियम कार्बोनेट के 1 बोतल (एक सौ बीस मि.ली.) जिसके लेबल पर डोज और उसको देने/लगाने की रीति उपदर्शित हो।

(xi) एक कैंची।

(xii) आसंजक प्लास्टर का एक रोल (छः से.मी.* एक मीटर)

(xiii) आसंजक प्लास्टर के दो रोल (दो से.मी. * एक मीटर)

(xiv) पृथक पैकेट में सीलबंद बारह विसंक्रमित आई पैड।

(xv) सौ एस्प्रिन या अन्य कोई पीड़ाहारी गोलियां (प्रत्येक तीन सौ पच्चीस मि.ग्रा. की) से युक्त एक बोतल।

(xvi) दस से.मी. चौड़ी बारह रोलर पट्टियां।

(xvii) पांच से.मी. चौड़ी बारह रोलर पट्टियां।

(xviii) एक टुर्निकेट।

(xix) उपयुक्त स्पलिन्ट की पूर्ति।

(xx) सुरा पिन के तीन पैकेट।

(xxi) गुरदा ट्रे

(xxii) एक सर्पदंश नश्तर

(xxiii) पोटाशियम परमेगनेट क्रिस्टलस से युक्त एक बोतल (तीस मि.ली.)

(xxiv) मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी किये गये प्राथमिक उपचार के पर्चे की एक प्रति।

(xxv) छः त्रिभुजाकार पट्टियां।

(xxvi) दो उपयुक्त, विसंक्रमित, असंस्कृत खंड के दस्तानों के जोड़े।

अनुसूची - 4

(नियम 226 (ग) देखें)

एम्बुलेंस कमरे के लिये विषय सूची :-

(i) एक कांचक सिंक जिसमें गर्म और ठण्डा पानी सदैव उपलब्ध रहे।

(ii) चिकने फलक वाली एक मेज जो कम से कम 180 से.मी. * 105 से.मी. हो।

(iii) उपकरणों को विसंक्रमित करने के साधन।

(iv) एक कोच।

(v) दो स्ट्रक्चर।

(vi) दो बाल्टियां अथवा पात्र जिनके ढ़क्कन मजबूती से बंद होते हों।

(vii) दो रबड़ के गर्म पानी के थैले।

(viii) एक केतली और स्पिरिट स्टोव अथवा पानी उबालने का कोई उपयुक्त साधन।

(ix) बारह लकड़ी के समतल स्पलिट 900 से.मी. * 100 से.मी. * 6 से.मी.

(x) बारह लकड़ी के समतल स्पलिन्ट 350 से.मी. * 75 से.मी. * 6 से.मी.

(xi) छह लकड़ी के समतल स्पलिन्ट 250 से.मी. * 50 से.मी. * 12 से.मी.

(xii) छह उन के कंबल

(xiii) तीन धमनी चिमटी के जोड़े।

(xiv) स्पिरिट एनिमी एरिमेंशन की एक बोतल (120 मि.ली.)

(xv) स्मैकिंग साल्ट (60 ग्राम)

(xvi) दो मध्यम आकार की स्पंज

(xvii) छह छोटे तौलिये।

(xviii) चार गुरदा ट्रे।

(xix) चार हाथ धोने के साबुन की जो अधिमानतः पुतिरोधी हो, टिकियां

(xx) दो कांच के गिलास और दो कार्बन के गिलास।

(xxi) दो क्लिनिकल थर्मामीटर।

(xxii) दो छोटे चम्मच

(xxiii) दो अंशाकित मापन गिलास (120 मि.ली.)

(xxiv) दो न्यूनतम मापन गिलास।

(xxv) आँखें धोने के लिये वाश बोतल (1000 सी.सी.)

(xxvi) कार्बोलिक लोशन - 20 में की एक बोतल (एक लीटर)

(xxvii) तीन कुर्सियां।

(xxviii) एक स्क्रीन।

(xxix) एक छोटी चोर बत्ती।

(xxx) चार प्राथमिक उपचार पेटिकाएं या अलमारियां जिनमें अनुसूची 7 में विहित मानकों के अनुसार सामान हो।

(xxxi) टैटनस टोक्साईड की पर्याप्त पूर्ति।

(xxxii) मार्फिया, पेथिडाइन, एट्रोफिन, एडरेनेलिन, कोरामाइन, नाबोकाइन के टीके

(प्रत्येक 6)

(xxxiii) क्रमाइन द्रव (60 मि.ली.)

(xxxiv) एन्टीहिस्टामिनिक एन्टीस्थास्मोडिक की गोलियां (प्रत्येक 25)

(xxxv) सिरिंजे-2 सी.सी., 5 सी.सी., 10 सी.सी. और 500 सी.सी. की सूईयों के साथ।

(xxxvi) तीन शल्यक कैंचियां।

(xxxvii) दो सुई पकड़ने वाले, एक छोटा और एक बड़ा।

(xxxviii) टाका लगाने वाली सुईयां और सामान।

(xxxix) तीन विच्छेदन करने वाली चिमटियां।

(xxxx) तीन मरहम पट्टी करने वाली चिमटियां।

(xxxxi) तीन क्षुरिकाएं।

(xxxxii) एक परिक्षावक और एक बी.पी. उपकरण।

(xxxxiii) रबर पट्टी-दाव पट्टी।

(xxxxiv) आक्सीजन सिलेंडर आवश्यक संलाग्रकों के साथ।

(xxxxv) ट्रोपाइन आंखों का विलेषन।

(xxxxvi) आई.बी. तरल और सेट 10 की संख्या में।

(xxxxvii) उचित, पाव में खुलने वाले, ढ़क्कन वाले, कचरे के पात्र।

(xxxxviii) पर्याप्त संख्या में विसंक्रमित, असंस्कृत रबड़ के दस्तानों के जोड़े।

अनुसूची - 5

एम्बुलेन्स वैन अथवा गाड़ी की अन्तर्वस्तुएँ

(नियम 277 देखें)

एम्बुलेंस वैन में ऐसे उपस्कर होंगे जो निम्न विहित हैं -

(क) साधारण - एक वहनीय स्ट्रेचर जिसके साथ मुड़ना और समायोजी युक्तियां हों, साथ ही स्ट्रेचर का शीर्ष ऊपर मुड़ने में समर्थ हो। उपस्कर के साथ स्थिर चूषण इकाई। उपस्कर के साथ स्थिर आक्सीजन आपूर्ति/तकिया गिलाफ के साथ, चादरें, कम्बल, तौलिए, आपातकालीन थैला, बैड-पैन, मूत्रपात्र-गिलास।

(ख) सुरक्षा उपस्कर : तीन हजार मिनट तक सक्रिय रहने वाला फ्लारोस, फ्लोर लाइटें, फ्लैश लाइटें, अग्निशामक (शुष्क पावर टाइप), विद्युतरोधी गन्टलेट।

(ग) आपातकालीन देख-भाल उपस्कर :

(i) **पुनरूज्जीवन :** वहनीय चुषण इकाई, वहनीय आक्सीजन इकाई, बेगबाल्व मास्क, हाथ से चलने वाली कृत्रिम रबातन इकाई, वायु मार्ग, माउथगैग-ट्रेकियोस्टोमी अनुकूलक, छोटा स्पाइन बोर्ड, अन्तः शिररीय तरल लगाने वाली इकाई के साथ, रक्तचाप मेनोमीटर, कफ परिश्रावक।

(ii) **अनम्यता :** लम्बे और छोटे गद्देदार बोर्ड, तार सीढ़ी स्पलिट, त्रिभुजाकार पट्टी-लम्बे और छोटे स्पाइन बोर्ड।

(iii) **मरहम पट्टी :** गाज पैड - 100 मी.* 100 मि.ली. युनिवर्सल मरहम पट्टी 250*1000 मि.ली. एल्युमिनियम फाइल का रोल, साफ्ट रोलर पट्टी 150 मि.मी. * 5 मि.मी. गज चिपकने वाली टेप 75 मि.मी. के रोल में सेफ्टी पिन, बेन्डेज शीट, बर्न शीट।

(iv) **विषाक्तता** : इपेकाक का सिरप, सक्रियित चारकोल पूर्व पेकेटिड डोरा, सर्पदंश किट, पीने का पानी ।

(v) **आपातकालीन दवाईयां** : आवश्यकतानुसार (निर्माण चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन)

अनुसूची - 6

निरन्तर शोर के मामले में अनुज्ञेय उच्छन्न ।

(नियम 34 देखें)

उच्छन्न का कुल समय (निरंतर अथवा अल्पकालीन उच्छन्नों की संख्या) प्रतिदिन घंटो में	ध्वनि दाब स्तर (डी.बी.ए.)
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
11/2	102
1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

टिप्पणियां - 1, 115 डी.बी.ए. से अधिक का कोई उच्छन्न अनुज्ञान नहीं है ।

2. उच्छन्न की किसी ऐसी अवधि के लिये, जो स्तंभ 1 में उपदर्शित किसी अंक और उसके निकटतम ऊपर वाले अथवा नीचे वाले अंक के बीच में आती है, ध्वनि दाब स्तर अनुपातिक आधार पर बर्हिर्बेष्न द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

अनुसूची - 7

भवन निर्माण कर्मकारों की चिकित्सीय जांच की आवर्तिता

(नियम 81 (iv) और 223 (क) (iii) देखें)

1. नियोजक ऐसी सभी भवन निर्माण कर्मकारों की जो उत्थापक साधिन्नो अथवा परिवहन उपस्करों में चालकों, आपरेटरों के रूप में नियुक्त है, नियुक्ति के पूर्व और बीमारी अथवा शारीरीक क्षति के पश्चात् यदि यह प्रतीत होता है कि बीमारी अथवा शारीरीक क्षति उसकी समर्थता को प्रभावित किया है और उसके पश्चात् चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष मे एक बार चिकित्सीय जांच की व्यवस्था करेगा ।

2. चिकित्सीय जांच का सम्पूर्ण और गोपनीय अभिलेख नियोजक अथवा नियोजक द्वारा

प्राधिकृत चिकित्सक रखेगा ।

3. चिकित्सीय जांच में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) संपूर्ण चिकित्सीय और उपजीविकीय इतिहास

(ख) निम्न के प्रति विशिष्ट निर्देश में रोग विषयक जांच :-

(i) सामान्य शरीर गठन :

(ii) दृकशक्ति : मानक और थेरेटर जैसे कि टिटमस दृकशक्ति परीक्षक का उपयोग करके टोटल विजुअल परफार्मेंस का प्राक्कलन किया जायेगा और विहित नौकरी मानों के अनुसार नियोजन की उपयुक्तता अभिनिश्चित की जायेगी ।

(iii) श्रवणशक्ति : सामान्य श्रवण वाले व्यक्ति किसी फोर्सड सरगोशी को चौबीस फुट की दूरी से सुनने में समर्थ होने चाहिए। श्रवण सहाय प्रयोग में लाने वाला व्यक्ति कोलाहलपूर्ण कार्यकरण परिस्थितियों में चेतावनी पुकार सुनने में समर्थ होना चाहिए ।

(iv) श्वसन : मानक पीक फ्लों मीटर का प्रयोग करते हुए पीक फ्लो दर का और इस प्रकार की गई जांच के पाठयांको से औसत पीक फ्लो दर का निर्धारण । पूर्व नियोजन चिकित्सीय जांच के अभिलिखित परिणाम उस व्यक्ति के, उसी ऊंचाई पर पश्चात्वर्ती जांचों के लिए मानक निर्देश के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं ।

(v) ऊपरी अंग : पर्याप्त बाजू कृत्य और पकड़ (दोनों बाजुओं की)

(vi) निचला अंग : पर्याप्त टांग और पांव कृत्य

(vii) रीढ़ की हड्डी : संबंध नौकरी के लिये पर्याप्त लचीली ।

(viii) साधारण : अच्छे आंख, हाथ-पांव समन्वयन के साथ दिमागी सतर्कता और स्थिरता ।

(ग) अन्य कोई परीक्षण जिसे जांच करने वाला डाक्टर आवश्यक समझता है ।

अनुसूची - 8

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं, कर्तव्य इत्यादि

(नियम 209 (1) और 209 (2) देखें)

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या

इन नियमों के प्रवर्तन के छह माह के भीतर प्रत्येक ऐसी स्थापन जो पांच सौ से अधिक भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करती है और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रत्येक नियोजक सुरक्षा अधिकारियों की, जैसा कि नीचे दिये गये मापमान में अधिकथित किया गया है, नियुक्ति करेगा :-

1. 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - एक सुरक्षा अधिकारी
2. 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - दो सुरक्षा अधिकारी
3. 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - तीन सुरक्षा अधिकारी
4. 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तक - चार सुरक्षा अधिकारी

प्रत्येक अतिरिक्त 5000 भवन निर्माण कर्मकारों या उसके भाग के लिये एक सुरक्षा अधिकारी ।

कोई भी नियुक्ति, जिस समय की जाए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की सेवा की अर्हताओं, निर्बधनों और शर्तों के पूरे ब्यौरे के साथ में क्षेत्र में अकारिता रखने वाले इन्सपेक्टर को अधिसूचित की जाएगी ।

अर्हताएं :

(क) कोई व्यक्ति तब सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब होगा जबकि वह :

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला को किसी शाखा में मान्यता प्राप्त उपाधि रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में 2 वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो अथवा इंजिनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो और उसे किसी भवन निर्माण या किसी अन्य निर्माण कार्य में पर्यवेक्षक की हैसियत में कम से कम पांच वर्ष के कार्य का व्यवहारिक अनुभव हो;

(ii) औद्योगिक सुरक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता हो जिसका कम से कम एक पेपर निर्माण सुरक्षा (ऐच्छिक विषय के रूप में) हो; और

(iii) उस निर्माण स्थल के, जहां उसकी नियुक्ति की जानी है, बहुसंख्यक भवन निर्माण कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की पर्याप्त जानकारी रखता हो।

(ख) खण्ड (क) में किसी उपबंध के होते हुए कोई व्यक्ति जो :-

(i) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या स्थापत्यकला में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा रखता है और ऐसे क्षेत्र में जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 या डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के प्रशासन से जुड़ा है, कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखता है;

(ii) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मान्यता उपाधि या डिप्लोमा रखता है और या भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग पत्तन किसी संस्था से या किसी स्थापन में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में शिक्षा, परामर्श या अनुसंधान का प्रशिक्षण लिया हो;

सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह कि, ऐसे व्यक्ति के मामले में जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से जुड़े किसी उद्योग या पत्तन, संस्था या किसी स्थापन में सुरक्षा अधिकारी के रूप में अवधि से कार्य कर रहा हो, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को कम से कम तीन वर्ष की मुख्य निरीक्षक, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें विनिर्दिष्ट कर सकता है, उपर्युक्त अर्हताओं में से सभी को या किसी को शिथिल कर सकता है।

सेवा की शर्तें :

(क) जहां नियुक्त सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां उनमें से एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसकी हैसियत अन्यों से ऊपर होगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपखंड में परिकल्पित सभी सुरक्षा कृत्यों का और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले अन्य सुरक्षा अधिकारियों के समग्र प्रभार में होगा।

(ख) मुख्य सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अधिकारी जहां केवल एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त है, को वरिष्ठ कार्यपालक की हैसियत प्रदान की ताकि अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सके।

(ग) सुरक्षा अधिकारियों जिनमें मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी सम्मिलित है। वेतनमान और भत्ते प्रदाय किये जाएंगे और उनकी सेवा की शर्तें भी वहीं होगी को उस स्थापन के जिसमें के नियोजित हैं के तत्समान अधिकारियो की हैं।

सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य :

(क) सुरक्षा अधिकारियों का कर्तव्य नियोजक को उसकी कानूनी अथवा अन्य वैयक्तिक क्षति की रोकथाम और सुरक्षित कार्यकरण वातावरण बनाए रखने संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सलाह और सहायता देना है। इन कर्तव्यों में निम्न हैं, अर्थात :-

(i) भवन निर्माण कर्मकारों को, वैयक्तिक क्षति को प्रभावी नियंत्रण के उपायों की योजना बनाने और उनके आयोजन करने के लिए सलाह देना;

(ii) भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में सुरक्षा पहलुओं पर सलाह देना और चुनिंदा कार्यकलापों का ब्यौरेवार सुरक्षा अध्ययन करना;

(iii) वैयक्तिक क्षति की रोकथाम के लिये किये गये उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों की जांच पड़ताल और मूल्यांकन करना;

(iv) वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण की खरीद की सलाह देना और उसकी क्वालिटी को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना;

(v) भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की, कार्य की भौतिक परिस्थितियों और भवन सुरक्षा निरीक्षण करना और असुरक्षित भौतिक परिस्थितियों को दूर करने और भवन न्रिर्माण कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले असुरक्षित कार्यों को रोकनें के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना;

(vi) सभी घातक और चुनिंदा दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना;

(vii) उपजीविकाजन्य रोग लगने के मामलों और रिपोर्ट किए जाने योग्य खतरनाक घटनाओं का अन्वेषण करना;

(viii) ऐसे अभिलेखों को, जो दुर्घटनाओं खतरनाक घटनाओं और उपजीविकाजन्य रोगों के संबंध में आवश्यक है बनाए रखने पर सलाह देना;

(ix) सुरक्षा समितियों के कार्यकरण को बढ़ावा देना और ऐसी समितियों के सलाहकार के रुप में कार्य करना;

(x) संबंधित विभागों के सहयोजन से अभियान, प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों का, जो भवन निर्माण कर्मकारों की कार्य की सुरक्षित परिस्थितियों और प्रक्रियाओं की स्थापना में अभिरूचि बढ़ाए और बनाए रखे;

(xi) भवन निर्माण कर्मकारों की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्वतंत्र रूप से अन्य अभिकरणों के सहयोग से उपयुक्त प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम चलाना;

(xii) स्थापन के ज्येष्ठ अधिकारियों के परामर्श से सुरक्षा नियमों और सुरक्षित कार्यकरण पद्धतियों का बनाना;

(xiii) स्थापन के भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लिये जाने वाले सुरक्षा पुर्वावधानियों कार्य पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना। सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं।

सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाएं :

नियोजक प्रत्येक सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं उपस्कर और जानकारी उपलब्ध कराएगा जो उसके कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हैं।

अन्य कर्तव्यों के पालन का निषेध :

कोई सुरक्षा अधिकारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसी कोई कार्य करने की अनुज्ञा नहीं होगी जो उपखंड 4 में विहित कर्तव्यों से जुड़ा न हो, असंगत हो अथवा उनके पालन में अहितकर हो।

छूटे :

मुख्य निरीक्षक, किसी नियोजक अथवा नियोजकों के किसी अन्य समूह को उसके द्वारा ऐसी छूटों के आदेश में अनुमोदित और अधिसूचित किसी अनुकंपी इंतजाम के अनुपालन के अधीन इन नियमों के किसी या सभी उपबंधों से लिखित में छूट दे सकता है।

अनुसूची - 9

(नियम 225 देखें)

परिसंकटमय प्रक्रिया :

(1) छत का कार्य
(2) इस्पात का निर्माण
(3) पानी के भीतर और ऊपर कार्य
(4) भंणित करना
(5) परिरुद्ध स्थानों में कार्य

अनुसूची - 10

(नियम 225 (ख) देखें)

व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाएं और सुविधाएं :-

(1) ऐसे भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में जो एक हजार तक कर्मकारों का नियोजन करता है, के लिये एक पुर्णकालिक निर्माण चिकित्सा अधिकारी और प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार कर्मकारों और उसके भाग के लिये एक अतिरिक्त निर्माण चिकित्सा अधिकारी ।

(2) प्रत्येक निर्माण चिकित्सा अधिकारी के साथ पूर्ण कार्य-घंटों के लिए स्टाफ जिसमें एक नर्स, एक ड्रेसर एवं कम्पाउन्डर सफाई वाला एवं वार्ड बॉय सम्मिलित है।

(3) व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसका फर्श क्षेत्र के न्यूनतम पन्द्रह वर्ग मीटर हो जिस पर चिकनी दीवारों और इनपोतियश सेवा वाले दो कमरे बने हो और जो पर्याप्त मात्रा में प्रदीप्त और संवातित हों।

(4) रोजमर्रा के उपचार के लिये पर्याप्त उपस्कर।

(5) किसी चिकित्सीय आपातकाल के नियंत्रण के लिये आवश्यक उपस्कर।

अनुसूची - 11

(नियम 119 (2) और नियम 225 (ग) देखें)

निर्माण चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं :-.

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम.बी.एस. की उपाधि; और

(2) औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण का समतुल्य स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र।

(3) एक चिकित्सा अधिकारी के लिये जिसे खानों, पत्तन तथा डाक कारखानों और भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारों की नीति निष्पादन तथा सलाह और सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े संगठन/स्थापन में कम से कम तीन वर्ष का कार्यकरण अनुभव हो, मुख्य निरीक्षक के समाधान के अधीन, ऊपर मद (2) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का रखना आवश्यक नहीं है।

(4) उपरोक्त प्रमाण-पत्र के लिये पाठ्यक्रमों का पाठ्य विवरण और ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठन राज्य सरकार से अनुमोदित होंगे और वह समय-समय पर ऐसे संगठनों का पैनल बना सकेगी।

(5) निर्माण चिकित्सा अधिकारी के नाम, अर्हता और अनुभव सहित सम्पूर्ण विशिष्टियां अधिकारिता रखने वाले इन्सपेक्टर को प्रज्ञापित की जाएगी।

अनुसूची - 12

कार्यानुकूल वातावरण में कतिपय रासायनिक पदार्थों का अनुज्ञान स्तर

(नियम 152 (क) देखें)

क्रम संख्या	पदार्थ	उच्छन्न की अनुज्ञा सीमा टाईम-बेएड औसत् सांद्रता (टी डब्ल्यू ए)		लघु-अवधि उच्छन्न की सीमा (एस.टी.ई.एल) (15 मिनट)	
		पी.पी.एम. (8 घंटे)	मि.ग्रा/मि.	पी.पी.एम.	मि.ग्रा./मि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	एसिटेलडीहाइड	100	180	150	270
2.	एसिटिक एसिड	10	25	15	37
3.	एसिटोन	750	1780	1000	2375
4.	एरोलिन	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	एकरिलोनाइटराइल-त्वचा (एस.सी.)	2	4.5	-	-
6.	एल्ड्रिन-त्वचा	-	0.25	-	-
7.	एलाइल क्लोराइड	1	3	2	6
8.	अमोनिया	25	18	35	27
9.	एनीलाईन-त्वचा	2	10	-	-
10.	एनीसाइडाइन (ओ-पी-आइसोमर)-त्वचा	0.1	0.5	-	-
11.	आरसिनिक और विलेय सम्मिश्रण (ए.एस.के रूप में)	-	0.2	-	-
12.	बेनजीन (एस.सी.)	10	30	-	-
13.	बेरिलियम और सम्मिश्रण (बी.ई.के रूप में) (एस.सी.)	-	0.002	-	-
14.	बोरोन ट्राइफ्लोराइड-सी	1	3	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	ब्रोमीन	0.1	0.7	0.3	2
16.	ब्यूटेन	300	1900	-	-
17.	2. ब्यूटानोन (मेथायल कीटोन-एम.बी.के)	200	590	300	885
18.	एन-ब्युटाइल एसीटेट	150	710	200	950
19.	एन-ब्युटाइल एल्कोहल-त्वचा-सी	50	150	-	-
20.	सेकेण्डरी/टर्शरी ब्युटाइल एसीटेट	200	950	-	-
21.	ब्युटाइल मर्कपटान	0.5	1.5	-	-
22.	केडमियम धूल और साल्ट (सीडी के रूप में)	-	0.05	-	-
23.	केल्शियम आक्साइड	-	2	-	-
24.	कार्बटाइल (संविन)	-	5	-	-
25.	कार्बोफ्युरान (फ्युराडान)	-	0.1	-	-
26.	कार्बन डाइसल्फाइड-त्वचा	10	30	-	-
27.	कार्बन मोनोआक्साइड	50	55	400	440
28.	कार्बन टैट्राक्लोराइड-त्वचा (एस.सी.)	5	30	-	-
29.	क्लोरडेन-त्वचा	-	0.5	-	-
30.	क्लोरीन	1	3	3	9
31.	क्लोरोबेनजीन (मोनोक्लोरोबेनजीन)	75	350	-	-
32.	क्लोरोफार्म (एस.सी.)	10	50	-	-
33.	बिस (क्लोरोमेथाइल (ईथर) एच.सी.	0.001	0.005	-	-
34.	क्रोमिक एसिड और क्रोमेटस (सी.आर. के रूप में)(पानी में विलय)	-	0.05	-	-
35.	क्रोमस साल्टस (सी.आर.के रूप में)	-	0.5	-	-
36.	कॉपर फ्युम	-	0.2	-	-
37.	काटन धूल, कच्ची	-	0.2*	-	-
38.	क्रिसोल, सभी आइसोमर-त्वचा	5	22	-	-
39.	सायनाइडस (सी.एन.के रूप में)-त्वचा	-	1	-	-
40.	सायनोजेन	10	20	-	-
41.	डी.डी.टी. (डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन)	-	1	-	-
42.	डिमेटोन-त्वचा	0.01	0.1	-	-
43.	डायोजिनोन-त्वचा	-	0.1	-	-
44.	डायब्युटाइल थेलेट	-	5	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	डाइक्लोरवोस (डी.डी.वी.पी.)-त्वचा	0.1	1	-	-
46.	डाइस्लिड्रन-त्वचा	-	0.25	-	-
47.	डाइनाइट्रोबेनजीन (सभी आइसामर) त्वचा	0.15	1	-	-
48.	डाइनाइट्रोटोलवीन-त्वचा	-	1.5	-	-
49.	जाइफिनाइल (बायफिनाइल)	0.2	1.5	-	-
50.	एन्डोसल्फेन (थायोडेन-त्वचा)	-	0.1	-	-
51.	इन्ड्रिन-त्वचा	-	0.1	-	-
52.	इथायल एसिटेड	400	1400	-	-
53.	इथायल एल्कोहल	1000	1900	-	-
54.	इथायल अमीन	10	18	-	-
55.	फ्लोराइड (एफ के रूप में)	-	2.5	-	-
56.	फ्लोरीन	1	2	2	4
57.	पोरमेल्डीहाइड (एस.सी.)	1.0	1.5	2	3
58.	फोर्मिक एसिड	5	9	-	-
59.	गैसोलीन	300	900	500	1500
60.	हाइड्राजीन-त्वचा (एस.सी.)	0.1	0.1	-	-
61.	हाइड्रोजन क्लोराइड-सी	5	7	-	-
62.	हाइड्रोजन-सायनाइड-त्वचा-सी	10	10	-	-
63.	हाइड्रोजन फ्लोरीन (एफ के रूप में)-सी	3	2.5	-	-
64.	हाइड्रोजन परआक्साईड	1	1.5	-	-
65.	हाइड्रोजन सल्फाइड	10	14	15	21
66.	आयोडीन-सी	0.1	1	-	-
67.	आयरन आक्साइड फ्यूम (एफ.ई.ओ.) (एफ.ई.के रूप में)	-	5	-	-
68.	आइसोएमायल एसीटेट	100	525	-	-
69.	आइसोएमायल एल्कोहल	100	360	125	450
70.	आइसोब्युटायल एल्कोहल	50	150	-	-
71.	सीसा, इनओर्गेनिक धूलें और फ्यूम (पी.बी. के रूप में)	-	0.15	-	-
72.	लिनडेन-त्वचा	-	0.5	-	-
73.	मेलाथिओन-त्वचा	-	10	-	-
74.	मेन्गनीजधूल और सम्मिश्रण (एम एन के रूप में) - सी	-	5	-	-
75.	मेन्गनीज फ्यूम (एम.एन के रूप में)	-	1	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76.	पारा (एच जी के रूप में) - त्वचा				
	(i) एल्कायल सम्मिश्रण	-	0.01	-	0.03
	(ii) सिवाय एल्कायल वाष्प के सभी रूप	-	0.05	-	-
	(iii) एटायल और इनआर्गेनिक सम्मिश्रण	-	0.1	-	-
77.	मिथायल एल्कोहल (मिथोनोल) - त्वचा	200	260	250	310
78.	मिथायल कोलोसाल्व(2 मिथोम्सीइथेनोव-त्वचा	5	16	-	-
79.	मिथायल आइसोब्युटाईल किटोन	50	205	75	300
80.	मिथायल आइसोसायनेट-त्वचा	0.02	0.05	-	-
81.	नेपथालीन	10	50	15	75
82.	निकेल कार्बोनायल (एन आई के रूप में)	0.05	0.35	-	-
83.	नाइट्रिक एसिड	2	5	4	10
84.	नाइट्रिक आक्साइड	25	30	-	-
85.	नाइट्रोबेनजीन-त्वचा	1	5	-	-
86.	नाइट्रोजन डाइआक्साइड	3	6	5	10
87.	आयल मिस्ट मिनरल	-	5	-	10
88.	ओजोन	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	पैरैथिओन-त्वचा	-	0.1	-	-
90.	फिनोल-त्वचा	5	19	-	-
91.	फोरेट (थिमेट)-त्वचा	-	0.05	-	0.2
92.	फॉसजीन (कार्बोक्साइल क्लोराइड)	0.1	0.4	-	-
93.	फॉस फीन	0.3	0.4	1	1
94.	फासफोरिक एसिड	-	1	-	3
95.	पासफोरस (पीला)	-	0.1	-	-
96.	फासफोरस पेन्टाक्लोराइड	0.1	1	-	-
97.	फासफोरस ट्राईक्लोराईड	0.2	1.5	0.5	3
98.	पिअरे-एसिड-त्वचा	-	0.1	-	0.3
99.	पिरिडीन	5	15	-	-
100.	सिलेन (सिलिकोन टैट्राहुडाइड)	5	7	-	-
101.	सोडियम हाइड्रोक्साइड-सी	-	2	-	-
102.	सटाइरीन, मोनोमार (फिलाइल-इथायलीन)	50	215	100	425
103.	सल्फर डाइआक्साइड	2	5	5	10
104.	सल्फर हैक्साफ्लोराइड	1000	6000	-	-
105.	सल्फ्यूरिक एसिड	-	1	-	-
106.	टैट्राइथयल लेड (पी बी के रूप में)-त्वचा	-	0.1	-	-
107.	टोलपून (टोलपुल)	100	375	150	560
108.	ओ-टीलवीडीन-त्वचा (एस.सी.)	2	9	-	-
109.	ट्राइब्यूटवी फास्फेट	0.2	2.5	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110.	ट्राइक्लोराइथायलीन	50	270	200	1080
111.	यूरेनियम प्राकृतिक (यु के रूप में)	-	0.2	-	-
112.	विनायल क्लोराइड (एच.सी.)	5	10	-	-
113.	वेलडिंग फ्यूम	-	5	-	-
114.	जाइलीन (ओ-, एम-,पी-आइसोमर)	100	435	150	655
115.	जिंक आक्साइड				
	(i) फ्यूम	-	5.0	-	10
	(ii) धूल (कुल धूल)	-	10.0	-	-
116.	जिरकोनियम सम्मिश्रण (जेड आर के रूप में)	-	5	-	10

पी पी एम	250 से. और एच.जी के 760 मि.मी. पर वोल्यूम से दूषित वायु के प्रति दस लाख भाग में वाष्प अथवा गैस के भाग
मि.ग्रा./मि.	वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में पदार्थ में मिलीग्राम
*	एक दिन में 4 बार से अधिक नहीं और आनुक्रीमक उच्छनों में कम से कम 60 मिनट का अंतराल हो।
**	मि.ग्रा./मि. =मालीक्यूलर भार * पी.पी. एम. 24.45
जी	अधिकतम सीमा घोतक है।
त्वचा	त्वचीय मार्ग से जिसमें श्लेष्म झिल्ली और आंख भी सम्मिलित हैं, होने वाले समग्र उच्छन्न को संभाव्य अभिदाय का घोतक है।
एस.सी.	संदिग्ध मानवी कर्कट जनकों का घोतक है।
एस.सी.	कुष्ट मानवी कर्कट जनकों का घोतक है।

पदार्थ (1)	अनुज्ञ टाईम-बेएड औसत सांद्रता (टी डब्ल्यू ए) (8 घंटे) (2)	
सिलिका, एस.आई.ओ.		
(i) (क) स्फाटकीय स्फटिक		
(1) धूल गणना के रूप में	10600 / 2% स्फटिक+10	एम.पी.पी.सी.एम.
(2) सासं लेने योग्य धूल के रूप में	10 / % सांस लेने योग्य स्फटिक +2	मि.ग्रा./मी.^{3}
(3) कुल धूल के रूप में	30 / % स्फटिक +3	मि.ग्रा./मी.^{3}
(ii) क्रिस्टोवेलाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी	
(iii) ट्राइडंवमाइट	स्फटिक के प्रति दी गई सीमा से आधी	
(iv) सिलिका, फ्यूस्ट	वह सीमा जो स्फटिक के लिए है	
(v) ट्राइपोली	वह सीमा जो मद (2) में सूत्र में स्फटिक के प्रति दी गई है।	

(ख) एमार्फस सिलिकेट्स	10 मि.ग्रा./मी. कुल धूल
एसबेस्टस (एच सी)	फाइवर्स/मि.ली लम्बाई में 5 मी. से अधिक और चौड़ाई में 3 मी. से कम जिसकालंबाई चौड़ाई अनुपात 3:1 के समतुल्य या अधिक है।
पोर्टलैंड सीमेंट	10 मि.ग्रा./मी. कुल धूल का भाग जिसमें स्फटिक 1% से कम है।
कोयला धूल	2 मि.ग्रा./मी. सांस लेने योग्य धूल का भाग जिसमें स्फटिक 5% से कम है।
एम.पी.पी.सी.एम.	लाईट-फील्ड तकनीकों द्वारा गणित इकपिंगर सैम्पल पर आधारित, वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में दस लाख कण।

* जैसा कि 400-450 * मेग्निफिकेशन (4 मि.मी. आबजेक्टिव फेस कन्ट्रास्ट इल्युमिनेशन पर मेक्करेन फिल्टर विधि द्वारा विमिश्चित।

*** सांस लेने योग्य धूल**

निम्नलिखित लक्षणों वाला भाग जो साइज-सलैक्टर से गुजरता है।

एअरोडायनमिक व्यास (मी.) **(यूनिट डेनसिटी सफीयर)**	सलैक्टर से गुजरने वाला %
(1)	(2)
2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

अनुसूची - 13
प्रसुविधाएं
(नियम 278 (2) देखिए)

क्रमांक	प्रसुविधा का नाम	प्रसुविधा की प्रकृति	वह व्यक्ति, जिसे प्रसुविधा देय होगी	नियम 277 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त पात्रता कि शर्तें यदि कोई हो	उस दर के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जिस पर कि प्रसुविधा दी जा सकेगी	प्रसुविधा दिये जाने की अन्य शर्तें यदि को हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पेंशन					
1.1	वृद्धावस्था पेंशन	मासिक भुगतान	वह व्यक्ति, जो साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के कारण हिताधिकारी नहीं रह जाता हैं।	(1) पात्र व्यक्ति को केवल उसके जीवन काल के दौरान पेंशन दी जाएगी। (2) प्रारंभिक मंजूरी हो जाने के पश्चात्, प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह के लिए पेंशन मंडल द्वारा विहित प्ररूप में, जीवित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।	वृद्धावस्था पेंशन की मासिक दर, हिताधिकारी द्वारा कुल अंशदान और प्रचलित वार्षिकी दरों पर निर्भर होगी	किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके पति/पत्नी/निकटतम संबंधी का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके पश्चात् तत्काल मंडल को सूचित करें।
1.2	परिवार पेंशन	मासिक भुगतान	ऐसे मृत पेंशनर का उत्तरजीवी पति/पत्नी, जिसे कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हो रही थी और उस दशा में, जहां कोई उत्तराजीवी पति/पत्नी	1. परिवार पेंशन का भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों में नही किया जाएगा -- (एक) यदि परिवार पेंशन	परिवार पेंशन की दर सामान्य तौर पर उस रकम का 50 प्रतिशत होगी, जिसका भुगतान वृद्धावस्था पेंशन के रूप में किया जा रहा था।	परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले या उसके निकटतम संबंधी का यह कर्तव्य होगा कि वह कॉलम 5 में खंड 1 के अनुसार जैसे ही परिवार पेंशन का भुगतान बंद कर देना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						आवश्यक हो जावें मंडल को सूचना
			नहीं हो, वहां अवयस्क संतान और/या 21 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां, यदि कोई हो	उत्तरजीवी पति/पत्नी को दी जा रही हो तो ऐसे उत्तरजीवी पति/पत्नी की मृत्यु होने पर या उसके पुनर्विवाह कर लेने पर (दो) यदि परिवार पेंशन का भुगतान अवयस्क संतान और/या 21 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियों को किया जा रहा था, वहां समस्त संतानों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर शेष रख कर टंकित करें।और समस्त अविवाहित पुत्रियों के या तो विवाह हो जाने पर या उनके द्वारा 21वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, 2. प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक नवीकरण कॉलम 4 में, वृद्धावस्था पेंशन के लिए दी गई रीति में यथावश्यक परिवर्तन सहित, आवश्यक होगा।		
1.3	निःशक्तता सहायता और पेंशन	एक मुश्त प्रारंभिक भुगतान के पश्चात् मासिक भुगतान	कॉलम 4 में यथापरिभाषित निःशक्त हिताधिकारी	1. वह हिताधिकारी, जिसे दुर्घटना या रुग्णता के कारण, पर्सन्स विथ डिसऐबिलिटीज (ईक्वल अपारचुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स एण्ड फुल, पार्टीसिपेशन) एक्ट, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 2 में	1. यह प्रमाण-पत्र पेश किए जाने पर कि हिताधिकारी को कॉलम 4 में यथाविनिर्दिष्ट निःशक्तता है, उसे निःशक्त सहायता का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। 2. मण्डल इसके अतिरिक्त हिता	निःशक्तता सहायता और पेंशन के लिये आवेदन-पत्र के साथ, हिताधिकारी, के, कॉलम 4 में यथा परिभाषित निःशक्तता के संबंध में, प्राधिकृत शासकीय चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				यथापरिभाषित निम्नलिखित निःशक्तताओं में से एक या अधिक में अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो, अर्थात :- (एक) अंधत्व (दो) श्रवण शक्ति में कमी (तीन) चलने संबंधी कोई ऐसी निःशक्तता, जो उसे कोई लाभप्रद उद्यम को करने से रोकती हो । 2. प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक नवीकरण कॉलम (4) में खण्ड (2) में वृद्धावस्था पेंशन के लिए दी गई रीति में, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस उपांतरण के साथ आवश्यक होगा कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र निरंतर निःशक्तता का है ।	धिकारी को मासिक निःशक्तता पेंशन मंजूर कर सकेगा, जिसकी दर का विनिश्चय मण्डल द्वारा समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।	होना आवश्यक है ।
2	गृह निर्माण के लिए सहायता	ऋण सामान्यतय तीन किश्तों में देय होगा ।	हिताधिकारी	आवेदन करने के समय हिताधिकारी की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए	ऋण की रकम एक लाख रूपये से अधिक नहीं होगी.	1. निर्माण के लिए ऋण सामान्य तया तीन किश्तों में संवितरितकिया जाएगा और कार्य की प्रगति क्रमशः नींव और छत के लेवल तक होने और पूर्ण होने पर देय होगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	मकान खरीदने या बनाने के लिए ऋण					2. मकान खरीदने के लिए ऋण सीधे उस एजेन्सी को संवितरित किया जाएगा, जिससे कि माकान खरीदा जा रहा है । 3. ऋण के रूप में मंजूर की गई रकम और उस पर देय ब्याज, समान मासिक या त्रैमासिक किश्तों में, जैसा कि मण्डल नियत करें, वसूल किया जाएगा । 4. ऋण पर ब्याज की दर ऐसी होगी जो कि मण्डल द्वारा समय समय पर विनिश्चित की जाए ।
2.2	गृह निर्माण वित्तीय संस्था से लिए गए गृह निर्माण ऋण पर ब्याज सब्सिडी	वार्षिक भुगतान	हिताधिकारी	हिताधिकारी द्वारा गृह निर्माण ऋण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी गृह निर्माण वित्तीय संस्था से अभिप्राप्त किया गया होना चाहिए,	इस मार्गदर्शी सिद्धांत को ध्यान में रखकर जैसा मण्डल द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए कि ब्याज सब्सिडी की दर, मंडल द्वारा और उसके द्वारा अनुमोदित गृह वित्त संस्था (संस्थाओं) द्वारा गृह निर्माण ऋण पर प्रभारित ब्याज की दर के बीच अन्तर से कम से कम एक प्रतिशत बिन्दु अधिक हो, उदाहरण के	किसी वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी का भुगतान यह साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा कि ऋण देने वाली संस्था को उस वर्ष के लिए देय समस्त किश्तों का भुगतान हिताधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से कर दिया गया है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					लिए यदि गृह निर्माण ऋण पर मण्डल द्वारा तथा किसी अनु-मोदित वित्तीय संस्था द्वारा प्रभारित ब्याज की दरें क्रमशः 8% और 12% हो तो ब्याज सब्सिडी की दर सामान्यतयां कम से कम (12-8+1=) 5% होना चाहिए।	
3	शिक्षा सहायता					
3.1	छात्रवृत्ति	वार्षिक भुगतान	(एक) हिताधिकारी की संतान (दो) महिला हिताधिकारी (तीन) हिताधिकारी की पत्नी	1. संतान/महिला हिताधिकारी /पत्नी को मण्डल द्वारा अनुमोदित पूर्णकालिक अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना चाहिए। 2. किसी दिए गए समय के लिए, किसी हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होंगी। 3. संतान/महिला हिताधिकारी /पत्नी को किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो। 4. किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् ही देय होगा। 5. महिला हिताधिकारी /हिताधिकारी		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				की पत्नी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
3.2	शिक्षा ऋण	ऋण एक समय में एक वर्ष के लिए संवितरित किया जाना है।	हिताधिकारी	1. हिताधिकारी को उस वर्ष में, जिस वर्ष कि ऋण संवितरित किया गया है, 55, वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। 2. उस संतान को, जिसकी शिक्षा के लिए ऋण दिया गया है, मण्डल द्वारा अनुमोदित पूर्णकालिक वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, जिसमें कि प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता हायर सेकेन्डरी (10+2) है, अध्ययनरत् होना चाहिए।		1. ऋण के रूप में मंजूर की गई रकम और उस पर देय ब्याज, समान मासिक अथवा त्रैमासिक किश्तों में, जैसा कि मण्डल द्वारा नियत की जाए। वसूल की जाएगी। 2. ऋण पर ब्याज की कर ऐसी होगी जैसा कि मंडल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।
3.3	शिक्षा ऋण के लिए ब्याज भुगतान सब्सिडी	वार्षिक भुगतान	(एक) हिताधिकारी की संतान (दो) महिला हिताधिकारी (तीन) हिताधिकारी की पत्नी	कालम 3 में उल्लेखित व्यक्ति द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी वित्तीय संस्था से शिक्षा ऋण अभिप्राप्त किया गया हो।	गृह निर्माण ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के सामने कालम 5 में यथाविनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि मण्डल द्वारा समय-समय पर, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित अवधारित किया जाए।	गृह निर्माण ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के सामने कालम 6 में यथाविनिर्दिष्ट
3.4	मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार	एक मुश्त भुगतान	हिताधिकारियों की संतान	1. प्रत्येक जिले में हिताधिकारियों की ऐसी तीन पुरूष तथा तीन महिला सन्तान, जिन्होंने हाईस्कूल तथा हायर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि छात्र ने कुल अंको के कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों। 2. किसी हिताधिकारी की प्रत्येक ऐसी संतान, जिसमें छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी इंजीनियरिंग या चिकित्सा महाविद्यालय या पालीटेक्निक में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।		
4	आय संवर्धन हेतु सहायता	निर्माण कार्य में उपयोग में आने वाले औजारों तथा छोटी मशीनों को खरीदने के लिए ऋण		हिताधिकारी	1. आवेदन करते समय हिताधिकारी की आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 2. इस प्रसुविधा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा औजार तथा/या मशीनें नियमित तथा प्रतिष्ठित व्यापारी से, जो कि मण्डल द्वारा अनुमोदित किए जाएं, खरीदे जाना चाहिए।	1. ऋण के रूप में मंजूर की गई रकम तथा उस पर देय ब्याज की वसूली समान मासिक या त्रैमासिक किश्तों में, जैसा कि मण्डल द्वारा नियत की जाएं, वसूल की जाएगी। 2. ऋण पर ब्याज की दर ऐसी होगी, जो मण्डल द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।
4.1	औजारों तथा छोटी मशीनों को खरीदने के लिए सहायता					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2	अनुपूरक. आय अर्जित करने वाले कार्यकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी	वार्षिक भुगतान	सहकारी सोसाइटियाँ/हिताधिकारियों की पत्नियों के स्व-सहायता समूह	कालम 3 में वर्णित सहकारी सोसायटी/स्व-सहायता समूह ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या मंडल द्वारा अनुमोदित किसी वित्तीय संस्था से समनुषंगी आर्थिक कार्यकलापों के लिए ऋण प्राप्त किया हो।	ऋण की रकम अधिकतम 4% के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि मंडल द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए।	गृह निर्माण ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के सामने कालम 6 में यथाविनिर्दिष्ट
5	विवाह सहायता	हिताधिकारी की पुत्री तथा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु अनुदान	हिताधिकारी	हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता मंजूर की जाएगी।		
6	चिकित्सा सहायता	हिताधिकारी की, उसके पति/पत्नी की तथा उसकी अव्यस्क संतानों की बड़ी बीमारियों	हिताधिकारी	हिताधिकारी या उसके परिवार के सदस्य किसी बड़ी बिमारी के उपचार के लिए कम से कम पांच दिन के लिए अस्पताल में भरती रह चुके हों।	सहायता सामान्यतः - (एक) (क) उपचार पर हुए वास्तविक व्यय के; और (ख) किसी बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त होने योग्य दावे के या नियोजक से प्राप्त सहायता, यदि कोई हो, के	(एक) बड़ी बीमारी तथा सहायता के लिए अनुज्ञेय उपचार पर व्यय की मदों को, मंडल द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिभाषित किया जाएगा। (दो) अस्पताल, जिसमें भरती

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		के इन्डोर चिकित्सीय उपचार के लिए अनुदान			बीच अंतर तक, अथवा (दो) उपचार पर हुए वास्तिविक व्यय के 50% तक; अथवा (तीन) रुपये 50,000/- तक जो भी कम हो, सीमित होगी ।	किया गया हो, सरकारी अस्पताल मंडल द्वारा अनुमोदित अस्पताल हो ।
7	प्रसूति सहायता	गर्भवती महिला हिताधिकारी को अनुदान	महिला हिताधिकारी	1. प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 2. किसी हिताधिकारी को दो बार से अधिक के लिए प्रसुविधा अनुज्ञात नहीं की जायेगी ।		गर्भावस्था की अंतिम तिमाही (ट्राइमिस्टर) में प्रसुविधा दी जाएगी
8	बीमा सहायता	हिताधिकारियो को समूह बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाना	हिताधिकारी	-	-	1. समूह बीमा योजना की प्रसुविधाओं का प्रकार तथा उनकी दर ऐसी होगी, जैसी कि मण्डल द्वारा बीमा करने वाली संस्था से परामर्श करने के पश्चात् विनिश्चित की जाए । 2. समूह बीमा योजना की पूरी प्रीमियम का भुगतान मंडल द्वारा
8.1	समूह बीमा					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						किया जाएगा।
8.2	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	लाइफ वार्षिक प्रीमियम/निःशक्तता/चिकित्सा बीमा के आंशिक भुगतान के लिए अनुदान	हिताधिकारी	हिताधिकारी द्वारा किसी संस्था की जीवन/निःशक्तता/चिकित्सा बीमा पालिसी में अभिदाय किया जाना चाहिए जो दोनो ही मंडल द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।	सहायता सामान्यतः हिताधिकारी द्वारा देय वार्षिक प्रीमियम के 50% से अधिक नहीं होगी।	किसी वर्ष के लिए सहायता यह साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाने पर देय होगी कि उस वर्ष के लिये देय प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है।
9	मृत्यु की दशा में सहायता					
9.1	अंत्येष्टि सहायता	एक मुश्त अनुदान	मृत हिताधिकारी के निकटतम संबंधी	मृत्यु के सात दिनों के भीतर आवोदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।		
9.2	मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान	एक मुश्त अनुदान		मृत हिताधिकारी का नामनिर्देशिती/निकटतम संबंधी	हिताधिकारी की मृत्यु आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास या किसी अन्य अपराध के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।	

प्ररूप

प्ररूप - 1

(नियम 23 (1) देखें)

भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य होना है।
2. स्थापना का डाक पता
3. स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो।
4. स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता।
5. स्थापन में हो चुके/होने वाले भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य की प्रकृति।
6. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कार्यकारों की अधिकतम संख्या
7. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख।
8. भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य समाप्त होने की अनुमानित तारीख।
9. परिनिष्ट मांग ड्राफ्ट की विशिष्टियां (भारतीय यूनियन बैंक का नाम, रकम, मांग ड्राफ्ट और तारीख)

नियोजक द्वारा घोषणा :

(i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(ii) मैं भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें नियनियमन)अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।

प्रमुख नियोजक
मुद्रा और स्टाम्प

भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन)
अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गये छत्तीसगढ़ नियमों के
अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

आवेदन प्राप्ति की तारीख

प्ररुप - 2

(नियम 24 (1) देखें)

छत्तीसगढ़ शासन

सं. क्र.......................... तारीख...................

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

भवन निर्माण और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 7 की उपधारा (3) के और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपाबंध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स...................को निम्नलिखित विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

1. उस स्थान का डाक पता/अवस्थिति जहां नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।
2. नियोजक का नाम और पता जिसमें भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की अवस्थिति भी सम्मिलित है।
3. स्थापन का नाम और स्थायी पता।
4. उस कार्य की प्रकृति जहां भवन निर्माण कर्मकार नियोजित है या नियोजित किये जाने हैं।
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख।
7. भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिये सुसंगत अन्य विशिष्टियां।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी [illegible]

उपबंध

यहां ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible]

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अस्थानांतरणीय होगा;

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के प्रदान के लिये संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी;

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदाय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहां वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी करार, समझौते या [illegible] द्वारा नियत की गई हैं, वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी;

(ङ) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

प्ररूप - 3

(नियम 24 (2) देखें)

स्थापनों का रजिस्टर

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख	रजिस्ट्रीकृत स्थापना का, जहां भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य होना है, नाम और पता अवस्थिति	नियोजक का नाम और उसका पता	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थापना का नाम और स्थायी पता	कार्य प्रारंभ होने की संभावित तारीख	किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या	भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य की संभाव्य कार्यविधि और कार्य समाप्ति की संभावित तारीख	टिप्पणियाँ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप - 4

(नियम 26 (3) और नियम 239 (1) देखें)

भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ/समाप्ति की सूचना

1. (I) स्थापना का नाम और पता (स्थायी).......................
   (II) नियोजक का नाम और पता..............................
2. स्थान का, जहां भवन निर्माण और अन्य निर्माण करने का प्रस्ताव है, नाम और स्थिति
3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख..........................
4. निर्माण कार्य के भारसाधक व्यक्ति का नाम और पता.................................
5. वह पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित संसूचना भेजी जा सके
6. कार्य की प्रवृत्ति और संयंत्र तथा मशीनरी सहित प्रदान की गई प्रसुविधाए,
7. भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले विस्फोटक, यदि कोई हो तो, का भण्डारण इंतजाम।
8. कार्य प्रारंभ की सूचना की दशा में, कार्य की संभावित कालावधि।

मैं/हम यह सूचना देता हूं /देते हैं कि भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्य (कार्य का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या.............तारीख....................है,..................तारीख से/को प्रारंभ/समाप्त होने की संभावना है।

नियोजक के हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक,

....

....

प्ररूप - 5

(नियम 56 और नियम 74 (ख), अनुसूची (1) देखें)

विंच, डेरिक और उनके उपसाधन गियर के प्रारंभिक तथा कालिक जांच और परीक्षण का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण-पत्र सं.........................

(क) निर्माण स्थल की दशा में, उस निर्माण स्थल का नाम जहां उत्थापक साधित्र फिट अवस्थित/स्थापित है :

सुभेदक संख्यांक या चिन्ह (यदि कोई है) वाले उन उत्थापक साधित्रों और गियर का स्थान और विवरण जिनकी जांच और पूर्ण रूप से परीक्षण किया गया है	हैरिक बूम के क्षैतिज के साथ वह कोण जिस पर जांच भार लगाया गया (डिग्री)	लगाया गया जांच भार (टन)	स्तंभ (2) में दिखाए गए कोण पर निरापद कार्यकरण भार (टन)	जांच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म या जांच कर्ता स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म या जांचकर्ता स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं यह सत्यापित करता हूं कि स्तंभ (1) में दर्शाए उत्थापक साधित्र को इसके आवश्यक गियर के साथ तारीख............................को पीछे वर्णित रीति के अनुसार मेरी उपस्थिति में जांच की गई है और यह कि उक्त उत्थापक साधित्र के सावधानीपूर्वक किये गये परीक्षण के पश्चात् की गई जांच ने यह दर्शाया कि इसने बिना किसी हानि या स्थायी विरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापक साधित्र और उपसाधन गियर का निरापद कार्याकरण भार स्तंभ (4) में दर्शाया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख....................

....

मुद्रा

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप - 6

(नियम 56 और 74 (ख) देखिए)

क्रेनों या उत्तेलकों और उनके उपसाधन गियर के प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण-पत्र सं.....................

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर क्रेन या उत्तोलक फिट/अवस्थित/स्थापित किये गये हैं :

अवस्थिति और वर्ण	जिब क्रेन के लिये अर्द्धव्यास पर जांच भार अनुप्रयुक्त हुआ था (मीटर)	अनुप्रयुक्त जांच भार (टन)	जिब क्रेन के लिये सुरक्षा कार्यकरण भार स्तंभ (2) में दर्शाए गए अर्द्धव्यास पर है (टन)	जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन के सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं प्रमाणित करता हूं कि..............वर्ष की तारीख...............को उपरोक्त उत्थापक साधित्रों की इसके उपसाधन गियर के साथ, दूसरी ओर दी गई रीति से जांच के पश्चात् उत्थापक साधित्र और गियर की सावधानीपूर्वक परीक्षण ने यह दर्शाया है कि इसमें बगैर किसी हानि अथवा स्थायी विरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त उत्थापन साधित्र तथा गियर के सुरक्षा कार्यकरण भार को स्तंभ (4) में प्रदर्शित किया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

(टिप्पण 3 देखिए)

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप - 7

(नियम 70 और 74 (ख) देखिए)

लूज गियर की प्रारंभिक और कालिक जांच तथा परीक्षण का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण पत्र सं...........................

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम जहां पर लूज गियर फिट किए गए/अवस्थित हैं:

अलग-अलग संख्या या चिन्ह	गियर/युक्ति का वर्णन, आकार और सामग्री	जांच संस्था	जांच की तारीख	अनुप्रयुक्त जांच भार (टन)	सुरक्षा कार्यकरण भार (सु.का.भा.) (टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विनिर्माता या प्रदायकर्ता का नाम और पता	प्रारंभिक जांच और परीक्षण प्रमाण-पत्र सं. और तारीख (केवल कालिक जांच और परीक्षण की बाबत)	जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(7)	(8)	(9)	(10)

मैं प्रमाणित करता हूं कि........................वर्ष की तारीख..............को उपरोक्त गियर की जांच की गई थी और दूसरी ओर दीगई रीति सेपरीक्षण की गई कि उक्त गियर/युक्ति की परीक्षण ने यह दर्शाया कि इसमें बगैर किसी हानि अथवा निरूपता के जांच भार को सहन कर लिया है और उक्त गियर/युक्ति के सुरक्षा कार्यकरण के स्तंभ (6) में प्रदर्शित किया गया है।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप - 8

(नियम 62 और नियम 74 (ख) देखिए)

उपयोग में लाए जाने से पूर्व वायर रोप के जांच और परीक्षण का प्रमाण - पत्र

जांच का प्रमाण-पत्र सं......................

(1) निर्माता या प्रदायकर्ता का नाम और पता :

(2) (क) रोप परिधि/व्यास

(ख) उत्कूलन की संख्या

(ग) प्रत्येक उत्कूलन वायर की संख्या

(घ) ले (बटन)

(ङ) कोर (क्रोड)

(3) वायर की क्वालिटी (सर्वोत्तम प्लाउ स्टील इत्यादि)

(4) (क) रोप के नमूने की जांच की तारीख

(ख) वह भार जिस पर टूटे-फूटे नमूने (टनों में)

(ग) रोप के सुरक्षा कार्यकरण भार (टनों में)

(घ) आशयित उपयोग

(5) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता।

(6) जांच और परीक्षण करने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं और यह जांच और परीक्षण मेरे द्वारा किए गए और इसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसमें उसका सुरक्षा कार्यकरण भार (सु.का.भा.) प्रभावित हो।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप - 9

(नियम 72 और नियम 74 (ख) देखिए)

उत्थापक गियर के तापानुशीलन का प्रमाण-पत्र

जांच प्रमाण-पत्र सं...............................

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम, जहां पर उत्थापक गियर फिट/अवस्थित/स्थापित किए गए हैं :

अलग-अलग संख्या या चिन्ह	गियर का वर्णन	जांच और परीक्षण का प्रमाण-पत्र सं.	तापानुशीतित संख्या	तापानुशीलन की तारीख	तापानुशीलन के पश्चात् सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर पाई गई त्रुटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

तापानुशीलन और निरीक्षण किए जाने वाले लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन, कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(7)	(8)

मैं प्रमाणित करता हूं कि स्तंभ (1) से (4) में वर्णित गियर स्तंभ (5) में दर्शाई गई तारीख को, मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्रभावी तौर पर तापानुशीतित की गई थी और यह किस इस प्रकार तपानुशील के पश्चात्, प्रत्येक वस्तु का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया और यह कि इसमें स्तंभ (6) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा र्काकरण शर्त को प्रभावी करने वाली अन्य कोई त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररुप - 10

(नियम 69 और 73 देखिए)

तापानुशीलन से छूट प्रांप्त उत्थापक गियर का सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षा प्रमाण-पत्र

(क) सन्निर्माण स्थल का नाम, जहां पर उत्थापक गियर फिट/अवस्थित/स्थापित किए गए हैं :

अलग-अलग संख्या या चिन्ह वर्णन	गियर का कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण-पत्र की	आरंभिक और कालिक जांच और परीक्षण के प्रमाण-पत्र की संख्या	टिप्पणियां	जांच और परीक्षण करने वाली लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन का नाम और पता	लोक सेवा, सहयोजन कंपनी या फर्म अथवा जांच स्थापन में सक्षम व्यक्ति का नाम और पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं प्रमाणित करता हूं कि..............................वर्ष की तारीख................को, स्तंभ (2) में वर्णित उपरोक्त गियर को पूर्ण रूप से परीक्षण की गई है और यह कि इसमें स्तंभ (4) में उपदर्शित त्रुटियों से भिन्न इसके सुरक्षा कार्यकरण शर्त को प्रभावी करने वाली कोई अन्य त्रुटि नहीं मिली।

सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर तारीख

सक्षम व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण/प्राधिकरण संख्या

प्ररूप - 11

(नियम 223 (ग) देखिए)

चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण-पत्र

1. प्रमाण-पत्र क्र. सं..............................
   तारीख..............................तारीख..............................
2. नाम..
   पहचान चिन्ह (1) ....
   (2) ....
3. पिता का नाम..
4. लिंग..
5. निवास..पुत्र/पुत्री
   ....
   ....
6. जन्म व, यदि उपलब्ध हो..
   और/... ...-पत्र..

7. शारीरिक स्वास्थ्यता :

मैं प्रमाणित करता हूं (नाम)..........................पुत्र/पुत्री/पत्नी.................
जो .... का निवासी है जिसका परीक्षण मैंमैंने व्यक्तिगत रूप से किया मेरे परीक्षण से उसकी आयु यथाशक्य निकटतम..................वर्ष अभिनिश्चित की जानी है और वह भवन और अन्य सन्निर्मा ण कार्य में नियोजित होने की इच्छुक है और वह वयस्क/किशोर है जो....................................में नियोजन के लिए उपयुक्त है।

8. कारण के लिए :-

(1) इन्कार करने का प्रमाण-पत्र...
....
(2) प्रतिसंहत करने का प्रमाण-पत्र...
....

भवन कर्मकार के हस्ताक्षर/
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

चिकित्सीय निरीक्षण
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मोहर सहित

टिप्पणी - 1. शारीरिक निःशक्तता के कारण के यथावत ब्यौरे स्पष्ट तौर पर विवरणित किए जाएं।
2. यदि निःशक्तता विवरण दिया गया है तो क्रियात्मक/उत्पादन कार्य योग्यताओं का भी विवरण दिया जाएगा।

प्ररूप - 12

(नियम 223 (घ) देखिए)

स्वास्थ्य रजिस्टर

(भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित व्यक्तियों की बाबत् जिसमें जोखिम वाली प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त हैं)

सन्निर्माण चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा निरीक्षक का नाम

(क) श्री......................तारीख......................से......................................तक
(ख) श्री......................तारीख......................से......................................तक
(ग) श्री......................तारीख......................से......................................तक

क्रं. सं.	संकर्म	भवन कर्मकार का नाम	लिंग	आयु (जन्म की अंतिम तारीख को)	वर्तमान कार्य के नियोजन के तारीख	दूसरे कार्य पर चले जाने या स्थानांतरण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थानांतरण पर चले जाने या सेवोन्मुक्त करने का कारण	कार्य या उपजीविका की प्रकृति	कच्ची सामग्री या उप-उत्पाद को हाथ में उपयोग करना	प्रमाणकर्ता सर्जन चिकित्सीय निरीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण की तारीख
(8)	(9)	(10)	(11)

चिकित्सीय परीक्षण का परिणाम	यदि कार्य से निलंबित हो तो विस्तृत कारणों सहित निलंबन अवस्था की अवधि	चिकित्सीय निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपनी ड्युटी पर फिर से वापस आने को उपयुक्त प्रमाणित किए गए	यदि कर्मकार की अनुपयुक्तता या निलंबन जारी किया गया है तो उसका प्रमाण-पत्र
(12)	(13)	(14)	(15)

चिकित्सीय निरीक्षक के हस्ताक्षर सहित तारीख

टिप्पणी :- (1) स्तंभ 8 -स्थानांतरण या सेवोन्मुक्त के लिए कारण ब्यौरेवार संक्षिप्त में विवरणित किए जाएं।

(2) स्तंभ 12 - उपयुक्त/अनुपयुक्त/निलंबित के रूप में उल्लेखित किए जाएं।

प्ररूप - 13

(नियम 230 (क) देखिए)

विषाक्तता या उपजीविका जन्य अधिसूचनीय रोगों की सूचना

1. नियोजक का नाम और पता :
2. भवन कर्मकारी का नाम और उसकी कार्य संख्या, यदि कोई हो:
3. भवन कर्मकार का पता :
4. लिंग और आयु :
5. उपजीविका :
6. ठीक - ठीक बताएं कि रोग लगने के समय मरीज क्या कर रहा था :
7. उस विषाक्तता या रोग की प्रकृति जिससे भवन कर्मकार पीड़ित हैं :

तारीख :

नियोजक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : जब कोई भवन कर्मकार अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित हैं तब ऐसी सूचना तत्काल मुख्य निरीक्षक को भेजें।

प्ररूप - 14

(नियम 210 (7) देखिए)

दुर्घटनाओं और भयंकर घटनाओं की रिपोर्ट :

1. परियोजना/कार्य का नाम
2. परियोजना/कार्य का स्थान
3. सन्निर्माण कार्य का प्रक्रम
4. नियोजक की विशिष्टियां

क. फर्म/कंपनी का मुख्य संविदाकार
नाम
पता
फोन नं.
व्यवसाय की प्रकृति

ख. उप संविदाकार की विशिष्टियां
नाम
पता
फोन नं.
व्यवसाय की प्रकृति

5. **क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियां :**

क. नाम
(प्रथम) (मध्यम) (उपनाम)

ख. घर का पता

ग. उपजीविका

घ. कर्मकार की हैसियत
नैमितिक
नियमित

ङ. लिंगः पुरूष/स्त्री

च. आयु

छ. अनुभव

ज. वैवाहिक स्थितिः विवाहित/अविवाहित/विवाह-विच्छेद

6. दुर्घटना की विशिष्टियां :

क. वास्तविक स्थान जहां पर दुर्घटना घटित हुई थी।

ख. तारीख

ग. समय

घ. क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना के समय काम कर रहा था ?

ङ. मौसम की हालत

च. इस विशिष्ट कार्य के लिये आप कितने अविधि तक नियोजित थे।

छ. ऐसी विशिष्ट जिसमें उपस्कर/मशीन/औजार अन्तर्ग्रस्त है और दुर्घटना घटित होने के पश्चात् उसकी स्थिति वैसी ही है।

ज. दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण

7. **क्षतियों की प्रकृति :**

क. घातक

ख. अघातक

ग. यदि अघातक हो तो क्षतियों की प्रकृति का प्रमितत: अवस्था (क्षति की प्रकृति के ब्यौरे का वर्णन उदाहरणार्थ दाहिने अंग का भंग, मोच आदि)

घ. प्राथमिक उपचार : किया गया : नहीं किया गया :

ङ. यदि नहीं किया तो उसका कारण बताएं ?

च. ऐसे व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया था :

छ. क्या अस्पताल में भर्ती हैं,

उस अस्पताल का नाम :

उस अस्पताल का पता :

फोन नं. चिकित्सक का नाम

8. उपयोग किए गए परिवहन का प्रकार

एम्बूलेंस ट्रक टैम्पो टैक्सी प्राइवेट कार

9. क. क्षतिग्रस्त व्यक्ति को हटाने में कितना समय लगा था ? यदि बहुत विलंब हुआ तो उसके कारण बताएं

ख. किस प्रकार रिपोर्ट की थी०

टेलीफोन से टेलीग्राम से विशेष संदेशवाहक से पत्र से

ग. दुर्घटना स्थल का पहली बार किसने निरीक्षण किया और उसके द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्थावित की गई थी।

घ. नियोजक द्वारा दुर्घटना के अन्वेषण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? (फोटोग्राफ/वीडियो फिल्म/दिए गए माप इत्यादि के बारे में वर्णन करें)

10. साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियां

क. नाम पता उपजीविका

1.

2.

3.

4.

ख. क्या अस्थायी स्थायी

11. प्राणांतक की दशा में विशिष्टियां :

तारीख समय

यदि वह रजिस्टर्ड है तो भवन और अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण बोर्ड का रजि. सं. दे।

12. विनियम सं. के अन्तर्गत आने वाली खतरनाक घटनाएं (ब्यौरे दें)

क. उत्थापक साधित्रों, उत्तोलक, प्रवहणियों आदि के बैठ जाने या फेल हो जाने

ख. मिट्टी, कोई दीवार, फर्श गैलरी आदि के बैठ जाने या धंस जाने

ग. पारेषण टावरों, पाइपलाइनों, फूलों आदि के बैठ जाने

घ. रिसीवर, जलयान आदि का विस्फोट

ङ. अग्नि और विस्फोटक

च. परिसंकटमय उपादानों का छलकन या रिसन

छ. परिवहन उपस्कर के बैठ जाने, उलट जाने गिर पड़ने या टकराने

न सन्निर्माण स्थान पर हानिप्रद विषैली गैसों के रिसन या निर्माचन

ड अधिभारक साधित्र, लूज गियर, उत्तोलक या भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य की तंत्र, परिवहन, उपस्कर आदि के फेल हो जाने।

13. **नियोजक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणपत्र।**

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विशिष्टियां सभी प्रकार से सही हैं।

स्थान :

तारीख : हस्ताक्षर

पदनाम

• प्रति निम्नलिखित को जानकारी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रेषित

1.

2.

3.

टिप्पणी : - यदि एक से अधिक व्यक्ति अंतर्वलित है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानकारी पृथक् प्ररूपों में दी जानी हैं।

प्ररूप - 15

(नियम 240 तथा 276 देखिए)

नियोजक द्वारा नियोजित भवन कर्मकारों तथा उनमें से हिताअधिकारियों का रजिस्टर

1. स्थापना का नाम तथा पता, जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है। : ....
2. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का स्वरूप : ....
3. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता : ....
4. नियोजक का नाम तथा पता : ....

अनु.	कर्मकार का नाम तथा उपनाम	आयु तथा लिंग	पिता/पति का नाम	नियोजक का स्वरूप नाम	कर्मकार का स्थायी घर का पता (ग्राम, तहसील तथा जिला)	स्थानीय पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

नियोजन के प्रारंभ की तारीख	कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	नियोजन की समाप्ति की तारीख	समाप्ति के कारण	यदि भवन कर्मकार हिताधिकारी है,/था	
				रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

1.
2.
3.
4.
5.

यदि भवन कर्मकार हिताधिकारी नहीं रहा			टिप्पणी
वह तारीख जब से नहीं रहा	नहीं रहने के कारण	हिताधिकारी ने नियोजक को अंशदान की कटौती के लिये धारा 16(2) के अधीन प्राधिकृत किया यदि हां तो माह तथा वर्ष जब से प्राधिकृत किया	
(14)	(15)	(16)	(17)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

प्ररूप - 16

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मस्टर रोल

1. स्थापन का नाम और स्थायीं पता

2. उस स्थान का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है किया जाना है।

3. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

4. नियोजक का नाम और पता

.... मास के लिए

क्रम संख्या	भवन कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

प्ररूप - 17

(नियम 241 (1) (क) देखिए)

मजदूरी का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और स्थायी पता 2. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

....

3. उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है। 4. मजदूरी अवधि : मासिक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	कर्मकार रजिस्टर में क्रं. सं.	किए गए कार्य का नाम/प्रकार	कार्य किए गए दिनों की संख्या	किए गए कार्य का युनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अर्जित मजदूरी की रकम

दैनिक मजदूरी की दर मात्रानपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अतिकालिक	अन्य नगद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

कटौती यदि कोई हो, (उपदर्शित करें)	शुद्ध संदत्त रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर अंगूठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्यक्षर
(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप - 18

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

मजदूरी सह-मस्टर रोल के रजिस्टर का प्ररूप

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है। स्थापन का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

क्रम संख्या	भवन कर्मकारों के रजिस्टर में	कर्मचारी का नाम	कार्य का नाम प्रकार की यूनिट	दैनिक उपस्थिति/किए गए कार्य यूनिट	कुल उपस्थिति किये गए कार्य की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1.	1.	
			2.	2.	
			3.	3.	
			4.	4.	

अर्जित मजदूरी की रकम

दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर	मूल मजदूरी	महंगाई भत्ते	अतिकालिक	अन्य नगद संदाय (संदाय का प्रकार उपदर्शित करें)	कुल
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

कटौती, यदि कोई हो,	शुद्ध संदत्त रकम (उपदर्शित करें)	कर्मकार के हस्ताक्षर अंगूठा निशान	नियोजक या उसके प्रतिनिधि के आद्यतर
(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप - 19

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

नुकसान या हानि के लिये कटौती का रजिस्टर

उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है।	भवन कर्मकार का नाम और स्थायी पता	नियोजक का नाम और स्थायी पता

भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार

क्रम संख्या	कार्य का नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन का नाम/प्रकार	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	यदि भवन कर्मकार के विरुद्ध कटौती की जानी है तो कारण दर्शाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था	अधिरोपित कटौती की रकम	किश्तों की संख्या	वसूलीतारीख प्रथम किश्त	अंतिम किश्त
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप - 20

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

जुर्माने का रजिस्टर

1. उस स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है।
2. स्थापन का नाम और स्थायी पता
3. भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य का प्रकार
4. नियोजक का नाम और पता

क्रम संख्या	भवन कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	नियोजक का नाम और प्रकार किया गया	कार्यालय जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित	अपराध की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

यदि भवन कर्मकार विरुद्ध जुर्माना किया गया हो तो कारण बताएं	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में भवन कर्मकार का स्पष्टीकरण सुना गया था	मजदूरी कालावधि और संदेय मजदूरी	अधिरोपित जुर्माने की रकम	तारीख जिसको जुर्माना वसूल किया गया	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप - 21

(नियम 241 (1) (ख) देखिए)

अग्रिमों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम और पता जहां भवन निर्माण या अन्य सन्निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है।
2. स्थापन का नाम और स्थायी पता
3. भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति
4. नियोजक का नाम और स्थायी पता

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन/पदाभिमान की प्रकृति	मजदूरी की अवधि और संदेय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया है	किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम का संदाय किया जाना है	प्रति संदत्त प्रत्येक किस्त की तारीख और रकम	अन्तिम किस्त के प्रति संदाय की तारीख	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

प्ररूप - 22

(नियम 241 (1) (ग) देखिए)

अतिकाल का रजिस्टर

स्थापन का नाम और पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया गया है/किया जाना है। स्थापन का नाम और स्थायी पता

क्रम संख्या	निर्माण कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदाभिदान/नियोजन की प्रकृति	जिस तारीख को अतिकाल किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कुलअतिकाल किया गया था मात्रानुपाती दर की दशा में उत्पादन	सामान्य दर मजदूरी	अतिकाल दर की मजदूरी	उपार्जित अतिकाल	तारीख जिसको अतिकाल मजदूरी दी गई	टिप्पणियां
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्ररूप - 23

(नियम 241 (2) (क) देखिए)

मजदूरी पुस्तिका

नियोजक का नाम और पता　　स्थापन का नाम और स्थायी पता

स्थापन का नाम और पता जहां पर भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाना है।　　भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति

सप्ताह/पाक्षिक/माह

.......................तक के लिये

1. दिनों की संख्या जब तक कार्य किया : ....
2. मात्रानुपाति दर के कर्मचारियों की दशा में कार्य की गई इकाईयों की संख्या : ....
3. दैनिक मजदूरी/मासिक मजदूरी/मात्रानुपाति दर मजदूरी की दरें : ....
4. अतिकाल मजदूरी की रकम : ....
5. दी जाने वाली सकल मजदूरी : ....
6. निम्नलिखित कटौतियां, यदि कोई हों, वे कारण :-
   (क) जुर्माना
   (ख) नुकसान या हानि
   (ग) ऋण और उधार
   (घ) भविष्य निधि के लिए अभिदान
   (ङ) भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण की निधि के लिये अभिदान
   (च) अन्य कटौतियां जैसे सहकारी सोसाइटी के लिये अभिदान या सहकारी सोसाइटी से उधार लेखा/मजदूरी संदाय अधिनियम की धारा 7 उपधारा (2) के खंड (त) के उपखंड के अनुसार कोई अन्य राहत निधि में अंशदान या किसी अन्य एल.आई.सी. के प्रीमियम के लिए संदाय।
7. शुद्ध रकम की दी गई मजदूरी

नियोजक या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप - 24

(नियम 241(2) (ख) देखिए)

सेवा प्रमाण-पत्र

स्थापन का नाम और स्थायी　　नाम और पता/वह स्थान जहां निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाता है/किया जाना है।

कार्य की प्रकृति और स्थान...........................

कर्मकार का नाम और पता...........................

आयु या जन्म की तारीख:............................

पहचान चिन्ह...

पिता/पति का नाम...

क्रम संख्या	नियोजन की कुल अवधि से.............	तक	किए गए कार्य की प्रकृति	मजदूरी की दरें मात्रानुपाति कार्य की दशा में यूनिट की विशिष्टियां	यदि भवन निर्माण का कर्मकार हिताधिकारी या तो उसका रजिस्ट्रीकरण सं... तारीख और बोर्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

पर्यवसित नियोजन के कारण/उधार	टिप्पणियां
(7)	(8)

हस्ताक्षर

प्ररूप - 25

(नियम 242 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाने वाली नियोजक की वार्षिक विवरणी

31 दिसम्बर................को समाप्त होने वाला वर्ष

1. स्थापन का पूरा नाम और पता जहां भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य किया जाना है (स्थान, डाकघर, जिला)..
2. स्थापन का नाम और स्थाई पता..
3. नियोजक का नाम और पता...
4. किये जा रहे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य की प्रकृति...........................
5. स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के उत्तरदायी प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति का पूरा नाम ....
6. मामूली तौर से नियोजित भवन निर्माण कर्मकार की संख्या................................
7. वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिसमें भवन निर्माण कर्मकार नियोजित थे ....
8. वर्ष के दौरान कुल मानव कार्य दिवसों की संख्या जिनमें भवन निर्माण कर्मकारों के काम किया. ....
9. वर्ष के दौरान किसी अन्य दिन नियोजित अधिकतम भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या.................. ....
10. नीचे दी गई वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की संख्या :-
    (क) कुल दुर्घटनाओं की संख्या
    (ख) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटो से कम समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं, दुर्घटना ग्रस्त भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या तथा नष्ट कार्य दिवसों की संख्या।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप 48 घंटो से अधिक समय के लिए भवन निर्माण कर्मकार शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं, परन्तु ऐसी अशक्तता न तो आंशिक है और न पूर्म रूप से स्थाई है, दुर्घटनाग्रस्त भवन निर्माण कर्मकरों की संख्या तथा ऐसी हुई दुर्घटनाओं के कारण से नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिनके परिणामस्वरूप स्थाई, आंशिक अथवा पूर्ण अशक्तता हुई, दुर्घटनाग्रस्त कर्मकारों की संख्याऔर ऐसी दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों की संख्या।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या, जिसमें भवन कर्मकारों की मृत्यु हुई तथा मृत्यु की संख्या।

11. स्थापन के प्रबंध में, उसके स्थान या किसी अन्य में यदि तब्दीली करनी है तो उसकी विशिष्टियों रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन में जिसमें तारीखें भी उपदर्शित हो, रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को देनी होगी।

स्थान :		नियोजक

तारीख :

प्ररूप - 26

(नियम 74 (ख) देखिए)

उत्थापक यंत्र और गियर आदि की कालिक जांच-परीक्षण का रजिस्टर

भाग - 1

उत्थापक यंत्रों की आरंभिक और कालिक भार की जांच तथा उनका संपूर्ण वार्षिक परीक्षण

संपूर्ण परीक्षण से अभिप्रेत है चाक्षुण परीक्षा और यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपूरक के लिये किसी अन्य साधनों के द्वारा जैसे हथोड़ा परीक्षण जो कि यदि परिस्थितियां अनुज्ञात करें उसे सावधानीपूर्वक किया जाए, इसलिए कि मांगों की सुरक्षा का परीक्षण करके एक विश्वसनीय निष्कर्ष निकल सके, और यदि जरूरत हो तो ऐसे परीक्षण के लिये उत्थापक यंत्रों और गियर को खोल दिया जाए।

उत्थापक यंत्र की आरंभिक और कालिक भार की जांच (क)

जांच किए गये उत्थापक यंत्रों की अवस्थिति और वर्णन उसके साथ सुभेदक चिन्ह यदि कोई हो।	जांच का प्रमाणपत्र और सक्षम व्यक्ति के परीक्षण का संख्यांक	मैं, प्रमाणित करता हूं कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए हैं स्तम्भ (1) में दर्शाए उत्थापक यंत्र की जांच हो गई थी और इसमें कोई खराबियां नहीं पाई गई जो कि दर्शाए गए स्तम्भ (5) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हों।		टिप्पणियां (तारीख के साथ हस्ताक्षर किये हुए)
		मोहर के साथ तारीख और हस्ता.	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

(ख)

सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षण

मैं प्रमाणित करता हूं कि उस तारीख से जिसको मेरे हस्ताक्षर हुए हैं स्तम्भ (1) में दर्शाया उत्थापक यंत्र का सम्पूर्ण परीक्षण हो गया है और इसमें कोई खराबियां नहीं पाई गई जो कि दर्शाए गए स्तम्भ (12) से भिन्न उसके ठीक चलने की परिस्थिति पर प्रभाव डालती हो।

मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	मोहर के साथ तारीख और हस्ताक्षर	हस्ताक्षर और तारीख के साथ टिप्पणियां
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.						
2.						

टिप्पणियां :- यदि उत्थापक यंत्रों का सम्पूर्ण परीक्षण उसी तारीख को हो जाता है तो वे सब उत्थापक यंत्रों के स्तम्भ (1) में प्रविष्ट करने के लिये पर्याप्त हैं। यदि नहीं, तो वे उन तारीखों को स्पष्ट तौर पर उपदर्शित करें जिन पर उनका सम्पूर्ण परीक्षण किया गया है।

भाग - 2 :

लूज गियर का आरंभिक और आनधिक भार परीक्षण और संपूर्ण वार्षिक परीक्षा

लूज गियर की सूची :-

लूज गियर की निम्नलिखित श्रेणियां हैं, अर्थात :-

1. कुट्टनीय ढ़लवां लोहे से बनी चेनें।
2. प्लेट से जुड़ी चेनें।
3. इस्पात से बनी चेनें, रिंगें, हुक, कुन्डे और चूलछल्ला।
4. पिन्चड चेनें।
5. पिन्चड चेनें, पुली ब्लाक, आधीन स्प्रेअर्स, ट्रेज स्लिंग, बारक्रेट आदि वैसी ही कोई अन्य गियर के साथ स्थायी रूप से जुड़ी रिंगें, हुक कुन्जे और चूलछल्ले।
6. स्क्रू थ्रेड वाले हुक और चूलछल्ले या बाल बियरिंग या अन्य केस हार्डन्टड पुर्जे, और
7. वार्डो संयोजन।

लूज गियर का प्रारंभिक परीक्षण और अनादिक भार का परीक्षण

सुभेदक संख्या या चिन्ह	लूज गियर जांच और परीक्षण विवरण	सक्षम व्यक्ति के जांच व परीक्षण के प्रमाण पत्र का क्रमांक	मैं प्रमाणित करता हूं कि उस दिनांक को जब मैंने अपने हस्ताक्षर संलग्न किया, कालम (1) और (2) में दर्शित लूज गियर्स की जांच की गई थी और कार्य की सुरक्षित दशा को प्रभावित करने वाली त्रुटि, कालम (6) में दर्शित के सिवाय नहीं पाये गये।	
			मोहर के साथ तारीख और हस्ता.	मोहर के साथ तारीख और हस्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

लूज गेयर्स का सम्पूर्ण वार्षिक परीक्षण

टिप्पणी में (दिनांक सहित हस्ताक्षरित)	मैं प्रमाणित करता हूं कि उस दिनांक को जब मैंने हस्ताक्षर किए कालम (1) और (2) दर्शित लूज गेयर्स सम्पूर्णतः परीक्षण मेरे द्वारा किया गया और कार्य की सुरक्षित दशा को प्रभावित करने वाली त्रुटि, जो कि कालम (10) में दर्शित के सिवाय, नहीं पाई गई।			
	हस्ताक्षर दिनांक व सील के साथ	हस्ताक्षर दिनांक व सील के साथ	हस्ताक्षर दिनांक व सील के साथ	टिप्पणी (दिनांक सहित हस्ताक्षरित
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

भाग - 3 :

चैन, रिंग, हुक्स, शेकल्स और स्वीवेल्स (छूट प्राप्त के सिवाय) का तापानुकूलन (भाग दो देखें)

12.5 एम एम और सामान्य उपयोग में आने वाले छोटे चैन, रिंग, हुक्स शेकल्स और स्वीवेल्स	यदि पावर उपयोग के द्वारा संचालित उत्थापक यंत्रो के उपयोग से, प्रत्येक छः माह के कम से कम एक बार तापानुकूलन किया जावे। यदि एक मात्र उत्थापक यंत्रों जो हस्थचालित हो, बारहमास में कम से कम एक बार तापानुकूलन किया जावे।
अन्य चैन, रिंग, हुक्स, शेकल्स और शिवेल्स जो सामान्य उपयोग हेतु	यदि पावर उपयोग के द्वारा उत्थापक यंत्रों का उपयोग हो तो वर्ष में कम से कम एक बार तापानुकूलन किया जावे।

यदि हस्थ संचालित उत्थापक यंत्रों का उपयोग हो तो प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार तापानुकूलन किया जावे।

नोट :- यह संपुष्टि किया जाता है, हालाकि नियमों के द्वारा अपेक्षित नहीं, कि तापानुकूलन यथोचित बनाये गयेनहीं में जो 1100 डिग्री और 1300 डिग्री/फैरनहीट या 800 डिग्री और 700 डिग्री सेन्टीग्रेड के बीच तपाया गया हो जो कि 30 और 60 मिनिट के मध्य अवधि के लिये होगा।

सुभेदक संख्या या चिन्ह	उत्थापित गेयर का विवरण	जांचो और परीक्षणों की संख्या का प्रमाण-पत्र	मैं प्रमाणित करता हूं कि दिनांक को जिस पर मैने हस्ताक्षर किए हैं, कालम 1 एवं 2 विवरणीत गेयर मेरे पर्यवेक्षण के अधीन तापानुकूलित की गई, कि इस प्रकार तापानुकूलित किए जाने पर प्रत्येक वस्तु का सतर्कतापूर्वक निरीक्षण किया गया और कि उसके सुरक्षित कार्यपारिस्थित हेतु कोई त्रुटि, कालम 7 में दर्शाये अनुसार, छोड़कर, नहीं है।			टिप्पणी (हस्ताक्षरित एवं दिनांक सहित)
			हस्ताक्षर, दिनांक सील सहित	दिनांक और हस्ताक्षर सील सहित	दिनांक और हस्ताक्षर सील सहित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्ररूप - 27

(नियम 269 देखिये)

छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

वित्तीय वर्ष.....................के लिये बजट

भाग - 1 प्राप्तियां

शीर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष में वास्तिविक प्राप्तियां	बजट के अनुसार चालू वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियां	चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाही में वास्तविक प्राप्तियां	आगामी वित्तीय वर्ष .... हेतु अनुमानित प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. नियोजकों से प्राप्त उपकर				
2. हिताधिकारियों से प्राप्त अंशदान				
3. केन्द्रीय शासन से प्राप्त अनुदान				

4. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान

5. ब्याज

6. अन्य प्राप्तियाँ

कुल प्राप्तियाँ

छत्तीसगढ़ भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
वित्तीय वर्ष....................के लिये बजट

भाग - 2 - व्यय

शीर्ष		पूर्व वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय	बजट के अनुसार चालू वर्ष हेतु अनुमानित व्यय	चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाही में वास्तविक व्यय	आगामी वित्तीय वर्ष .... हेतु अनुमानित व्यय
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मण्डल की बैठकों पर व्यय :				
1.1	सदस्यों का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता।				
1.2	अल्पाहार				
1.3	अन्य अनुषंगिक व्यय				
	योग (1).....				
2.	मण्डल के कर्मचारियों पर किया गया व्यय :				
2.1	वेतन तथा महंगाई भत्ता				
2.2	चिकित्सा भत्ता				
2.3	मकान भाड़ा भत्ता				
2.4	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता				
2.5	ऋण एवं अग्रिम				
2.6	अन्य				
	योग......(2)..........				
3.	कार्यालय व्यय :				
3.1	जल एवं विद्युत				
3.2	किराया एवं कर				
3.3	स्टेशनरी एवं प्रिन्टिंग				
3.4	पी.ओ.एल. व्यय				
3.5	फर्नीचर एवं फिक्सचर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.6	दूरभाष व्यय			
3.7	डाक व्यय एवं टेलीग्राम			
3.8	पुस्तकें तथा नियत कालिक पत्रिकाएं			
3.9	पोषाक			
3.10	अन्य आकस्मिक व्यय			
	योग (3)........			
4.	पूंजीगत व्यय :			
4.1	वाहन क्रय			
4.2	भवन का निर्माण/क्रय/मरम्मत नवीनीकरण			
4.3	उपस्कर का क्रय			
4.4	अन्य पूंजीगत व्यय			
	योग (4)...			
5.	नियम 277 में यथाविनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं पर व्यय :			
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
5.5				
5.6				
	योग (5)...			
6.	नियम 280 में यथा परिभाषित सामान्य कल्याणकारी कार्यकलापों पर व्यय :			
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
	योग (6)...			
	कुल व्यय			

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
वित्तीय वर्ष.................के लिये बजट
भाग 3 - सारांश

	शीर्ष	रकम
	(1)	(2)
1.	अनुमानित कुल प्राप्तियां	
2.	अनुमानित कुल व्यय	
3.	अनुमानित अतिशेष/कमी (1-2)	

रायपुर :   हस्ताक्षर
तारीख :   सचिव
छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार
कल्याण मंडल

प्रारूप - 28

(नियम 272 (1) देखिए)

हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

1. नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पता : ....
   (एक) वर्तमान पता
   (दो) स्थायी पता
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है : ....
5. जन्म तारीख : ....
6. वैवाहिक स्थिति : (विवाहित/अविवाहित/विधवा)
7. उन नियोजकों के नाम तथा पते, जिनके लिए पिछले 12 माह में कार्य किया : ....

अनु. क्रमांक	नियोजक का नाम तथा पता	उस स्थापन का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था	स्थापन का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	पदनाम तथा आवेदक द्वारा किए गए कार्य का स्वरूप	नियोजन के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख		उन दिनों की संख्या जिनमें वास्तविक रूप से नियोजन में रहा	टिप्पणी
					प्रारंभ	समाप्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1.
2.
3.

योग......

८. ई.एस.आई./ई.पी.एफ. क्रमांक, यदि कोई हो : ....

(एक) ई.एस.आई. क्रमांक : ....

(दो) ई.पी.एफ. क्रमांक : ....

९. वह रीति, जिसमें आवेदन फीस का भुगतान किया गया :-

(एक) नकद में, मंडल के कार्यालय में : ....
(रसीद संलग्न करें)

(दो) डी.डी. क्रं.................
दिनांक.....................
बैंक की शाखा..............
(ड्राफ्ट संलग्न कीजिए)

10. नियम 272 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित संलग्न है :-

(1) आयु का सबुत (संलग्न दस्तावेज का विवरण दीजिए)

(2) कॉलम 7 में उल्लेखित स्थापन में भवन कर्मकार के रूप में नियोजित का सबूत।
(एक)....................................
(दो)...................................... (संलग्न दस्तावेज का विवरण दीजिए)
(तीन)..................................

(3) प्ररूप 29 में नामनिर्देशन

(4) पासपोर्ट आकार के दो फोटो

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं हिताधिकारी के रूप में मेरे मासिक अंशदान का, राज्य शासन द्वारा विहित की गई दर पर और मंडल द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से भुगतान करने का वचन देता हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अधीन हिताधिकारी के रूप में मेरा रजिस्ट्रीकरण किया जाए।

स्थान : आवेदकके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान.................

तारीख : आवेदक की पहचान करने वाले........................
व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम.......................
तथा पता

प्ररुप - 29

(नियम 272 (1) (ग) देखिए)

नाम निर्देशन का प्ररूप

मैं, अपनी मृत्यु की दशा से, छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से समस्त शोध्यों को मेरी ओर से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में एतदद्वारा नाम निर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों का नाम तथा पता	नाम निर्देशिती की जन्म तारीख	हिताधिकारी से सम्बन्ध	अवयस्क की स्थिति में पालक का नाम	नाम निर्देशिती को भुगतान किये जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान : हस्ताक्षर..

तारीख : आवेदक/हिताधिकारी का नाम..................

पता..

हस्ताक्षर..

साक्षी का नाम..................................

साक्षी का पता..................................

प्ररूप - 30

(नियम 272(4) देखिए)

छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

हिताधिकारियों का रजिस्टर

अनु क्रमांक	हिताधिकारी का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष/स्त्री	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है ?	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	पता	
						स्थायी	वर्तमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6).	(7)	(8)

पता तारीख	नियोजन का स्वरूप/पद नाम	नाम निर्देशिती	अभिदाय की दर	पासपोर्ट आकार का फोटो	पहचान पत्र जारी करने की तारीख	आवेदक के हस्ताक्षर	मंडल के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप - 31

(नियम 272 (4) देखिए)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

हिताधिकारी का परिचय-पत्र

भाग - एक

सामान्य विवरण

1. हिताधिकारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पुरूष/स्त्री : ....
4. जन्म तारीख : ....
5. पता
   (1) वर्तमान पता : ....
   (2) स्थायी पता : ....
6. उस स्थापन के बायौरे, जहां रजिस्ट्रीकरण के समय नियोजित रहे। : ....
7. कार्य की प्रकृति एवं पदनाम : ....
8. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : ....
9. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : ....
10. मासिक अभिदाय की दर : ....

जारी करने की तारीख तथा स्थान

दिनांक :

स्थान : मंडल के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम (कार्यालय मुद्रा सहित)

भाग - दो

परिवार के सदस्यों और नाम निर्देशितियों का विवरण

नाम निर्देशन का दिनांक : ....

परिवार का विवरण : ....

अनुक्रमांक	परिवार के सदस्य का नाम	हिताधिकारी से संबंध	जन्म तारीख	अवयस्क की दशा में पालक का नाम	क्या नाम निर्देशिती के रूप में नाम निर्दिष्ट है ? और यदि हां तो प्रसुविधाओं, शेयर विनिर्दिष्ट करें	मंडल के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग - तीन
नियोजन का विवरण

अनु. क्रमांक	उस भवन का विवरण और स्थिति जहां भवन कर्मकार नियोजित	नियोजक का नाम तथा पता	हिताधिकारी द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति तथा पदनाम	नियोजन के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख प्रारंभ	समाप्ति	उन दिनों की संख्या जिनमें वास्तविक रूप से नियोजित था	नियोक्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग - चार
मंडल से प्राप्त प्रसुविधा का विवरण

अनुक्रमांक	स्वीकृत प्रसुविधा का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत रकम	भुगतान की तारीख	यदि ऋण है तो उन किस्तों की संख्या, जिसमें वसूल की जाना है	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पेंशन					
2.	गृह निर्माण के लिये सहायता					
3.	शिक्षा सहायता					
4.	आय संवर्धन के लिये सहायता					
5.	विवाह सहायता					
6.	चिकित्सा सहायता					
7.	प्रसुति सहायता					
8.	बीमा सहायता					
9.	मृत्यु की स्थिति में सहायता					
10.	अनुग्रह राशि					

प्ररूप - 32
(नियम 272 (5) देखें)
पहचान पत्र में संशोधन हेतु आवेदन-पत्र

1. हिताधिकारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पुरूष/महिला : ....

4. जन्म तारीख : ....
5. पता : ....
   (1) वर्तमान पता : ....
   (2) स्थायी पता : ....
6. कार्य/नियोजन का स्वरूप : ....
7. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : ....
8. उस मंडल कार्यालय के ब्यौरे जहां हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : ....
9. रजिस्ट्रीकरण की तारीख : ....
10. इन संशोधनों के ब्यौरे, जिनके लिए अनुरोध किया गया है : ....

संशोधित की जाने वाली मद	वर्तमान प्रविष्टि	अनुरोध की गई प्रविष्टि	क्या अनुरोध की गई, प्रविष्टि वर्तमान प्रविष्टि के बदले में या उसके अतिरिक्त है	संशोधन का कारण	परिवार के अतिरिक्त सदस्य की स्थिति में जोड़े जाने का दिनांक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

आवेदक/हिताधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप -33

(नियम 272 (7) देखें)

पहचान पत्र की द्वितीय प्रति हेतु आवेदन-पत्र

1. नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पुरूष/महिला : ....
4. पता
   (1) वर्तमान पता : ....
   (2) स्थायी पता : ....
5. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं : ....
6. वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/विधवा):हां/नही ....
7. जन्म तारीख : ....
8. उस स्थापन का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण क्रमांक जहां आवेदक कार्यरत है। : ....
9. नियोजक का नाम एवं पता : ....
10. कार्य/नियोजन का स्वरूप : ....
11. ई.एस.आई./ई.पी. एफ. क्रमांक : ....

12. वह तारीख, जब से वर्तमान नियोजक के लिए कार्यरत है। : ....
13. हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : ....
14. मंडल का कार्यालय, जहां हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रकृत है। : ....
15. मासिक अभिदाय की दर : ....
16. वह मास जिस तक अभिदाय का भुगतान किया गया : ....
17. पहचान पत्र की द्वितिय प्रति जारी करने का अनुरोध करने का कारण : ....

उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरा मूल पहचान पत्र इसके साथ समर्पित किया जा रहा है।

दो पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न हैं।

(जहां लागू हो)

स्थान :

तारीख : आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप - 34

(नियम 273 (3) देखें)

अपील का रजिस्टर

अनु. क्रमांक	अपील क्रमांक	अपीलार्थी का नाम	अपील के प्रस्तुत करने की तारीख	उस आदेश के ब्यौरे, जिसके विरुद्ध अपील की गई			फीस के भुगतान का ढ़ंग और भुगतान की गई रकम
				उस अधिकारी का पदनाम, जिसने आदेश पारित किया	आदेश की तारीख	आदेश का सार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप - 35

(नियम 275(1) देखें)

प्रत्येक स्थापन द्वारा मंडल को फाइल की जाने वाली प्रारंभिक विवरणी

1. उस स्थापन का नाम तथा अवस्थिति जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है। : ....
2. स्थापन का डाक का पता : ....
3. स्थापन का पूरा नाम तथा स्थायी पता, यदि कोई हो। : ....
4. उस प्रबंधक या व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता, जो स्थापन के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है : ....

5. उस भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य का स्वरूप, जो स्थापन में किया जाता है, या किया जाना है। : ....

6. उन भवन कर्मकारों की अधिकतम संख्या, जिन्हें किसी भी दिन पर नियोजित किया जाना है। : ....

7. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ करने की प्रत्याशित तारीख : ....

8. भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के पूर्ण होने की : ....

9. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा आंबटित रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित) : ....

दिनांक :

स्थान : नियोजक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्ररूप - 36

(नियम 275 (2) देखिए)

मासिक विवरणी

......................माह के लिए विवरणी

स्थापन का नाम तथा पता......................

भाग - 1 कर्मकारों तथा हिताधिकारियों की संख्या

1. पूर्व माह की समाप्ति पर कर्मकारों की संख्या :
   1.1 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत :..............................
   1.2 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं :..............................
   1.3 योग
   1.4 1.1. संख्यांक में से जिसने धारा 16 (2) के अधीन कटौती प्राधिकृत की। :..............................
2. उन कर्मकारों की संख्या, जिन्होंने माह के दौरान सेवा छोड़ दी :
   2.1 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत : ....
   2.2 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं :..............................
   2.3 योग
   2.4 2.1 संख्यांक में से जिसने धारा 16 (2) के अधीन कटौती प्राधिकृत की। :..............................
3. उन कर्मकारों की संख्या, जो माह के दौरान सेवा में आए
   3.1 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत :..............................
   3.2 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं :..............................
   3.3 योग
   3.4 3.1 संख्यांक में से जिसने धारा 16 (2) के अधीन कटौती प्राधिकृत की। :..............................

4. माह के अंत में कर्मकारों की संख्या

4.1 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत :............................

4.2 हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं :............................

4.3 योग

4.4 3.1 संख्यांक में से जिसने धारा 16 (2) के अधीन कटौती प्राधिकृत की। :............................

भाग दो - उन हिताधिकारियों के ब्यौरे, जिनकी माह के लिए अंशदान की कटौती, कल्याण मंडल को भेजने के लिए की गई

अनुक्रमांक	हिताधिकारी का नाम	रजिस्ट्रीकरण क्रं.	कटौती किये गये अंशदान की रकम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	योग....			

भाग - तीन : डिमांड ड्राफ्ट के ब्यौरे, जिसके माध्यम से संगृहित अंशदान मंडल को भेजा जा रहा है।

1. जारी करने वाली बैंक का नाम तथा पता : ....
2. डी.डी. की रकम : ....
3. डी.डी. का सं. : ....
4. जारी करने की तारीख : ....
5. शाखा, जहां से देय हुआ : ....

स्थान : नियोजक/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

तारीख :

प्ररूप - 37

(नियम 276 (1) देखिए)

नियोजक द्वारा रखा जाने वाला अंशदानों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता : ....
2. उस स्थापन का नाम तथा पता, जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है : ....
3. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य का स्वरूप : ....
4. नियोजक का नाम तथा पता : ....

अनु. क्रमांक	हिताधिकारी का नाम	पित या पति का नाम	पदनाम/नियोजन का स्वरूप	हिताधिकारी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	आयु लिंग	नियोजन के प्रारंभ तथा समाप्ति की तारीख		अंशदान की दर	माह तथा वर्ष जब से नियोजक ने धारा 16(2) के अधीन अंशदान की कटौती प्राधिकृत की
						प्रारंभ	समाप्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

वित्तीय वर्ष में अंशदान की कटौती का माहवार ब्यौरा

	अप्रेल	मई	जुन	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	वित्तीय वर्ष में कुल कटौती	टिप्पणी
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
माह में संग्राहित कुल अंशदान :														
माह में मंडल को भेजा गया कुल अंशदान														
बैंक का नाम तथा डी.डी. का क्रमांक जिसके द्वारा मंडल को रकम भेजी गई :														
नियोक्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर														

No. F-10-1/16/2006 Raipur, the 8th May 2008

CHHATTISGARH BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITION OF SERVICE) RULES, 2008

TABLE OF CONTENTS

Rule:

CHAPTER XII
Demolition

CHAPTER XIII
Excavation and Tunnelling works

Rule:

145. Flame proof equipment.
146. Storing of oil and fuel underground.
147. Use of gases underground.
148. Water for fire fighting.
149. Flooding.
150 Steel curtains.
151. Rest shelters.
152. Permissible limit of exposure of chemicals.
153. Ventilation.
154. Air supply intake point.
155. Emergency generators.
156. Air mains.
157. Bulk head and air locks.
158. Diaphragms.
159. Protable electrical hand tools.
160. Circuit breaker.
161. Transformer.
162. Live-wires.
163. Welding sets.
164. Quality and quantity of air.
165. Working temperature.
166. Man locks and working in compressed air environment.
167. Safety instruction.
168. Medical lock.

CHAPTER XIV

Construction, repair and maintenance of steep roof.

169. Work of steep roofs.
170. Construction and installation of roofing brackets.
171. Crawling boards.

CHAPTER XV

Ladders and Step Ladders

172. Construction and safe-use.
173. Rungs.
174. Materials for ladders.

CHAPTER XVI

Catch Platform and Hoardings, Chutes, Safety Belts and Nets.

175. catch platforms.
176. Hoarding.
177. chutes, its construction and use.
178. Safety belt and its use.
179. sefety net and its use.
180. storage of safety belts and nets etc.

CHAPTER XVII

Structural Frame and Form work

181. General provision.
182. Form work, false work and shoring.

PART VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

CHAPTER XXXIII

Power of Chief Inspector and Inspectors

SCHEDULES

FORMS

FORMS-I	Application for Registration of Establishment Employing Building workers.
FORMS-II	Certificate of Registration.
FORMS-III	Register of Establishment.
FORMS-IV	Notice of Commencement/Completion of building or other construction work.
FORMS-V	Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Winches, Derricks and their Accessory Gear.
FORMS-VI	Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Cranes or Hoists and their Accessory Gear.
FORMS-VII	Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Loose Gears.
FORMS-VIII	Certificate of Test and Examination of Wire Rope before being taken into use.
FORMS-IX	Certificate of Annealing of Loose Gears.
FORMS-X	Certificate of annual thorough Examination of Loose Gears Exempted from Annealing.
FORMS-XI	Certificate of Medical Examination
FORMS-XII	Health Register.
FORMS-XIII	Notice of Poisoning or occupational Notifiable Diseases.
FORMS-XIV	Report of Accidents and Dangerous occurrences.
FORMS-XV	Register of Building Workers Employed by the Employer & of Beneficiaries among them.
FORMS-XVI	Muster Roll.
FORMS-XVII	Register of Wages.
FORMS-XVIII	Register of Wages-cum-Muster Roll.
FORMS-XIX	Register of Deduction for Damage or Loss.
FORMS-XX	Register of Fines.
FORMS-XXI	Register of Advances.
FORMS-XXII	Register of Overtime.
FORMS-XXIII	Wage Book.
FORMS-XXIV	Service Certificate.
FORMS-XXV	Annual Report of Employer to be sent to the Registering Officer.
FORMS-XXVI	Register of Periodical Test Examination of Lifting Appliance and Gear etc.
FORMS-XXVII	Budget for the Financial year.
FORMS-XXVIII	Application for Registration as a beneficiary.

FORMS-XXIX	Nomination Form.
FORMS-XXX	Register of Beneficiaries.
FORMS-XXXI	Identity Card.
FORMS-XXXII	Application for Amendment in Identity Card.
FORMS-XXXIII	Application for Duplicate Identity Card.
FORMS-XXXIV	Register of Appeal.
FORMS-XXXV	Initial Return to be filed by every establishment with the Board.
FORMS-XXXVI	Monthly Return.
FORMS-XXXVII	Register of Contribution to be maintained by the Employer.

GOVERNMENT OF CHHATTISGRAH
LABOUR DEPARTMENT
NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 62 and Section 40 of the Building and Other Construction workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), (central Act) the State Government after consultation with the Expert Committee, makes the following rules, namely :-

RULES
PART I
PRELIMINARY
CHAPTER I

1. **Short title, application and commencement. :-**(1) These rules may be called the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008.

(2) They shall apply to the building or other construction work relating to any establishment in relation to which appropriate Government is the State Government under the Act.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires,:-

(a) "Act" means the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) (Central Act);

(b) "Access" or "Egress" means passageways, corridors, stairs, platforms, ladders and any other means to be used by a building worker for normally entering or leaving the workplace or for escaping in case of danger;

(c) "Approved" means approved in writing by the Chief Inspector or the State Government as the case may be;

(d) "Baseplate" means a plate for distributing the load from a standard in the case of metal scaffolds;

(e) "Bay" in relation to scaffolds, means that portion of the scaffold between horizontal or vertical supports whether standards or supports from which the portion is suspended, which are adjacent longitudinally;

(f) "Brace" means a member incorporated diagonally in a scaffold for stability;

(g) "Bulkhead" means an airtight structure separating the working chamber from free air or from another chamber under a lower pressure than the working pressure;

(h) "Caisson" means an air and watertight chamber in which it is possible for men to work under air pressure greater than atmospheric pressure at sea level to excavate material below water level;

(i) "Cofferdam" means a structure constructed entirely or in part below water level or below the level of the water table in the ground and intended to provide a place for work that is free of water;

(j) "Competent person" means a person so approved by the State Government, on a reccommendation made by the Chief Inspector who belongs to a testing establishment in India, possessing adequate qualification, experience and skill for the purposes of testing, examination or annealing and certification of lifting appliances, lifting gears, wire ropes or pressure plant or equipment;

(k) "Compressed air" means air mechanically raised to a pressure higher than atmospheric pressure at sea level;

(l) "Construction site" means any site at which any of the processes or operations, related to building or other construction work, are carried on;

(m) "Conveyor" means a mechanical device used in building or other construction work for transport of building material, articles, or packages or solid bulk from one point to another point;

(n) "Danger" means danger of accident or of injury or to health;

(o) "Decanting" means the rapid decompression of persons in a man: lock to atmospheric pressure at sea level followed promptly by their recompression in a decant lock, where they are then decompressed according to the appropriate decompression table in accordance with approved decompression procedures;

(p) "Demolition work" means the work incidental to or connected with the total or partial dismantling or razing of a building or a structure other than a building and includes the removing or dismantling of machines or other equipment;

(q) "Excavation" means the removal of earth, rock or other material in connection with construction or demolition work;

(r) "Falseworks" means the structural supports and bracing for formworks or forms;

(s) "Flashpoint" means the minimum liquid temperature at which a spark or flame causes an instantaneous flash in the vapour space above the liquid;

(t) "Frame or modular scaffold" means a scaffold manufactured in such a way that the geometry of the scaffold in predetermined and the relative spacing of the principal members are fixed;

(u) "Guardrail" means a horizontal rail secured to uprights and erected along the exposed sides of scaffolds, floor openings, runways and gangways to prevent persons from falling;

(v) "Hazard" means danger or potential danger;

(w) "Hazardous substance" means any substance which due to its explosiveness, inflammability, radio activity, toxic or corrosive properties, or other similar characteristics, may:-

(i) cause injury; or

(ii) affect adversely the human system; or

(iii) cause loss of the life or damage to property or work:-environment, while handling, transporting or storing and classified as such under the national standards or in case such national standards do not exist to the generally accepted international standards;

(x) "High pressure air" means air used to supply power to pneumatic tools and devices;

(y) "Independent tied scaffold" means a scaffold, the working platform of which is supported from the base by two or more ropes of standards and which apart from the necessary ties stands completely free off the building;

(z) "Ledger" means a member spanning horizontally and tying scaffolding longitudinally and which acts as a support for putlogs or transoms;

(za) "Lifting appliance" means a crane, hoist, derrick, winch, gin pole, sheer legs, jack, pulley block or other equipment used for lifting materials, objects or, building worker;

(zb) "Lifting gear" means ropes, chains, hooks, slings and other accessories of a "lifting appliance";

(zc) "Lock attendant" means the person in charge of a man: lock or medical lock and who is

immediately responsible for controlling the compression, recompression or decompression of persons in such locks;

(zd) "Low pressure air" means air supplied to pressurise working chambers and man- locks and medical locks;

(ze) "Magazine" means a place in which explosives are stored or kept, whether above or below ground;

(zf) "Man -lock" means any lock, other than a medical lock, used for the compression or decompression of persons entering or leaving a working chamber;

(zg) "Material hoist" means a power or manually operated and suspended platform or bucket operating in guide rails and used for raising or lowering material exclusively and operated and controlled from a point outside the conveyance;

(zh) "Materials lock" means a chamber through which materials and equipments pass from one air pressure environment into another;

(zi) "Medical lock" means a double compartment lock used for the therapeutic recompression and decompression of persons suffering from the ill -effects of decompression;

(zj) "National standards" means standards as approved by Bureau of Indian Standards and in the absence of such standards of Bureau of Indian Standards, the standards approved by the Central Government for a specific purpose;

(zk) "Outrigger" means a structure projecting beyond the facade of a building with the inner end being anchored and includes a cantilever or other support;

(zl) "Plant or equipment" includes any plant, equipment, gear, machinery, apparatus or appliance, or any part thereof;

(zm) "Pressure" means air pressure in bars above atmospheric pressure;

(zn) "Pressure plant" means the pressure vessel along with its piping and other fittings operated at a pressure greater than the atmospheric pressure;

(zo) "Putlog" means a horizontal member on which the board, plank or decking of a working platform are laid;

(zp) "Responsible person" means a person appointed by the employer to be responsible for the performance of specific duty or duties and who has sufficient knowledge and experience and the requisite authority for the proper performance of such duty or duties;

(zq) "Reveal tie" means the assembly of a tie tube and a fittings used for tightening a tube between two opposite surfaces;

(zr) "Right angle coupler" means a coupler, other than a swivel or putlog coupler, used for connecting tubes at right angles;

(zs) "rock bolt" means a mechanical expansion bolt or a bolt used with cementitious or resin anchoring system which is set in drilled hole in the arch or wall of a tunnel to improve rock competency;

(zt) "Roofing bracket" means a bracket used in sloped roof construction and having sharp points or other means for fastening to prevent slipping;

(zu) "Safety screen" means an air and water tight diaphragm placed across the upper part of a compressed air tunnel between the face and bulkhead, in order to prevent flooding the crown of the tunnel between the safety screen and the bulkhead to provide a safe means of refuge and exit from a flooding or flooded tunnel;

(zv) "Safe working load," in relation to an article of lifting gear or lifting appliance, means the load which is the maximum load that may be imposed on such article or appliance with

safety in the normal working conditions as assessed and certified by a competent person;

(zw) "Scaffold" means any temporarily provided structure on or from which building workers perform work in connection with building or other construction work to which these rules apply, and any temporarily provided structure which enables building workers to obtain access to or which enables materials to be taken to any place at which such work is performed, and includes any working platform, gangway, run, ladder or step-ladder (other than a ladder or step -ladder which does not form part of such structure) together with any guardrail, toe board or other safeguards and all fixings, but does not include lifting appliance or a lifting machine or a structure used merely to support such an appliance or such a machine or to support, other plant or equipment;

(zx) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(zy) "Segment" includes a cast iron or precast concrete segmented structure formed to the curvature of the tunnel cross-section and used to support the ground surrounding the tunnel;

(zz) "Service shaft" means a shaft for the passage of building workers or materials to or from a tunnel under construction;

(zza) "Shaft" means an excavation having a longitudinal axis at an angle greater than forty five degree from the horizontal:-

(i) for the passage of building workers or materials to or from a tunnel; or

(ii) leading to an existing tunnel;

(zzb) "Shield" means a moveable frame which supports the working face of a tunnel and the ground immediately behind it and includes equipment designed to excavate and support the excavated areas in a tunnel;

(zzc) "Sole plate" means a member used to distribute the load from the base plate or the standard of wooden scaffolds to the supporting surface;

(zzd) "Sound or good construction" means construction conforming to the relevant national standards or in case such national standards do not exist, to other generally accepted international engineering standards or code of practices;

(zze) "Sound or good material" means materials of a quality conforming to the relevant national standards or in case such national standards do not exist, to other generally accepted international engineering standards or code of practices;

(zzj) "Standard" means a member used as a vertical support or column in the construction of scaffolds which transmits a load to the ground or to the solid construction;

(zzg) "Standard safe operating practices" means the practice followed in building and other construction activities for the safety and health of workers and safe operation of machineries and equipment used in such activities and such practices conforms to all or any of the following, namely

(i) relevant standards approved by Bureau of Indian Standards;

(ii) national building code;

(iii) manufacturer's instructions on safe use of equipment and machinery;

(iv) code of practice on safety and health in construction industry published by International Labour Organisation and amended from time to time;

(zzh) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

(zzi) "Steel rib" includes all steel beams and other structural members shaped to conform to the requirements of a particular tunnel cross section, used for the purpose of supporting and stabilising the excavated areas;

(zzj) "Suspended scaffold" means a scaffold suspended by means of ropes or chains and capable of being raised or lowered but does not include a boatswain's chair or similar appliance;

(zzk) "Testing establishment" means an establishment with testing and examination facilities, as approved by the State Government for carrying out testing, examination, annealing or similar other test or certification of lifting appliances or lifting gear or wire rope as required under these rules;

(zzl) "Tie" means an assembly used to connect a scaffold to a rigid anchorage;

(zzm) "Toe board" means a member fastened above a working platform, access landing, access way, wheel barrow run, ramp or other platform to prevent building workers and materials falling therefrom;

(zzn) "Transom" means a member placed horizontally and used to tie transversely one ledger to another, or one standard to another in an independent tie scaffold;

(zzo) "Trestle scaffold" includes a scaffold in which the supports for the platform are any of the following which are self-supporting, namely
(i) split heads;
(ii) folding;
(iii) step-ladder;
(iv) tripods; or
(v) moveable contrivances similar to any of the foregoing;

(zzp) "Tubular scaffold" means a scaffold constructed from tubes and couplers;

(zzq) "Tunnel" means a subterranean passage made by excavating beneath the overburden into which a building worker enters or is required to enter to work;

(zzr) "Underground" means any space within the confines of a shaft, tunnel, caisson or cofferdam;

(zzs) "Vehicle" means a vehicle propelled or driven by mechanical or electrical power and includes a trailer, traction engine, tractor, road building machine and transport equipment;

(zzt) "Working chamber" means the part of the construction site where work in a compressed air environment is carried out, but does not include a man lock or medical lock;

(zzu) "Working platform" means a platform which is used to support building workers or materials and includes a working stage;

(zzv) "Working pressure" means pressure, in a working chamber, to which building worker is exposed;

(zzw) "Workplace" means all places where building workers are required to be present or to go for work and which are under the control of an employer.

3. **Interpretation of words not defined. :-** Words and expressions not defined in these rules but defined or used in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. **Savings. :-** The provisions of these rules shall be in addition to and not in substitution for or in diminution of the requirements imposed by the Act.

CHAPTER II
Responsibilities and Duties of Employer, Architecs, Project Engineers and Designers, Building Workers, Etc.

5. **Duties and responsibilities of employers, employees and others. :-** (1) It shall be the duty of every employer who is undertaking any of the operations or works related to or incidental to building or other construction work to which these rules apply:-

(a) to comply with such of the requirements of these rules as are related to him:

Provided that the requirements of this clause shall not affect any building worker if and so long as his presence in any place of work is not in the course of performing any work on behalf of his employer and he is not expressly or impliedly authorised or permitted by his employer to do the work; and

(b) to comply with such of the requirements of these rules as are related to him in relation to any work, act or operation performed or about to be performed by him.

(2) It shall be the duty of every employer who erects or alters any scaffold to comply with such of the requirements of the provisions of these rules as relate to the erection or alteration of scaffolds having regard to the purpose or purposes for which the scaffold is designed at the time of erection or alteration; and such employer, who erects, installs, works or uses any plant or equipment to which any of the provisions of these rules apply, shall erect, install, work or use such plant or equipment in a manner which complies with those provisions.

(3) Where a contractor, who is undertaking any of the operations or works to which these rules apply, appoints any artisan, tradesman or other person to perform any work or services under a contract for services, it shall be the duty of the contractor to comply with such of the requirements of these rules as affect that artisan, tradesman or other person and for this purpose any reference in these rules to an employee shall include a reference to such artisan, tradesman or other person and the contractor shall be deemed to be his employer.

(4) It shall be the duty of every employee to comply with the requirements of such of these rules as are related to the performance of or the refraining from an act by him and to co-operate in carrying out these rules.

(5) It shall be the duty of every employer not to permit an employee to do anything not in accordance with the generally accepted principles of standard safe operating practices connected with building and other construction work as specified by the State Government.

(6) No employee shall do anything which is not in accordance with the generally accepted principles of standard safe operating practices connected with building and other construction work as specified by the State Government.

(7) No person related with any building and other construction work shall wilfully do any act which may cause injury to himself or to others.

(8) It shall be the duty of every employer not to allow lifting appliance, lifting gear, lifting device, transport equipment, vehicles or any other device or equipment to be used by the building workers which does not comply with the provisions given in these rules.

(9) It shall be the duty of the employer to maintain the latrines, urinals, washing facilities and canteen in a clean and hygienic condition. The canteen shall be located in a place away from the latrines and urinals and polluted atmosphere and at the same time be easily accessible to the building workers.

(10) It shall be the duty of the employer to abide by the dates fixed and notified by him for payment of wages for a period in accordance with these rules and no change in such dates and such period shall be effected without notice to the building workers and the inspector. The employer shall ensure timely payment of wages as specified under these rules and at the place and time notified by him. Where the employer is a contractor, he shall ensure that the wages of building workers are paid in the presence of a representative of the employer of establishment or owner of premises from whom he has taken the work on contract and obtain signatures of such representative in token of having witnessed the payment of wages.

(11) It shall be the duty of the employer to ensure that the lifting appliance, lifting gear, earth moving equipment, transport equipment or vehicles used in the building or other construction work undertaken by him conforms to the requirements relating to testing, examination and inspection of such equipment as provided under these rules. It shall be the duty of every person in the service of the government or any local or other public authority to comply with the requirements relating to him as given in these rules.

6. Responsibilities of architects, project engineers and designers. :- (1) It shall be the duty of

the architect, project engineer or designer responsible for the design of any project or part thereof or any building or other construction work to ensure that, at the planning stage, due consideration is given to the safety and health aspects of the building workers who are employed in the erection, operation and execution of such projects and structures as the case may be.

(2) Adequate care shall be taken by the architect, project engineer and other professionals involved in the project, not to include anything in the design which would involve the use of dangerous structures or other processes or materials, hazardous to health or safety of building workers during the course of erection, operation and execution as the case may be.

(3) It shall also be the duty of the professionals, involved in designing the buildings, structures or other construction projects, to take into account the safety aspects associated with the maintenance and upkeep of the structures and buildings where maintenance and upkeep may involve special hazards.

7. **Responsibilities of the persons in the service of Board:-** It shall be the duty of every person in the service of the Chhattisgarh Building& other Construction Workers Board to comply with the directions given by the State Government from time to time to carrying into execution of the provisions of the Act and these rules.

8. **Duties and responsibilities of workers. :-** (1) It shall be the duty of every building worker to comply with the requirements of such of these rules as relate to him, and act and co-operate in carrying out the requirements of these rules and if he discovers any defects in the lifting appliance, lifting gear, lifting device, concerning any transport equipment or other equipment, to report such defects without unreasonable delay to his employer or foreman or other person in authority.

(2) No building worker, shall unless duly authorised or except in case of necessity, remove or interfere with any fencing, gangway, gear, ladder, hatch covering, life saving appliances, lighting or other things whatsoever required by the Act and these rules to be provided. If any of the aforesaid things is removed, such thing shall be restored at the end of the period during which its removal was necessary, by the persons engaged in that work.

(3) Every building worker, shall use only means of access provided in accordance with these rules and no person shall authorise or order another to use means of access other than such means of access.

(4) It shall be the duty of a building worker to keep the latrines, urinals, washing points, canteen and other facilities provided by the employer for securing his welfare in a clean and hygienic condition.

9. **Exemption:-** The State Government may, by order in writing and subject to such conditions and for such period, as may be specified therein, exempt from all or any of the requirements of these rules to:-

(a) any building or other construction work, if State Government is satisfied that such building work is confined to such workers, where it is not convenient to take measures as provided in these rules; or

(b) any appliance, gear, equipment, vehicle or other device if state Government is satisfied that the requirement of such appliance, gear, equipment, vehicle or other device is not necessary for use or equally effective measures are taken in lieu thereof:

Provided that state Government shall not grant exemption under this rule unless it is satisfied that such exemption would not adversely affect the safety, health and welfare of building workers.

PART II

STATE ADVISORY COMMITTEE, REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS

CHAPTER III

State Advisory Committee

10. Constitution of State Advisory Committee. :- The Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Advisory Committee (hereinafter referred to as the State Advisory Committee) shall consist of a Chairperson to be appointed by the State Government, and the following members, namely s:-

(a) Two member of State Legislative Assembly.

(b) A Member to be nominated by the Central Government

(c) The Principal Secretary of the Labour Department of State Government,-member ex-officio.

(d) The Chief Inspector-member, ex-officio.

(e) The Chief Inspector of Factories-member,ex-officio.

(f) Three person to be nominated by the State Government representing building workers, of whom at least one shall be a woman.

(g) Two person to be nominated by the State Government representings employers.

(h) Two persons to be nominated by the State Government representing engineers connected with building or other construction work, of whom at least one shall be from a Government Department connected with building or other construction work;

(i) One person to be nominated by the State Government representing association of architects.

(j) One person to be nominated by the State Government representing accident insurance institutions;

11. Terms of Office. :- (1) The Chairperson of the State Advisory Committee shall hold office as such for a period of three years from the date on which his appointment is notified in the Official Gazette.

(2) Each member referred to in clause (a) of Rule 10 shall hold the office for three years or till he remains a member of the Legislative Assembly of States, whichever is earlier.

(3) The members referred to in clause (c), clause (d) and clause (e) of Rule 10, shall hold office as such during the period as the State Government may specify.

(4) Each of the members referred to in clause (f), (g), (h) (i)and (j)of Rule 10 shall hold office as such for a period of three years commencing from the date on which his appointment is notified in the Official Gazette:-

Provided that where the appointment of the successor of any such member has not been notified in the Official Gazette on or before the expiry of the said period of three years, such member shall, notwithstanding the expiry of the period of his office, continue to hold such office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(5) If a member is unable to attend a meeting of the Committee. the State Government may, after notice in writing to such member and the Chairperson of the State Advisory Committee, nominate a substitute of such member to attend the meeting and such a substitute member shall have all the rights and privileges of such member in respect of that meeting.

(6) The State Advisory Committee shall be reconstituted after every three years.

12. Resignations. :- (1) A member of the State Advisory Committee, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the State Government through its Secretary in the Ministry dealing with Labour; with prior information to the Chairperson of such Committee.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the State

Government, or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter of resignation by that Government whichever is earlier.

13. Cessation of membership :- If any member of the State Advisory Committee, not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of such Committee, without obtaining the leave of the Chairperson of such Committee for such absence, he shall cease to be a member of such Committee:
Provided that the State Government may, if it is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be a member of such Committee.

14. Disqualification for membership. :-(1) A person shall be disqualified for being a member of the State Advisory Committee:-

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(ii) if he is an undischarged insolvent; or

(iii) if he has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(2) Where a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the State Government shall decide such question.

15. Removal from membership. :- The State Government may remove from office any member of the State Advisory Committee, if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on such Committee:

Provided that no such member shall be removed unless a reasonable opportunity is given to him of making a representation against the proposed action under this rule.

16. Manner of filling vacancies. :- When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the State Advisory Committee, the Chairperson of such Committee shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government shall take steps to fill the vacancy by making an appointment from amongst the category of persons to which the person vacating membership belonged and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is appointed.

17. Staff of State Advisory Committee. :- (1) (i) The State Government may appoint one of its officers not below the rank of Assistant Labour Commissioner of the Government as Secretary to the State Advisory Committee and appoint such other staff being in the service of that Government, as it may think necessary, to enable such Committee to carry out its functions.
(ii) The remuneration payable to such staff shall be such as may be decided by the State Government from time to time.
(2) The Secretary of the State Advisory Committee:-
(i) shall assist the Chairperson of such Committee in convening meetings of the Committee;
(ii) may attend the meetings of such Committee but shall not be entitled to vote at such meetings;
(iii) shall keep a record of the minutes of the meetings of such Committee; and
(iv)shall take necessary measures to carry out the decisions taken at the meetings of such Committee.

18. Allowances of members. :- (1) The travelling allowance of an official member of the State

Advisory Committee shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non official members of the State Advisory Committee shall be paid travelling allowance for attending the meeting of such Committee at such rates as are admissible to an officer of the rank of Grade-I of the State Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to such Officer.

19. Disposal of business. :-(1) Every matter which the State Advisory Committee is required to take into consideration shall be considered at a meeting of that Committee, or if the Chairperson of such Committee so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, and the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority:

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of such Committee are equally divided the Chairperson of such Committee shall have a second or a casting vote.

Explanation. :- The expression "Chairperson of the State Advisory Committee" for the purpose of this rule shall include the Chairperson of such Committee nominated or chosen under sub rule (2) of Rule 20 to preside over a meeting.

(2) No act or proceedings of the State Advisory Committee shall be invalid merely for reasons of any vacancy in or any defect in constitution of the Committee.

20. Meetings. :- (1) The State Advisory Committee shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson of such Committee and it shall meet at least once in six months.

(2) The Chairperson of such Committee shall preside over every meeting of the Committee in which he is present and in his absence he may nominate a member of the Committee to preside over such a meeting in his place and in the absence of such nomination by the Chairperson, the members of such committee present in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over such a meeting.

21. Notice of meetings and list of business. :- (1) Ordinarily, two weeks' notice shall be given to the members of the State Advisory Committee of a proposed meeting:

Provided that the Chairperson of such Committee, if he is satisfied that it is expedient to do so, may give notice of longer period for such meeting which shall not exceed one month.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of such Committee shall be considered at such meeting without the permission of the Chairperson of the Committee.

22. Quorum. :- No business shall be transacted at any meeting of the State Advisory Committee unless at least six members of such Committee are present in that meeting.

Provided that if any meeting of such Committee less than six members are present, the Chairperson of such Committee may adjourn the meeting to another date informing members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

CHAPTER IV

Registration of Establishments

23. Manner of making application for registration of establishments. :- (1) The application referred to in sub:-section (1) of Section 7 of the said Act shall be made in triplicate, in Form I annexed to these rules to registering officer of the area appointed under Section 6 of the Act in which the building or other construction work is to be carried on by the establishment.

(2) Every application referred to in sub:-rule (1) shall be accompanied by a original challan showing payment of the fees for the registration of the establishment.

(3) Every application referred to in sub:-rule (1) shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by registered post.

(4) On receipt of the application referred to in sub:-rule (1), the registering officer shall, after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.

24. Grant of certificate of registration. :- (1) The registering officer, after receiving application under sub:-rule (1) of Rule 23 shall register the establishment and issue a certificate of registration to the applicant within fifteen days of receipt of application if such applicant has complied with all the requirement as laid down in these rules and has made the application within such period as specified under clause (a) and clause (b) of sub:-section (1) of Section 7 of the Act. The certificate of registration to be granted by the registering officer shall be in Form II annexed to these rules.

(2) The registering officer shall maintain a register in Form III annexed to these rules showing the particulars of establishments in relation to which certificates of registration have been issued by him.

(3) If, in relation to an establishment, any change occurs in the ownership or management or other particulars specified in the certificate of registration, the employer of the establishment shall intimate the registering officer, within thirty days from the date when such change takes place, the date and particulars of such change, and the reasons thereof.

25. Payment of additional fees and amendment of register etc. :- (1) Where on receipt of the intimation under sub:-rule (3) of Rule 24, the registering officer is satisfied that an amount higher than the amount which has been paid by the employer as fees for the registration of the establishment is payable, he shall require such employer to pay additional sums which, together with the amount already paid by such employer, would be equal to such higher amount of fees payable for the registration of the establishment.

(2) Where, on receipt of the intimation referred to in sub:-rule (3) of Rule 24, the registering officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the establishment, as entered in the register in Form III annexed to these rules, he shall amend the said register and record therein the change which has occurred:

Provided that the registering officer shall not carry out any amendment in the register in Form III annexed to these rules unless the appropriate fees have been deposited by the employer.

26. Conditions of registration. :- (1) Every certificate of registration issued under Rule 24 shall be subject to the following conditions, namely

(a) the certificate of registration shall be non transferable;

(b) the number of workmen employed as building workers in an establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration; and

(c) save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non-refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workmen or the conditions of work to the registering officer within fifteen days.

(3) The employer shall, before thirty days of the commencement and completion of any building or other construction work, submit a written notice to the Inspector, having jurisdiction in the area where the proposed building or other construction work is to be executed, intimating the actual date of the commencement or, as the case may be, completion of such building or other construction work in Form IV annexed to these rules.

(4) The certificate of registration of an establishment shall be valid only for such building and other construction work carried out by such establishment for which intimation required under sub-rule (3) has been given.

(5) A copy of the certificate of registration shall be displayed at the conspicuous place at the premises where the building and other construction work is being carried on.

27. Fees. :- (l) The fees to be paid for the grant of a certificate of registration under Rule 24 shall be as specified below, namely

If the number of workers proposed to be employed as building workers, for a building or other construction work on one day

(a) is up to 100	Rs 100.00
(b) exceeds 100 but does not exceed 500	Rs 500.00
(c) exceeds 500	Rs 1000.00

CHAPTER V
Appeals, Copies Of Orders, Payment Of Fees Etc.

28. Filing of appeal before the appellate officer. :- (1) Every appeal under subsection (1) of Section 9 of the Act shall be preferred in the form of a memorandum signed by the aggrieved person or his authorised advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post

(2) The memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and a demand draft for rupees one hundred.

(3) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of appeal.

(4) Where the memorandum of appeal does not comply with the provisions of sub-rule (2) and sub-rule (3), it may be returned to the appellant for the purpose of being amended with in a time to be fixed by the appellate

officer which shall not exceed thirty days from the date on which the order appealed against has been communicated to the appellant.

(5) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, endorse thereon the date of hearing of such appeal, and shall register the appeal in a book to be kept for the purpose called the register of appeals.

(6) (i) When the appeal has been admitted, under sub rule (5) the appellate officer shall send the notice of the appeal to the registering officer against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the record of the case to the appellate officer.

(ii) On receipt of the record, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him at such date and time as may be specified in the notice for the hearing of the appeal.

29. Failure to appear on the date of hearing :- If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellant.

30. Restoration of appeals. :- Where an appeal has been dismissed under Rule 29, the appellant may apply to the appellate officer for the restoration of the appeal and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal on its original number:

Provided that an application for retoration under this rule shall not be entertained by the appellate officer after thirty days from the date of such dismissal.

31. Hearing of appeal. :- (1) If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the appellate officer shall proceed to hear the appellant or his authorised advocate and pass an order on the appeal, either confirming, reversing or varying the order appealed against.

(2) The order of the appellate officer shall state the points for determination, the decisions thereon and reasons for such decisions.

(3) The order shall be communicated to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order the appeal has been preferred.

32. Copy of Order of registration or of order in appeal. :- Copy of the order of the registering officer or of the appellate officer may be obtained by the person concerned or a person authorised by him on payment of fees of rupees fifty for each order on making application to the registering officer or the appellate officer, as the case may be, specifying the date and other particulars of the order made by the officer concerned. A copy of the certificate, of registration on loss or mutilation of such certificate may at so be obtained in the like manner and on payment of like fees.

33. Payment of Fees. :- All amounts of money payable on account of registration, appeal, supply of copies or duplicate copies of certificate of registration shall be paid in the local treasury under head of account "0230-Labour and Employment (a) Receiepts under labour laws, Fees under the Building and other constrution workers (Regulation of employment and condition of service) Act, 1996 and Chhattissgarh Rule 2007" and the receipt obtained shall be submitted with the application or the memorandum of appeal as the case may be.

PART III
SAFETY AND HEALTH
CHAPTER VI
General Provision

34. Excessive noise, vibration etc. :- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that adequate measures are taken to protect building workers against the harmful effects of excessive noise or vibration at such construction site and the noise level in no case exceeds the limits laid down in Schedule VI annexed to these rules.

35. Fire protection:- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,:-

(a) such construction site is provided with:-

(i) fire extinguishing equipment sufficient to extinguish any probable fire at such construction site;

(ii) an adequate water supply at ample pressure as per national standards;

(iii) number of trained persons required to operate the fire extinguishing equipment provided under sub clause (i);

(b) fire extinguishing equipment provided under sub clause (i) of clause (a) is properly maintained and inspected at regular intervals of not less than once in a year by the responsible person and a record of such inspections is maintained;

(c) in case of every launch or boat or other craft used for transport of building workers and the cabin of every lifting appliance including mobile crane, adequate number of portable fire extinguishing equipment of suitable type shall be provided at each of such launch or boat or craft or lifting appliance.

36. Emergency action plans:- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that in case more than five hundred building workers are employed at such construction site emergency action plan to handle the emergencies like:-

(a) fire and explosion,

(b) collapse of lifting appliances and transport equipment,

(c) collapse of building, sheds or structures etc.,

(d) gas leakage or spillage of dangerous goods or chemicals,

(e) drowning of building workers, sinking of vessels, and

(f) land slides getting building worker buried, floods, storms and other natural calamities, is prepared and submitted for the approval of the Chief Inspector.

37. Fencing of motors, etc. :- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all motors, cogwheels, chains and friction gearing, flywheels, shafting, dangerous and moving

parts of machinery (whether or not driven by mechanical power) and steam pipes are securely fenced or lagged;
(b) the fencing of dangerous parts of machinery is not removed while such machinery is in motion or in use;
(c) no part of any machinery which is in motion and which is not securely fenced is examined, lubricated, adjusted or repaired except by a person skilled for such examination, lubrication, adjustment or repairs;
(d) machine parts are cleaned when such machine is stopped;
(e)when a machine is stopped for servicing or repairs, adequate measures are taken to ensure that such machine does not restart inadvertently;

38. Lifting and carrying of excessive weight. :- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,:-

(a) no building worker lifts by hand or carries overhead or over his back or shoulders any material, article, tool or appliances exceeding in weight the maximum limits set out in the following table:

Person	Maximum Weight Load
Adult man	55 kg
Adult woman	30 kg
Adolescent male	30 kg
Adolescent female	20 kg

unless aided by any other building worker or a mechanical device.

(b) no building worker aided by other building workers, lift by hand or carry overhead or over their back or shoulders, any material, article, tool or appliance exceeding in weight the sum total of maximum limits set out for each building worker separately under clause (a), unless aided by a mechanical device.

39. Health and safety policy. :- (1) (a) Every establishment employing fifty or more building workers shall prepare a written statement of policy in respect of safety and health of building workers and submit the same for the approval of the Chief Inspector;

(b) the policy referred to in clause (a) shall contain the following, namely:-

(i) the intentions and commitments of the establishment regarding health, safety and environmental protection of building workers;

(ii) organisational arrangements made to carry Out the policy referred to in clause (a) specifying the responsibility at different levels of hierarchy;

(iii) responsibilities of the principal employer, contractor, sub contractor, transporter or other agencies involved in the building or other construction work;

(iv) techniques and methods for assessment of risk to safety, health and environmental and remedial measurers therefor;

(v) arrangements for training of building workers, trainers, supervisors or other persons engaged in the construction work;

(vi) other arrangements for making the policy referred to in clause (a), effective; (c) the intention and commitment referred to in sub:-clause (i) of clause (b) shall be taken into account in making decisions relating to plant, machinery, equipment, materials and placement of building workers.

(2) A copy of the policy referred to in clause (a) of sub:-rule (1), signed by an authorised signatory shall be sent to the State Government.

(3) The establishment shall revise the policy referred to in clause (a) of sub:-rule (1) as often as

necessary under the following circumstances, namely::-
(i) whenever any expansion or modification having implication on safety and health of the building workers is made in such building or other construction work; or
(ii) whenever any new building or other construction work, substances, articles or techniques are introduced having implication on health and safety of building workers.
(4) A copy of the policy referred to in sub:-clause (a) of sub:-rule (1) shall be displayed at the conspicuous places in Hindi and a local language understood by the majority of building workers at a construction site.

40. Dangerous and harmful environment:- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,:-

(a) When an internal combustion engine exhausts into a confined space or excavation or tunnel or any other workplace where neither natural ventilation nor artificial ventilation system is adequate to keep the carbon monoxide content of the atmosphere below fifty parts per million, adequate and suitable measures are taken at such workplace in order to avoid exposure of building workers to health hazards;

(b) no building worker is allowed to enter any confined space or tank or trench or excavation wherein there is given off any dust, fumes or other impurities of such nature and to such extent as is likely to be injurious or offensive to the building worker or in which explosives, poisonous, noxious or gaseous material or other harmful articles have been carried or stored or in which dry ice has been used as a refrigerant, or which has been fumigated or in which there is a possibility of oxygen deficiency, unless all practical steps have been taken to remove such dust, fumes, or other impurities and dangers which may be present and to prevent any further ingress thereof, and such workplace or tank or trench or excavation is certified by the responsible person to be safe and fit for the entry of such building workers.

41. Overhead Protection. :- (1) The employer shall ensure at the building or other construction work that overhead protection is erected along the periphery of every building under construction which shall be of fifteen metres or more in height when completed.

(2) Overhead protection referred to in sub rule (1) shall not be less than two metres wide and shall be erected at a height not more than five metres above the base of the building and the outer edge of such overhead protection shall be one hundred fifty millimetres higher than the inner edge thereof or shall be erected at an angle of not more than twenty degrees to its horizontal sloping into the building.

(3) The employer shall ensure at the building and other construction work that any area exposed to risk of falling material, article or objects is roped off or cordoned off or otherwise suitably guarded from inadvertent entry of persons other than building workers at work in such area.

42. Slipping, tripping, cutting, drowning and falling hazards. :- (1) All passageways, platforms and other places of construction work at the building or other construction work shall be kept by the employer free from accumulations of dust, debris or similar material and from other obstructions that may cause tripping.

(2) Any sharp projections or protruding nails or similar projections which may cause any cutting hazard to a building worker at the building or other construction work shall be removed or otherwise made safe by taking suitable measures by the employer.

(3) No employer shall allow any building worker at building or other construction work to use the passageway, or a scaffold, platform or any other elevated working surface which is in a slippery and dangerous condition and shall ensure that water, grease, oil or other similar substances which may cause the surface slippery, be removed or sanded, saw dusted or covered with suitable material to make it safe from slipping hazard at a building or other construction work.

(4) Wherever building workers at a building or other construction work are exposed to the hazard of falling into water, they shall be provided by the employer with adequate equipment for saving themselves from drowning and rescuing from such hazard and if the Chief Inspector considers necessary, well:-equipped boat or launch manned with trained personnel shall be provided by the employer at the site of such work.

(5) Every open side or opening into or through which a building worker, vehicle or lifting appliance or other equipments may fall at a building or other construction work shall be covered or guarded suitably by the employer to prevent such fall except where free access is necessary by reasons of the nature of the work.

(6) Wherever building workers at a building or other construction work are exposed to the hazards of falling from height while employed on such work, they shall be provided by the employer with adequate equipment or means for saving them from such hazards. Such equipment or means shall be in accordance with the national standards.

(7) Whenever there is a possibility of falling of any material, equipment or building worker at a construction site relating to a building or other construction work, adequate and suitable safety net shall be provided by employer in accordance with the national standards.

43. Dust, gases, fumes etc. :- An employer shall prevent concentration of dust, gases or fumes by providing suitable means to control their concentration within the permissible limit so that they may not cause injury or pose health hazard to a building worker at a building or other construction work.

44. Corrosive Substances. :- The employer shall ensure that corrosive substances, including alkalis and acids, shall be stored and used by a person dealing with such substances at a building or other construction work in such a manner that it does not endanger the building worker and suitable protective equipment shall be provided by the employer to a building worker during handling or use of such substances at a building or other construction work and in case of spillage of such substances on the building worker, immediate remedial measures shall be taken by the employer.

45. Eye Protection. :- Suitable personal protective equipment for the protection of eyes shall be provided by employer and used by the building worker engaged in operation like welding, cutting, chipping, granding or similar operations which may cause hazard to his eyes at a building or other construction work.

46. Head protection and other protective apparel. :- (1) Every building worker required to pass through or work within the areas at building or other construction work where there is hazard of his being struck by falling objects or materials shall be provided by the employer with safety helmets of type and tested in accordance with the national standards.

(2) Every building worker required to work in water or in wet concrete or in other similar work at a

building or other construction work, shall be provided with suitable waterproof boots by the employer.

(3) Every building worker required to work in rain or in similar wet condition at building or other construction work, shall be provided with water:-proof coat with hat by the employer.

(4) Every building worker required to use or handle alkalies, acid or other similar corrosive substances at a building or other construction work shall be provided with appropriate protective equipment by an employer, in accordance with the national standards.

(5) Every building worker engaged in handling sharp objects or materials at a building or other construction work which may cause hand injury, shall be provided with suitable hand:-gloves by the employer, in accordance with the national standards.

47.. Electrical hazards. :- (1) Before commencement of any building or other construction work, the employer shall take adequate measures to prevent any worker from coming into physical contact with any electrical equipment or apparatus, machines or live electrical circuit which may cause electrical hazard during the course of his employment at a building or other construction work.

(2) The employer shall display and maintain suitable warning signs at conspicuous places at a building or other construction work in Hindi and a in a local language understood by the majority of the building workers.

(3) In workplaces at a building or other construction work where the exact location of underground electric power line is not known, the building workers using jack hammers, crow bars or other hand:-tools which may come in contact with a live electrical line, shall be provided by the employer with insulated protective gloves and footwear of the type in accordance with the national standards.

(4) The employer shall ensure that, as far as practicable, no wiring, which may come in contact with water or which may be mechanically damaged, is left on ground or floor at a building or other construction work.

(5) The employer shall ensure that all electrical appliances and current carrying equipment used at a building or other construction work are made of sound material and are properly and adequately earthed.

(6) The employer shall ensure that all temporary electrical installations at a building or other construction work are provided with earth:-leakage circuit breakers.

(7) The employer shall ensure that all electrical installations at a building or other construction work comply with the requirements of any law for the time being in force.

48. Vehicular Traffic. :- (1) Whenever any building or other construction work is being carried on, or is located in close proximity to a road or any other place where any vehicular traffic may cause danger to building workers, the employer shall ensure that such building or other construction work is barricaded and suitable warning signs and lights displayed or erected to prevent such danger and if necessary, he may make a request in writing to the concerned authorities to control such traffic.

(2) The employer shall ensure that all vehicles used at construction site of a building or other construction work comply with the requirements of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder.

(3) The employer shall ensure that a driver of a vehicle of any class or description operating at a construction site of a building or other construction work holds a valid driving licence under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

49. Stability of structures. :- The employer shall ensure that no wall, chimney or other structure or part of a structure is left unguarded in such condition that it may fall, collapse or weaken due to wind pressure, vibration or due to any other reason at a site of a building or other construction work.

50. Illumination of passageways, etc. :- The employer shall ensure that illumination sufficient for maintaining safe working conditions at a site of a building or other construction work is provided where building workers are required to work or pass and for passageways, stairways and landing, such illumination is not less than that provided in the relevant national standards.

51. Stacking of materials. :- The employer shall ensure, at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all building materials are stored or stacked in a safe and orderly manner to avoid obstruction of any passageway or place of work;

(b) material piles are stored or stacked in such a manner as to ensure stability;

(c) material or equipment is not stored upon any floor or platform in such quantity as to exceed its safe carrying capacity;

(d) material or equipment is not stored or placed so close to any edge of a floor or platform as to endanger the safety of persons below or working in the vicinity.

52. Disposal of debris. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) debris are handled and disposed of by a method which does not cause danger to the safety of a person;

(b) debris are not allowed to accumulate so as to constitute a hazard;

(c) debris are kept sufficiently moist to bring down the dust within the permissible limit;

(d)debris are not thrown inside or outside from any height of such building or other construction work;

(e) on completion of work, left over building material, article or other substance or debris are disposed of as soon as possible to avoid any hazard to any traffic or person.

53. Numbering and marking of floors. :- The employer shall ensure that each floor or level of a building or other construction work is appropriately numbered or marked at the landing of such floor or level.

54. Use of safety helmets and shoes. :- The employer shall ensure that all persons who are performing any work or services at a building or other construction work, wear safety shoes and helmets conforming to the national standards.

CHAPTER VII
Lifiting Appliances And Gear

55. Construction and maintenance of lifting appliances. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) All lifting appliances, including their parts and working gear, whether fixed or moveable and any plant or gear used in anchoring or fixing such appliances, are:-

(i) of sound construction, sound material, and of adequate strength to serve the purpose for which these are to be used and all such appliances shall be free from patent defects: and

(ii) maintained in good repair and working condition.

(b) (i) every drum or pulley around which the rope of any lifting appliance is carried, is of adequate diameter and sound construction in relation to such rope;

(ii) any rope which terminates at the winding drum of a lifting appliance is securely attached to such drum and at least three dead turns of such rope remain on such drum in every operating position of such lifting appliance;

(iii) the flange of a drum projects twice the rope diameter beyond the last layer of such rope and if such projection is not available, other measures like anti:-slackness guards shall be provided to prevent such rope from coming off such drum;

(c) Every lifting appliance is provided with adequate and efficient brakes which:-

(i) are capable of preventing fall of a suspended load (including any test load) and of effectively controlling such load while it is being lowered;

(ii) act without shock;

(iii) have shoes that can be easily removed for running; and

(iv) are provided with simple and easily accessible means of adjustment:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to steam winch which can be operated as safely as with brakes as provided in accordance with this clause.

(d) Controls of every lifting appliance:-

(i) are so situated that the driver of such appliance at his stand or seat has ample room for operating and has an unrestricted view of building or other construction work, as far as practicable, and that he remains clear of the load and ropes, and that no load passes over him;

(ii) are positioned with due regard to ergonometric considerations for proper operation of such appliance;

(iii) are so located that the driver of such appliance remains above the height of the heel block during the whole operation of such appliance;

(iv) have upon them or adjacent to them clear markings to indicate their purpose and mode of operations;

(v) are provided, where necessary, with a suitable locking device to prevent accidental movement or displacement;

(vi) move, as far as practicable, in the direction of the resultant load movement; and

(vii) wherever automatic brakes are provided, automatically come to the neutral position in case of power failure.

56. Test and periodical examination of lifting appliances. :- The employer shall ensure at construction site of a building or other construction work that,

(a) all lifting appliances including all parts and gears thereof, whether fixed or moveable, are tested and examined by a competent person before being taken into use for the first time or after it has undergone any alterations or repairs liable to affect its strength or stability or after erection on a construction site and also once at least in every five years, in the manner specified in Schedule I annexed to these rules;
(b) all lifting appliances are thoroughly examined by a competent person once at least in every twelve months and where the competent person making such examination forms the opinion that the lifting appliance cannot continue to function safely, he shall forthwith give notice in writing of his opinion to the owner of the lifting appliance;

Explanation. :-For the purpose of this rule, thorough examination means a visual examination, supplemented, if necessary, by other means such as hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined; and, if necessary, for such examination, parts of the lifting appliance and gear, shall be dismantled.

57. Automatic safe load indicators. :- (a) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(i) every crane, if so constructed that the safe working load may be varied by raising or lowering of the jib or otherwise, is attached with an automatic indicator of safe working loads which gives a warning to the operator wherever the load exceeds the safe working load;

(ii) cut-out is provided which automatically arrests the movements of the lifting parts of every crane if the load exceeds the safe working load, wherever possible;

(b) the provisions of sub:-clause (i) of clause (a) apply, except where it is not possible to install an automatic safe load indicator, in which case, provision of a table showing the safe working loads at the corresponding inclinations or radii of the jib on the crane shall be considered sufficient.

58. Installation. :-

The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) fixed lifting appliances are installed:-

(i) by competent persons;

(ii) in a manner that such appliances cannot be displaced by the load, vibration or other influences;

(iii) in a manner that the operator of such appliances is not exposed to danger from loads, ropes or drums; and

(iv) in a manner that the operator can either see over the zone of operation or commuicate with all loading and unloading points by signal; or other communication system;

(b) adequate clearance is provided between parts or loads of lifting appliances, and:-

(i) the fixed objects such as walls and posts; or

(ii) electrical conductors;

(c) the lifting appliances, when exposed to wind loading are given sufficient additional strength, stability and rigidity to withstand such loading safely.

(d) No structural alterations or repairs are made on any part of the lifting appliances that affect the safety of such appliances without obtaining the opinion of the competent person to this effect.

59. Winches. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that.:-

(a)(i) winches are not used if control levers operate with excessive friction or play;

(ii) double gear winches are not used unless a positive means of locking the gear shift is provided;

(iii) there is no load other than the fall and the hook assembly on the winch while changing gears on a two gear winch;

(iv) adequate protection is provided to winch operator against abnormal weather;

(v) temporary seats or shelters for winch operators which may pose hazard to the winch operator or any other building workers are not allowed to be used;

(vi) control levers are secured in the neutral position and, whenever possible, the power is shut-off whenever winches are left unattended.

(b) in use of every steam winch:-

(i) measures are taken to prevent escaping steam from obscuring any part of the construction site or other workplace or from otherwise hindering or injuring any building worker;

(ii) extension control levers which lend to fall of their own weight are counter- balanced;

(iii) winch operators are not permitted to use the winch control extension levers except for short handles on wheel type controls and that such levers are of adequate strength, secure and fastened with metal connections at the fulcrum and at the permanent control lever;

(c) in use of every electric winch, a building or other construction worker is not permitted to transfer, alter or adjust electric control circuits in case of any defect in such winch.

(d) electric winches are not used for building work where:-

(i) the electro:-magnetic brake is unable to hold the load; or

(ii) one or more control points, either hoisting or lowering, are not operating properly.

60. Buckets:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that tip-up buckets are equipped with a device that effectively prevents accidental tipping.

61. Identification and marking of safe working load. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every lifting appliance and loose gear is clearly marked for its safe working load and identification by stamping or other suitable means;

(b) (i) every derrick (other than derrick crane) is clearly marked for its safe working load when such derrick is used either in single purchase with a lower block or in union purchases in all possible block positions;

(ii) the lowest angle to the horizontal, to which the derrick may be used, is legibly marked;

(c) every lifting appliance having more than one working load is fitted with effective means to enable the operator to determine safe working load at each point under all conditions of use;

(d) means to ascertain the safe working load for lifting gears under such conditions in which such

gears may be used are provided to enable a worker using such gears and such means shall consist of:-
(i) marking the safe working load in plain figures or letters upon the sling or upon a tablet or ring of durable material attached securely thereto in case of chain slings; and
(ii) either the means specified in sub-clause (i) or notices so exhibited as can be easily read by any concerned building worker stating the safe working load for the various sizes of the wire rope slings used in case of wire rope slings.

62. Loading of lifting appliances and lifting gears. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no lifting appliance, lifting gear or wire rope is used in an unsafe way and in such a manner as to involve risk to life of building workers, and that they are not loaded beyond their safe working load except for testing purposes under the direction of a competent person in the manner as specified in Schedule I annexed to these rules.

(b) no lifting appliance, lifting gear or any other material handling appliance is used, if:-

(i) the Inspector having jurisdiction is not satisfied with reference to a certificate of test or examination or to an authenticated record maintained as provided under these rules; and

(ii) in the view of such Inspector, the lifting appliance, lifting gear or any other material handling appliance is not safe for use in building or other construction work;

(iii) no pulley block is used in building or other construction work unless the safe working load and its identification are clearly marked on such block.

63. Operator's cab or cabin. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) the operator of every lifting machine in outdoor service is provided with a cab or cabin which:-
(i) is made of fire resistant material;
(ii) has a suitable seat, a footrest and protection from vibration;
(iii) affords the operator an adequate view of the area of operation;
(iv) affords the necessary access to working parts in cab;
(v) affords the operator adequate protection against the weather;
(vi) is adequately ventilated; and
(vii) is provided with a suitable fire extinguisher.

64. Operation of lifting appliances:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every crane driver or lifting operator possess adequate skill and training in the operation of the particular lifting appliance;

(b) no person under eighteen years of age is in control of any lifting appliance, scaffold winch, or to give signals to the operator;

(c) precaution is taken by the trained operator to prevent lifting appliance from being set in motion;

(d) the operation of lifting appliance is governed by signals, in conformity with the relevant national standards;

(e)the lifting appliance operator's attention is not distracted while he is working;

(f) no crane, hoist, winch or other lifting appliance or any part of such crane, hoist, winch or other lifting

appliance is, except for testing purposes, loaded beyond the safe working load;

(g) during the hoisting operations effective precaution is taken to prevent any person from standing or passing under the load in such operations;

(h) operator does not leave lifting appliance unattended while power is on or load is suspended to such appliance;

(i) no person rides on a suspended load or on any lifting appliance;

(j)every part of a load in course of being hoisted or lowered is adequately suspended and supported to prevent danger;

(k) every receptacle used for hoisting bricks, tiles, slates or other material is suitably enclosed as to prevent the fall of any such materials;

(l) the hoisting platform is enclosed when loose materials or loaded wheel barrows are placed directly on such platform or on lowering, such materials or wheel -barrows;

(m) no material is raised, lowered or slowed with any lifting appliance in such a way as to cause sudden jerks to such appliance;

(n) in hoisting a barrow, any wheel of such barrow is not used as a means of support unless adequate steps are taken to prevent the axle of such wheel from slipping out of its bearings;

(o) long objects like planks or girders are provided with a tag line to prevent any possibility of danger while raising or lowering such objects;

(p) during the process of landing of material, a building worker is not permitted to lean out into empty space for finding out the loading and unloading of such material;

(q) the hoisting of loads at places where there is regular flow of traffic is carried out in an enclosed space, or in case such hoisting is impracticable in enclosed space, measures are taken to hold up or divert the traffic during the time of such hoisting;

(r) adequate steps are taken to prevent a load, in the course of being hoisted or lowered from coming into contact with any object to avoid any displacement of such load;

(s) appliances are provided and used for guiding heavy loads when raising or lowering heavy loads to avoid crushing of hands of building workers during such raising or lowering of loads.

65. Hoists:-

The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) hoist towers are designed according to relevant national standards;

(b) hoist shafts are provided with rigid panels or other adequate fencing:-

(i) at the ground level on all sides of such shafts; and

(ii) at all other levels on all sides of the access to such shafts;

(c) the walls of hoist shafts, except at approaches, extend to at least two metres above the floor or platform of access to such shafts;

(d) approaches to a hoist are provided with gates which are:-

(i) gridded to maintain visibility;

(ii) at least two metres height; and

(iii) equipped with a device which requires such gate to be closed before the platform of such hoist can leave the landing and prevents the gate from being opened unless such platform, is at the landing;

(e) approaches to a hoist are adequately lit;

(f) the guides of hoist platforms offer sufficient resistance to bending and, to bucking, in the case of jamming, by providing a safety catch;

(g) overhead beams and their supports are capable of holding the total maximum live and dead loads that such beams and supports will be required to carry, with a safety factor of at least five;

(h)a clear space is provided:-

(i) above the highest stopping place of a cage or platform to allow sufficient unobstructed travel of such cage or platform in case of overwinding; and

(ii) below the lowest stopping place of such cage or platform;

(i) adequate covering is provided above the top of hoist shafts to prevent materials from falling into such shafts;

(j) outdoor hoist towers are erected on adequately firm foundations and are securely braced, guided and anchored;

(k) a ladder way extends from the bottom to the top of every outdoor hoist tower in case no other ladder way exists within easy reach and such ladder way comply with the relevant national standards;

(l) the rated capacity of a hoisting engine is at least one and a half times the maximum load that such engine will be required to move;

(m) all gearing on a hoisting engine is securely enclosed;

(n) steam piping of a hoisting engine is adequately protected against accidental contact of such piping with a building worker;

(o) electrical equipment of a hoisting engine is effectively earthed;

(p) a hoist is provided with suitable devices to stop a hoisting engine as soon as the platform of such hoist reaches its highest stopping place;

(q) a hoisting engine is protected by a suitable cover against weather and falling objects;

(r) a hoisting engine set up in a public thorough fare is completely enclosed;

(s) all exhaust steam pipes discharge steam in such a manner that the steam so discharged does not scald any person or obstruct the operator's view;

(t) the motion of a hoist is not reversed without first bringing it to rest to avoid any harm from such reverse motion;

(u) a hoist, not designed for the conveyance of persons, is not set in motion from the platform of such hoist;

(v) pawls and ratchet-wheels of a hoist, requiring disengagement of such pawls from such ratchet:-wheels, before the platform of such hoist is lowered, are not used;

(w) a platform of a hoist is capable of supporting such maximum load, that such platform may carry, with a safety factor of at least three;

(x) a platform of a hoist is equipped with suitable safety gear which can hold such platform with its maximum load in case its hoisting rope breaks;

(y) on platform of a hoist, the wheelbarrows or truck are efficiently blocked in a safe position;

(z) a cage of a hoist or a platform, where the building workers are required to enter into such cage or to go on such platform at landing level, is provided with a locking arrangement to prevent such cage or platform from moving during the time a worker enters or leaves such cage or platform;

(za) the sides of a platform of a hoist which, are not used for loading or unloading, are provided with toe-board and enclosures of a wire mesh or any other suitable means to prevent the fall of any part of a load from such platform;

(zb) a platform of a hoist, which has any probability of falling and part of load from it, is provided with an adequate covering with such fall;

(zc) the counter-weights of a hoist consisting of an assemblage of several parts are so constructed that such parts are rigidly connected together;

(zd) the counter-weights of a hoist run between guides;

(ze) at every level of work the building workers are provided with adequate platforms for performing such work;

(zf) a legible notice in Hindi as well as in a local language is displayed at:-

(i) a conspicuous place of the platforms of a hoist and that such notice states the maximum carrying capacity of such hoist in kilograms;

(ii) a conspicuous place on the hoisting engine and that such notice states maximum lifting capacity of such hoist in kilograms;

(iii)a conspicuous place on a hoist authorised and certified for the conveyance of the person on the platform or cage and such notice states the maximum number of persons to be carried on such hoist at one time;

(iv) a conspicuous place on a hoist carrying goods and other materials and such notice states that such hoist is not meant for carriage of persons.

66. Fencing of and means of access to lifting appliances. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) safe means of access is provided to every part of a lifting appliance;

(b) the operator's platform on every crane or tip driven by mechanical power is securely fenced and is provided with safe means of access and where access to such platform is by a ladder,:-

(i) the sides of such ladder extend to a reasonable height beyond such platforms or some other suitable handhold is provided in lieu thereof to prevent any falling of persons from such platforms;

(ii) the handling place on such platform is maintained free from obstruction and slipping; and

(iii) in case the height of such ladder exceeds six metres, the resting platforms are provided on such ladder at every six metres of its height and where the distance between last platform so provided and the top end of such ladder is more than two metres then on such top end.

67. Rigging of derricks:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every derrick has current and relevant rigging plans and any other information necessary for the safe rigging of such derricks and its gear.

68. Securing of derrick foot. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that appropriate measures are taken to prevent the foot of a derrick being lifted out of its socket or support.

69. Construction and maintenance of lifting gear. :-The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every lifting gear is:-

(i) of good design and construction, sound material and adequate strength to perform the work for which it is used;

(ii) free from patent defects; and

(iii) properly maintained in good repair and working order;

(b) components of the loose gear, at the time of its use, are renewed if one of its dimensions at any point has decreased by ten per cent or more by user;

(c) a chain is withdrawn from use when it is stretched and increased in length which exceeds five per cent of its length or when a link of such chain is deformed or is otherwise damaged or raised scrafs of defective welds is appeared on it;

(d) rings, hooks, swivels and end links attached to a chain are of the same material as that of such chain;
(e) the voltage of electric supply to any magnetic lifting device does not fluctuate by more than plus ten per cent or minus ten per cent.

70. Test and periodical examination of lifting gears. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) a lifting gear is initially tested for the manufacturer by a competent person, in a manner specified in Schedule I annexed to these rules before taking into use or after undergoing any substantive alterations which renders its any part liable to affect its safety and such gear alters such test shall subsequently by retested for the use of its owner at least once in every five years;
(b) a lifting gear in use is thoroughly examined once at least in every twelve months by a competent person;
(c) a chain in use is thoroughly examined once at least every month by a responsible person for its use;
(d) certificates of initial and periodical tests and examinations of loose gears under these rules are obtained in Form VII annexed to these rules.

71. Ropes. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work

no rope is used for building or other construction work unless:-
(i) it is of good quality and free from patent defects; and
(ii) in the case of wire rope, it has been tested and examined by a competent person in the manner specified in Schedule I annexed to these rules;
(b) every wire rope of lifting appliance or lifting gear used for building or other construction work is inspected by a responsible person for such use, once at least in every three months:
Provided that after any such wire is broken in such rope, it shall thereafter be inspected once at least in every month by the responsible person;
(c) no wire rope is used for building or other construction work if in any length of eight diameters of such wires, the total number of visible broken wires exceed ten per cent of the total number of wires in such rope, or such rope shows sign of excessive wear, corrosion or other defects which in the opinion of the person who inspects it or Inspector, having jurisdiction, is unfit for use;
(d) eye splices and loops of ropes for the attachment of hooks, rings and other such parts to wire ropes are made with suitable thimble;
(e) a thimble or loop splice made in any wire rope sling conforms to the following standards, namely
(i) wire rope sling shall have at least three tucks with full strand of rope and two tucks with one-half of the wires cut out of each of such strand in all cases, such strands shall be tucked against the lay of the rope;
(ii) protruding ends of such strands in any splice of wire rope slings shall be covered or treated so as to leave no sharp points;
(iii) a fibre rope or a rope sling shall have at least four tucks; tail of such tuck being whipped in a suitable manner; and
(iv) a synthetic fibre rope or rope sling shall have at least four tucks with full strand followed by further tuck with one-half filaments cut out of each of such strand and final tuck with one-half of the remaining

filaments cut out from such strands. Any portion of the splices containing such tucks, with reduced number of filaments, shall be securely covered with suitable tape or other materials:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply where any other form of splice, which may be shown to be as efficient as the splice with above standards, is used.

72. Heat treatment of lifting gears. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all chains other than briddle chains attached to derricks and all rings, hooks, shackles and swivels used in hoisting or lowering of such derricks are effectively annealed under supervision of a competent person and at the following intervals, namely

(i) such chains, rings, hooks, shackles and swivels which are not more than twelve and a half millimetre of length are so annealed at least once in every six months; and

(ii) all other such chains, rings, hooks, shackles and swivels are so annealed at least once in every twelve months:

Provided that such annealing as referred to in sub-clause (i) and sub-clause (ii) shall not be required if the Inspector, having jurisdiction, after obtaining the approval of the Chief Inspector, directs that such chains, rings, hooks, shackles and swivels undergo some other treatment and in such cases the treatment directed by such Inspector shall be followed:

Provided further that in case of such chains, rings, hooks, shackles and swivels used solely on such derricks and other hoisting appliances which are worked by hand, the provisions of sub-clause (i) and sub-clause (ii), as the case may be, shall apply as if for the period of six months and twelve months the periods of twelve months and two years have respectively been substituted therein:

Provided also that in case where the Inspector, having jurisdiction, is of the opinion that owing to the size, design material or frequency of use of any such chains, rings, hooks, shackles and swivels, the requirement of this clause for annealing is not necessary for the protection of building worker, he may after obtaining the approval of the Chief Inspector certify in writing to such employer that subject to the conditions specified in sucn certification, such chains, rings, hooks, shackles and swivels are exempted from such annealing and thereafter the provision of this clause shall apply subject to such exemption:

Provided also that this clause shall not apply to:-

(i) pitched chains, working on sprocket or sprocketed wheels;

(ii) rings, hooks and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks or weighing machines: and

(iii) hooks and swivels having ball bearings or other case hardened parts;

(b) a chain or a loose gear made of high tensile steel or alloy steel is plainly marked with a mark indicating that it is so made;

(c) no chain or loose gear made of high tensile steel or alloy steel is subjected to any form of heat treatment except where such treatment is necessary for the purpose of repair of such chain or loose gear and that such repair is made under the direction of the competent person;

(d) that the wrought iron gear, the past history of which is not traceable, is suspected of being heat treated at incorrect temperature, is normalised before using it on any building or other construction work.

73. Certificate to be issued after actual testing and examination, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a competent person issues a

certificate for the purpose of Rule 56, Rule 62, Rule 71 and Rule 72 only after actual testing or, as the case may be, examination of the apparatus specified in the said rules.

74. Register of periodical test, examination and certificates thereof. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a register in Form XXVI, annexed to these rules is maintained and particulars of such test and examination of lifting appliances, lifting gears and heat treatment as required under Rule 56, Rule 62 and Rule 72, are entered in such register;

(b) certificate in respect of each of the following is obtained from competent person in the forms as mentioned below, namely

(i) in case of initial and periodical test and examination under Rule 56 and Rule 71, for:-

(a) winches, derricks and their accessory gears in Form V annexed to these rules;

(b) cranes or hoists and their accessory gears in Form VI annexed to these rules;

(ii) in case of test, examination and re-examination of loose gears under clause (d) of Rule 70 in Form VII annexed to these rules;

(iii) in case of test and examination of wire ropes under Rule 62 in Form VIII annexed to these rules;

(iv) in case of heat treatment and examination of loose gears under Rule 72 in Form IX annexed to these rules;

(v) in case of annual thorough examination of the loose gears under clause (b) of Rule 70, except where required particulars of such exemption have been enclosed in the register referred to in clause (a), in Form XXVI, annexed to these rules, and such certificates are attached to the register referred to in clause (a);

(c) the register referred to in clause (a) and the certificates referred to in clause (b) attached to such register are:-

(i) kept at such construction site in case such register and certificate relate to lifting appliances, loose gear and wire ropes;

(ii) produced on demand before an Inspector having jurisdiction; and

(iii) retained for at least five years after the date of the last entry made in such register;

(d) no lifting appliance or lifting gear in respect of which an entry is required to be made in register referred to in clause (a) and certificate of test and examination are required to be attached in such register in the manner as specified in clause (a) or clause (b), as the case may be, is used for building or other construction work unless the required entries have been made in such register and certificates.

75. Vacuum and magnetic lifting gear. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no vacuum lifting gear, magnetic lifting gear or any other lifting gear where the load on it is held by adhesive power, is used while workers are performing operations beneath such gear;

(b) a magnetic lifting gear used in connection with building or other construction work is provided with an alternative supply of power, such as batteries, which may come into operation immediately in the event of failure of the main power supply;

(c) no building worker shall work within the swinging zone of the lifting gear or load or building or other construction material suspended to such lifting gear.

76. Knotting of chains and wire ropes. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no chain or wire rope with a knot in it is used in building or other construction work.

77. Carrying of persons by means of lifting appliances, etc. :- (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no building worker is raised, lowered or carried by a power-driven lifting appliance except:-

(a) on the driver's platform in the cage of a crane; or

(b) on a hoist; or

(c) on an approved suspended scaffold:

Provided that a building worker may be raised, lowered or carried by a power-driven lifting appliance:-

(i) in circumstances where the use of a hoist or of a suspended scaffold is not reasonably practicable and the requirements of sub-rule (2) are complied with; or

(ii) on an aerial cableway or aerial ropeway in case where the requirements of sub:-rule (2) are complied with:

(2) The requirements referred to in proviso to sub-rule (1) are as below, namely

(i) that the appliance referred to in such proviso can be operated from one position only:

(ii) that any winch used in connection with the appliance referred to in such proviso comply with the requirements of Rule 59;

(iii) that no person shall be carried by the appliance referred to in such proviso except:-

(a) in a chair or cage, or

(b) in a skip or other receptacle at least three feet deep which is suitable for safe carriage of a person and any such chair, cage, skip or other receptacle is made of good construction, sound material, and has adequate strength and is properly maintained with suitable means to prevent any occupant therein from falling out of it and is free from any material or tools which may interfere with the handhold or foothold of such occupant or otherwise endanger him; and

(iv) that suitable measures shall be taken to prevent the chair, cage, skip or other receptacle from spinning or tipping in a manner dangerous to any occupant therein.

78. Hoists carrying persons:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no building worker is carried by a hoist unless it is provided with a cage which:-

(i) is so constructed as to prevent, when its gates are shut, any building worker carried by such hoist from falling out of it or from being trapped between any part of such cage and any fixed structure or other moving part of such hoist or from being struck by articles or materials falling down the hoistway on which such hoist is moving; and

(ii) is fitted on each of its side from which, access is provided to a landing place with a gate which has efficient inter locking or other devices to secure so that such gate cannot be opened except when such cage is at a landing place and that such cage cannot be moved away from any such place until such gate is closed.

(b) every gate in the hoistway enclosure of such hoist used for carrying persons is fitted with efficient inter locking or other devices to secure so that gate cannot be opened except when the cage of such gate is at the landing place, and that such cage cannot be moved away from the landing place until such gate is closed.

(c) in every hoist used for carrying building workers these are provided suitable and efficient automatic devices to ensure that the cage of such hoist comes to rest at a point above the lowest point to which such cage may travel.

79. Attachment of loads. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) when a sling is used to hoist long materials, a lifting beam is used to space the sling legs for proper balance and when a load is suspended at two or more points with slings, the eyes of the lifting legs of such slings are shackled together and such shackle or eyes of the shackled slings are placed on the hook or the eyes of such lifting legs are shackled directly to the hoisting block, ball or balance beam, as the case may be:

(b) every container or receptacle used for raising or lowering stone, bricks, tiles, slates or other similar objects is so enclosed with the hoist as to prevent the fall of such objects;

(c) a loaded wheelbarrow placed directly on a platform of a hoist for raising or lowering of such wheelbarrows is so secured that such wheelbarrows cannot move and such platform is enclosed to prevent the fall of the contents kept in such wheelbarrows;

(d) landings of a hoist are so designed and arranged that building workers on such hoist are not required to lean out into empty space for loading and unloading any material from such hoist.

80. Tower Cranes:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no person other than the operator trained and capable to work at heights are employed to operate tower cranes;

(b) the ground on which a tower crane stands has adequate bearing capacity;

(c) bases for tower cranes and trucks for rail-mounted tower cranes are firm and levelled and such cranes are erected at a reasonably safe distance from excavations and are operated within gradient limits as specified by the manufacturer of such cranes;

(d) tower cranes are sited where there is a clear space available for erection, operation and dismantling of such cranes;

(e) tower cranes are sited in such a way that the loads on such cranes are not handled over any occupied premises, public thoroughfares, railways or near power cables, other than construction works for which such cranes are used;

(f) where two or more tower cranes are sited and operated, every care is taken to ensure positive and proper communication between operators of such cranes to avoid any danger or dangerous occurrences;

(g) tower cranes are used for loading magnet or demolition ball service, piling operation or other similar operations which could impose excessive load stresses on the crane structure of such cranes;

(h) the instructions of the manufacturer of a tower crane and standard safe practices regarding such crane are followed while operating or using such crane.

81. Qualification of operator of lifting winches and of signaller, etc. :-

The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no person is employed to drive or operate a lifting appliance, whether driven by mechanical power or otherwise or to give signals to drive or operator of such lifting appliance or to work as a operator of a rigger or derricks unless he:-

(i) is above eighteen years of age;

(ii) is sufficiently competent and reliable :

(iii) possesses the knowledge of the inherent risk involved in the operation of lifting appliances; and

(iv) is medically examined periodically as specified in Schedule VII annexed to these rules.

CHAPTER VIII
Runways And Ramps

82. Use of runways and ramps by building worker. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) runway or ramp provided for use by building workers is not less than four hundred and thirty millimetres in width and is constructed of not less than twenty five millimetres thick planking or any other material of adequate strength to withstand the required load supported substantially in relation to the span and braced of such runway or ramp and design and construction of such runway or ramp is in accordance with the relevant national standards;

(b) every runway or ramp provided for use of building workers located more than three metres above the floor or ground is on open sides provided with a guard rail of adequate strength and height of not less than one thousand millimetres.

83. Use by vehicles. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all runways and ramps are of sound construction, strength and are securely braced and supported;

(b) every runway or ramp for the use of transport equipment like trailers, trucks or heavier vehicles has a width of not less than three point seven metres and is provided with timber curbs or any other material of adequate strength with not less than two hundred millimetres by two hundred millimetres in width placed parallel to, and secured to, the sides of such runway or ramp and such runways or ramps are designed in accordance with the relevant national standards.

84. Slope of Ramps. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every ramp has a slope not exceeding one in four and the total rise of a continuous ramp used by building workers carrying material or using wheelbarrows does not exceed three point seven metres, unless broken by horizontal landing of at least one point two metres in length or as provided in accordance with the relevant national standards.

85. Use by wheelbarrows, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every runway or ramp used for wheelbarrows, hand carts or hand trucks is not less than one metre in width and is constructed of not less than fifty millimeters thick planking and is supported and braced suitably for such use;

(b) every runway or ramp located more than three metres above the floor or ground is provided on the open sides with suitable guard rails of adequate strength.

CHAPTER IX
Work on or Adjacent to Water

86. Transport by water. :- (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) when any building worker has to proceed to or from any working place by water for purposes of carrying on a building or other construction work, proper measures are taken to provide for his safe transportation and vessels used for such purpose are used in charge of a responsible person, and are properly equipped for safe navigation and are maintained in good condition;

(b) maximum number of persons which can be safely carried in a vessel as certified under the relevant law in force is marked plainly and conspicuously on such vessel and such number is not exceeded during use of such vessel for carrying persons.

(2) The vessel referred to in clause (a) of sub rule (1) shall conform to the following, namely

(i) that adequate protection is provided to the building workers in such vessel from inclement weather;

(ii) that such vessel is manned by adequate and experienced crew, as per the relevant law for the time being in force;

(iii) that in case the bulwarks of such vessel are lower than sixty centimetres from the level of the deck of such vessel, the open edge of such bulwarks are fitted with suitable fencing to a height of at least one metre above such deck and the post and stanchions and similar parts used in such fencing are not spaced more than two metres apart;

(iv) that the number of lifebuoys on deck of such vessel is at least equal to the number of crew members of such vessel and is not less than two;

(v) that all lifebuoys on deck of such vessel are kept in good state of maintenance and are so placed that if such vessel sinks then they remain to float and one of such buoys is within the immediate reach of the Steerman of such vessel and another is situated after part of such vessel; and

(vi) that the position of the Steerman of the vessel is such that he has a reasonably free view of all sides.

87. Prevention from drowning. :-

The employer shall ensure at a construction site of building or other construction work that where, on or adjacent to the workplace of any construction site to which these rules apply, there is water into which a building worker employed for work on such site is, in the course of his employment, may fall and has the risk of drowning, suitable rescue equipment is provided and kept in an efficient state for ready use and measures are taken to arrange for the prompt rescue of such building worker from the danger of drowning and where there is a special risk of such fall from the edge of adjacent land or from a structure adjacent to or above the water or from floating stage on such water, secure fencing is provided near the edge of such land, structure or floating stage, as the case may be, to prevent such fall, and such fencing may be removed or allowed to remain unerected for the time and to the extent necessary for the access of building workers to such work or the movement of material for such work.

CHAPTER X
Transport And Earth Moving Equipment

88. Earth moving equipment and vehicles. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all vehicles and earth moving equipment are made of good material, proper design and sound construction and are sufficiently strong for the purpose for which such equipment are used and are maintained in good state of repair and are properly used in accordance with standard safe operating practices:

Provided that the truck or trailer employed for transporting freight containers are of the size sufficient to carry the containers, without overhanging and are provided with twist locks conforming to national standards, at all the four corners of each of such truck or trailers and such truck or trailers are certified for such use by an authority under the relevant law for the time being in force and is inspected by a responsible person, at least once in a month and record of such inspection is maintained;

(b) all transport or earth moving equipment and vehicles are inspected at least once a week by a responsible person and in case any defect is noticed in such equipment or vehicle, it is immediately taken out of use;

(c) power trucks and tractors are equipped with effective brakes, head lights and tail lamps and are maintained in good repair and working order;

(d) side stanchions on power trucks and trailers for carrying heavy and long objects are:-

(i) of sound construction and free from defects;

(ii) provided with tie chains attached to the top across the loads for preventing such stanchions from spreading out; and

(iii) kept in position while loading and unloading;

(e) safe gangways are provided for to and fro movement of building workers engaged in loading and unloading of lorries, trucks, trailers and wagons;

(f) trucks and other equipment are not loaded beyond their safe carrying capacity which shall be clearly marked on such trucks and other equipment;

(g) handles of hand trucks are so designed as to protect the hands of the building workers working on such trucks, or such handles are provided with knuckle guards;

(h) no unauthorised person rides the transport equipment employed in such work;

(i) a driver of a transport equipment manoeuvres such equipment under the direction of a signaller;

(j) adequate precaution such as isolating the electric supply or erecting overhead barriers of a safe height is taken when earth moving equipment or vehicles are required to operate in dangerous proximity to any live electric conductor;

(k) vehicles and earth moving equipments are not left on a slope with the engine of such vehicles or equipment running;

(l) all earth moving equipments, vehicles or other transport equipment are operated only by such person who are adequately trained and possess such skill as are required for safe operation of such equipment, vehicle or other transport equipment.

89. Power shovels and excavators:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a shovel or an excavator whether operated, by steam or electric or by internal combustion, used for such work is constructed, installed, operated, tested and examined as required under any law for the time being in

force and the relevant national standards;

(b) excavator equipped for use as a mobile crane is:-

(i) examined and tested in accordance with the requirements for such mobile crane under these rules; and

(ii) fitted with an automatic safe working load indicator;

(c) buckets or grabs of power shovels are propped to restrict the movement of such buckets or grabs while being repaired or while the teeth of such buckets or grabs are being changed.

90. Bulldozers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) an operator of a bulldozer before leaving such bulldozer:-

(i) applies the brakes;

(ii) lowers the blade and sipper; and

(iii) puts the shift lever into neutral;

(b) a bulldozer is left on level ground at the close of the work for which such bulldozer is used;

(c) the blade of a bulldozer is kept low when such bulldozer is moving uphill;

(d) the bulldozer blades are not used as brakes except in an emergency.

91. Scrapers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a tractor and scraper is joined by safety line at the time of its operation;

(b) the scraper bowls are propped while blades of such scraper are being replaced;

(c) a scraper moving downhill is left in gear.

92. Mobile asphalt layers and finishers. :- The employer shall ensure on a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a mixture elevator is within a wooden or sheet metal enclosure with a window for observation, lubrication and maintenance;

(b) bitumen scoops have adequate covers.

(c) when asphalt plants are working on a public road, adequate traffic control is established on such road and the building workers working with such plant are provided with reflecting jackets;

(d) a sufficient number of fire extinguishers are kept in readiness on such workplace where fire hazards may exist;

(e) the materials are loaded on the elevator after the drying drain has warmed up of such elevator;

(f) no open light is used for ascertaining the level of asphalt;

(g) inspection opening is not opened till there is a pressure in the boiler which may cause injury to a building worker.

93. Pavers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that pavers are equipped with guards suitable to prevent building workers from walking under the skip of such pavers.

94. Road rollers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) before a road roller is used on the ground, such ground is examined for its bearing capacity and general safety, especially at the edges of slopes such as embankments on such grounds;

(b) a roller is not moved downhill with the engine out of gear.

95. General safety:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every vehicle or earth moving equipment is equipped with:-

(i) silencers;

(ii) tail lights;

(iii) power and hand brakes;

(iv) reversing alarm; and

(v) search light for forward and backward movement, which are required for safe operation of such vehicle or earth moving equipment;

(b) the cab of vehicle or earth moving equipment is kept at least one metre from the adjacent face of a ground being excavated;

(c) when a crane or shovel are travelling, the boom of such crane or shovel is in the direction of such travel and the bucket or scoop attached to such crane or shovel is raised and without load, except when such travelling is downhill.

CHAPTER XI
Concrete Work

96. General provisions regarding use of concrete:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all construction with the use of concrete or reinforced concrete are based on plans as:-

(i) include specifications of steel and concrete and other material to be used in such construction;

(ii) give technical details regarding methods for safe placing and handling of such materials as specified in sub-clause (i);

(iii) indicate the type, quality and arrangement of each part of a structure of such construction; and

(iv) explain the sequence of steps to be taken for completion of such construction;

(b) formwork and shores used for concrete work are structurally safe and are properly braced or tied together so as to maintain position and shape of such formwork or shores;

(c) formwork structure used for concrete work has sufficient cat-walks and other secure access for inspection of such structure if such structure is in two or more tiers.

97. Preparation and pouring of concrete and erection of concrete structures. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a building worker handling cement or concrete;

(i)wears close:-fitting clothing, gloves, helmet or hard hat, safety goggles, proper footwear and respirator or mask to protect him from danger in such handling;

(ii) keep as much of his body covered as is required to protect him from danger in such handling;

(iii) takes all necessary precautions to keep cement and concrete away from his skin in such handling.

(b) lime pits are fenced or enclosed;

(c) lime pits are filled and emptied by such devices which do not require workers to go into the pit;

(d) moving parts of the elevators, hoists, screens, bunkers, chutes, grouting equipment used for concrete work and of other equipment used for storing, transport and other handling ingredients of concrete are securely fenced to avoid contact of building workers with such moving parts;

(e) screw conveyors used for cement, lime and other dusty materials are completely enclosed.

98.Buckets. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) concrete buckets used with cranes or aerial cableways are free from projections from which accumulations of concrete could fall;

(b) movements of concrete buckets are governed by signals necessary to avoid any danger by such movements.

99.Pipes and Pumps. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a scaffolding carrying a pipe for pumped concrete is strong enough to support such pipe at time when such pipe is filled with concrete or water or any other liquid and to bear all the building workers who may be on such scaffold at such time, safely;

b) every pipe for carrying pumped concrete is:-

(i) securely anchored at its end point and at each curve on it;

(ii) provided near the top of such pipe with an air release valve; and

(iii) securely attached to a pump nozzle by a bolted collar or other adequate means;

(c) the operation of concrete pumps are governed by standard signals relevant in accordance with the relevant national standards;

(d) building workers employed around a concrete pump wear safety goggles.

100. Mixing and pouring of concrete:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the concrete mixture does not contain any material which may unduly affect the setting of such concrete, weaken such concrete or corrode steel used with such concrete;

(b) when dry ingredients of concrete are being mixed in confined spaces such as silos,

(i) the dust shall be exhausted at the time of such mixing; and

(ii) in case the dust cannot be exhausted, as specified in sub-clause (i), the building workers shall wear respirators at the time of such mixing;

(c) when concrete is being tipped from buckets, building workers are kept out of the range of any kickbacks of such buckets;

(d) loads are not dumped or placed on settling concrete.

101. Concrete panels and slabs. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all parts of a concrete panel or concrete slab are hoisted uniformly:

(b) concrete panels are adequately braced in their final positions and such bracings shall remain in such position until such panels are adequately supported by other parts of the construction for which such panels are used:

(c) temporary bracing of concrete panels are securely fastened to prevent any part of such panels from falling when such panels are being moved.

102. Stressed and tensioned elements. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or construction work that:-

(a) building workers do not stand directly over jacking equipment while stressing of concrete girders and beams is being done;

(b) a prestressed concrete unit is not handled except at points on such unit and by the devices specified for such work by the manufacturer of such devices;

(c) during transport, prestressed concrete girders or concrete beams are kept upright by bracing or other effective means;

(d) anchor fittings for pretensioned strands of prestressed concrete girders or concrete beams are kept in a safe condition in accordance with the instructions of manufacturer of such anchor fittings;

(e) building workers do not stand behind jacks or in line with tensioning elements and jacking equipment during tensioning operations of prestressed concrete girders or concrete beams;

(f) building workers do not cut wires of prestressed concrete girders or concrete beams under tension before such concrete used for such girders or beams is sufficiently hardened.

103. Vibrators. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a building worker, who is in good physical condition, operates vibrators used in concreting work;

(b) all practical measures are taken to reduce the amount of vibration transmitted to the operators working in concreting work;

(c) when electric vibrators are used in concreting work,:-

(i) such vibrators shall be earthed;

(ii) the leads of such vibrators shall be heavily insulated; and

(iii) the current shall be switched off when such vibrators are not in use.

104. Inspection and supervision:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a person responsible for a concreting work supervises the erection of the formwork shores, graces and other supports used for such concreting work;

(b) a person responsible for concreting work makes a thorough inspection of every formwork after erection of such formwork in such concreting work to ensure that such formwork is safe;

(c) a person responsible for a concreting work regularly inspects the formwork, shores, braces, reshores and other supports during the placing of concrete;

(d) any unsafe condition which is discovered during the inspections mentioned under clauses (b) and (c) is remedied immediately;
(e) a person responsible for a concreting work keeps all records of inspections referred to in clause (a) and clause (b) at the worker place relating to such inspection and produces them for inspection upon the demand of an Inspector having jurisdiction.

105. Beams, floors and roofs. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) horizontal and diagonal bracings are provided in both longitudinal and transverse directions as may be necessary to provide structural stability to formwork used in concreting work and shores used in such concreting work are properly seated top and bottom and are secured in their places;
(b) where shores used in concreting work rest upon the ground, base plates are provided for keeping such shores firm and in level;
(c) where the floor to ceiling height of a concreting work exceeds nine metres or where the formwork deck used in such concreting work is supported by shores constructed in two or more tiers, or where the dead, live and impact loads on the formwork used in such concreting work exceed seven hundred kilogram per square metre, the structure of such formwork is designed by a professional engineer in the relevant field and the specifications and drawings of such formwork are kept at such construction site and produced on demand before the Inspector having jurisdiction;
(d) where the structure of the formwork used in concreting work is designed by a professional engineer, such engineer shall be responsible for the supervision of construction and stability of such structure.

106. Stripping. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) stripping of formwork used in concreting work commences until the concrete on such formwork is fully set, examined and certified to this effect by the responsible person and record of such examination and certification is maintained;
(b) stripped forms in concreting work are removed or stockpiled promptly after stripping from all areas in which building workers are required to work or pass;
(c) protruding nails, wire ties and other formwork accessories not required for subsequent concreting work are pulled, cut or otherwise made safe.

107. Reshoring:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) reshoring used in concreting work is provided to a slab or beam for its safe support after its stripping or where such slab or beam is subjected to superimposed loads due to construction above such slab or beam;
(b) the provisions applicable to shoring in a concreting work under this chapter shall also be applicable to reshoring in such work.

CHAPTER XII
Demolition

108. Preparation:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all glass or similar material or article in exterior openings are removed before commencing any demolition work and all water, steam, electric, gas and other similar supply lines are put-off and suitably capped and the concerned department of the appropriate Government or local authority is informed and permission obtained wherever required before commencing such demolition work and wherever it is necessary to maintain water, gas or electric line or power during such demolition, such line shall be so located or protected with substantial coverings so as to protect it from damage and to afford safety to the building workers and the general public.

109. Protection of adjacent structures. :- The employer responsible for a demolition work at a construction site of a building or other construction work shall, during demolition process of such demolition work, examine the walls of all structures adjacent to the structure to be demolished to determine the thickness, method of support to such adjacent structures and in case, such employer has reason to believe that any of such adjacent structure is unsafe or may become unsafe during such demolition process, he shall not perform demolition activity affecting such unsafe adjacent structure unless and until remedial measures like sheet piling, shoring, bracing, or similar other means so as to ensure safety and stability to such unsafe adjacent structure from collapsing are taken.

110. Demolition of walls, partitions, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) any demolition of walls or partitions is proceeded in a systematic manner as per the standard safe operating practices and all work above each tier of any floor beams is completed before the safety of the support of such beam is impaired;

(b) masonry is neither loosened nor permitted to fall in such masses or volume or weight as to endanger the structural stability of any floor or structural support;

(c) no wall, chimney or other structure or part of a structure is left unguarded in such a condition that it may fall, collapse or weaken due to wind pressure or vibration;

(d) In the case of demolition of exterior walls by hand, safe footing is provided for the building workers employed for such demolition, in the form of sound flooring or scaffolds;

(e) walls or partitions which are to be demolished by hand are not left standing more than one storey high above the uppermost floor on which persons are working.

111. Method of operation. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that debris, bricks and other materials or articles are removed:-

(i) by means of chutes;
(ii) by means of buckets or hoists;
(iii) through openings in the floors; or
(iv) by any other safe means.

112. Access to floor. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that safe access to and egress from every building is provided at all times in the course of demolition of such building by means of entrances, hallways, stairway or ladder runs which are so protected as to safeguard the building workers using such means from falling material or articles.

113. Demolition of structural steel. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) all steel structures are demolished column by column and tier by tier and every structural member which is being demolished is not under any stress and such structural member is suitably lashed to prevent it from any uncontrolled swinging or dropping or falling;
(b) large structural members are not thrown or dropped from the building but are carefully lowered by adopting suitable safe method;
(c) where a lifting appliance like a derrick is used for demolition, the floor on which such lifting appliance rests is completely planked over or supported and such floor is of adequate strength to sustain bearing load for such lifting appliance and its operation.

114. Storage of material or article. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,:-
(a) all materials or articles are not stored or kept on platform, floor or stairways of a building being demolished:
Provided that this clause shall not apply to the floor of a building when such floor is of such strength as to support safely the load to be superimposed by storing such materials or articles;
(b) an access to any stairway or passageway is not affected or blocked by storing any material or article;
(c). suitable barricades are provided so as to prevent materials or articles from sliding or rebounding into any space used by the building workers.

115. Floor openings. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every opening used for the removal of debris from every floor which is not closed to access, except the top or working floor is provided with an enclosure from such floor to its ceiling, or such opening is so barricaded that no building worker has access to within a horizontal distance of six metres from such opening through which debris is being dropped.

116. Inspection:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a person responsible for demolition work makes continuous inspections during demolition process of such demolition work so as to detect any hazard resulting from weakened or deteriorated floors or walls or loosened materials or articles during such demolition process and that no building worker is permitted to work where such hazard exist unless remedial measures like shoring or bracing are taken to prevent such hazards.

117. Warning signs, barricades, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,
(a) barricades and warning signs are erected along every side throughout the length and breadth of a building or other construction work to be demolished to prevent unauthorised persons from entering into the

site of such building or other construction work during demolition operations:

(b) during the demolition of an exterior masonry wall or a roof from a point more than twelve metres above the adjoining ground level of such wall or roof, if persons below such wall or roof are exposed to falling objects, suitable and safe catch platforms shall be provided and maintained at a level not more than six metres below the working level except where an exterior built-up scaffold is provided for safe and adequate protection of such persons:

(c) suitable and standard warning signs in accordance with national standards are displayed or erected at conspicuous places or position at the workplace.

118. Mechanical method of demolition. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the following requirements are fulfilled in case the mechanical method of demolition like use of swinging weight, clamshell bucket, power shovel, bulldozer or other similar mechanical methods are used for the purpose of demolition, namely::-

(a) that the building or structure or remaining portion thereof shall be not more than twenty-four metres in height;

(b) that where a swinging weight is used for demolition, a zone of such demolition having a radius of at least one and a half times the height of the structure or portion thereof being so demolished shall be maintained around the points of impact of such swinging weight;

(c) where a clamshell bucket is being used for demolition, a zone of demolition shall be maintained within eight metres of the line of travel of such bucket;

(d) that where other mechanical methods are being used to affect total or partial collapse of a building or other construction work, there shall be maintained, in the area into which the affected portion of such building or other construction work may fall, a zone of demolition at least one and a half times the height of such affected portion thereof; and

(e) no person other than building workers or other persons essential to the operation of demolition work shall be permitted to enter a zone of demolition referred to in clause (a) which shall be provided with substantial barricades.

CHAPTER XIII
Excavation And Tunnelling Works

119. Notification of intention to carry out excavation and tunnelling work. :- (1) Every employer carrying out any excavation or tunnelling work at a construction site of a building or other construction work shall, within thirty days, prior to the commencement of such excavation or tunnelling work, inform in writing the detailed layout plans, method of construction and schedule of such excavation or tunnelling work to the Chief Inspector.

(2) In case compressed air is used in such excavation or tunnelling work or any work incidental to or required for such excavation or tunnelling work, the technical details and drawings of all man-locks and medical locks together with names and addresses of all construction medical officers having qualification as laid down in Schedule XI annexed to these rules and so appointed by such employer for the purpose of such excavation or tunnelling work shall be sent to the Chief Inspector.

120. Project Engineer. :- (1) Every employer undertaking any excavation or tunnelling work shall appoint a project engineer for safe operation of such projects of such excavation or tunnelling work for which such engineer is appointed.

(2) Such project engineer shall exercise overall control of the operations and the activities at such project and be responsible for carrying out the activities safely.

121. Responsible person. :- (1) Every employer undertaking excavation or tunnelling work at a construction site of building or other construction work shall appoint a responsible person for safe operation for such excavation or tunnelling work.

(2) Duties and responsibilities of the responsible person referred to in sub-rule (1), person shall include:-

(a) to carry out smoothly such excavation or tunnelling work;

(b) to inspect and rectify any hazardous situation relating to such excavation or tunnelling work;

(c) to take remedial measures to avoid any unsafe practice or conditions relating to such excavation or tunnelling work.

(3) The name and address of the responsible person referred to in sub-rule (1) shall be forwarded to the Chief Inspector.

122. Warning signs and notices:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) suitable warning signs or notices, required for the safety of building workers carrying out the work of an excavation or tunnelling, shall be displayed or erected at conspicuous places in Hindi and in a language understood by the majority of such building workers at such excavation or tunnelling work;

(b) such warning signs and notices with regard to compressed air working shall include:-

(i) the danger involved in such compressed air work;

(ii) fire and explosion hazards;

(iii) the emergency procedures for rescue from such danger or hazards.

123. Register of employment etc. :- (1) Every employer shall ensure that a construction site of a building or other construction work where an excavation or tunnelling work is being carried on, a register of employment of building workers carrying out such excavation or tunnelling work, is maintained and produced on demand to the Inspector having jurisdiction.

(2) Periods of work of such excavation or tunnelling work, in which such building workers are employed, shall be maintained in a register on day to day basis and such register shall be produced on demand to the Inspector having jurisdiction.

124. Illumination. :- (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all workplaces where excavation or tunnelling works are carried out shall be adequately illuminated in accordance with the relevant national standards.

(2) Every employer carrying out excavation or tunnelling works at a construction site of a building or other construction work shall provide for emergency generators on such construction site to ensure adequate illumination at all workplaces where such excavation or tunnelling work is being carried out, in case of power failure.

125. Stability of structure:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) where there is any doubt as to the stability of any structure adjoining the work place or other areas to be excavated or where tunnelling work is to be carried out, the project engineer referred to in Rule 120 arranges for measures like underpinning, sheet piling, shoring, bracing or other similar means to support such structure and to prevent injury to any building worker working adjacent to such structure or damage to property or equipment adjacent to such structure;

(b) where any building worker engaged in excavation is exposed to hazard of falling or sliding material or article from any bank or side of such excavation which is more than one and a half metres above his footing, such worker is protected by adequate piling and bracing against such bank or side;

(c) the excavation and its vicinity are checked by a responsible person refered to in Rule 121 after every rain, storm or other occurrences carrying hazards and in case a hazard is noticed at such checking, adequate protection against slides and cave-in to prevent such hazard is provided;

(d) temporary sheet piling installed for the construction of a retaining wall after excavation is not removed except on the advice of the responsible person referred to in Rule 121 after an inspection carried out by such responsible person;

(e) where banks of an excavation are undercut, adequate shoring is provided to support the material or article overhanging such bank;

(f) excavated material is not stored at least zero point six five metre from the edge of an open excavation or trench and the banks of such excavation or trench are stripped of loose rocks and other materials which may slide, roll or fall upon a building worker working below such bank;

(g) adequate and suitable warning signs are put up at conspicuous places at the excavation work to avoid any person falling into the excavations or trenches;

(h) the responsible person referred to in Rule 121, ensures at the excavation work that no building worker is permitted to work where such building worker may be struck or endangered by the excavation machinery or material or article used in such excavation.

126. Piling, shoring and bracing. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,:-

(a) plank used for sheet piling in excavation or tunnelling work is of sound material with adequate strength;

(b) shores and braces used in excavation or tunnelling work are of adequate dimensions and are so placed as to be effective for their intended purposes;

(c) earth supported shores or braces used in excavation or tunnelling work bear against a footing of sufficient area and stability to prevent the shifting of such shores or braces.

127. Safe access. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that ladders, stair cases or ramps are provided, as the case may be, for safe access to and egress from excavation where the depth of such excavation exceeds one point five metres and such ladders, stair cases or ramps comply with the relevant national standards.

128. Trenches. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a trench or excavation is protected against falling of a person by suitable measures if the depth of such trench or excavation exceeds one and a half metres and such protection is an improved protection in accordance with the design and drawing of a professional engineer, where such depth exceeds four metres.

129. Depth of trenches:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) where the depth of a trench requires two lengths of sheet piling, one above the other, the lower piling is set inside the bottom strings or wales of the upper piling and such sheet piling is driven down and braced as the excavation continues;

(b) all metal sheet piles used in excavation or a trench are welded end to end and secured by other similar means.

130. Positioning and use of machinery:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that any machinery used in excavation and tunnelling work is positioned and operated in such a way that such machinery does not endanger the operator of such machinery or any other person in the vicinity.

131. Breathing apparatus:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) suitable breathing apparatus is provided to a building worker while working in compressed air environment for his use at excavation or tunnelling work; and

(b) such breathing apparatus is maintained in good working condition at all times.

132. Safety measures for tunnelling operation. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) where there is a danger of falling or sliding of material from the roof face or wall of a tunnel, adequate measures such as shoring, supporting by means of rock bolts, segments or steel sets are taken for the safety of building workers;

(b) the excavated areas are made safe by use of suitably designed and installed steel sets, rock bolts or similar other safe means;

(c) the responsible person referred to in Rule 121 examines and inspects the workplaces in a tunnel before the commencement of work in such tunnel, and at regular intervals thereafter, to ensure safety of the building workers in such tunnel;

(d) the portal areas of a tunnel with loose soil, or rock, likely to cause injury to a person are adequately protected with supports.

133. Pneumatic tools. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that supply lines to pneumatic tools used within a tunnel are fitted with watertrap or safety chain or safety wire, as the case may be.

134. Shafts. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) surroundings of a shaft used in excavation or tunnel work are protected from being washed away by construction of sufficient height;

(b) where a building worker is required to enter a shaft at an excavation or tunnelling work, safe means of access is provided for such entry;

(c) every shaft at excavation or tunnelling work is provided with a steel casing, concrete piping, timber shoring or other materials of adequate strength for the safety of building workers working in such shaft;

(d) such casing and bracing are provided to a shaft at an excavation or tunnelling work up to the depth of such shaft at an excavation or tunnelling work according to the appropriate design for such casing and bracing;

(e) a reinforced concrete raft and beam is provided around the opening of a shaft at an excavation or tunnelling work if the ground surrounding such opening is unstable or unsafe.

135. Lift for shaft:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that lift is provided for transport of building workers and materials or articles at an excavation or tunnelling work required to descend more than fifty metres in a shaft.

136. Means of communication. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) reliable and effective means of communication such as telephone or walkietalkie are provided and are maintained in working order for arranging better and effective communication at an excavation or tunnelling work at the following locations, namely,-

(i)working chamber at the face of an excavation;

(ii)intervals of hundred metres along the tunnel;

(iii)working chamber side of a man lock near the door of such man lock;

(iv)interior of each chamber of a man lock;

(v)location conspicuous a lock attendant's station;

(vi)a compressor plant;

(vii)a first-aid station; and

(viii)outside the portal or the top of a shaft.

(b)such number of bells and whistles are made available at all times at the locations referred to in sub-clause (i) to sub-clause (viii) of clause (a) as are necessary for the safety of persons at such locations.

137. Signals. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the standard audio or video signals are used in excavation or tunnelling work and are conspicuously located or displayed near entrance to the workplace and in such other locations as may be necessary to bring such signals to notice of all building workers employed in such excavation or tunnelling work.

138. Clearances:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the minimum lateral clearance of half a metre is maintained between any part of a vehicle and any fixture or any equipment used in an excavation or tunnelling work after allowing the throw or swing of such fixture or equipment;

(b) the overhead clearance for a locomotive drive at excavation or tunnelling work is not less than one point one zero metres above the seat of such driver and not less than two metres above the platform where such driver stands or of any other dimension in accordance with the relevant national standard.

139. Shelters. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the adequate number of shelters for the safeguard of the building workers are provided where, in the course of working, they are liable to be struck by a moving vehicle or other material handling equipment in a tunnel.

140. Use of internal combustion engine:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no internal combustion engine is used underground in excavation or tunnelling work unless such engine is so constructed that:-

(a) the air entering the engine gets cleared before entry; and

(b) no fumes or sparks are emitted by the engine.

141. Inflammable oils. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that inflammable oils with the flash point below the working temperature that is likely to be encountered in a tunnel are not used in excavation or tunnelling work.

142. Coupling and hoses. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that only high pressure hydraulic hoses and couplings are used on hydraulic plants underground and such hoses and couplings are adequately protected against any possible damage in excavation or tunnelling work.

143. Hose installation. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all hydraulic lines and plants working at a temperature exceeding seventy degree centigrade are protected by adequate insulation or otherwise against accidental human contact in excavation or tunnelling work.

144. Fire resistant hoses. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no fire hydraulic hoses other than fire resistant hydraulic hoses are used when hydraulically activated machinery and equipment is employed in tunnels.

145. Flame proof equipment:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that only flame proof equipment of appropriate type as per relevant national standards is used where there is a danger of flammable or explosive atmosphere being prevalent inside the tunnel.

146. Storing of oil and fuel underground. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all oils, greases or fuels stored underground in excavation or tunnelling work are kept in tightly sealed containers and in fire resistant areas at safe distances away from explosive and other flammable chemicals:

(b) appropriate flame proof installation is used in such storage areas as specified in clause (a).

147. Use of gases underground. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-.

(a) petrol or liquefied petroleum gas or any other flammable.substances are not used, stored inside the tunnel except with the prior approval of the project engineer under Rule 120:

(b) after the use of the petroleum or liquefied petroleum gas, or highly inflammable substances referred to in clause (a), all remaining petroleum or liquefied petroleum gas or highly inflammable substances are removed immediately from such tunnel;

(c) no oxy -acetelene gas is used in a compressed air environment in excavation or tunnelling work.

148. Water for fire-fithing :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that -

(a) adequate number of water outlets are provided on excavation or tunnelling work and are readily made accessible throughout the tunnel for fire-fighting purposes and such water outlets are maintained for effective fire-fighting;

(b) all air locks are equipped with fire-fighting facilities at excavation or tunnelling work:

(c) an audible fire alarm is provided to warn the building workers whenever a fire breaks out on an excavation or tunnelling work;

(d) adequate number and types of fire extinguishers, in accordance with relevant national standards, are provided and made readily available to fight any outbreak of fire at an excavation or tunnelling work:

(e) fire extinguishers with vapourising liquids and high pressure carbon dioxide are not used in tunnels or other confined spaces;

(f) the instructions regarding steps to be followed to fight outbreak of fire, at an excavation or tunnelling work, written in Hindi or local language understood by the majority of the building workers employed on such excavation or tunnelling work, are displayed at conspicuous and vulnerable places of such excavation or tunnelling work.

149. Flooding. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) watertight bulkhead doors are installed at the entrance of a tunnel to prevent flooding during a tunnelling work where more than one tunnel is driven from a shaft;

(b) all necessary measures are taken to ensure that no building worker is trapped in any isolated section of a tunnel when any bulkhead door of such tunnel is closed;

(c) where there is likelihood of flooding or water rushing into a tunnel during a tunnelling work, arrangements are made for immediate starting of water pumps to take out water of such flooding or water rushing and for giving alert signals to the building workers and other persons to keep them away from danger.

150. Steel curtains. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that air tight steel curtains are provided in areas liable to flooding at tunnelling work and in case of descending tunnel such curtains are provided in the top half of such tunnels to ensure the retention of pockets of air for rescue purpose.

151. Rest shelters. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) where building workers employed in a compressed air environment in a tunnelling work are required to remain at the work site for one hour or more after decompression from pressure exceeding one bar, adequate and suitable facilities are provided for such building workers to rest;

(b) every man-lock, medical lock and any other facility inside these locks at an excavation a tunnelling work is maintained in a clean state and in good repairs;

(c) a first-aid room is provided and is readily available at a construction site of a tunnelling work;

(d) each man-lock attendant station is provided with a first-aid box at a construction site of a tunnelling work.

152. Permissible limit of exposure of chemicals. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the working environment in a tunnel or a shaft in which building workers are employed does not contain any of the hazardous substances in concentrations beyond the permissible limits as laid down in the Schedule XII annexed to these rules;

(b) the responsible person referred to in Rule 121 conducts necessary test before the commencement of a tunnelling work for the day and at suitable intervals as fixed by the Director General to ensure that the permissible limits of exposure are not exceeded and a record of such test is maintained and is made available for inspection to the Inspector having jurisdiction, on demand.

153. Ventilation. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all working areas in a free air tunnel are provided with ventilation system as approved by the Chief Inspector and the fresh air supplied in such tunnel is not less than six cubic metres per minute for each building worker employed underground in such tunnel and the free air-flow movement inside such tunnel is not less than nine metres per minute.

154. Air supply intake point. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the air intake points for all air compressors are located at places where such intake air does not get contaminated with dust, fumes, vapour and exhaust gases or other contaminants.

155. Emergency generators. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every compressed air system in a tunnel is provided with emergency power supply system for maintaining continued supply of compressed air in such compressed air system and is capable of operating air compressor and ancillary systems of such compressed air system;

(b) the emergency power supply system is maintained and is readily available at all times at an excavation or tunnelling work.

156. Air mains. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every air main supplying air to the working chamber, man-lock or medical-lock used at an excavation or tunnelling work is protected against accidental damage and where it is not practicable to provide such protection, a stand-by air main is provided.

157. Bulk head and air-locks. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a bulk head or air tight diaphragms retaining compressed air, when used within a tunnel or a shaft, is constructed to withstand the maximum pressure at one point two five times the maximum working pressure of such bulk head or diaphragm and such bulk head or diaphragm is tested before its each use by a responsible person referred to in Rule 121 to ensure that such bulk head or diaphragm is in proper working order;

(b) such responsible person keeps the record of each test referred to in clause (a) and such rcord is produced for inspection to the Inspector having jurisdiction on demand;

(c) the bulk head or diaphragm referred to in clause (a) are made of sound material of adequate strength and are able to withstand to maximum pressure on which they are subjected to at any time of their use;

(d) a bulk head anchorage and air lock is tested at its workplace at an excavation or tunnelling work immediately after their installation at such place.

158. Diaphragms. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all diaphragms which are in the form of horizontal decks across a shaft used at excavation or tunnelling work are securely anchored.

159. Portable electrical hand tools. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all portable electrical hand tools and inspection lamps used underground or in a confined space at an excavation or tunnelling work are operated at a voltage not exceeding twenty-four volts.

160. Circuit breaker. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) adequate numbers of differential groundfault circuit breakers are installed for every electrical distribution system and its sub-systems used at an excavation or tunnelling work and the sensitivity of each of circuit breaker is adjusted in accordance with the requirement set out in accordance with the relevant national standards;

(b) no semi-enclosed fuse unit is used in underground place at an excavation or tunnelling work.

161. Transformer. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no transformer is used in any section of a tunnel under compressed air unless such transformer is of the dry type and conforms to the relevant national standards.

162. Live wire. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that there is no exposed live wire in working areas at an excavation or tunnelling work which are accessible to building workers other than those authorised to work on such live lines.

163. Welding sets. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all welding sets used in a tunnel are of adequate capacity and of suitable type approved by Chief Inspector.

164. Quality and quantity of air. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) every working chamber at an excavation or tunnelling work where compressed air is used, the supply of such air is maintained not less than zero point three cubic metres per minute per person working therein:

(b) a reserve supply of compressed air is made available at all times for man-locks and medical locks used at a tunnelling work;

(c) the air supplied in a compressed air environment at a tunnelling work is as far as practicable free from odour and other contaminants, namely, dust, fumes and other toxic substances.

165. Working temperature. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that the temperature in any working chamber at an excavation or tunnelling work where building workers are employed does not exceed twenty-nine degree centigrade and that the arrangement is maintained for keeping records in which the temperatures measured by dry bulb and wet bulb inside such working chamber once in every hour and to produce such records for inspection on demand to the Inspector having jurisdiction.

166. Man-locks and working in compressed air environment:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) man-locks used at a tunnelling work are of adequate strength, made of sound material and designed to withstand any air pressure, internal or external, to which it may be subjected to in the normal use or in an emergency;

(b)(i) doors of man-locks at an excavation or tunnelling work are made of steel;

(ii) man-locks used at a tunnelling work are airtight and devices are provided for sealing the doors when such locks are under pressure;

(iii) the anchorage of a man-lock used at tunnelling work have adequate strength to withstand the pressure exerted by air on the man-lock;

(iv) there is adequate room available for the building worker for working in the man-lock used at tunnelling work;

(v) where work is carried out in any compressed air tunnel, a man-lock in accordance with the relevant national standards is used for such tunnel;

(c) (i) where a man-lock is used at tunnelling work, safety instructions in Hindi and in local language understood by majority of building workers employed therein are displaced at conspicuous place at such tunnelling work;

(ii) except in an emergency, compression and decompression operations are carried out in a man:-lock used at tunnelling work;

(iii) in an emergency any material lock may be used at tunnelling work for compression and decompression of building worker and a record is kept in writing and produced for inspection on demand to the Inspector having jurisdiction;

(iv) material-lock is used with the permission of Chief Inspector for compression and decompression of building workers, where it is impracticable to install both the man:-lock and the material-lock at a tunnelling work;

(v) decompression of all building workers to atmospheric condition at tunnelling work is carried out in accordance with a decompression procedure approved by the Chief Inspector;

(vi) the man-lock at tunnelling work is not used for any purpose other than compression or decompression of building workers;

(vii) no decanting of building workers at tunnelling work is carried out without prior approval of Chief Inspector, except in an emergency;

(viii) in case a building worker collapses or is taken ill during his decompression in a man-lock used at tunnelling work, the lock attendant of such man:-lock raises the pressure in such man-lock until such pressure is equal to the maximum pressure which that building worker was exposed to in the working chamber prior to such decompression and such lock attendant immediately reports the matter relating to such collapse to the medical lock attendant and medical officer on duty at such tunnelling work;

(ix) a building worker who had previously received training with a trained building worker to work in a compressed air environment at tunnelling work is employed to work independently in such a compressed air environment;

(x) a building worker who had undergone three decompressions from a pressure exceeding one bar in a period of eight hours at tunnelling work is not allowed to enter a compressed air environment except for the purpose of carrying out rescue work;

(xi) a building worker employed in a compressed air environment for a period of eight hours in a day at tunnelling work is not employed again in such environment unless he has spent not less than twelve consecutive hours of rest at atmospheric pressure;

(xii) no building worker is engaged in a compressed air environment at a pressure which exceeds three bars at tunnelling work unless prior permission, in writing, has been obtained from the Chief Inspector for such arrangement;

(xiii) no building worker is employed in a compressed air environment for more than fourteen consecutive days in a month at tunnelling work;

(xiv) a register of employment of all building workers employed in compressed air environment at tunnelling work, is maintained;

(xv) an identification badge is supplied to a building worker employed in compressed air environment at tunnelling work;

(xvi) the badge of a building worker referred to in sub-clause (xv) contains particulars of his name, location of the medical lock allotted to him for work, the telephone number of the Construction Medical Officer concerned for his treatment and the instructions in case of his illness of unknown and doubtful causes;

(xvii) record of all identification badges supplied to building workers under sub-clause (xvi), is kept in a register;

(xviii) every building worker whose name appears in the register referred to in sub-clause (xvii) wears the badge supplied to him under sub-clause (xv) at all times during his duty hours at tunnelling work;

(xix) suitable warning signs are displayed, in the compressed air environment at tunnelling work, for the prohibition of following, namely

(a) use of alcoholic drinks;

(b) use and carrying of lighters, matches or other sources of ignition;

(c) smoking; and

(d) an entry to person who has consumed alcoholic drinks.

167. Safety instruction. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all building workers employed in compressed air environment at tunnelling work follow the instructions issued for their safety in the course of such employment.

168. Medical lock. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) a suitably constructed medical lock is maintained at tunnelling work where building workers are employed in a working chamber at a pressure exceeding one bar;

(b) where more than one hundred building workers are employed in a compressed air working environment exceeding one bar at tunnelling work, one medical lock is provided for every one hundred building workers or part thereof and such medical lock is situated as near as possible to the main lock used at such tunnelling work.

CHAPTER XIV
Construction, Repair And Maintenance Of Steep Roof

169. Work on steep roofs. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all practicable measures are provided to protect the building workers against sliding when carrying out work on steep roofs.

170. Construction and installation of roofing brackets. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) roofing brackets are constructed to fit the pitch of steep roof and such brackets are used to provide level working platform;

(b) a roofing bracket referred to in clause (a) is secured in its place by nailing pointed metal projections attached to the underside of such bracket and securely driven into a steep roof on which it is used or secured by a rope passed over the ridge pole and tie of such roof.

171. Crawling boards. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all crawling boards used for work on steep roofs are of adequate strength, made of sound material and

of the type approved for the purpose of their use as per relevant national standards;

(b) crawling board referred to in clause (a) are kept in good repairs and inspected by a responsible person before being taken into use;

(c) crawling board referred to in clause (a) is secured to a steep roof on which it is used by ridge hooks or other effective means;

(d) a firmly fastened lifeline of adequate strength is strung beside each crawling board referred to in clause (a) throughout its length while using such crawling boards.

CHAPTER XV
Ladders And Step Ladders

172. Construction and safe use. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every ladder or step-ladder used in building or other construction work is of good construction, made of sound material and of adequate strength for the purpose for which such ladder or step-ladder is used;

(b) when a ladder is used as a means of communication, such ladder is lashed to a fixed structure so that while working on such ladder it does not slip;

(c) a ladder or step-ladder does not stand on loose bricks or other loose packing and has a level and firm footing;

(d) where it is required, in case of use of fixed ladders, sufficient foothold and handhold are provided for usc by the building worker;

(e) every ladder is:-

(i) secured so as to prevent undue swaying;

(ii) equally and properly supported on each of its upright;

(iii) so used as not to cause undue sagging; and

(iv) placed as nearly as possible at an inclination of four in one;

(f) the use of all ladders and step-ladders conform to the relevant national standards for their use.

173. Rungs. :-The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no ladder is used which has a missing or defective rung or a rung which depends for its support solely on nails, spikes or other similar fixing.

174. Materials for ladders. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all wooden ladders used in building work:-

(a) are constructed upright of adequate strength and are made of straight-grained wood, free from defects and having the grain of such wood running lengthwise;

(b) have rungs made of straight-grained wood free from defects and mortised or securely notched into the upright; and

(c) have reinforcing metal ties, if the tenons of such ladders are not secured by wedges.

CHAPTER XVI
Catch Platform And Hoardings, Chutes, Safety Belts And Nets

175. Catch platforms. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) catch platform is not used for storage of material or as a working platform;

(b) catch platform is at least two metres wide and is inclined so that the position of outer edge of such platform is fifteen hundred millimetres higher than the inner edge;

(c) the open end of catch platform is properly fenced to the height not less than one metre.

176. Hoardings:- The employer shall ensure at a construction site of building or other construction work that hoardings are constructed when the Chief Inspector consider it necessary for protection of building workers and directs such employer to construct such hoardings.

177. Chutes, its construction and use. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) wooden or metal chutes which are at an angle of more than forty-five degrees to the horizontal and used for the removal of materials are closed on all sides except at their openings used for receiving or discharging of materials or articles;

(b) all openings of chutes except their top openings are closed when not in use;

(c) every chute:-

(i) is constructed of sound material, adequate strength and is suitable for the purpose it is intended for use;

(ii) exceeding twelve metres in height is constructed in accordance with the design and drawings of a professional engineer for such construction and approval of the Chief Inspector;

(d) a suitable warning notice is displayed at conspicuous location, written in Hindi and in a local language, at the discharge end of every chute;

(e) every chute is cleared when debris has accumulated to a height which can pose danger to building worker but such clearance is done in no case less frequently than once a day.

178. Safety belt and its use. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) safety belt, lifelines and devices for the attachment of such lifelines conform to the relevant national standards;

(b) every building worker is supplied with safety belt and safety lifelines for his protection and such building worker uses such belts and lifelines during the performance of his work;

(c) all building workers using safety belts and safety lifelines have the knowledge of safe use and maintenance of such belts and lifelines and are supplied with necessary instructions;

(d) the responsible person for supervising the use of safety belts and safety lifelines referred to in clause (b) inspects and ensures that such safety belts and lifelines are fit for use before taken into use at every time.

179. Safety net and its use. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every safe net is of adequate strength, made of sound material and is suitable for use and conforms to the relevant national standards;

(b) the responsible person for maintenance of safety nets and their use ensures safe fixing of such safety nets and provides such safety nets with suitable and sufficient anchorage so that the purposes for which such safety net is intended for use, is served.

180. Storage of safety belts and nets, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that proper arrangement is made for the safe storage of safety belts, safety lifelines and safety nets when they are not in use and are protected against mechanical damage, damages from chemicals and damages from biological agents.

CHAPTER XVII
Structural Frame And Form Work

181. General provision. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the trained building worker under the direct supervision of a person, responsible for structural frame and formwork, are employed for erection of such structural frame or formwork, dismantling of building and structure and performance of an engineering work, formwork, false work and shoring work;

(b) adequate measures are taken to guard against hazards arising from any temporary state of weakness or unsuitability of a structure.

182. Formwork, false work and shoring. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) formwork and false work are so designed, constructed and maintained that such formwork and false work support the load that may be imposed on them;

(b) such form work is so erected that working platform, means of access, bracing, means of handling and stabilising could easily be fixed with such formwork.

183. Erection or dismantling of steel and prefabricated structure. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the safety of building workers employed for the erection or dismantling of steel structures and prefabricated structures is ensured from danger by using appropriate means such as the following, namely

(i) ladder, gangways or fixed platforms;

(ii) platforms, buckets, boatswain's chair or other appropriate means suspended from lifting appliances;

(iii) safety harness, lifelines, catch net or catch platform;

(iv) power-operated mobile working platforms.

(b) the work of erection or dismantling of buildings or structures or formwork or false work or shoring or any other civil engineering work is carried out by trained building workers under the supervision of a person responsible for such work;

(c) steel or prefabricated structures are so designed and made that such structures can be safely transported or erected; and weight of each unit of such structures is clearly marked on such unit;

(d) the design of each such part maintains stability of each part of the structures referred to in clause (a), clause (b) and clause (c), when erected, and to prevent danger, the design shall explicitly take into account:-

(i) the relevant conditions and methods of attachment in the operations of stripping, transport, storing and temporary support during erection of such part; and

(ii) safeguards, such as provision of railings with working platforms, and for mounting such railings and platforms easily on the structural steel or prefabricated parts;

(e) the hooks and other devices built in or provided on the structural steel or prefabricated parts that are required for lifting and transporting such parts are so shaped, dimensioned and positioned to withstand the stresses to which such hooks or other devices are subjected;

(f) prefabricated parts made of concrete are not stripped or erected before such concrete has set and hardened sufficiently to the extent provided for in the plans, and such parts are examined by the responsible person for any sign of damage before their use;

(g) storeplaces are so constructed that:- (i) there is no risk of structural steel or prefabricated parts falling or overturning;

(ii) storage conditions generally ensue stability and avoid damage having regard to the method of storage and atmospheric conditions; and

(iii) racks are set on firm ground and designed so that units cannot move accidentally in such store places;

(h) structural steel or prefabricated parts are not subjected to stresses prejudicial to their stability while they are stored or transported or raised or set down;

(i) tongs, clamps and other appliances for lifting structural steel and prefabricated parts are:-

(a) in such shape and dimensions as to ensure a secure grip without damaging such parts; and

(b) marked with the maximum permissible load in the most unfavourable lifting conditions;

(j) structural steel or prefabricated parts are lifted by such methods and appliances that prevent them from spinning accidentally;

(k) structural steel or prefabricated parts are provided with railings and working platforms before raising such parts to prevent any danger of falling of building workers, materials or articles at the time of any work with such parts;
(l) all reasonably practical measures are taken to avoid injury to building workers, building structure or equipment while structural steel or prefabricated parts are handled or stored or transported or raised or lowered;
(m) structures are not worked on during violent storms or high winds or any other such hazardous situation;
(n) the risk of falling to which building workers, moving on high or sloping girders, may be exposed is limited by all means of adequate collective protection or by the use of a safety harness which is well secured to a sufficiently strong support;
(o) structural steel parts which are to be erected at a great height are, as far as practicable, assembled on the ground;
(p) when structural steel or prefabricated parts are being erected, a sufficiently extended area underneath the workplace shall be barricaded or guarded;
(q) steel trusses which are being erected are adequately shored, braced or guyed until they are permanently secured in position;
(r) structural members are not forced into place by the hoisting machine while any building worker is in such a position that he is likely to be injured by such operation.

184. Form work. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) all form works are properly designed keeping in view the safety of building workers, building or structures;
(b) a responsible person for structural frame and form work:-
(i) inspects and examines the material, timber, structural steel and scaffolding for its strength and suitability before being taken into use;
(ii) lays down procedures to cover all stages of such structural frame and form work;
(iii) supervises such structural frame and form work;
(iv) take all necessary steps or measures to correct any situation with a view to prevent accident or dangerous occurrence during performances of such structural frame and form work.

185. Deshoring:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) when shoring is removed, sufficient props are left in place of such shoring to prevent any possible hazard; and
(b) deshoring is adequately braced or tied together with support to prevent any hazard.

CHAPTER XVIII
Stacking And Unstacking

186. Stacking and unstacking of materials and articles. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) where stacking, unstacking, stowing or unstowing of construction material or article, or handling in connection therewith cannot be safely carried out unaided, reasonable measures to guard against accident or dangerous occurrences are taken by shoring or otherwise to prevent any danger likely to be caused by such handling;
(b) stacking of material or article is made on firm foundation not liable to settle and deviate such material or article and does not overload the floor on which such stacking is made;
(c) the material or articles, are not stacked against partition or walls of a warehouse or store place unless it is known that such partition or the wall is of sufficient strength to withstand the pressure of such materials or articles;
(d) the materials or articles are not stacked to such a height and in such a manner as would render the pile of such stack unstable and cause hazards to the building workers or the public in general;
(e) where the building workers are working on stack exceeding one point five metres in height, safe means of access to the stack is provided;
(f) all stacking or unstacking operations are performed under the supervision of a responsible person for such stacking or unstacking;
(g) the stacking of construction materials or articles is not made near the site of excavation, shaft, pit or any other such opening;
(h) stacks which may lean heavily or become unstable or collapse are barricaded.

187. Stacking of cement and other material bags. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) a stack pile is not more than ten bags in height unless such stack pile is stacked in a suitable enclosure or otherwise adequately supported;
(b) while removing bags from the stack pile, the stability of such stack pile is ensured;
(c) bags containing cement or lime are stored in dry places;
(d) the materials like bricks, tiles or blocks are stored on a firm ground;
(e) reinforcing steel is stored according to its shape, size and length;
(f)stack of reinforcing steel is kept as low as possible;
(g) no pipe is stored on rack or in stack where such pipe is likely to fall by rolling;
(h) the angle of repose is maintained where loose materials are stacked;
(i) when dust-laden material is to be stored or handled, measures are suppress the dust produced by such storing or handling and personnal protective equipment are supplied to and used by the workers working for such storing or handling.

CHAPTER XIX
Scaffold

188. Scaffold construction. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) every scaffold and every component thereof is of adequate construction, made of sound material and free from defects and is safe for the purposes for which it is intended for use;

(b) in case bamboo is used for scaffolding. such bamboo is of suitable quality. good condition. free from protruding knots and stripped off to avoid any injury to building workers during handling such bamboo:
(c) all metal scaffolds used in building or other construction work conform to the relevant national standards.

189. Supervision by a responsible person. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that no scaffold is erected. added, altered or dismantled except under the supervision of a responsible person for such erection. addition. alteration or dismantling.

190. Maintenance. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) the scaffold used in building or other construction work is maintained in good repairs and the measures are taken against its accidental displacement or any other hazard;
(b) no scaffold or part thereof is partly dismantled and allowed to remain in such a condition unless:-
(i) the stability or safety of the remaining portion of such scaffold has been ensured by a responsible person for the safety of such scaffolds:
(ii) in case the remaining part of such scaffold cannot be used by the building workers, necessary warning notice written in Hindi and in a language understood by the majority of the building workers that such scaffold is unfit for use. is displayed at the place where such scaffold is erected.

191. Standards, ledger, putlogs. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that.:-
(a) standards of a scaffold are:-
(i) plumb, where practicable:
(ii) fixed sufficiently close together to secure the stability of such scaffold having regard to all the possible working situations and conditions for the intended use of such scaffold:
(iii) spaced. as close as practicable, to ensure safety and stability of such scaffold:
(b) adequate measures are taken to prevent displacement of a standard of a scaffold either by providing sole plate or a base plate, as necessary:
(c) ledgers of metal scaffold are placed at vertical intervals with due regard to safety and stability of such scaffold:
(d) bamboo ledgers are kept as nearly as possible and are placed and fastened to the standards of a scaffold with due regard to the stability of such scaffold.

192. Working platform. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) working platform is provided around the face or edge of a building adjoining at every uppermost permanent floor of such building under construction and at any level where construction work of such building is carried out:

(b) a platform is designed to suit the number of building workers to be employed on each bay of a scaffold work on such platform and the materials or articles and tools to be carried with them in such bay:
(c) the safe working load and the number of building workers to be employed in each bay of a scaffold are displayed for the information of all the building workers employed at such construction site.

193. Board, plank and decking. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) board, plank and decking used in the construction of a working platform is of uniform size and strength and is capable of supporting the load and number of building workers in accordance with the relevant national standards keeping in view the safety of such building workers;
(b) metal decking, which forms part of a working platform, is provided with nonskid surface;
(c) no board or plank which forms the working platform is projected beyond its end support unless it is effectively prevented from tripping or lifting;
(d) board, plank or decking is fastened and secured;
(e) at any one time, not more than two working platforms per bay, are used to support building workers or materials or articles at such bay;
(f) adequate measures are taken to prevent injury which may be caused by falling material and objects by using safety nets or other suitable means;
(g) concrete, other debris or materials are not allowed to accumulate at any platform on a scaffold;
(h) where a work is to be done at the end of a wall, working platform at such workplace is faced or, wherever practicable, at least zero point sixty metres beyond the end of such wall.

194. Repair of damaged scaffold. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) no building worker is permitted to work on a scaffold which has been damaged or weakened unless adequate safety measures have been taken to ensure the safety of such building worker;
(b) necessary warning signs are displayed at such places where repairs of scaffold are undertaken.

195. Opening. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) there is no opening in any working platform except for allowing access to such working platform;
(b) wherever opening on a platform is unavoidable, necessary measures for protection against falling of objects or building workers from such platform are taken by providing suitable safety nets, belts or any other similar means;
(c) access from one working platform to another platform on a scaffold, if required, is provided with suitable and safe ladder for the use of building workers working on such platforms.

196. Guardrails. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every side of a working platform from which a person is liable to fall is provided with suitable and safe guardrails and toeboard of adequate strength to prevent fall of any building worker, material or tools from such platform.

197. Scaffold used by building workers of different employers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a) where a scaffold or a part of a scaffold is used, which has previously been used by another employer for his building workers, such scaffold or part thereof is used only after its inspection and examination by a responsible person for its use that such scaffold or part is safe and fit for such use;

(b) if any rectification, alteration or modification in a scaffold or part thereof is needed to suit its use, such rectification, alteration or modification is made in consultation with the responsible person referred to in clause (a) before using such scaffold or part.

198. Protection against electric power line. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all necessary and practical measures for protection are taken to prevent any building worker, working on a scaffold, from coming into contact with the electric wires or dangerous equipment.

199. Screening net and wirenets. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where a scaffold is erected in an area where the construction activities may pose hazards to pedestrians or vehicular traffic nearby from the falling of objects, wirenets or screening nets are used to envelope such scaffold.

200. Tower scaffold. :-The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the height of every tower scaffold used in building or other construction work is not more than eight times, the lesser of a base dimension of such scaffold;

(b) a tower scaffold is lashed to a building or a fixed structure before being used by the building workers;

(c)any tower scaffold which can be moved or castered is-

(i) constructed with due regard to the stability and, if necessary, adequately weighted at the base;

(ii)used only on plain and even surface; and

(iii) has casters provided with positive locking devices to hold such scaffold in position;

(d) no building worker remains on board scaffold, tools, material when it is, being shifted from one position to another position.

201. Gear for suspension of scaffold. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that,-

(a)chains, ropes or lifting gears used for suspension of a scaffold are of adequate strength, made of sound material and suitable for the purposes of their use and are maintained in good repairs;

(b) chains, wires, ropes or metal tubes used for the suspension of a scaffold are:-

(i) properly and securely fastened to every anchorage point and to the scaffold ledgers of other main supporting members used for the support of such scaffold; and

(ii) so positioned as to ensure stability of the scaffold.

202. Trestle scaffold and cantilever scaffold. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no trestle scaffold is constructed with more than three tiers or if its working platform is more than four point five metres above the ground or floor or other surface upon which such scaffold is erected, such trestle scaffold is designed by professional engineer and has the approval of Chief Inspector before being taken into use;

(b) no trestle scaffold is erected on a suspended scaffold;

(c) no cantilever or jib scaffold is used unless it is adequately supported, fixed and anchored on 'opposite side of its support has out-riggers of adequate length and where necessary sufficiently supported and braced to ensure safety and stability of such scaffold;

(d) no working platform resting on bearers let into a wall at one end and without other support is used unless such bearers are of adequate strength, braced through the wall and securely fastened on the other side.

203. Scaffold supported by building :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no part of a building is used as support or part of a scaffold unless such part of the building is made of sufficient strength and made of sound material to afford safe support;

(b) overhanging eaves gutters are not used for supporting scaffold;

(c) suspended scaffold is made of in accordance with the relevant national standards before being used by the building workers.

204. Use of winches and climbers for suspended scaffold:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) no suspended scaffold is raised or lowered by winches or climbers unless such scaffold is made of sound material, adequate strength and has been tested and certified safe for use of winches or climber for such raising or lowering by a competent person before being taken into use;

(b) all suspended scaffolds counter-balanced by counter weights are of types, approved by the Chief Inspector before being taken into use for building or other construction work;

(c) the working platform of a suspended scaffold is securely fastened to the building or structure as to be safe and to prevent such platform from swinging;

(d) the safe working load which a suspended scaffold can carry, is displayed where such scaffold is being used.

205. Safety devices for suspended scaffold:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every suspended scaffold, raised or lowered by the winches or climbers, is provided at each of its suspension point with a safety rope with automatic safety device mounted on each of such rope so that such safety rope with such automatic safety device supports the platform of such scaffold in the event of failure of the primary suspension wire ropes, winches, climbers or any part of the mechanism used for raising or lowering such suspended scaffold:

Provided that this rule shall not apply:-
(a) where the platform of such scaffold is supported with two independent suspension wire ropes at or near each end of such platform so that in the event of failure of one of such suspension wire rope, the other wire rope is capable of sustaining the weights of such platform and its load and prevent it from tilting; or
(b) where a system is incorporated which operates automatically to support the platform of such scaffold and its load in the event of failure of the primary suspension wire rope of such scaffold.

CHAPTER XX
Cofferdams and caissons

206. General provisions:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) every cofferdam and caisson is:-
(i) of good construction, sound material and of adequate strength;
(ii) provided with adequate means for building workers to reach safely at the top of such cofferdam or caisson, as the case may be, in the event of an inrush of water;
(iii) provided with safe means of access to every place where building workers are employed in such cofferdam and caisson, as the case may be;
(b) the work relating to construction, positioning, modification or dismantling of cofferdams or caissons is carried out under the supervision of a responsible person;
(c) all cofferdams and caissons are inspected by a responsible person at intervals as specified by the Chief Inspector;
(d) a building worker is allowed to work in a cofferdam or caisson after such cofferdam or caisson is inspected and found safe by responsible person within such preceding period as approved by the Chief Inspector and a record of such inspection is maintained in a register;
(e) the work in compressed air in a cofferdam or caisson is:-
(i) carried out in accordance with the procedure laid down in the relevant national standards;
(ii) carried out by such building workers who have completed eighteen years of age and are medically examined as required under Rule 223;
(iii) carried out under the supervision of a responsible person;
(f) if the work in cofferdam or caisson is carried out in shifts, a record of the time spent by each building worker in each such shift for carrying out the work is maintained in a register with particulars of time taken for the compression of such building worker, if any;
(g) at every work site or project in a cofferdam or caisson, where building workers are employed to work in compressed air environment, a construction medical officer assisted by a nurse or trained first-aid attendant, is available at all times at such site or project during such work;
(h) there is one stand by reserve compressor to meet the emergency at each work- place or project in a cofferdam or caisson.

207. Pressure Plant and equipment. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) The pressure plant and equipment:-

(i) are examined and tested by the competent person before being put into use for such work:
(ii) is of proper design and construction, sound material and adequate strength to perform the work for which it is used;
(iii) is properly maintained in good repairs and working condition.
(b) the pressure plant and equipment referred to in clause (a) is fitted with:-
(i) a suitable safety-valve or other effective device to provide maximum safe discharge pressure from being exceeded at any time;
(ii) a suitable pressure gauge with a dial range not less than one point five times and not exceeding twice the maximum working pressure, easily visible and designed to show at all times, the internal pressure in kilogram per square centimetre and marked with the maximum safe working pressure at such plant and equipment;
(iii) a suitable stop valve or valves by which the pressure plant or the system of the pressure plant may be isolated from the source of supply of pressure or otherwise.
(c) every pressure plant or equipment shall be thoroughly examined by the competent person:-
(i) externally, once in every period of six months;
(ii) internally, once in every period of twelve months; and
(iii) by hydraulic test once in a period of four years.

CHAPTER XXI
Safety Organistaion

208. Safety Committees. :-

(1) Every establishment wherein five hundred or more building workers are ordinarily employed, there shall be a Safety Committee constituted by the employer which shall be represented by equal number of representatives of employer and building workers employed in such establishment. In no case the number of representatives of the employer shall exceed the representatives of building workers. The Committee shall be represented by representatives of the recognised unions wherever such unions exist.
(2) The main functions of the Safety Committee shall be:-
(a) to identify probable causes of accident and unsafe practices in building or other construction work and to suggest remedial measures;
(b) to stimulate interest of employer and building workers in safety by organising safety weeks, safety competition, talks and film shows on safety, preparing posters or taking similar other measures as and when required or as necessary;
(c) to go round the construction site with a view to check unsafe practices and detect unsafe conditions and to recommend remedial measures for their rectification including First Aid Medical and Welfare Facilities;
(d) to look into the health hazards associated with handling different types of explosives, chemicals and other construction material and to suggest remedial measures including use of proper personal protective equipment;
(e) to suggest measures for improving welfare amenities in the construction site and other miscellaneous aspects of safety, health and welfare in building or other construction work;
(f) to bring to the notice of the employer the hazards associated with use, handling and maintenance of the equipment used during the course of building and other construction work.
(3) The safety committee shall meet at regular intervals at least once in a month and it shall be chaired by the senior person having overall control over the affairs of the construction site.

(4) The agenda and minutes of the meeting shall be circulated to all concerned and it shall be in the language understood by majority of the building workers and shall be produced to the Inspector on demand for inspection.
(5) The decisions and recommendations of the safety committee shall be complied with by the employer within reasonable time limits.

209. Safety officer. :- (1) In every establishment wherein five hundred or more building workers are ordinarily employed, the employer shall appoint safety officers as per the scale laid down in Schedule VIII annexed to these rules. Such safety officers may be assisted by suitable and adequate staff.
(2) Duties, qualifications and the conditions of service of safety officers appointed under sub-rule (1) shall be as provided in Schedule VIII annexed to these rules.
(3) Wherever number of workers employed by single employer is less than five hundred, such employers may form a group and appoint a common safety officer for such group of employers with prior permission of Chief Inspector.

210. Reporting of accidents. :- (1)Notice of any accident on the construction site which either:-
(a) causes loss of life; or
(b) disables a building worker from working for a period of forty-eight hours or more immediately following the accident, shall forthwith be sent by telegram, telephone, fax or similar other means including special messenger within four hours in case of fatal accidents and seventy-two hours, in case of other accidents involving building worker, to:-
(i) the Assistant Labour Commissioner or the Labour Officer, having jurisdiction in the area in which the establishment in which such accident or dangerous occurrence took place is located. SuchAssistant Labour Commissioner or the Labour Officer, shall be the authority appointed under Section 39 of the Act;
(ii) Board with which the building worker involved in accident was registered as a beneficiary;
(iii) Chief Inspector ; and
(iv)The next of kin or other relative of building worker involved in accident.
(2) Notice of any accident at a construction site of a building or other construction work which:-
(a) causes loss of life; or
(b) disables such building worker from work for more than ten days following the accident, shall also be sent to:-
(i) the officer incharge of the nearest police station;
(ii) The District Magistrate or if the District Magistrate by order so desires to the Sub-Divisional Magistrate.
(3) In the case of an accident falling under clause (b) of sub-rule (1) or clause (b) of sub-rule(2)
(2) the injured building worker shall be given first-aid and immediately thereafter be transferred to a hospital or other place for medical treatment.
(4) Where any accident causing disablement subsequently results in death of a building worker, notice in writing of such death shall be communicated to the authorities as mentioned in sub-rule (1) and sub-rule (2) within seventy-two hours of such death.
(5) The following classes of dangerous occurrences shall be reported to the Inspector having jurisdiction, whether or not any death or disablement is caused to a building worker, in the manner prescribed in sub-rule (1), namely:-

(a) collapse or failure of lifting appliances or hoist or conveyors or other similar equipment for handling building or construction material or breakage or failure of rope, chain or loose gears; overturning of cranes used in building or other construction work; falling of objects from height;
(b) collapse or subsidence of soil, any wall, floor, gallery, roof or any other part of any structure, platform, staging, scaffolding or any means of access including formwork;
(c) contact work, excavation, collapse of transmission.
(d) explosion of receiver or vessel used for storage, at a pressure greater than atmospheric pressure, of any gas or gases or any liquid or solid used as building material;
(e) fire and explosion causing damage to any place on construction site where building workers are employed;
(J) spillage or leakage of hazardous substances and damage to their container;
(g) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment;
(h) leakage or release of harmful toxic gases at the construction site.
(6) In case of failure of a lifting appliance, loose gear, hoist or building and other construction work machinery and transport equipment at a construction site of a building or other construction work, such appliances, gear, hoist, machinery or equipment and the site of such occurrence shall, as far as practicable, be kept undisturbed until inspected by the inspector having jurisdiction.
(7) Every notice given under sub-rule (1), sub-rule (2) or sub-rule (4) shall be followed by a written report to the Inspector, authority under Section 39 of the Act, the Board and the Chief Inspector in Form XIV under proper acknowledgment.

211. Procedure for enquiry into causes of accident or dangerous occurrence. :- (1) The enquiry under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 39 of the Act, as the case may be, shall be conducted by the authority referred to in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 210, in the following manner, namely:-
(a) the enquiry shall be commenced as early as it may be, and in any case, within fifteen days of the receipt of notice of accident or dangerous occurrence under Rule 210;
(b) the enquiry may be conducted by the authority referred to in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 210 himself or by an enquiry officer appointed by such authority;
(c) the authority or enquiry officer, as the case may be, shall serve or cause to be served, notices in writing, informing the date, time and place of such enquiry to all persons entitled to appear in such enquiry and whose names and addresses are known to such authority or enquiry officer;
(d) notwithstanding the provision of clause (b), for the purpose of notifying other persons who may in any way be concerned or be interested in such enquiry, the authority or enquiry officer, as the case may be, may publish notice of such enquiry in one or more local newspapers, informing the date, time and place of such enquiry.
(2) The person entitled to appear at the enquiry may include:-
(a) an inspector or any officer of the State Government or an undertaking or public body, concerned with the enforcement or compliance of safety provisions of the Act and these rules in the concerned establishment;
(b) a trade union or a workers' association or an employers' association;
(c) the worker involved in the accident or his legal heir or authorised representative;
(d) the owner of the premises in which the accident took place;

(e) any other person, at the discretion of the authority or the enquiring officer, as the case may be, who may be interested in or be concerned with the cause of an accident or may have knowledge about such cause or is likely to give material evidence or produce a relevant document in connection with such accident or dangerous occurrence.

(3) In case the entitled person referred to in sub-rule (2) is a body corporate, a company, or any other organisation, association, group of persons such group may be represented through an authorised representative including a counsel or a solicitor.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (5) the enquiry shall be held in public.

(5) In cases where:-

(a) the State Government is of the opinion that the matter of the enquiry or any part of it are of such nature that it would be against the interests of national security to hold the enquiry in public and directs the said authority or the enquiry officer, as the case may be, to hold the enquiry in camera; or

(b) on an application made by any party to the enquiry, the authority or the enquiry officer, as the case may be, referred to in sub-rule (1), if it or he is of the opinion that the holding of public enquiry will lead to disclosure of information relating to a trade secret, decides to hold the enquiry of such part of it in camera, such enquiry shall not be held in public.

(6) Information disclosed by any person during the course of hearing or evidence in the cases covered under sub-rule (5) shall not be disclosed to any person except for the purpose of the enquiry.

(7) The person entitled to appear under sub-rule (2), called for evidence or representating in an enquiry shall be entitled to make an opening statement, give evidence, request the enquiry officer to call for specified document or evidence, cross-examine other person or to the extent and at the stage permitted by the authority or enquiry officer holding the enquiry.

(8) Any evidence in an enquiry may be admitted at the discretion of the authority or enquiry officer during the enquiry, who may, also direct that documents to be tendered in evidence may be inspected by any person entitled or permitted to appear at such enquiry and that facilities be afforded to such person to take or obtain copies thereof.

(9) The authority or the enquiry officer holding an enquiry may authorise any person, being an officer of the State Government, to assist such authority or enquiry officer where necessary, for the purpose of conducting the enquiry, and the officer so authorised may enter the premises of the concerned establishment during working hours, inspect the records relevant to such enquiry, investigate and take such evidence as may be required to conduct such enquiry.

(10) The findings of the enquiry along with all evidence, in original, including statements of witnesses shall be forwarded to the authority specified under Section 39 of the Act within five days of the completion of the enquiry in cases where sub-enquiry was not conducted by such authority itself.

(11) A copy of the findings along with a brief statement of facts relating to an enquiry conducted under this rule shall be forwarded to the Chief Inspector and the State Government by the authority referred to in sub-rule (1) of Rule 210.

CHAPTER XXII
Explosives

212. Handling of explosives. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) all explosives are handled, used or stored in accordance with the instructions and the material data sheet

supplied by the manufacturer of such explosives;
(b) the use of explosives is carried out in safe manner to avoid injury to any person and under the direct supervision of a responsible person;
(c) before using any explosive, necessary warning and danger signals are erected. at conspicuous place of such use to warn the building workers and the general public of the danger involved in such use.

213. Precautions. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) notwithstanding the provisions of Rule 212 the following precautions are observed at the places of transporting, handling, storage and use of such explosives, namely:-
(i) prohibition of smoking, naked lights and other sources of ignition in the vicinity where explosives are handled, stored and used;
(ii) to keep safe distance and to use non-sparking tools while opening packages containing explosives:
(iii) to stop the use of explosives and handling thereof while the weather conditions are not suitable for such use or handling;
(b) in addition to the provisions of this chapter, all measures and precautions required to be observed for use. handling, storing or transportation of explosives under the rule framed under the Explosives Act. 1884 (4 of 1884) are observed.

CHAPTER XXIII
Piling

214. General Provisions. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-
(a) all pile-driving equipment are of good design and sound construction, taking into account the ergonomic principles and are properly maintained;
(b) a pile driver is firmly supported on a heavy timber sill, concrete bed or other secured foundation;
(c) in case a pile driver is required to be erected in dangerous proximity to an electrical conductor all necessary precautions are taken to ensure safety;
(d) the hoses of steam and air hammer are securely lashed to such hammer so as to prevent them from whipping in case of connection or break;
(e) adequate precaution is taken to prevent the pile driver from overturning;
(f) all necessary precaution is taken to prevent hammer from missing the pile;
(g) a responsible person for inspecting pile-driving equipment, inspects such equipment before taking it into use and. takes all appropriate measures as required for the safety of building workers before commencing piling work by such equipment.

215. Stability of adjacent structure. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where there is any question of stability of a structure for its adjoining areas to be piled, such structure is supported, where necessary, by underpinning. sheet piling, shoring, bracing or by other means to ensure safety and stability of such structure and to prevent injury to any person.

216. Protection of operator :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that an operator of every pile-driving equipment is protected from falling objects, steam, cinders or water by substantially covering or otherwise or by other means.

217. Instruction to and supervision of building workers working on a pile driving equipment:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that every building worker working on a pile-driving equipment is given instructions regarding safe work procedure to be followed in piling operation and is supervised by a responsible person throughout such work.

218. Entry of unauthorised person. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that all piling areas where pile-driving equipment is in use are effectively cordoned off to prevent entry of unauthorised persons.

219. Inspection and maintenance of pile-driving equipment:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) pile-driving equipment is not taken into use until it has been inspected by a responsible person and found to be safe for such use;

(b) pile-driving equipment in use is inspected by a responsible person for such inspection at suitable intervals to ensure safety to the building worker working on such equipment;

(c) all pile lines and pulley blocks are inspected by a responsible person before the beginning of each shift of piling operations.

220. Operation of pile-driving equipment:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) only experienced and trained building worker operates pile-driving so as to avoid any probable danger from such operation;

(b) pile:-driving operations are governed by generally prevalent and accepted signals so as to prevent any probable danger from such operations;

(c) every building worker employed in pile-driving operation or in the vicinity of such pile-driving operation wears ear protection and safety helmet or hard hat and safety shoes;

(d) piles are prepared at a distance, at least equal to twice the length of the longest pile, from the place of pile-driving operations;

(e) when a pile driver is not in use, the hammer of such pile driver is blocked at the bottom of the heads of such pile driver.

221. Working platform on piling frames. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that where a structural tower supports the lead of a pile driver, suitable working platforms of adequate strength are provided on levels of such leads at which it is necessary for the building workers to work and such platforms are provided with a safety railing and toe boards on each side of such platforms, except on the hammer of such pile driver or lead sides of such platform and where such platforms cannot be provided with such railing and toe boards, a safety belt is provided to each such building worker.

222. Pile testing:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) the testing of pile is conducted under the supervision of a responsible person for such testing;

(b) all practicable measures like displaying of warning notices, barricading the area and other similar measures are taken to protect the area where the pile testing is carried out;

(c) entry to a pile-testing area is prohibited to general public to ensure safety.

CHAPTER XXIV
Medical Facilities

223. Medical examination of building workers, etc. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) (i) a building worker who is employed for a work involving such risk or hazards, inherent in such work as the Chief Inspector considers appropriate for the periodical medical examination of such worker, is medically examined at such intervals as the Chief Inspector may direct from time to time;

(ii) every operator of a crane, winch or other lifting appliance, transport equipment or vehicle, is medically examined before employing such operator and again periodically, at such intervals as the Chief Inspector may direct from time to time;

(iii) the medical examination referred to in sub-clause (i) and sub-clause (ii) is in accordance with Schedule VII, annexed to these rules and is conducted by such medical officers or at such hospitals as are approved by the State Government for the purpose from time to time;

(iv) in case of a building worker who is exposed to special occupational health hazard owing to job or work assigned to such worker, the periodical medical examination referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) includes such special investigation as may be deemed necessary by the construction medical officer examining such building worker for the diagnosis of occupational disease.

(b) no building worker is charged for the medical examination referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) and the cost of such examination is borne by the employer employing such building worker..

(c) certificate of medical examination referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) is issued in Form XI annexed to these rules.

(d) the record of the medical examination referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of every building worker employed by him is maintained in a register in Form XII annexed to these rules and such register shall be made available to the inspector having jurisdiction, on demand.

(e) in case a construction medical officer examining a building worker under sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) is of the opinion that such building worker so examined is required to be taken away from the building or other construction work at which he is employed for health protection, such medical officer shall inform the employer of such building worker accordingly and such employer shall inform such opinion to the Board where such worker is registered as a beneficiary.

224. Duties of construction medical officers. :- (1) The medical examination referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Rule 223 shall be carried out by a construction medical officer.

(2) The duties and responsibilities of such construction medical officer shall be as given below, namely :-

(a) medical examination of building workers;

(b) first-aid care including emergency medical treatment;

(c) notification of occupational diseases to the concerned authorities in accordance with these rules;

(d) immunisation services;

(e) medical record, upkeep and maintenance;

(f) health education including advisory services on family planning, personal hygiene, environmental sanitation and safety;

(g) referral services.

225. Occupational health centres. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work involving hazardous processes specified under Schedule IX annexed to these rules that:-

(a) an occupational health centre, mobile or static, is provided and maintained in good order at such site;

(b) services and facilities as per the scale laid down in Schedule X, annexed to these rules are provided at the occupational health centre referred to in clause (a);

(c) a construction medical officer appointed at an occupational health centre possesses the qualification as laid down in Schedule XI, annexed to these rules.

226. Ambulance Room:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that.-

(a) in case five hundred or less workers are employed at such construction site there is an ambulance room at such construction site or an arrangement with a nearby hospital for providing an ambulance room and such ambulance room is in the charge of a qualified nurse and the service of such ambulance room is available to building worker employed at such construction site at every time when he is at work;

(b) in case more than five hundred building workers are employed at such construction site there is an ambulance room with effective communication system and such ambulance room is in the charge of a qualified nurse and the service of such ambulance room is available to a building worker employed at such construction site at every time when he is at work, and such ambulance room is in overall charge of a construction medical officer;

(c) an ambulance room referred to in clause (a) or clause (b) is equipped with the articles specified in Schedule IV, annexed to these rules;

(d) record of all cases of accidents and sickness treated at the ambulance room referred to in clause (a) or clause (b) is maintained and produced to the inspector having jurisdiction on demand.

227. Ambulance van. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that an ambulance van is provided at such construction site or an arrangement is made with a nearby hospital for providing such ambulance van for transportation of serious cases of accident or sickness of the building workers to the hospital promptly and such ambulance van is maintained in good repair and is equipped with standard facilities specified in Schedule V annexed to these rules.

228. Stretchers. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that sufficient number of stretchers is provided at such construction site so as to be readily available in an emergency.

229. Occupational health services for the building workers. :- (1) The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work, where more than five hundred building workers are employed that:-

(a) a special medical service or an occupational health service is available at such construction site at all times and such service shall:-

(i) provide first-aid and emergency treatment;

(ii) conduct special medical examination for occupational hazards to such building workers before their employment and thereafter at such intervals as may be specified by the Chief Inspector from time to time;

(iii) conduct training of first-aid personnel of such medical service;

(iv) render advice to such employer on conditions of work and improvement required to avoid hazards to the health of such building worker;

(v) promote health education, including family welfare among such building workers;

(vi) cooperate with the Inspector having jurisdiction in the detection, measurement and evaluation of chemical, physical or biological factors suspected of being harmful to such building workers;

(vii) undertake immunisation for all such building workers against tetanus, typhoid, cholera and other infectious diseases.

(b) the special medical service referred to in clause (a) collaborates with the labour department or any other concerned department or service of the Government of Chhattisgarh in matters of treatment, job placement, accident prevention and welfare of such building workers.

(c) the special medical service referred to in clause (a) is headed by a construction medical officer and is provided with adequate staff, laboratory and other equipments.

(d) the premises of the special medical service referred to in clause (a) are conveniently accessible, comprise at least a waiting room, a consulting room, a treatment room, a laboratory and suitable accommodation for nurses and other staff of such service.

(e) the special medical service referred to in clause (a) maintains records pertaining to its activities referred to in sub-clauses (i) to (vii) of clause (a) and sends to the Chief Inspector once in every three months, information in writing on:-

(i) the state of health of such building workers; and

(ii) the nature and causes of occupational injuries or disease suffered by any of such building workers, treatment provided to such worker and measures taken to prevent recurrence of such injury or disease.

230. Notice of poisoning or occupational diseases:- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) when a building worker contracts any disease specified in Schedule II annexed to these rules, a notice in Form XIII annexed to these rules is sent without delay to the Inspector, having jurisdiction, and to the Board with which such building worker is registered as a beneficiary;

(b) if any medical practitioner or construction medical officer attends on a building worker suffering from any disease referred to in clause (a) such medical practitioner or construction medical officer sends information regarding the name and full particulars of such building worker and the disease suffered by him, to the Chief Inspector without delay.

231. First-aid boxes. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) sufficient number of first-aid boxes or cupboards are provided and maintained for providing first-aid to the building workers;

(b) every first-aid box or cupboard is distinctly marked "First-Aid" and is equipped with the articles specified in Schedule III annexed to these rules;

(c) nothing except appliances or requisites for first-aid is kept in a first-aid box or cupboard and such box or cupboard is so kept as to protect it against contamination by dust or other foreign matter and against penetration of moisture and such box or cupboard is kept in the charge of a person trained in first-aid and is always readily available during working hours.

232. Emergency care services or emergency treatment. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) essential life-saving aides and appliances required to handle:-

(i) head injuries and spinal injuries;

(ii) bleeding;

(iii) fractures and dislocations of bones and joints;

(iv) crush injuries;

(v) shock, including electric shock;

(vi) dehydration due to any cause;

(vii) snake bite, insect bite, scorpion and bee stings;

(viii) burns, including chemical burn; (ix) bends or divers paralysis;

(x) other surgical, gynaecological, obstetric, or paediatric emergencies;

(xi) drowning;

(xii) sunstroke and frost bite to building workers, are provided and properly maintained under the supervision of a construction medical officer.

(b) the essential life-saving aids for any emergent situation referred to in subclauses (i) to (xii) of clause (a) are provided to an injured or a sick building worker during his transportation from such building site to a hospital and till such building worker is attended by a doctor in such hospital;

(c) any other equipment or facilities required for emergency care or treatment to the building workers arising from special local conditions and construction processes at such building site, as specified by the State Government from time to time are provided.

CHAPTER XXV
Information to Burenu of Indian Standards

233. Furnishing of information to Bureau of Indian Standards. :- The employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that:-

(a) every architect and other professional like structural engineer or project engineer involved in the execution of a building or other construction project, furnishes to the Bureau of Indian Standards, the details regarding the performance of and deviations or shortcomings, if any, of the building materials, articles or processes used in such building and other construction project for which the Indian Standards are already available;

(b) the architect and other professional referred to in clause (a) informs to the Bureau of Indian Standards, the details of building materials, articles or processes used in the building and other construction activities for which the Indian Standards do not exist with the Bureau of Indian Standards and the performance of such materials, articles or processes along with the suggestions for their improvement to enable the Bureau of Indian Standards to consider and form necessary standards.

PART IV
Hours of work, facilities, payment of wages, registers and records etc.

CHAPTER XXVI
Hours of work, rest intervals and weekly off, etc.

234. Hours of work, intervals of rest and spread over etc. :- (1) No building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work for more than nine hours a day or forty-eight hours a week.

(2) No building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work continuously for more than five hours unless he had an interval of rest of not less than half an hour.

(3) The working day of a building worker employed in building or other construction work shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, if any, shall not spread over more than twelve hours on any day.

(4) When a building worker works in any building or other construction work for more than nine hours on any day or for more than forty-eight hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at double the ordinary rate of wages.

235. Weekly rest, payment for work done on the day of rest at overtime rate, etc. :-
(1) Subject to the provisions of these rules, each building worker employed in building and other construction work shall be allowed a day of rest every week (hereinafter referred to as the rest day which shall ordinarily be Sunday, but the employer may fix any other day of the week as the rest day:

Provided that the building worker shall be informed of the day fixed as the rest day and of any

subsequent change in such rest day before the change is effected. by display of a notice to that effect in the place of employment at the place specified by the Inspector having jurisdiction in this behalf.
(2) No building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work on a rest day unless he already had or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately befor or after such rest day:

Provided that no substitution shall be made which results in a building worker working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.
(3) Where a building worker employed in building or other construction work has worked on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day as provided in sub-rule (1) and sub-rule (2), such rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which such substituted rest day occurs.
(4) A building worker employed in building or other construction work shall be granted wages for a rest day, calculated at the rate applicable to the day preceding such rest day and in case he has worked on a rest day and has been given a substituted rest day he shall be paid wages for such rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for such substituted rest day at the rate applicable to the day preceding such substitute rest day.

Explanation I. :- For the purpose of this rule "preceding day" means the last day preceding a rest day or a substituted rest day, as the case may be, on which a building worker had worked and where such substituted rest day falls on a day immediately after such a rest day, such "preceding day" means the last day preceding such rest day on which such building worker had worked.

Explanation II. :- For the purposes of this rule, "week" shall mean a period of seven days beginning at midnight on a Saturday night.

236. Night Shifts. :- Where a building worker employed in building or other construction work works on a shift which extends beyond midnight,:-
(a) a rest day for the purposes of Rule 235 shall mean a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when such shift ends;
(b) the hours after midnight during which such building worker has worked shall be counted towards the previous day; and
(c) the following day shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends.

237. Application of provisions of this chapter to certain classes of building workers. :-
(1) The provisions of this chapter shall apply to the classes of building workers specified under clauses (a) to (d) of sub-section (2) of Section 28, of the Act subject to the following, namely
(a) no building worker employed in building or other construction work shall be required or allowed to work continuously for more than fifteen hours a day inclusive of intervals of rest or sixty hours in a week:

Provided that intervals of rest not less than half-an hour are given after every five hours of continuous work as laid down in sub-rule (2) of Rule 234;
(b) no building worker employed in building and other construction work shall be required or allowed to work for more than fourteen consecutive days unless a rest of twenty-four hours is given for rest to such worker.

(2) Where the working hours in respect of a building worker employed in building or other construction work have exceeded the hours of work as laid down in sub:-rule (1) of Rule 234 or where such worker has been deprived of a rest day due to application of sub:-rule (1) of this rule, such worker shall be paid at double the rate of normal wages in respect of the work done in excess of such daily or weekly hours and for work done on such rest day.

CHAPTER XXVII
Notices, registers, records and collection of statistics

238. Notice of wage periods, etc. :- (1) Every employer shall cause to display at the conspicuous place of the workplace of an establishment under his control, notice showing the rates of wages of the building workers working in such establishment, hours of work of such worker, their wage periods, date of payment of such wages, names and addresses of the Inspectors having jurisdiction to such establishment and date of payment of unpaid wages to such workers, in English, Hindi and in the local language understood by the majority of such building workers.

(2) A copy of the notice referred to in sub-rule (1) shall be sent to the Inspector having jurisdiction and whenever any change occurs relating to facts contained in such notice, such change shall be communicated by the employer to such Inspector.

239. Notice of commencement and completion. :- (1) Every employer shall, at least thirty days before the commencement of any building or other construction work under his control, send or cause to be sent to the Inspector having jurisdiction, a written notice intimating the actual date of the commencement, the probable date of completion and other such particulars as referred to in sub-section (1) of Section 46 of the Act relating to such building or other construction work in Form IV, annexed to these rules.

(2) Where any change occurs in any of the particulars furnished under sub-rule (1) the employer shall intimate such change to the Inspector having jurisdiction within two days of such change.

(3) Nothing contained in sub-rule (1) shall apply in case of such class of building or other construction work as the State Government may by notification specify to be emergent work.

240. Register of persons employed as building workers. :- Every employer shall maintain in respect of each registered establishments, where he employs building workers, a register in Form XV, annexed to these rules.

241. Muster Roll, wages register, deduction register, overtime register and issue of wage books and service certificates :- (1) Every employer shall, in respect of each work on which he employs building workers, maintain:-

(a) muster-roll and a register of wages in Form XVI and Form XVII, respectively, annexed to these rules:

Provided that a combined register of wage-cum-muster-roll in Form XVIII, annexed to these rules shall be maintained by the employer where the wage period for such building worker is a fortnight or less;

(b) a register of deductions for damage or loss, register of fines and register of advances in Form XIX, Form XX and Form XXI, respectively, annexed to these rules;

(c) a register of overtime in Form XXII annexed to these rules, for recording therein the number of hours of, and the wages paid for, overtime work, if any.

(2) Every employer shall, in respect of each work on which he engages building workers,-

(a) issue where the wage period is one week or more, wage book to each of such building worker in Form XXIII annexed to these rules to such building workers in which entries shall be made at least a day prior to the disbursement of wages to them;

(b) issue a service certificate to each of such building worker in Form XXIV annexed to these rules to such building workers on termination of his service on account of completion of such work or for any other reason;

(c) obtain signature or thumb-impression of each such building worker against entries relating to him on the register of wages or muster-roll-cum -wages register, as the case may be, and such entries shall be authenticated by the employer or his authorised representative.

(3) In respect of an establishment to which the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), or Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) or the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) applies the following registers and records required to be maintained by an employer under any of such Acts or the rules made thereunder, shall be deemed to be the registers and records maintained by the employer under these rules, namely

(a) muster-roll;

(b) register of wages;

(c) register of deductions;

(d) register of overtime;

(e) register of fines;

(f) register of advances;

(g) combined register of wages-cum-muster-roll.

(4) Notwithstanding anything contained in these rules, where a combined or alternative form, in lieu of any of form specified under these rules, is sought to be used by an employer to avoid duplication of work for compliance with the provisions of any other Act or the rules framed thereunder or for administrative convenience, such combined or alternative form may be used with the prior approval of the State Government.

(5) Every employer shall, display at the conspicuous place of the work site where he employs building workers, an abstract of the Act and these rules in English and in Hindi and in a language understood by the majority of such building workers.

(6) Every employer shall ensure that the registers and other records required to be maintained under the Act or these rules, are maintained complete and up-to-date, and, unless otherwise provided for, are kept at an office or the nearest convenient building within the precincts of the concerned workplace.

(7) The registers and other records relating to an establishment and required to be maintained under the Act or these rules, shall be maintained legibly in English and in Hindi or in a language understood by the majority of the building workers employed in such establishment.

(8) Every register or other record referred to in sub-rule (7) shall be preserved by the employer. with whom such register or other record belongs, in original for a period of three calendar years from the date of last entry therein.
(9) Every register, record or notice maintained under the Act, or these rules shall be produced or caused to be produced by the employer concemed on demand before the Inspector or any other authority under the Act or any other person authorised by the State Government for such purpose.
(10) In case, where during a wage period, no deduction has been made from the wage of a building worker or no fine has been imposed on such building worker or no overtime work has been performed by such building worker or no payment has been made for overtime work to such building worker, a "nil" entry shall be made against such wage period at the appropriate place in the relevant register maintained in Forms XIX. XX, XXI or XXII, as the case may be.

242. Returns. :- Every employer of a registered establishment shall send annually a return relating to such establishment in duplicate in Form XXV annexed to these rules to the registering officer having jurisdiction so as to reach him not later than the fifteenth February following the end of each calendar year with a copy to the Inspector having jurisdiction.

CHAPTER XXVIII
Facilities for Building Workers

243. Latrine and urinal accommodation. :- Latrines or urinals, as the case may be, required to be provided under Section 33 of the Act shall be of the types as specified below, namely
(a) every latrine shall be under cover and so partitioned off as to secure privacy, and shall have a proper door and fastenings;
(b)(i) where both male and female building workers are employed, there shall be displayed outside each block of latrines or urinals a notice containing therein "For Men Only" or "For Women Only", as the case may be, written in the language understood by the majority of such workers;
(ii) such notice shall also bear the figure of a man or of a woman, as the case may be;
(c) every latrine or urinal shall be conveniently situated and accessible to building workers at all times;
(d) every latrine or urinal shall be adequately lighted and shall be maintained in a clean and sanitary condition at all times;
(e) every latrine or urinal other than those connected with a flush sewage system shall comply with the requirements of the public health authorities;
(f) water shall be provided by means of a tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near every latrine or urinal;
(g) the walls, ceilings and partitions of every latrine or urinal shall be whitewashed or colour-washed once in every period of four months.

244. Canteens. :- (1) In every place wherein not less than two hundred and fifty building workers are ordinarily employed, the employer of such building workers shall provide an adequate canteen in the manner as specified in this rule for the use of such building workers.
(2) The canteen, referred to in sub-rule (1) shall consist of a dining hall with furniture sufficient to accommodate building workers using such canteen, a kitchen, store-room, pantry and washing places separately for building workers and for utensils.

(3) (i) The canteen referred to in sub-rule (1) shall be sufficiently lighted at all times when any person has access to it;

(ii) the floor of such canteen shall be made of smooth and impervious material and inside walls of such canteen shall be lime-washed or colour-washed at least once in every six months;

Provided that such inside walls of the kitchen of such canteen shall be lime-washed once in every three months.

(4)(i) The precincts of the canteen referred to in sub-rule (1) shall be maintained in a clean and sanitary condition;

(ii) waste water from such canteen shall be carried away in suitable covered drains and shall not be allowed to accumulate in the surroundings of such canteen.

(iii) suitable arrangements shall be made for the collection and disposal of garbage from such canteen.

(5) Building of the canteen referred to in sub-rule (1) shall be situated at the distance not less than fifteen point two metres from any latrine or urinal or any source of dust, smoke or obnoxious fumes

245. Foodstuff to be served in the Canteen. :- The foodstuffs and other items to be served in the canteen, referred to in sub-rule (1) of Rule 244, shall be in conformity with the normal dietary habits of the building workers.

246. Serving of tea and snacks at the workplaces:- At a building or other construction work where a workplace is situated at a distance of more than zero point two kilometre from the canteen provided under sub-rule (1) of Rule 244, arrangement shall be made by the employer employing building workers at such place for serving tea and light refreshment to such building workers at such place.

247. Charges of food stuff :- (1) The charges for foodstuffs, beverages and other items served in the canteen provided under sub-rule (1) of Rule 244 shall be based on "no profit no loss" and the price list of such items shall be conspicuously displayed in such canteen.

(2) In arriving at the prices of items referred to in sub-rule (1), the following shall not be taken into consideration as expenditure, namely

(a) the rent for the land and building of such canteen;

(b) the depreciation and maintenance charges for the building and equipment provided in such canteen;

(c) the cost of purchase, repairs and replacement of equipments including furniture, crockery, cutlery, utensils and uniforms provided to the employees of such canteen;

(d) the water charges and other charges incurred for lighting and ventilation of such canteen;and

(e) the interest on the amounts spent for providing and maintaining furniture and other equipment for such canteen.

CHAPTER XXIX
Wages

248. Payment of wages :- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that :-

(a) the wages of every building worker employed at such construction site where less than one thousand such building workers are employed are paid before the expiry of the seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the period in respect of which such wages are payable;

(b) in case the employment of such building worker is terminated by or on behalf of such employer, the wages earned by such building worker are paid before the expiry of the second working day from the day on which employment of such building worker is terminated;

(c) all payments of wages are made on a working day at such construction site and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed the final payment of wages is made within forty-eight hours of such completion of work.

249. Display of notices of wage regarding date of payment of wages :- An employer shall ensure at a construction site of a building or other construction work that a notice showing the period for which wages are to be paid, place and time of disbursement of such wages' is displayed at a conspicuous place of such construction site in English, in Hindi and in a local language understood by the majority of building workers employed at such construction site.

PART V
Welfare of Building Workers

CHAPTER XXX
Chhattisgarh Building & Other Construction Workers' Welfare Board

250. Definitions :- In this part, unless the context otherwise requires :-

(a) "Benefit" means a benefit specified in Rule 277 of these Rules;

(b) "Board" means the 'Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Board constituted under Section 18 of the Act;

(c) "Contribution" means the sum of money payable to the Fund by beneficiary under Section 16 of this Act;

(d) "Family" in the relation to a beneficiary, means the spouse, minor sons, unmarried daughter and wholly dependent parents;

(e) "Fund" means the Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Fund Constituted by the Board under Section 24 of the Act;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed under Section 19 of the Act;

(g) "Year" means financial year.

251. Constitution of the Board :- The Board shall consist of -

(i) The Minister for Labour, Chhattisgarh, as the ex-officio Chairperson.

(ii) A member to be nominated by the Central Government.
(iii) The Chief Inspector appointed under sub-section (2) of Section 42 of the Act, as an ex-officio member.
(iv) Four member to be appointed by the State Government representing Government Departments, of whom one each shall be a representative of Labour and Finance Departments and two shall be representative of Departments engaged in building or other construction work.
(v) Five members to be appointed by the State Government representing building workers, at least one of whom shall be a woman, and
(vi) Five members to be appointed by the State Governement representing employers of building workers.

252. Term of Office - (1) A member appointed under clauses (iv), (v) and (vi) of Rule 251 shall hold office at the pleasure of the State Government.

(2) Subject to the provision of sub-rule (1), a member specified therein shall unless he resignes his office or dies or otherwise vacates his office at an earlier date, hold office or a period of three years from the date of publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette appointing him as a member of the Board and shall be eligible for re-appointment :

Provided that an outgoing members shall continue in the office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

253. Resignation- (1) A member appointed under clause (v) or (vi) or Rule 251 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.

(2) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

254. Vacation of office- A member appointed under clause (v) or (vi) of Rule 251 shall be deemed to have vacated his office, if: -

(a) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a Competent Court; or
(b) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
(c) he is absent from three consecutive meeting of the Board without leave of absence from the Chairperson; or
(d) he ceased to represent the interest for representing which he was appointed.

255. Filling up of casual vacancies- A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is appointed.

256. meeting of the Board and Quorum- (1) The Board shall ordinarily meet once in three months :

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one-third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(2) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least six members are present, of

whom at least one shall be from among those appointed under clause (iv) or Rule 251.

257. Notice of meeting and list of business - Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting :

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

258. Chairperson to preside at meetings - The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

259. Transaction of Business - All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.

260. Minutes of Meeting - The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson as soon after the meeting as posible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

261. Allowances payable to non-official members- Every non-official member shall be paid travelling allowance for attending meetings of the Board and its sub-committees at rates admissible to Class I Officers of the State Government.

262. Sub-Committees of the Board - (1) The Board may appoint such sub-committees as it may deem fit for the proper discharge of its duties.

(2) Every sub-committee shall be presided over by the Chairperson of the Board and shall consist of an equal number of members of the Board representing Building Workers, Employer and State Government .

(3) In the absence of the Chairperson, members of a sub-committee present shall elect one among them to preside over the meeting.

(4) No business shall be transacted at a meeting of the sub-committee unless at least theree of its members are present of whom one shall be from among members representing employers and another one shall be from among members representing building workers.

(5) The term of a sub-committee, except of a sub-committee constituted for a short-term, ad hoc purpose, shall be one year from the date of its constitution :

Provided that sub-committee shall continue in office until a new sub-committee is constuted

Provided further that in no case a case a sub-committee shall continue beyond a period of two years from the date of its original constitution.

(6) Recommendation of every sub-committee shall be placed before the Board for decision.

263. Opening of Field Offices - The Board may, with the approval of the State Government, open as

many field offices as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under the Act.

264. Duties and functions of the Board- (1) The Board shall be responsible for :-

(a) All matters connected with the administration of the Fund, including laying down policies for the investment of the amount standing therein.
(b) Submission of annual budget, annual report and audited accounts to the Government under Sections 25, 26 and 27(5) respectively of the Act.
(c) Proper maintenance of accounts and their annual audit in accordance with the provisions of Section 27 of the Act.
(d) Collection of contribution to the fund and other charges.
(e) Proper and timely recovery of amounts due to the Board.
(f) Launching of prosecution after obtaining previous sanction in writing of the Chief Inspector under Section 54(1) (a) of the Act, where necessary, and
(g) Performing functions specified in and prescribed under Section 22 of the Act.
(2) The Board shall furnish to the Government such information as it may seek from time to time.

265. Appointment of Secretary, other Officer and Staff- (1) The Board may, with the prior concurrence of the State Government, appoint an officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner as Secretary of The Board.
(2) The Board may appoint such other officers and employees as it may consider necessary for the efficient discharge of its function:

Provided that no post shall be filled up in the Board unless its creation has first been approved by the State Government.

266. Recruitment Procedure and Service Conditions of Officers and Staff of the Board-

(1) The following Rules applicable to employees of the State Government shall, mutatis mutandis apply to officers and employees of the Board.-
(i) C.G. Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961
(ii) C.G.. Civil Services (Conduct) Rules, 1965
(iii) C.G.. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966
(iv) C.G. Civil Services (Medical Examination) Rules, 1972
(v) C.G. Civil Services (Leave) Rules, 1977
(vi) C.G.. Civil Services (Joining Time) Rules, 1982
(vii) C.G.. Ex-serviceman (Reservation of Vacancies in the State Civil Services on Posts of Class III and Class IV) Rules, 1985
(viii) C.G. Civil Services (Special Provision of Appointment of Women) Rules, 1997
(ix) C.G. Public Services (Promotion) Rules, 2002.
(2) Classification, pay scales, allowance, recruitment procedure, and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, to the extent not expressly provided in the Rules specified in sub-rule (1) shall be such as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.
(3) If any dispute or difficulty arises as to interpretation or applicability of any provision in any particular case, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

267. Chhattisgarh Building and other Construction Workers' Welfare Fund - (1) The Board may, as soon as may be after the coming into force of these rules, constitute a Fund to be called the "Chhattisgarh Building and other Construction Workers' Welfare Fund" in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(2) The Fund shall vest in and be administered by the Board.

268. Investments -All Moneys belonging to the Fund may be invested in Nationalised Banks or in Securities referred to in clauses (a) to (d) of Section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882)

269. Budget - (1) The Board shall prepare and approve, before 10th March every year, its buduget for the next financial year, showing its estimated receipts and expenditure.

(2) The Budget shall be Prepared in Form XXVII and after approval by the Board; shall be forwarded to the State and Central Governments so as to reach them by 20th March.

270. Annual Report.- A Report on the functioning of the Board during every financial year shall be approved by the Board before 15th June of the following financial year and shall be submitted to the Government by the 31st July of that year.

271. Execution of contract - All orders and other instruments on behalf of the Board shall be made and executed in the name of the Board and shall be authenticated by such person as the Board may specify

CHAPTER-XXXI
Registration Of Beneficiaries And Employer's Duties Towards The Board

272. Procedure for registration as a beneficiary- (1) An application for registration as a beneficiary under sub-section (1) of Section 12 of the Act, shall be made in duplicate, in Form XXVIII anexed to these Rules, to the officer authorised by the Board in this behalf under sub-section (2) of Section 12, and shall be accompanied by the following documents, namely :-

(a) Proof of age in one or more of the following forms, namely :-

(i) Certificate or Mark Sheet awarded by an Examining Board or University or School Leaving Certificate issued by the last school attended;

(ii) Certificate from the Registrar of Births and Deaths;

(iii) In the absence of the above certificates, a certificate from a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon in Government Services.

(b) Proof of status as a building worker for at least ninety days during the preceding one year, which would normally be a certificate to that effect issued by the employer or contractor for whom the applicant has been working. However, in appropriate cases, the following may also be considered as proof of status, namely-

(i) A Certificate issued by a Building Workers' Union, registered under the Trade Unions Act, 1926.

(ii) A certificate issued by the Inspector having jurisdiction orver the concerned area.

(iii) A certificate issued by the Chief Executive Officer of the Janpad of the Janpad Panchayat or the Muncipal body concerned, by whatever name called.

(c) A Nomination in Form XXIX.

(d) Two Passport Size Photographs.

(2) Every application referred in sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of Rs. Twenty five payable to the Board in cash or an account payee Demant Draft.

(3) Receipt of every application referred to in sub-rule (1) shall be acknowledged by the Board.

(4) If the officer referred to in sub-rule (1) is satisfied after due inquiry that the applicant fulfils the eligibility criteria specified in sub-section (1) of Section 12 of the Act, and has complied with the provisions of the Act and the Rules made thereunder, he shall enter the name of the worker as a beneficiary in a Register of Beneficiaries which shall be maintained in Form XXX and shall also issue to him an identity card in Form XXXI:

Provided that the authorized Officer may, after giving the applicant an opportunity of being heard, reject the application if, after enquiry, he comes to the conclusion that the applicant does not fulfil the eligiblity criteria and or has not complied with the provisions of the Act and these rules :

Provided further that every application received under sub-rule (1) shall ordinarily be decided within a maximum period of one month, and in the event of rejection, reasons thereof shall be communicated to the applicant in writing.

(5) If in relation to a beneficiary, any change occures in any particulars specified inthe identity card referred to in sub-rule (4) or any updating becomes necessary therein, the beneficiary shall intimate the officer referred to in sub-rule (1), withing sixty days from the date when such change takes place or the updating becomes necessary, as the case may be, the date and particular of such change or the need of updating and the reasons thereof, in Form XXXII.

(6) Where, on receipt of the intimation referred to in sub-rule (5) the officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the beneficiary, as entered in the identity card, or that such particulars need to be updated, he shall amend the said card and also record the change which has occurred int the register referred to in sub-rule (4).

(7) If an identity card is lost, mutilated or the pages contained therein are exhausted, the beneficiary concerned may apply in Form XXXIII to the officer specified in sub-rule(1) for issue of a Duplicate/Continuation Identity Card. The application for a Duplicate Identity Card shall be accompanied by a fee of Rupees Twenty Five only payable to the Board in cash or an account payee Demand Draft.

(8) On receipt of an application under sub-rule (7), the officer concerned shall after checking its contents with the entries in the Register of Beneficiaries and satisfying himself as to the bona- fides of the application, issue a duplicate or continuation identity card :

Provided that an application for duplicate identity card may be rejected for reasons to the recorded, after giving the applicant an opportunity of being heard.

273. Appeal- (1) Any person aggrived by a decision under sub-rule (4) or sub-rule (8) or Rule 272, may, withwin thirty days from the date of such decision, prefer an appeal to the Secretary or any other officer specified by the Board in this behalf (hereinafter referred to as the appeallate officer).

(2) A memorandum of appeal shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and a fee of Rs. Twenty Five payable to the Board in cash or an account payee Demand Draft.
(3) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal; endorse thereon the date of its receipt, and shall enter it in a Register to be kept for the purpose, called the "Register of Appeals", in Form XXXIV.
(4) When an appeal has been admitted under sub-rule (3), the appellate officer shall requisition the record of the case from the concerned registering officer, and shall on receipt of the record, dispose of the appeal through a written order after examining the record of the case and hearing the appellant and such other persons as he may consider necessary.

274. Contribution to the Fund - (1) Every beneficiary shall contribute to the Fund at such monthly rate as may be specified in the notification issued by the State Government under sub-section (1) of Section 16 of the Act. The contribution shall be remitted in advance on a monthly or quarterly basis in any of the banks specified by the Board in the district in which the beneficiary resides.
(2) A beneficiary may authorise his employer to deduct his contribution from hi monthly wages and to remit the same, within fifteen days from such deduction, to the Board.
(3) If a beneficiary commits default in payment of contribution continuously of a period of one year he shall cease to be beneficiary :

Provided that if the Secretary of the Board is satisfied that the non-payment of contribution was due to a reasonable cause and that the building worker is willing to deposit the arrears, he may allow the building worker to deposit the arrears of his contribution and on such deposit being made, the registration of building worker as a beneficiary shall stand restored.

275. Duty of Employer to file returns with the Board - (1) Every employer in relation to an establishment to which this Act applies on the date of commencement of these Rules, shall, within thirty days from such commencement, send to the Secretary an initial return in Form XXXV, containing particulars of : (i) building workers employed in the establishment as at the commencement of these Rules, and (ii) Branches, Directors, Managers, Occupiers, Partners, person/persons who have proximate or ultimate control over the affairs of the establishment.
(2) Every employer in relation to an establishment to which this Act may be applicable at any time after such commencement, shall, before the twenty second day of every month, send to the Secretary or any officer authorised by him in this behalf a monthly return in Form XXXVI, showing details of building workers employed by him as at the end of the preceding month, and of contribution deducted from their wages and remitted to the Board under sub-section (2) of Section 16 of the Act.
(3) Crossed Demand Draft for remitting to the Board the contributions deducted in the previous month from the beneficiaries under sub-section (2) of Section 16 of the Act, shall be enclosed with the monthly return sent under sub-rule (2) above.

276. Maintenance and production of Records and Registers. -(1) As from the commencement of these Rules, every employer shall maintain:
(i) information regarding beneficiaries in the Register kept in Form XV, and
(ii) A Register of Contribution in respect of such beneficiaries as authorise the employer in terms of sub-section (2) of Section 16 of the Act, in Form XXXVII.

(2) Whenever the Secretary or any other officer authorised by him requires an employer in person or by notice in writing, to produce the registers mentioned in sub-rule (1) and any related records, in respect of building workers, the employer shall make available such registers and records to the officer concerned for inspection, and if the records are not immediately returned, the inspecting officer shall issue a receipt for the records so retained by him.

CHAPTER-XXXII
Benefits & General Welfare Activities

277. Benefits. - (1) Subject to the provisions of the Act and these Rules, the Board may extend all or any of the benefits specified in Column 1 of the Table below, to the beneficiaries (including, in appropriate cases, to their dependants), who have contributed to the Fund for the minimum period specified in Column 2 of the Table:

TABLE
Benefits & Minimum Eligibility Criteria

	Benefit	Minimum No. of years for which a beneficiary should have contributed to the Fund for becoming eligible for the benefit
	(1)	(2)
1.	Pension	
	1.1. Old Age Pension	Three Years
	1.2. Family Pension.	Three Years
	1.3. Disability Assistance & Pension	One year
2.	Assistance for Housing	
	2.1. Loan for purchase or construc - tion of House	Five Year
	2.2. Interest Subsidy for Housing Loan, taken from a Housing Finance Institution	Three years
3.	Education Assistance	
	3.1. Scholarship	One Year
	3.2. Education Loan	Five years
	3.3. Interest Subsidy for Education Loan taken from a Financial Institution	Three years
	3.4. Cash award to meritorious students	One year

	(1)		(2)
4.	Assistance for Income Augmentation		
	4.1.	Loan for purchase of Tools & Small Machines	Three years
	4.2.	Interest subsidy for Supplementary Income generating activities	One year
5.	Marriage Assistance		Three years
6.	Medical Assistance		One year (Except in case of accident, in which there will be no requirement of minimum No. on years).
7.	Maternity Assistance		One year
8.	Insurance Assistance		One year
	8.1.	Group Insurance	One year
	8.2.	Assistance for payment of Insurance Premium	One year
9.	Assistance in case of death		
	9.1.	Funeral Assistance	Nil
	9.2.	Ex-gratia payment	Nil

(2) In computing the period of contribution of purposes of sub-rule (1), any period for which the Board may have waived payment of contribution under the proviso to sub-section (1) of Section 16 of the Act, shall be excluded.

278. Main Provisions regarding Benefits. - (1) Unless otherwise specified by or under these Rules, no moneys payable by way of a Benefit shall be paid in cash, but shall be credited in the bank account of, as the case may be, the beneficiary or other eligible recipient, maintained in a Nationalised Bank, a regional Rural Bank or a District Central Co-operative Bank.

(2) Detailed provisions in respect of the following matters concerning benefits enumerated in Rule 277, namely:-

(i) nature of benefit;

(ii) person to whom benefit shall be payable;

(iii) conditions of eligibility, if any, besides that specified in Rule 277; and

(iv) broad guidelines, if any, governing the rate at which benefit shall be paid: shall be as specified in Schedule XIII appended to these Rules.

279. Board to notify Schemes laying down Procedural and Other Residual matters regarding Benefits. - The Board shall draw up and, with the previous approval of the State Government, notify, in respect of each benefit or group of benefits, specified, in Rule 277, a Scheme laying down procedures, Forms and all other residuary matters not expressly provided in the Act and these Rules, which shall include:

(i) rates at which various benefits shall be payable;
(ii) procedure and Form for making application;
(iii) procedure for and authority competent to grant sanction; (iv) procedure for disbursement; and
(v) any other incidental matters.

280. General Welfare Activities. - (1) In addition to granting benefits referred to in Rules 277 and 278 to individual beneficiaries, the Board may undertake the following activities with a view to promoting general welfare of building workers, namely:

(a) commissioning surveys, studies etc., to ascertain pattern of employment, skills, income, wages and working conditions of building workers, and the impact of various programmes of the Government and the Board meant for their welfare;

(b) spreading awareness among them about their statutory rights, procedure of enforcing those rights, redressing grievances, and availing of various welfare and development schemes;

(c) promoting health of women and children, the small family norm, and elimination of social evil like drinking, dowry, child marriage etc.;

(d) organising sports, cultural and recreational activities for building workers, and study tours for groups of beneficiaries; and

(e) any other activities, with the prior approval of the State Government aimed at promoting welfare of building workers as a whole.

(2) The expenditure in any financial year on activities enumerated in sub-rule (1) shall not exceed five per cent of the total expenditure of the Board in that year.

PART VI
MISCELLANEOUS PROVISIONS

CHAPTER XXXIII
Powers Of Chief Inspectors And Inspectors

281. Power to engage experts, agencies. :- (1) The Chief Inspector may engage experts or agencies, as deemed necessary, from the fields of civil engineering, structural engineering, architecture, and other disciplines of occupational safety, health and environment, as and when required, for the purpose of conducting any inspection, investigation or enquiry into the cause of an accident or a dangerous occurrence or otherwise.

(2) The experts referred to in sub:-rule (1) shall:-

(a) possess a degree in the relevant field from a recognised university;

(b) possess not less than ten years' experience of working in the relevant field out of which at least five years shall be in the field of occupational safety, health and environment.

(3) Agencies referred to in sub- rule (1) shall be of national standing in the relevant field and registered under the relevant law.

(4) The State Government may, from time to time, prepare a panel of experts and agencies referred to in sub-rule (1).

(5) An engineer or expert or agency employed under sub:-rule (1) shall be paid such travelling allowances and daily allowances as are allowed to him by his organisation where he is employed or such travelling allowance and daily allowance as is admissible to officer of the rank of a Deputy Labour Commissioner of the C.G. Government.

(6) In addition to travelling allowance and daily allowance referred to in sub:-rule (5) to an engineer or architect or agency, they shall also be paid honorarium at the rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette from time to time.

282. Powers of Inspectors. :- (1) An Inspector may, at a construction site of a building or other construction work within local limits for which he is appointed,:-

(i) examine such construction site or place or premises used or to be used for such building or other construction work;

(ii) take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may deem necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with such building and other construction work directly or indirectly.

Provided that such person shall not be compelled to answer any question or give any evidence tending to incriminate him;

(iii) take photographs, video clips, sample weight or measure or record or make such sketches as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules;

(iv) hold an enquiry into the cause of any accident or dangerous occurrence which he has reasons to believe was the result of any operation connected with or incidental to such building or other construction work, or of noncompliance with any of the provisions of the Act or these rules.

(2) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed issue show:-cause notice or warning to employers regarding the safety, health or welfare of building workers provided under the Act or the rules.

(3) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed, file in a court having jurisdiction a complaint or other proceeding relating to an offence under the Act.

(4) An inspector may, within the local limits for which he is appointed, direct any contractor or any employer for getting the building workers medically examined in accordance with the provisions of these rules.

(5) An Inspector may, within the local limits for which he is appointed require a person having power of supervision and control of a construction site of a building or other construction work or the employer, project in-charge or site in-charge of such construction site, as the case may be, to provide such means or assistance as may be required by such inspector for entry, inspection, examination or enquiry for the exercise of his powers under sub:-section (1) of Section 43 of the Act or this rule in relation to such construction site, or project.

283. Prohibition Order. :- (1) If it appears to the Inspector that any site or place at which any building or other construction work is being carried on, is in such condition that it is dangerous to life, safety or health of building workers or the general public, he may, in writing serve on the employer of building workers or on the owner of the establishment or on the person in charge of such site or place an order prohibiting any building or other construction work at such site or place until measures have been taken to remove the cause of the danger to his satisfaction.

(2) An Inspector serving an order under sub:-rule (1) shall endorse a copy to the Chief Inspector

(3) Such prohibition order shall be complied with by the employer forthwith.

(4) Any person aggrieved by an order under sub:-rule (I), may, within fifteen days from the date on which the order is communicated to him, may prefer an appeal to the Chief Inspector or where such order is by the Chief Inspector, to the Secretary to the Government of C.G. in the Department of Labour, and the Chief Inspector or the Secretary, as the case may be, shall, after giving the appellant an opportunity of being heard dispose of the appeal as expeditiously as possible:

Provided that the Chief Inspector or the Secretary to the Government of Chhattisgarh in the Deparment of Labour, as the case may be, may entertain the appeal after the expiry of the said period of fifteen days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time:

Provided further that the prohibiting, shall be complied with, pending the decision of the Chief Inspector or the Secretary to the Government of Chhattisgarh in the Deparment of Labour

SCHEDULE I

[See Rules 56(a), 71(a) and 72]

Manner of test and examination before taking lifting appliance, lifting gear and wire rope into use for the first time.

Test Loads:

(1) Lifting Appliance. :-

Every lifting appliance with its accessory gear, shall be subjected to a test load which shall exceed the safe working load (SWL) as specified in the following table

Table

Safe Working load	Test load
Up to 20 tonnes	25 per cent in excess of safe working load
20 to 50 tonnes	5 tonnes in excess of safe working load
Over 50 tonnes	10 per cent in excess of safe working load

(2) Lifting Gear. :-

(a) Every ring, hook, chain, shackle, swivel, eye:-bolt, plate clamp, triangular plate or pulley block (except single sheave block) shall be subjected to a test load which shall not be less than the load as specified in the following table

Table

Safe Working load (in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 25	2 x safe working load
above 25	(1.22 x safe working load) + 20

(b) In the case of a single sheave block, the safe working load shall be the maximum load which can safely be lifted by the block when suspended by its head fitting and the load is

attached to a rope which passes around the sheave of the block and a test load not less than four times the proposed safe working load shall be applied to the head of the block.

(c) In the case of a multi sheave block, the test load shall not be less than the load as specified in the following table

Table

Safe Working load (in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 25	2 x safe working load
25 to 160	(0.9933 x safe working load) + 27
above 160	1.1 x safe working load

(d) In the case of hand:-operated pulley blocks used with pitched chains and rings, hooks, shackles or swivels, permanently attached thereto, a test load not less than 50 per cent in excess of the safe working load shall be applied.

(e) In the case of a pulley block fitted with a bucket, the bucket shall be tested and the load applied to the bucket when testing that block will be accepted as test load of the bucket.

(f) In the case of a sling having two legs, the safe working load shall be calculated when the angle between the legs is 90 degree. In case of multi:-legged slings the safe working load shall be calculated as per national standards.

(g) Every lifting beam, lifting frame, container spreader, bucket, tub, or other similar devices shall be subjected to a test load which shall not be less than the load as specified in the following table

Table-

Proposed safe working load (in tonnes)	Test load (in tonnes)
Up to 10	2 x safe working load
IOto 160	(1.04x safe working load)+ 9.6
above 160	1.1 x safe working load

(h) **Wire ropes**:- In the case of wire ropes a sample shall be tested to destruction. The test procedure shall be in accordance with recognised national standards. The safe working load of the rope is to be determined by dividing the load at which the sample broke by a co:-efficient of utilisation, determined as specified in the following table

Table

	Item	Co:-efficient of utilisation
	(1)	(2)
(a)	Wire Rope forming part of Sling. Safe working load of the Sling Safe working load up to and equal to 10 tonnes. Safe working load above 10 tonnes and up to and equal to 160 tonnes	5 $\frac{10}{(8.85 \times SWL) + 1910}$
	Safe working load above 160 tonnes.	3
(b)	Wire Rope as integral part of a Lifting Appliance SWL of the lifting appliance Safe working load up to and equal to 160 tonnes.	$\frac{10}{(8.85 \times SWL) + 1910}$

Safe working load above 160 tonnes.	3

(i) Before any test is carried out, a visual inspection of the lifting appliance, or lifting gear involved shall be conducted and any visible defective gear shall be replaced or renewed.

(j) After being tested, all the lifting gears shall be examined to see whether any parts have been injured or permanently deformed by the test.

Procedure for testing: (3) Derricks. :- (a) A derrick shall be tested with its boom at the minimum angle to the horizontal for which the derrick is designed (generally 15 degrees) or at such greater angle as may be agreed. The angle at which the test has been carried out shall be mentioned in the test certificate. The test load shall be applied by hoisting moveable weights. During the test, the boom shall be swung with the test load, as far as practicable, in both directions.

(b)A derrick boom, designed to be raised with power, with the load suspended, shall, in addition to the tests at (a), be raised (with the load suspended) to its maximum working angle to the horizontal and the two outermost positions.

(c) While test loading of a heavy lift derrick, the competent person responsible for tests using moveable weights shall ascertain from the owner of the vessel or floating platform that the stability of the vessel or platform is adequate for the test.

(4) The derricks tested under clause (3) shall not be used in union purchase rig unless:

(a) the derricks rigged in union purchase are tested with the test load appropriate to the SWL in Union purchase (at the designed headroom and with the derrick booms in their approved working positions);

(b) the safe working load of that derrick in union purchase rig has also been specified by a competent person in a report in Form V;

(c) any limitations or conditions specified in the said report are complied with; and

(d) the two hoist ropes are coupled together by a suitable swivel assembly.

Note:-The safe working loads of derricks (for each method of rig including union purchase) shall be shown on the Certificate of test and marked on the derrick booms.

(5) Lifting appliances. :- (a) The test load shall be lifted and swung, as far as possible, in both directions. If the jib or boom of the crane has a variable radius, it shall be tested with test loads at the maximum and minimum radii. In case of hydraulic cranes when owing to the limitation of pressure, it is impossible to lift a test load in accordance with table under item (1), it will be sufficient to lift the greatest possible load which shall be more than safe working load.

(b) The test shall be performed at maximum, minimum and intermediate radius points as well as such points in the arc of rotation, as the competent person may decide. The test shall consist of hoisting, lowering, breaking and swinging and swinging through all positions and operations normally performed. An additional test shall be made by operating the machinery at maximum working speed with the safe working load suspended.

(6) Use of spring or hydraulic balances, etc. for test loading. :- All tests shall normally be carried on with the help of dead weights. In case of periodical test, replacements or renewals, test load may be applied by means of suitable springs or hydraulic balances. In such case, test load shall be applied with the boom, as far out as practicable, in both directions. The test shall not be taken as satisfactory unless the balance has been certified for accuracy by the competent authority within 2.0 per cent and the pointer of the machine has remained constant at the test load for a period of at least five minutes.

(7) Testing machines and dead weights. :- (a) A suitable testing machine shall be used for testing of chains, wire ropes and other lifting gears.

(b) Testing machines and balances to be used in test loading, testing and checking shall not be used unless they have been certified for accuracy at least once in the preceding twelve months by the competent authority.

(c) Moveable weights used for the test loading of the lifting appliances having a safe working load not exceeding twenty tonnes shall be checked for accuracy by means of suitable weighing machine of certified accuracy.

(8) Thorough examination after testing or test loading:- After being tested or test loaded, every lifting appliance and associated gear shall be thoroughly examined to see that no part has been damaged or permanently deformed during the test. For this purpose, the lifting appliance or gear shall be dismantled to the extent considered necessary by the competent person.

SCHEDULE II

[See Rule 230(a)]

Notifiable Occupational Diseases in Building and otherConstruction Work

1. Occupational dermatitis.
2. Occupational cancer.
3. Asbestosis.
4. Silicosis.
5. Lead poisoning including poisoning by any preparation or compound of lead or their sequelae.
6. Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their nitro or amino derivatives or its sequelae.
7. Occupational asthama.
8. Pesticide poisoning.
9. Carbon monoxide poisoning.
10. Toxic jaundice.
11. Toxic anaemia.
12. Compressed air illness (Caissons disease).
13. Noise induced hearing loss.
14. Isocyanates poisoning.
15. Toxic nephritis.

SCHEDULE III
[See Rule 231(b)]
Contents of a First-aid Box

(i) A sufficient number of eye wash bottles filled with distilled water or suitable liquid clearly indicated by a distinctive sign which shall be visible at all times.
(ii) 4 per cent xylocaine eye drops, and boric acid eye drops and soda bycarbonate eye drops.
(iii) Twenty:-four small sterilised dressings.
(iv) Twelve medium size sterilised dressings.
(v) Twelve large size sterilised dressing.
(vi) Twelve large size sterilised burn dressings.
(vii) Twelve (fifteen cm) packets of sterilised cotton wool.
(vii) (Two hundred ml) bottle of certimide solution (I per cent) or suitable antiseptic solution.
(ix) One (two hundred ml) bottle of mercurochrome (2 per cent) solution in water.
(x) One (one hundred twenty ml) bottle of salvolatile having the doses and mode of administration indicated on the label.
(xi) One pair of scissors.
(xii) One roll of adhesive plaster (six cm x one metre).
(xiii) Two rolls of adhesive plaster (two cms x one metre).
(xiv) Twelve pieces of stenlised eye pads in separate sealed packets.
(xv) A bottle containing hundred tablets (each of three hundred twenty:-five mg) of aspirin or any other analgesic.
(xvi) Twelve roller bandages ten cms wide.
(xvii) Twelve roller bandages five cms wide.
(xviii) One tourniquet.
(xix) A supply of suitable splints.
(xx) Three packets of safety pins.
(xxi) Kidney tray.
(xxii) A snake bite lancet.
(xxiii) One (thirty ml) bottle containing potassium permanganate crystals.
(xxiv) One copy of first:-aid leaflet issued by the Directorate General.
(xxv) Six triangular bandages.
(xxvi) Two pairs of suitable, sterilised, latex hand gloves.

SCHEDULE IV
[See Rule 226(c)]
Articles for ambulance room

(i) A glazed sink with hot and cold water always available.
(ii) A table with a smooth top at least 180 cm **X** 105 cm.
(iii) Means for sterilising instruments.
(iv) A couch.
(v) Two stretchers.

(vi) Two buckets or containers with close fitting lids.
(vii) Two rubber hot water bags.
(viii) A kettle and spirit stove or other suitable means of boiling water.
(ix) Twelve plain wooden splints 900 cm X 100 cm X 6cm.
(x) Twelve plain wooden splints 350 cm X 75 cm X 6 cm.
(xi) Six plain wooden splints 250 cm X 50cm X 12cm.
(xii) Six woollen blankets.
(xiii) Three pairs of artery forceps.
(xiv) One bottle of spiritus annemiae aremations (120 ml).
(xv) Smelling salt (60 gin).
(xvi) Two medium size sponges.
(xvii) Six hand towels.
(xviii) Four kidney trays.
(xix) Four cakes of toilet, preferably antiseptic soap.
(xx) Two glass tumblers and two wine glasses.
(xxi) Two clinical thermometers.
(xxii) Two tea spoons.
(xxiii) Two graduated (120 ml) measuring glasses.
(xxiv) Two minimum measuring glasses.
(xxv) One wash bottle (1000 cc) for washing eyes.
(xxvi) One bottle (one litre) carbolic lotion 1 in 20.
(xxvii) Three chairs.
(xxviii) One screen.
(xxix) One electric hand torch.
(xxx) Four first:-aid boxes or cupboards stocked to the standards prescribed in the Schedule VII.
(xxxi) An adequate supply of tetanus toxide.
(xxxii) Injections:-morphia, pethidine, atrophine, adrenaline, coramine, novocaine (6 each)
(xxxiii) Cramine liquid (60 ml).
(xxxiv) Tablets:-antihistaminic antispasmodic (25 each).
(xxxv) Syringes with needles:-2 cc, 5 cc, 10cc and 500cc.
(xxxvi) Three surgical scissors.
(xxxvii) Two needle holders, big and small.
(xxxviii) Suturing needles and materials.
(xxxix) Three dissecting forceps.
(xxxx) Three dressing forceps.
(xxxxi) Three scalpels.
(xxxxii) One stethoscope and a B.P. apparatus.
(xxxxiii) Rubber bandage:-pressure bandage.
(xxxxiv) Oxygen cylinder with necessary attachments.
(xxxxv) Atropine eye ointments.
(xxxxvi) I.V. Fluids and sets 10 nos.
(xx.xxvii) Suitable, foot operated, covered, refuse containers.
(xxxxviii) Adequate number of sterilised, paired, latex hand gloves.

SCHEDULE V
[See Rule 227]
Contents of Ambulance Van or Carriage

The Ambulance Van shall have equipments prescribed as under:

(a) **General.** :- A portable stretcher with folding and adjusting devices with the Head of the stretcher capable of being tilted upward. Fixed suction unit with equipment. Fixed oxygen supply with equipment. Pillow with case, sheets, blankets, towels, emergency bag, bed pan, urinal glass.

(b) **Safety Equipmenr.** :- Flaros with life of three thousand minutes, floor lights, flash lights, fire extinguishers (dry power type), insulated gunt lets.

(c) **Emergency Care Equipment,:-**

(i) Resuscitation. :- Portable suction unit, portable oxygen unit, bagvalve mask, band operated artificial ventilation unit, airways, mouthgag tracheostomy adapters, short spine board, IV. FLUIDS with administration unit, B.P. manometer cuff stethoscope.

(ii) Immobilisation:-Long and short padded boards, wire ladder splints, triangular bandage:- long and short spine boards.

(iii) Dressing. :- Gauze pads:-100 m x 100 mm universal dressing 250 x 1000 mm, roll of aluminium foils:-soft roller bandages 150 mm x 5 mm yards adhesive tape in 75 mm roll safety pins, bandage sheets, bum sheets.

(iv) Poisoning:-Syrup of Ipecac, activated charcoal prepacketed dose, snake bite kit, drinking water.

(v) Emergency Medicines:-As per requirement (under the advice of construction Medical Officer).

SCHEDULE VI
[See Rule 34]
Permissible Exposure in cases of Continuous Noise

Total time of exposure (continuous or a number of short:-term exposures) per day (in hours)	Sound pressure level (in dBA)
(1)	(2)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
3/4	107
1/2	110
1/4	115

Notes. :-

1. No exposure in excess of 115 dBA is to be permitted.
2. For any period of exposure falling in between any figure and the next higher or lower figure as indicated in column (1), the permissible sound pressure level is to be determined by extrapolation on a proportionate basis.

SCHEDULE VII
[See Rules 81(iv) and 223(a) (iii)]
Periodicity of Medical Examination of Building Workers

1. Tho employer shall arrange a medical examination of all the building workers employed as drivers, operators of lifting appliances and transport equipment before employing, after illness or injury, if it appears that the illness or injury might have affected his fitness and thereafter, once in every two years up to the age of forty and once in a year, thereafter.
2. Complete and confidential records of medical examination shall be maintained by the employer or the physician authorised by the employer.
3. The medical examination shall include:-

(a) full medical and occupational history.

(b) clinical examination with particular reference to :

(i) General Physique;

(ii) **Vision:-**Total visual performance using standard orthorator like Titmus Vision Tester should be estimated and suitability for placement ascertained in accordance with the prescribed job standards.

(iii) **Hearing. :-** Persons with normal hearing must be able to hear a forced whisper at twenty:-four feet. Person using hearing aids must be able to hear a warning shout under noisy working conditions.

(iv) **Breathing. :-** Peak flow rate using standard peak flow meter and the average peak flow rate determined out of these readings of the test performed. The results recorded at replacement medical examination could be used as a standard for the same
individual at the same altitude for reference during subsequent examination.

(v) **Upper Limbs:-**Adequate arm function and grip (both arms),

(vi) **Lower Limbs:-**Adequate leg and foot function.

(vii) **Spine:-**Adequately flexible for the job concerned.

(viii) **General. :-** Mental alertness and stability with good eye, hand and foot coordination.

(c) Any other tests which the examining doctor considers necessary.

SCHEDULE VIII
[See Rules 209(1) and 209(2)]
Number of Safety Officers, Qualification, Duties, etc,

Appointment of Safety Officers :

Number of Safety Officers:-Within six months of coming into operation of these rules, every establishment employing more than five hundred building workers and every other employer of building worker shall appoint safety officers, as laid down in the scale given below

1. Up to 1000 building workers:-one safety officer.

2. Up to 2000 building workers:-two safety officers.
3. Up to 5000 building workers:-three safety officers.
4. Up to 10,000 building workers:-four safety officers.

For every additional 5000 building workers or part thereof-one safety officer.

Any appointment, when made shall be notified to the inspector having jurisdiction in the area, giving full details of the qualifications, terms and conditions of service of such safety officer.

Qualification. :-(a) A person shall not be eligible for appointment as a safety officer unless he: (i) possesses a recognised degree in any branch of engineering or technology or architecture and had a practical experience of working in a building or other construction work in a supervisory capacity for a period of not less than two years or possesses a recognised diploma in any branch of engineering or technology and has had practical experience of building or other construction work in a supervisory capacity for a period of not less than five years;

(ii) possesses a recognised degree or diploma in industrial safety with at least one paper in construction safety (as an elective subject);

(iii) has adequate knowledge of the language spoken by majority of building workers from the construction site in which he is to be appointed.

(b) Notwithstanding the provision contained in clause (a), any person who:-

(i) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology or architecture and has had experience of not less than five years in the field, dealing with the administration of Factories Act, 1948 or the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986 or the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2004.

(ii) possesses a recognised degree or diploma in engineering or technology and has had experience of not less than five years or has undergone training in education, consult & qwy or research in the field or accident prevention in industry, port, or in any institution or an establishment dealing with building or other construction work.

shall also be eligible for appointment as a safety officer: Provided that, in case of person who has been working as safety officer in industry or port, institution or an establishment dealing with building or other construction work for a period of:-not less than three years on the date of commencement of these rules, the Chief Inspector may, subject to such conditions that he may specify, relax all or any of the abovesaid qualification.

Condition of Service. :- (a) Where number of safety officers appointed exceeds one, one of them shall be designated as Chief Safety Officer and shall have the status higher than the others. The Chief Safety Officer shall be in over all charge of the safety functions as envisaged in sub:-clause (iv) and also other safety officers working under his control.

(b) the Chief Safety Officer or Safety Officer, where only one safety officer is appointed, shall be given the status of a Senior Executive and he shall work directly under the control of his Chief Executive. All other safety officers shall be given appropriate status to enable them to dispatch their functions effectively.

(c) the scale of pay and allowances to be granted to the safety officers including the Chief Safety Officer and the other conditions of their service shall be the same as those of the officers of corresponding status of the establishment in which they are employed.

Duties of Safety Officers. :- (a) The duties of a safety officer shall be to advise and assist the employer in the fulfilment of his obligations, statutory or otherwise concerning prevention of personal injuries and

maintaining a safe working environment. These duties shall include the following, namely.:-

(i) to advise the building workers in planning and organising measures necessary for effective control of personal injuries;

(ii) to advise on safety aspects in a building or other construction work and to carry out detailed safety studies of selected activities;

(iii) to check and evaluate the effectiveness of action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries;

(iv) to advise purchasing and ensuring quality of personal protective equipment confirming to national standards;

(v) to carry out safety inspections of building or other construction work in order to observe the physical conditions of work and the work practices and procedures followed by building workers and to render advice on measures to be adopted for removing unsafe physical conditions and preventing unsafe actions by building workers;

(vi) to investigate all fatal and other selected accidents;

(vii) to investigate the cases of occupational diseases contracted and reportable dangerous occurrences;

(viii) to advise on the maintenance of such records as are necessary with regard to accidents, dangerous occurrences and occupational diseases;

(ix) to promote the working of safety committees and to act as an advisor to such committees;

(x) to organise, in association with concerned departments, campaigns, competitions, contests and other activities which will develop and maintain the interest of building workers in establishing and maintaining safe conditions of work and procedures;

(xi) to design and conduct, either independently or in collaboration with other agencies, suitable training and educational programmes for prevention of accidents to building workers;

(xii) to frame safe rules and safe working practices in consultation with senior officials of the establishment;

(xiii) supervise and guide safety precautions to be taken in building and other construction work of the establishment.

Facilities to be provided to safety officers. :-

The employer shall provide each safety officer with such facilities, equipment and information that are necessary to enable him to dispatch his duties effectively.

Prohibition of performance of other duties:-No safety officer shall be required or permitted to do any work which is unconnected to, inconsistent with or detrimental to the performance of the duties prescribed in this Schedule.

Exemptions. :-

Chief Inspector may, in writing, exempt any employer or group of employers from any or all of the provisions of these rules subject to compliance with such alternative arrangements as may be approved and notified by him in the order or such exemption.

SCHEDULE IX

(See Rule 225)

Hazardous process

1. Roof Work.
2. Steel erection
3. Work under and over water.
4. Demolition
5. Work in confined spaces.

SCHEDULE X
[See Rule 225(b)]

Services and facilities to be provided in occupational health centres. :-

(1) One full time construction medical officer for building or other construction work. employing workers up to one thousand and one additional construction medical officer for every additional one thousand workers or part thereof.

(2) The staff, including one nurse. one dresser:-cum:-compounder. one sweeper:-cum:-ward boy with each construction medical officer for full work hours.

(3) The occupational health centre with a floor area of minimum fifteen square metres constituting two rooms with smooth walls and intern service. adequately illuminated and ventilated.

(4) Adequate equipment for day:-to:-day treatment.

(5) Necessary equipment to manage any medical emergency.

SCHEDULE XI
[See Rules 119(2) and 225(c)]

Qualification of construction medical Officer

(1) MBBS degree from a medical institute recognised by the Medical Council of India: and

(2) Diploma in industrial health or equivalent post:-graduate certificate of tralning in industrial health or health.

(3) A medical officer having working experience in organisation establishments involved in policy. execution and advice and safety and health of workers employed in mines. ports and docks. factories and building and other construction work. for a period of not less than three years may. subject to the satisfaction of the Chief Inspector not be required to possessing the training referred to in item (2) above.

(4) The syllabi of the courses leading to the above certificates and the organisation conducting such courses shall be approved by the State Government who may also from time to time prepare a panel of such organisations.

(5) Complete particulars including name, qualification and experience of the construction medical officer will be intimated to the inspector having jurisdiction.

SCHEDULE XII
[See Rule 152(a)]

Permissible levels of certain chemical substances in the work environment

Sl. No.	Substance	Permissible limit of exposure			
		Time:-weighted concentration (TWA) (8 hrs.)		Short:-term average exposurelimit (STEL) (15 msn.)*	
		ppm	mg/m3 **	ppm	mg./m3 **

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Acetaldehyde	100	180	150	270
2.	Acetic acid	10	25	15	37
3.	Acetone	750	1780	1000	2375
4.	Aerolein	0.1	0.25	0.3	0.8
5.	Acrylonitrile:-Skin (S.C.)	2	4.5	-	-
6.	Aldrin:-Skin	-	0.25	-	-
7.	Allyl chloride	1	3	2	6
8.	Ammonia	25	18	35	27
9.	Aniline:-Skin	2	10	-	-
10.	Anisidine (0:-, p:-isomers):-Skin	0.1	0.5	-	-
11.	Arsenic & soluble compounds (as As)	-	0.2		
12.	Benzene (S.C.)	10	30	-	-
13.	Beryllium & Compound (As~Be) (S.C.)	-	0.002		
14.	Boron trifluoride:-C	1	3		
15.	Bromine	0.1	0.7	0.3	2
16.	Butane	800	1900	-	-
17.	2:-Butanone(methlethyl Ketone:-MBK)	200	590	300	885
18.	n:-Butyl acetate	150	710	200	950
19.	n:-Butyl alcohol:-Skin:-C	50	150	-	-
20.	Sec/tert. Butyl acetate	200	950	-	-
21.	Butylmercaptan	0.5	1.5	-	-
22.	Cadmium Dust and salts (as Cd)	-	0.05	-	-
23.	Calcium oxide	-	2	-	-
24.	Carbaryl (Sevin)	-			-
25.	Carbofuran (Furadan)	-	0.1	-	-
26.	Caibon disulphide:-Skin	10	30	-	-
27.	Carbon monoxide	50	55	400	440
28.	Carbon tetrachloride:-Skin (S.C.)	5	30	-	-
29.	Chlordane:-Skin	-	0.5	-	-
30.	Chlorine	1	3	3	9
31.	Chlorobenzene (monochlorobenzene)	75	350	-	-
32.	Chloroform (S.C.)	10	50	-	-
33.	bis (Chloromethyl) ether (H.C.)	0.001	0.005	-	-
34.	Chromic acid and chromates (as Cr.) (water soluble)	-	0.05	-	-
35.	Chromous salts (as Cr.)	-	0.5	-	-
36.	Copper fume	-	0.2	-	-
37.	Cotton dust, raw	-	0.2*		
38.	Cresol, all isomers:-Skin	5	22	-	-
39.	Cyanides (as CN):-Skin	-	1	-	-
40.	Cyanogen	10	20	-	-
41.	DDT (Dichlorodiphenyl trichloroethane)	-	1	-	-
42.	Demeton:-Skin	0.01	0.1	-	-
43.	Diazinon:-Skin	-	0.1	-	-

44.	Dibutyl phthalate	-	5	-	-
45.	Dicholorvos (DDVP):-Skin	0.1	1	-	-
46.	Dicldrin:-Skin	-	0.25	-	-
47.	Dinitrobeozene (all isomers):-Skin	0.15	1	-	-
48.	Dinitrocoluene:-Skin	-	1.5	-	-
49.	Diphenyl (Biphenyl)	0.2	1.5	-	-
50.	Endosulfan (Thiodan):-Skin	-	0.1	-	-
51.	Endrin:-Skin	-	0.1	-	-
52.	Ethylacecate	400	1400	-	-
53.	Ethyl alcohol	1000	1900	-	-
54.	Ethylamine	10	18	-	-
55.	Fluorides (as F)	-	2.5	-	-
56.	Fluorine	1	2	2	4
57.	Formaldehyde (S.C.)	1.0	1.5	2	3
58.	Formic acid	5	9	-	-
59.	Gasoline	300	900	500	1500
60.	Hydrazine:-Skin (S.C.)	0.1	0.1	-	-
61.	Hydrogen chloride:-C	5	7	-	-
62.	Hydrogen cyanide:-Skin:-C	10	10	-	-
63.	Hydrogen fluorine (as F):-C	3	2.5	-	-
64.	Hydrogen peroxide	1	1.5	-	-
65.	Hydrogen sulphide	10	14	15	21
66.	Iodine:-C	0.1	1	-	-
67.	Iron Oxide Fume (Fe 0) (as Fe)	-	5	-	-
68.	isoamyl acetate	100	525	-	-
69.	Isoamyl alcohol	100	360	125	450
70.	Isobutyl alcohol	50	150	-	-
71.	Lead, inorg., dusts and fumes (as Pb)	-	0.15	-	-
72.	Lindane:-Skin	-	0.5	-	-
73.	Malathion:-Skin	-	10	-	-
74.	Managanese dust and compounds (as Mn):-C	-	5	-	-
75.	Manganese fumes (as Mn)	-	1	-	-
	(i) Alkyl compounds	-	0.01	-	0.03
	(ii) All forms except alkyl vapour	-	0.05	-	-
	(iii) Atyl and inorganic compounds	-	0.1	-	-
77.	Methyl alcohol (Methanol):-Skin	200	260	250	310
78.	Methyl collosolve (2:-Methoxy:-ethanol):-:-Skin	5	16	-	-
79.	Methyl isobutyl ketone	50	205	75	300
80.	Methyl isocyanate:-Skin	0.02	0.05	-	-
81.	Naplithalene	10	50	15	75
82.	Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	-	-
83.	Nitric acid	2	5	4	10
84.	Nitric oxide	25	30	-	-
85.	Nitrobenzene:-Skin	1	5	-	-
86.	Nitrogen dioxide	3	6	5	10
87.	Oil mist, mineral	-	5	-	10
88.	Ozone	0.1	0.2	0.3	0.6
89.	Parathion:-Skin	-	0.1	-	-

90.	Phenol:-Skin	5	19	-	-
91.	Phorate (Thimet):-Skin	-	0.05	-	0.2
92.	Phosgene (Carbonyl chloride)	0.1	0.4	-	-
93.	Phosphine	0.3	0.4	1	1
94.	Phosphoric acid	-	1	-	3
95.	Phosphorus (yellow)	-	0.1	-	-
96.	Phosphorus pentachloride	0.1	1	-	-
97.	Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3
98.	Pierie acid:-Skin	-	0.1	-	0.3
99.	Pyridine	5	15	-	-
100.	Silane (Silicon tetrahydride)	5	7	-	-
101.	Sodium hydroxide:-C	-	2	-	-
102.	Styrene, monomer (Phenylethylene)	50	215	100	425
103.	Sulphur dioxide	2	5	5	10
104.	Sulphur hexafluroride	1000	6000	-	-
105.	Sulphuric acid	-	1	-	-
106.	Tetraethyl lead (as Pb):-Skin	-	0.1	-	-
107.	Tolune (Toluol)	100	375	150	560
108.	0:-Toluidine:-Skin (S.C.)	2	9	-	-
109.	Tributyl phosphate	0.2	2.5	-	-
110.	Trichloroethylene	50	270	200	1080
111.	Uranium, natural (as U)	-	0.2	-	0.6
112.	Vinyl chloride (H.C.)	5	10	-	-
113.	Weldingfumes	-	5	-	-
114.	Xylene (o:-,m:-, p:-isomers)	100	435	150	655
115.	Zincoxide				
	(i) Fume	-	5.0	-	10
	(ii) Dust (Total dust)	-	10.0	-	--
116.	Zirconium compounds(asZr)	-	5	-	10

ppm Parts of vapour or gas per million parts of contaminated air by volume at 25°C and 760 of mm Hg.

mg/m3 milligram of substance per cubic metre of air

* Not more than 4 times a day with at least 60 min. interval between successive exposures.

$$** mg/m3 = \frac{\text{Molecular weight}}{24.45} X.ppm$$

G denotes Ceiling Limit

Skin. denotes potential contribution to the overall exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye.

S.C. denotes Suspected Human Carcinogen.

H.C. denotes Confirmed Human Carcinogen.

Substance	Permissible time-weighted average concentration (TWA) (8 Hrs.)
Silica, SiO	
(a) Crystalline	
(i) Quartz	
(1) In terms of dust count	$\frac{10600}{\%\ Quartz + 10}$
(2) In tems of respirable dust	$\frac{10}{\%\ respirable\ Quartz + 2}$ mg/m3
(3) In terms of total dust	$\frac{30}{\%\ Quartz + 3}$ mg/m3
(ii) Cristobalite	Half the limits given against quartz.
(iii) Tridvmite	Half the limits given against quartz.
(iv) Silica, fused	Same limits as for quartz.
(v) Tripoli	Same limits as in formula in item (2) given against quartz.
(b) Amorphous Silicates .	lOmg/m3, Total dust.
Asbestos (H.C.)	*2 fibres/mi, greater than 5 um in length and less than 3 um in breadth with length to breadth ratio equal to or greater than 3:1.
Portland Cement	1 Omg/m3, Total dust containing less than 1% quartz.
Coal Dust	2mg/m3, respirable dust fraction containing less than 5% quartz.

mmpcm Million particles per cubic metre of air, based on impinger samples counted by light:-field techniques.

* As detennined by the membrane filter method at 400 :- 450 x magnification (4 mm objective) phase contrast illumination.

Respirable Dust:

Fraction passing a size:-selector with the following characteristics:

Aerodynamic Diameter (um) (Unit density sphere)	% passing selector
<2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	00

SHEDULE XIII
[See Rule 278 (2)]
Benefit

s.no.	Name of Benefit	Nature of Benefit	Person to whom Benefit Shall be payable	Conditions of Eligibility, if any, besides that specified in Rule 277	Guideline regarding Rate at which Benefit may be paid	Other condition forgrant of benefit, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Pension**					
1.1	Old Age Pension	Monthly Payment	A Person who ceases to be a beneficiary due to completion of sixty years of age	1. Pension will be payable only during the lifetime of the eligible person 2. After initial sanction, pension for January of every year shall be payable only on production of a Live Certificate in Form prescribed by the Board.	Monthly Rate of Old Age pension will depesion on the total contribution by the beneficiary and prevailing annuity rate.	In the event of a pensioner's demise, it shall be the duty of his spouse/next-of-kin to inform the Board immediately thereafter.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2..	Family pension	Monthly Payment	Surviving spouse of a deceased Pensioner who was in receipt in Old Age Pensioner in case three is no surviving spouse. minor children and/or unmarried daughters, below the age of 21 year, if any	1. Payment of Family Pension shall cease in the follwing circumstsnces:- (i) If Family Pension is being paid to surviving spouse. on the death or remarriage of such surviving spouse. (ii) If Family Pension was being paid to minor children and/or unmarried daughters below the age of 21 year, and all unmarried daughters either marryiing or attaining the age of 21 years 2.Annual renewal in January of each year shall be necessary in. mutitis mutandis. the manner indicated for Old Age Pension in clause (2) in Col.4.	Rate of Family Pension shall normally be 50% of the amount which was being paid as Old Age Pension	It shall be the due of the recipient or his/her next Board as soon as the payment of Family Pension need to be discontinued as per Clause 1 in Col.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3	Disability Assistanec & Pension	Lump-sum initial paymemt followed by monthly payment	A disabled beneficiary as defined in Col.4	1.The beneficiary who due to accident or illness, has eighty percent or more than one or more of the following disabilities as defined in Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996), namely:- (i) blindness, (ii) hearing impairment, (iii) locomoter disability which prevent him from undertaking any gainful occuption. 2. Annual renewal in January of each year shall be necessary, in mutatis mutandis, the manner indication for Old Age Pension in clause (2) in Column (4), with the modification that the Certificate required shall be of continued disaility.	1. On production of a certificate that a beneficiary has suffered a disability as specified in Col. 4. a Lump-sum Disability Assistance shall be paid to him. 2. The board may, in addition, sanction to the beneficiary a monthly Disability Pension whose rate will be decided by the Board with the prior approval of the Stste Govt. from time to time	Application for Disability Assistsnce and Pension must be accompained by a Certificate given by and authorised the Doctor regarding the beneficiary having suffered a disability as defined in Col. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**Assistance for Housing** 2.1 loan for purchase or construction of house	Loan, normally payable in three instalments.	Beneficiary	Beneficiary should be below 45 year of age at the time of applying.	Amount of Loan shall not exceed Rs. one lakh	1. Loan for contruction shall normally be disburesed in three instalments payable when work progresses upto work progresses upto plinth and roof levels and is comleted. respectively. 2. Loan for purchase shall be disursed directly tothe agency form which house is being purchased. 3. Amount sanctioned as loan and the interest payable thereon shall be recovered in equal monthly or quarterly instalments as may be fixed by the Board. 4. Interest ratr on loan shall be such as may be decided by the Board form time to time

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	Interest Subsidy for Housing Loan taken from a housing Finance Institution	Annual Payment	Beneficiary	Beneficiary should have obtained housing loan from a nationalized bank or form a housing finance institution, approved by the Board.	As may be determine by the Board from time to time, keeping in view the guiding principal that rate of interest subsidy should exceed by at least one percentage point. the difference betweew the interest rate charged on housing loan by the Board and by housing finance institution(s) approved financial institution are 8% and 12% respectively, rate of nterest subsidy should normally be at least (12-8+1)=5%.	Interest subsidy for any year shall be paid only on submission of proof that all instalments payable to the loaning institution for the year have been paid in full by the beneficiary.
3.	**Education Assistance**					
3.1	Scholarship	Annual Payment	(i) Beneficiary's Child (ii) Female Beneficiary	1. The child/female beneficiary/wife should be studying in a full time course of study appoved by the Board. 2. Maximum of only two children of a beneficiary shall be eligible for scholarship at any given time.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(iii) Beneficiary's wife	3. The Child/female beneficiary/wife should not be in receipt of a scholarship form amy other source. 4. Scholarship for a year shall be payable only after passing the relevant annual examination. 5. Age of female beneficiary/beneficiary's wife should not be more than 35 years.		
3.2	Education Loan	Loan to be disbursed for one year at a time	Beneficiary	1. Beneficiary should not be more than 55 year of age in the year in which loan is disbursed. 2. Child for whose education loan is given should be studying in a full time professional or vocational course of study approved by the minimum entrance qualification is Higher Scondary (10+2).		1. Amonut sanctioned as loan and the interest payable thereon shall be recovered in equal monthly or quarterly instalments as may be fixed by the Board. 2. Interes rate on loan shall be such as may be decided b the Board from time to time.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3	Interest subsidy for Education Loan	Annual Payment	(i) Beneficiary's child (ii) Female Beneficiary (iii) Beneficiary's wife	Person mentioned in Col.3 should have obtained education loan from a nationalized bank or a financial institution, approved by the Board	As may be determine by the Board from time to time, subject to the guiding principal, *mutatis-mutandis,* as specified in Col.5 against "Interest Subsidy for Housing Loan"	As specified in Col.6 against "Interest Subsidy for Housing Loan"
3.4	Cash Award to meritori-ous students	Lump-sum payment	Children of Beneficiary	1. Three male and three female children of the beneficiaries in each district who score highest marks in High Scholl &Higher Secondry Certificate examinatin subjact to the student receiving at least 50%the aggregate marks. 2. Every child of a beneficiary who secures admission to an Engineering or medical collage or a polytechnic after qualifying in a Entrance Exmination held by the M.P. Professional Examination Board.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**Assistance for Income Agumentation.**					
4.1	Assistance for purchase of Tools & Small Machines.	Loan for purchase of tool and small machine used in construction work.	Beneficiary	1.Beneficiary should not be more than 55 year of age at the time of applying. 2. He should purchase, from a regular and reputed dealer, tools, and/or machines,as may be approved by; the Board for the purpose of this Benefit.		1.Amonut sanctioned as loan and the interest payable thereon shall be recovered in equal monthly or quarterly instalments as may be fixed by the Board. 2. Interest rate on loan shall be such as may be decided by the Board form time to time.
4.2	Interest Subsidy for supplementary Income generat-ing activates.	Annual Payment	Co-operative Societies/Self Help Groups of Beneficiaries wives.	Co-operative Society/Self-Help Group mentioned in col.3 should have obtained a loan form a nationalised bank, or a financial institution approved by the Board, for a subsidiary economic activity.	As may be deter-mined by the board from time to time subject to a maxi-mum of 4% of the Loan Amount.	As specified in col. 6 against "Interest Subsidy for Housing Loan"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	**Marriage Assistance**	Grant for marriage of beneficiary's daughter and for female beneficiary's own marriage.	Beneficiary	Assistance shall be sactioned for the marriage of a maximum of two daughters of a Beneficiary		
6.	**Medical Assistance**	Grant for indoor medical treatment of major ailments of beneficiary, his spouse and minor children.	Beneficiary	The beneficiary or family member should have been hospitalised for not less than five days for treatment of a "Major Ailment"	Assistance shall ordinarily be limited to :- (i) the difference between- (a) actual expenditure on treatment, and (b) claim receivable under an insurance policy or assistance received form the employer, if any, or (ii) 50% of acctual expenditure on treatment. or (iii) Rs. 50,000/- whichever is less.	(i) "Major Ailment" and items of expenditure on treatment admissible for assistance, shall be defined by the Board, with prior approval of the State Govt. (ii) Hospitalisation would have to be in a Govt. Hospital or a Hospital approved by the Board.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	**Maternity Assistance**	Grant to pregnant Female beneficiary.	Female Beneficiary	1. Beneficiary should not be less than 20 years of age at the time of delivery. 2. Benefit to any beneficiary shall not be allowed more than twice.	-	The benefit shall be paid in the last trimester of preg-nancy.
8.	**Insurance Assistance**					
8.1	Group Insurance	Coverage of beneficiaries under a group insurance scheme.	Beneficiary			1. Nature and rate of benefits of the Group Insurance Scheme shall be such as may be decided by the Board in consultation with the insurance Institution. 2. The entire premium of the Group Insurance Scheme shall be paid by the Board.
8.2	Assistance for payment for Insurance Premium	Grant for part payment of life/disability/ medical insurance	Beneficiary	Beneficiary should subscribe to a life/disability/medical insurance policy of an institution, both or which should be approved by the Board.	Assistance will normally not exeed 50% of the annual premium payble by the beneficiary.	Assistance for any year shall be payble on production of proof that the full premium due for the year has been paid to the Insurance Company.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	**Assistance in case of death**					
9.1	Funeral Assistance	Lump-sum grant	Next-of-kin of deceased beneficiary	Application should be submitt within seven days of death.		
9.2	Ex-gratia payment in case of death.	Lump-sum grant	Nominee/Next-of-kin of the deceased beneficiary	The beneficiary should not have died as a result of sucide or an attempt to commit sucide or any other offence.		

FORM I
[See Rule 23(1)]

Application for Registration of Establishments Employing Building Workers

1. Name and location of the Establishment where building or other construction work is to be carried on.
2. Postal address of the Establishment.
3. Full name and permanent address of the Establishment, if any.
4. Full name and address of the Manager or person responsible for the supervision and control of the Establishment.
5. Nature of building or other construction work carried/is to be carried on in the Establishment.
6. Maximum number of building workers to be employed on any day.
7. Estimated date of commencement of building or the other construction work.
8. Estimated date of completion of the building or other construction work.
9. Particulars of demand draft, enclosed (name of the Bank amount, demand draft No. and date)

Declaration by the employer :

(i) I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(ii) I undertake to abide by the provisions of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and the Rules made thereunder.

Principal Employer
Seal and Stamp

Office of the Registering Officer appointed under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and C.G. Rules made thereunder

Date of Receipt of application.

FORM II
[See Rule 24(1)]

No. **Date:**

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Office of the Registering Officer

A Certificate of Registration is hereby granted under sub:-section (3) of Section 7 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2004 and the rules made thereunder, to M/s ....having the following particulars subject to conditions laid down in the Annexure:

1. Postal Address/location where building or other construction work is to be carried on by the Employer.
2. Name and address of employer including location of the building and other construction work..

3. Name and permanent address of the establishment.
4. Nature of work in which building workers are employed or are to be employed.
5. Maximum number of building workers to be employed on any day by the employer.
6. Probable date of commencement and completion of work.
7. Other particulars relevant to the employment of building workers.

Signature of Registering Officer
with Seal

ANNEXURE

The registration granted hereinabove is subject to the following conditions, namely:-

(a) the certificate of registration shall be non-transferable;

(b) the number of workmen employed or building workers in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration;

(c) save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be nonrefundable;

(d) the rates of wages payable to building workers by the employer shall not be less than the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (II of 1948) for such employment where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed; and

(e) the employer shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(c) save as provided in tnese rules, tne tees paid tor the grant of registration certificate shall be non-refundable;

(d) the rates of wages payable to building workers by the employer shall not be less than the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (II of 1948) for such employment where applicable, and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed; and

(e) the employer shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

FORM III
[See Rule 25(2)]
Register of Establishments

Sl. No.	Registration No. and date	Name and Address location of the establishment registered where a building or other construction work is to be carried on	Name of the Employer and his address	Nature of building or other construction work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Name and permanent address of Establishment	Probable date of commencement of work	Maximum No. of building workers to be employed on any day	Probable duration of building or other construction work & probable date of completion	Remarks
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM IV

[See Rules 26(3) and 239(1)]

Notice of commencement/completion of building or other construction work

(1) (i) Name and address (Permanent) of the establishment

(ii) Name of the employer and address ....

(2). Name and situation of place where the building and other construction is proposed to be carried on.

(3) No. and date of Certificate of registration ....

(4) Name and address of the person incharge of the construction work.

(5) Address to which the communications relating to building or other construction work may be sent.

(6) Nature of work involved and the facilities including plant or machinery provided.

(7) The arrangement storage of explosives, if any, to be used in building or other construction work.

(8) In case the notice is for commencement of work, the approximate duration of work.

I/We hereby intimate that the building or other construction work (Name of work) having registration No.. dated ....is likely to commence/is likely to be completed with effect from ....(date)/on (date).

Signature of the Employer

To,

The Inspector,

....

....

FORM V

[See Rules 56 and 74(b), Schedule I]

Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Winches, Derricks and Their Accessory Gear

Test Certificate No ....

(a) In case of construction site, name of the construction site where lifting appliances are fitted/ installed/located:

Situation and Description of lifting appliances with distinguishing number or marks (if any), which have been tested, thoroughly examined (1)	Angle to the horizontal of derrick boom at which test load applied (2)	Test load applied (3)	Safe working and Gear load at the angle shown in column (2) (4)
	(Degrees)	(Tonnes)	(Tonnes)

Name and address of public service, association, company, or firm or testing establishment making the test and examination (5)	Name and position of the Competent Person of public service, association, company or firm or testing establishment (6)

I certify that on the............................day of.......................... the lifting appliance shown in column (I) together with its necessary gear was tested in the manner set forth overleaf in my presence; that a careful examination of the said lifting appliances after the test showed that it had withstood the test load without injury or permanent deformation; and that the safe working load of the said lifting appliance and accessory gear is as shown in column (4).

Signature of the Competent Person .... Date

Seal

Registration/Authority number of the Competent Person

FORM VI

[See Rules 56 and 74(b)]

Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Cranes or Hoists and Their Accessory Gear

Test Certificate No ....

(a) Name of the construction site where cranes or hoists are fitted/installed/located:

Situation & Description	For jib cranes radius at the test laod was applied	test load was applied	Safe working load for jib cranes at radius shown in column (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Metres)	(Tonnes)	(Tonnes)

Name and address of public service, association or firm or testing establishment making the test and examination	Name and position of Competent Person of public service, association, company or firm or testing establishment
(5)	(6)

I certify that on the..................................day of..................................the above lifting appliances together with its accessory gear, was tested in the manner set forth overleaf; that a careful examination of the said lifting appliance and gear after the test showed that it had withstood the test load without injury or permanent deformation; and the safe working load of the said lifting appliance and gear is as shown in column(4).

Signature of the Competent Person (See Note 3)

Registration/Authority number of the Competent Person

Seal

Date

FORM VII

[See Rules 70 and 74(b)]

Certificate of Initial and Periodical Test and Examination of Loose Gears

Test Certificate No ....

(a) Name of the construction site where loose gears are fitted/installed/located:

Distinguishing Number or Mark	Description, dimension andmeterial of gear/ device	Number tested	Date of test	Test load applied (tonnes)	Safe Working load (SWL) (tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name and address of manufacturer of suppliers	Initial test and examination certificate No. and date(only in) case of peridical test and examination)	Name and address of Public service association, company or firm or testing establishment making the test and examination	Name and Position of competent person in public service, or firm of testing establishment
(7)	(8)	(9)	(10)

I certify that on the.................................... day of 19.................................... the above gear was tested and examined in the manner set forth overleaf; that the examination showed the said gear/device withstood the test load without injury or deformation; and that the safe working load of the said gear device is as shown in Column 6.

Signature of the Competent Person Seal Date

Registration/Authority number of the Competent Person.

FORM VIII
[See Rules 62 and 74(b)]
Certificate of Test and Examination of Wirerope Before Being Taken Into use

Test Certificate No ....

(1) Name and address of maker or supplier:

(2) (a) Circumference/diameter of rope

(b) Number of strand

(c) Number of wires per strand

(d) Lay

(e) Core

(3) Quality of wire (e.g. Best Plough steel)

(4) (a) Date of test of sample of rope

(b) Load at which sample broke (tonnes)

(c) Safe working load of rope (tonnes)

(d) Intended use

5. Name and address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination.

6. Name and position of Competent Person in public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination.

I certify that the above particulars are correct, and that the test and examination were carried out by me and no defect Effecting its safe working load (SWL) were found.

Signature of the Competent Person Seal Date

Registration/Authority number of the Competent Person.

FORM IX
[See Rules 72 and 74(b)]
Certificate of annealing of loose gears

Test Certificate No ....

(a) Name of the Construction site where loose gears are fitted/installed/located:

Distinguishing Number or Mark	Description of gear	Number of the certificate of test & examination	Number annealed	Date of annealing	Defect found at careful inspection after annealing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name and address of public service association, company or firm or testing establishment carrying out the annealing and inspection	Name and position of Competent Person of public service , association, company, or firm or testing establishment
(7)	(8)

I certify that on the date shown in column (5) the gear described in columns (1) to (4) was effectually annealed under my supervision that after being so annealed every article was carefully inspected; and that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (6).

Signature of the Competent Person
Registration/Authority number of the Competent Person.

Seal Date

FORM X

(See Rules 69 and 73)

Certificate of Annual Thorough Examination of Loose Gears Exempted From Annealing

(a)Name of the Construction site where loose gears are fitted/installed/located:

Distinguishing number or mark	Description of Gear	Number of certificate of initial and periodical test and examination	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)

Name and address of public service, association, company or firm or testing establishment making the test and examination	Name and position of Competent Person of public service, association, company or firm or testing establishment
(5)	(6)

I certify that on the.. day of 19 ....the above gear. described in column (2) was thoroughly examined: and that no defects affecting its safe working condition were found other than those indicated in column (4).

Signature of the Competent Person Seal Date

Registration/Authority number of the Competent Person.

FORM XI
[See Rule 223(c)]
Certificate of Medical Examination

1.	Certificate Serial No	:	....
	Date	:	....
2.	Name	:	....
	Indentification marks:	:	(1) ....
		:	(2) ....
3.	Father's Name	:	....
4.	Sex	:	....
5.	Residence	:	....
	son/daughter of	:	....
6.	Date of birth, if available	:	....
	and/or certificate age	:	....
7.	Physical Fitness	:	....

I hereby certify that I have personally examined ....(name)son/daughter/wife of...residing at who is desirous of beingemployed in building and construction work and that his/her age as nearly as can be ascertained from my examination is.. years and that he/she is fit for employment in ....as an adult/adolescent.

8. Reason for:

(1) refusal of certificate : ....

(2) certificate being revoked : ....

....

Signature/Left hand Thumb impression of building worker

Signature with Seal Medical Inspector/C.M.O.

Note -

1. Exact details of cause of physical disability should be clearly stated.
2. Functional/productive abilities should also be stated if disability is stated.

FORM XII
[See Rule 223(d)]
Health Register
(In respect of persons employed in Building and other construction work involving hazardous processes)

Name of the Construction Medical Officer/Medical Inspector.
(a) Mr. .... From .... to ....
(b) Mr. .... From .... to ....
(c) Mr. .... From .... to ....

Sl. No.	Works No.	Name of building worker	Sex	Age (Last birthday)	Date of employment of present work	Date of leaving or transfer to other work
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

	Reason for leaving transfer or discharge	Nature of job or occupation	Raw Material or by product handled	Date of medical examination by cartifying surgeon Medical Inspector/CMO	Result of medical examination	If suspended from work, state period of suspension with detailed reason
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Certified fit to resume duty on with signature of Medical Inspector/C.M.O	If certificate of unfitness or suspension issued to worker
(14)	(15)

2.
3.

Signature with date of Medical Inspector CMO

Note - (i) column (8)-Detailed summary of reason for transfer or discharge should be stated.
(ii) column (12) should be pressed as fit unfit suspended.

FORM XIII
[See Rule 230(a)]
Notice of Poisoning or Occupational Notifiable Diseases

1. Name and address of the employer : ....
2. Name of the building worker : ....
and his work No., if any : ....
3. Address of the building worker : ....
4. Sex and Age : ....
5. Occupation : ....
6. State exactly what the patient was doing at the time of contracting the disease : ....
7. Nature of poisoning or disease from which the building worker is suffering from : ....

Date: Signature of the employer CMO

Note.- When a building worker contracts any disease specified in Schedule XII, a notice in this form shall be sent forthwith to the Director General.

FORM XIV
[See Rule 210(7)]
Report of Accidents and Dangerous Occurrences

Name of the project work : ....
Location of project work : ....
Stage of construction work : ....
Particulars of Employer : ....
(a) Main contractor firm/Co.: : ....
(b) Sub-contractor's particulars: : ....

Name	....	Name	....
Address	....	Address	....
Phone Nos.	....	Phone Nos.	....
Nature of business	....	Nature of business	....

5. Particulars of injured person

(a) Name ....

(First) (Middle) (Surname)

(b) Home Address : ....

(c) Occupation : ....

(d) Status of the worker : ....

Casual : ....

Permanent : ....

(e) Sex: Male\Female : ....

(f) Age : ....

(g) Experience : ....

(h) Marital status : Married / Unmarried / Divorced

6. Particulars of Accident

(a) Exact place where accident occurred : ....

(b) Date : ....

(c) Time : ....

(d) What the injured person was doing at the time of accident? : ....

(e) Weather condition : ....

(j) How long employed by you for this particular job?

(g)Particulars of equipment/machine/tool : involved & condition of the same after the accident occurred ....

(h) Brief description of the accident : ....

7. Nature of injuries : ....

(a) Fatal : ....

(b) Non-fatal : ....

(c) If non-fatal, state precisely the nature of injuries : ....

(Describe in detail the nature of injury, for instance fracture of right arm, sprain etc.)

(d) First-Aid : Given / Not given:

(e) If not, give the reasons : ....

(f) Name & designation of the person by whom first-aid was given : ....

(g) If admitted to hospital, : ....

Name of the hospital: : ....

Address of the hospital : ....

Phone No. : ....

Name of the Doctor : ....

8. Mode of transport used : ....

Ambulance Truck Tempo/ Taxi/ Private Car

9. How much time was taken to shift the injured person? : ....

(a) If very late: state the reasons : ....

(b) How the reporting was made? : ....
Telephone Telegram Special Messenger
Letter

(c) Who visited the accident site first and what action was proposed by him? : ....

(d) What are the actions taken for the investigation of the accident by the employer? (Describe about photographs! Video film/measurements taken etc.) : ....

10. Particulars of the persons given witness: : ....

(a) Name Address Occupation 1. : ....
Name Address Occupation 2. : ....
Name Address Occupation 3. : ....
Name Address Occupation 4. : ....
(b) Whether Temporary Permanent : ....

11. Particulars in case of fatal : ....
Date Time : ....
Whether registered with Building and other Construction Workers' Welfare Board : If yes, give Reg. No. ....

12. Dangerous Occurrences as covered under the Regulation No. (Give details) : ....

(a) collapse or failure of lifting appliances, hoist conveyors etc. : ....

(b) collapse or subsidence of soil, any wall, floor, gallery etc. : ....

(c) collapse of transmission towers, pipeline, bridges etc. : ....

(d) explosion of receiver, vessel etc. : ....

(e) fire and explosion : ....

(f) spillage or leakage of hazardous substances : ....

(g) collapse, capsizing, toppling or collision of transport equipment.

(h) leakage or release of harmful toxic gases at the construction site. : ....

(i) failure of lifting appliance, loose gear, hoist or building and other construction work machinery, transport equipment etc. : ....

13. Certificate from she Employer or authorised signatory. : ....
I certify that to the best of my knowledge and belief, the above particulars are correct in every respect.

Place :

Signature

Date :

Designation

c.c forwarded for information and follow-up action:

1.
2.
3.

Note.- If more than one person is involved, then for each person, information is to be filled up in separate forms.

FORM XV
(See Rule 240, 276)
Register of Building Workers Employed by the Employer

1. Name and address of establishment where building and other construction work is to be carried on Nature and location of work

2. Nature of building or other construction work

3. Name and permanent address of establishment

4. Name and address Inspector

Sl. No.	Name and Surname of workman	Age and Sex	Father's /Husband's Name	Nature of Employment Designation	Permanent Home address of workman (Village and Taluk and Distt.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					

Local Address	Date of commencement of employment	Signature or thumb impression of workman	Date of termination of employment	Reasons for termination
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.				
2.				
3.				
4.				

If the building worker is/was benefiiary		If the building worker has ceased to be benficiary			
Registration No.	Date of Registration	Date Since when ceased	Reason for cesation	Whether beneficiary. has authorised employer under Section 16(2) to deduct contribution on and yes. month & years since when authorised	Remark
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.					
2.					
3.					
4.					

FORM - XVI

[See Rule 241(1)(a)]

Muster-Roll

1.Name and permanent address of the establishment

2.Name and address of building or other construction work

3.Name and address of establishment where building or other construction work is carried on/is to be carried on

4.Name and address of Employer For the month of

Sl.	Name of the building worker	Father's/Husband's name	Sex	Dates	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					

FORM XVII
[See Rule 241(1)(a)]
Register of Wages

1. Name and permanent address of Establishment ....

2. Nature of building or other construction work

3. Name and address of the Establishment where building or other construction work is carried on

4. Name and address of the Employer ....

Wage period Monthly ....

Sl. No.	Name of workman	Serial No. in the register of workman	Designation/nature of work done	No. of days worked	Units of work done
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Daily rate of wages/piece rate	Amount of wages earned				
	Basic wages	Dearness allowances	Overtime	Other cash payments (Nature of payment to be indicated)	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Deductions, if any, (indicate nature)	Net amount paid	Signature/Thumb impression of workman	Initial of employer or his representative
(13)	(14)	(15)	(16)

FORM XVIII
[See Rule 241(1)(a)]
Form of Register of Wages-Cum-Muster-Roll

Name and address of the establishment where building or other construction work is carried on/is to be carried on
Nature of building or other construction work

Name and permanent address of establishment

Sl. No.	Sl. No. in Register of building workers	Name of employee	Designation/ nature of work worked	Daily attendance/units units of work done	Total attendance/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.

Daily rate of wages/piece rate	Amount of wages earned				
	Basic wages	Dearness allowances	Overtime	Other cash payments (Nature of payment to be indicated)	Total
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Deductions, if any, (indicate nature)	Net amount paid	Signature/Thumb impression of workman	Initial of employer or his representative
(13)	(14)	(15)	(16)

FORM XIX
[See Rule 241(1)(b)]
Register of deductions for damage or loss

Name and Address of establishment where building or other construction work is carried on/is to be carried on
Nature of building or other construction work

Name and permanent address of building workers

Name and permanent address of the employer

Sl. No.	Name of work	Father's/ Husband's name	Designasion/ nature of employment	Particulars of damage or loss	Date of damage or loss	Whether building worker showed cause against deduction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Name of person in whose Presence Building worker's explanation was heard	Amount of deduction imposed	No. of instalments	Date of recovery	
			First instalment	Last Instalment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM XX
[See Rule 241(1)(b)]
Register of fines

1. Name and address of establishment where building or other construction work is carried on is to be carried on
2. Name and permanent address of establishment
3. Nature of building or other construction work
4. Name and address of the employer

Sl. No.	Name of the building worker	Father's Husband's name	Designation nature of employment	Act omission for which offence fine imposed	Date of
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Whether building worker showed cause against fine	Name of person in whose presence building worker's explanation was heard	Wage periods and wages payable	Amount of the fine imposed	Date on which fine realised	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM XXI
[See Rule 241(1)(b)]
Register of Advances

1. Name and address of establishment where building or other construction work is carried on/is to be carried on
2. Name and pemsanesst address of establishment
3. Nature of building or other construction work
4. Name and address of the employer

Sl. No.	Name	Father's/Husband's name	Nature of employment/ Designation	Wage period and wages payable	Date and amount of advance given
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Purpose(s) for advance given	No. of instalments by which advance to be repaid	Date and amount of each instalment repaid	Date on which last instalment was repaid	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

FORM XXII
[See Rule 241(1)(c)]
Register of Overtime

Name and address of Establishment where building or other construction work is carried on/is to be carried on

Name and permanent address of establishment

Sl. No.	Name of the building worker	Father's/Husband's name	Sex	Designation/Nature of employment	Date on which overtime worked
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total oversitne worked or production in case of piece rated	Normal rates of wages	Overtime rates of wages	Overtime eamings	Date on which overtime wages paid	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

FORM XXIII
[See Rule 241(2)(a)]
Wage Book

Name and Address of Employer
Name and address of the establishment where building or other construction work on/is to be carried on

Name and permanent address of establishment
Nature of building or other construction work
....
For the Week/
Fortnight /
Month ending ....

1. No. of days worked : ....
2. No. of units worked in case of piece-rate wotkers : ....
3. Rate of dailylnsonthly wages/piece-rate : ....
4. Amount of overtime wages : ....
5. Gross wages payable : ....
6. Deductions, if any, on account of the following:
   (a) fines. : ....
   (b) damage or loss. : ....
   (c) loans and advances. : ....
   (d) subscription towards provident fund. : ....
   (e) subscription towards the Building Workers' Welfare Fund. : ....
   (f) any other deductions e.g. subscriptions to Cooperative Society or account of loans fromCooperative Society/housing loan, or contribution to any relief fund as per provision of clause (F) of sub-section (2) of Section 7 of the Payment of Wages Act or for payment of any premium of Life Insurance Corporation.
7. Net amount of wages paid : ....

Initials of the employer
or his Representative

FORM XXIV
[See Rule 241(2)(b)]
Service Certificate

Name and permanent address of the establishment

Name and address/location where the building or other construction work carried on/to be carried on

: ....

Nature and location of work : ....

Name and address of the workman : ....
: ....

Age or Date of Birth : ....
Identification Marks : ....
Father's/Husband's name : ....

Sl. No.	Total period for which employed From	To	Nature of work done	Rate of wages with particulars of unit in case of (piece work)	If the building worker was a beneficiary his registration No., date and the name of the Board
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Reasons grounds on which the employment Terminated	Remarks
(7)	(8)

Signature

FORM XXV
(See Rule 242)
Annual Return of Employer to be sent to the Registering Officer

Year ending 31st December

1. Full name and full address of the establishment of the building and other construction work (Place. Post Office, District)'
2. Name and permanent address of the establishment
3. Name and address of the employer
4. Nature of building and other construction work carried on
5. Full name of the Manager or person responsible for supervision and control of the establishment
6. Number of building workers ordinarily employed
7. Total number of days during the year on which building workers were employed
8. Total number of man.days worked by building workers during the year
9. Maximum number of building workers employed on any day during the year
10. The number of accident that took place during the year as under:
    (a) The total number of accidents.
    (b) The number of accidents resulting in disablement of building workers for less than48 hours, the number of building workers involved and the number of man-days lost.

(c) The number of accidents resulting in disablement of building workers beyond 48 hours but not resulting in any permanent partial or permanent total disablement, the number of building workers involved, and the number of man-days lost on account of such accidents.

(d) The number of accidents resulting in permanent partial or total disablement, the number of building workers involved and the number of man-days lost on account of such accidents.

(e) The number of accidents resulting in deaths of building workers and the number of resultant deaths.

11. — Change, if any, in the management of the establishment, its location, or any other particulars furnished to the Registering Officer in the application for Registration indicating also the dates.

Employer

Place
Date

FORM XXVI
[See Rule 74(b)]
Register of Periodical Test—Examination of Lifting Appliance and Gears etc.
PART I
Initial and periodical load test of lifting appliances and their annual thorough examination

"Thorough examination" means a visual examination, supplemented, if necessary, by other means such as a hammer test, carried out as carefully as the conditions permit, in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined, and if necessary, for such examination parts of the lifting appliances and gear shall be dismantled.

(A)
Initial and periodical load tests of lifting appliance

Situation and description of lifting appliances tested with distinguishing number of marks if any	No. of certificate of test and examination of competent person	I certify that on the date on which I have appended by signature the lifting appliance shown in column (1) was tested defects affecting its safe working condition and no were found other than those shown in column (5)		Remarks (to be signed and dated)
		Date and signature with seal	Date and signature with seal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

(B)

Annual thorough examination

I certify that on the date to which I have appended my signature, the lifting appliance shown in column (1) was thoroughly examined and no defects affecting its safe working conditions were found other than those shown in column (12)						Remarks to be signed and dated
Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.						
2.						

Note—If all the lifting appliances are thoroughly examined on the same date it will be sufficient to enter in column (1) "All lifting appliances". If not, the parts which have been thoroughly examined on the dates must be clearly indicated.

PART II

Initial and periodical load test of loose gears and annual thorough examination

List of loose gear:

The following classes of loose gears namely—

1. Chains made of malleable cast iron;
2. Plate link chains;
3. Chains, rings, hooks, shackles and swivels made of steel;
4. Pitched chains;
5. Rings, hooks, shackles and swivels permanently attached to pitched chains, pulley blocks. container, spreaders, trays, slings, baskets, etc. and any other similar gear.
6. hooks and swivels having screw-threaded parts or ball bearings or other case-heardened parts; and
7. Bordeaux connections.

Initial Test and periodical load test of loose gears

Distinguishing No. or marks	Description of loose gear tested and examined	No. of certificates of test and examination of competent person	I certify that on the date to which I have appended my signature the loose gears shown in column (1) and (2) were tested and no defects affecting the safe working condition were found other than those shown in column (6)	
			Date and signature with seal	Date and signature with seal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5				

Annual thorough examination of loose gears

Remarks
(to besigned and dated)

I certify that on the date to which I have appended my signature the loose gears shown in columns (1) and (2) were thoroughly examined by me and no defects affecting their safe working conditions were found other than those shown in column (10)

Remarks to be signed and dated	Date and signature with seal	Date and signature with seal	Date and signature with seal and dated)	Remarks (to be signed
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PART III
Annealing of Chains, Rings, Hooks, Shackles and Swivels
(other than those exempted)
(SEE PART II)

12.5mm and smaller chains, rings, hooks, shackles and swivels general use	If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once at least in every six months. If used solely with lifting appliance worked by hand, must be annealed in once at, least in every twelve months.
Other chains, rings, hooks, shackles and swivels in general use.	If used with lifting appliance driven by power, must be annealed once at least in twelve months. If used solely with lifting appliance worked by hand, once at must be annealed least in every two years.

Note

It is recommended though not required by rules that annealing should be carried out in a suitably constructed furnace bested to temperature between 1100 degree and 1300 degree Fahrenh 700 degree centigrade, for a period between 30 and 60 minutes or degree and 700 degree centigrade, for a period between 30 and 60 minutes.

Distinguishing No. of mark	Description of gear annealed	No. of the certificate of test and examination annealed	I certify that on the date to which I have appended my signatue, the gear described in Cols. 1&2 was effectually annealed under my supervision; that after being so every article was carefully inspected and that no defects affecting its safe working condition were found other than those shown in Col.7			Remarks (to be signed and dated)
			Date and signature	Date and signature	Date and signature	
(1) (2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

FORM XXVII
[See Rule 269]
C.G.BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE BOARD BUDGET
FOR THE FINENCIAL YEAR ....
PART I
RECEIPTS

Head (1)	Actual receipt in the previous financial year.......... (2)	Estimated receipt for the current year, as per budget (3)	Actual receipt in first three quarters of the current year (4)	Estimated receipt for next financial year......... (5)
1. Cess received From employers				
2. Contribution received from Beneficiaries				
3. Grant received form Central Govt.				
4. Grant received form State Govt.				
5. Interest				
6. Other receipt				
Total receipts				

M.P. BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE BOARD BUDGET

FOR THE FINENCIAL YEAR ....

PART II
RECEIPTS

Head		Actual receipt in the previous financial year	Estimated receipt for the current year, as per budget	Actual receipt in first three quarters of the current year	Estimated receipt for next financial year ....
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Expences on meeting of the board.**				
1.1	TA/DA of members				
1.2	Refreshments				
1.3	Other incindental expences				
	Total (1)				
2.	**Expences on staff.**				
2.1	Pay and dearness allowance				
2.2	Medical Allowance				
2.3	House Rent Allowance				
2.4	Travelling Allowance/DA				
2.5	Loans and Advances				
2.6	Others				
	Total (2)				
3.	**Office Expences.**				
3.1	Water and Electricity				
3.2	Rents and Taxes				
3.3	Stationery and Printing				
3.4	P.O.L. Expences				
3.5	Furniture and fixture				
3.6	Telephone Exp.				
3.7	Postage and Telegram				
3.8	Books and Perodicals				
3.9	Liveries				
3.10	Other Contingent Exp.				
	Total (3)				
4.	**Capital Expences.**				
4.1	Purchase of Vehicle				
4.2	Construction/purchase/repair				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Renovation of Building	-			
4.3	Purchase of Equipment			
4.4	Other capital expences			
	Total (4)			
5.	**Expences on Benefits as Specified in Rule 277**			
5.1				
5.2				
5.3				
5.4				
5.5				
5.6				
	Total (5)			
6.	**Expences on General Welfare Activities as defined in Rule 280**			
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
	Total (6)			
	Total Expenditure			

Place :

Signature

Date :

M.P. BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE BOARD BUDGET

FOR THE FINENCIAL YEAR...........

PART III

RECEIPTS

	Head (1)	Amount (2)
1.	Estimated Total receipts	
2.	Estimated Total Expenditure	
3.	Estimated surplus/deficit [1-2]	

Place :

Date :

Signature of the Secretary
C.G. Building & Other Construction
Workers' Welfare Board

FORM-XXVIII
[See Rule 272(1)]
Application for Registration as Beneficiary

1. Name : ....
2. Name of father/husband : ....
3. Address : ....
   (i) Current Address : ....
   (ii) Permanent Address : ....
4. WhetherSC/ST : ....
5. Date of Birth : ....
6. Marital status : (Married/Unmarried/Widow)
7. Name and address of Employers for who worked in last 12 month : ....

S.no. (1)	Name and address employer (2)	Description & Location of Establishment where applicant is/was employed (3)	Registration No. of establishment (4)
1.			
2.			
3.			

Designation and nature of work performed by the applicant (5)	Dates of commencement & conclusion employment Commencement (6)	conclusion (7)	No. of days for which actually emplyed (8)	Remarke (9)
1.				
2.				
3.				

8. E.SI./E.P.E. No., if any : ....
   (i) FSI No. : ....
   (ii) EPFNo. : ....
9. Manner in which application fee
   (i) In cash. at office of the Board (Enclose receipt) : ....
   (ii) DD No.......dt....Drawn on : ....
10. As per the requirement of Rule 272, the following are enclosed
   (1) Proof of age (... ...of document ...en ...

(2) Proof of emplyyment as building workes in the establishment mentioned in col.(7) : ....

(i) .... (givedescription of document enclosed)..

(3) Nomination Form XXIX

(4) Two passport size photographs.

The above facts are ture to the best of may knowledge and belief. .

I undertake to regularly pay may 6 monthly contribution as aBeneficiary at the rate prescribed by the State Govt. and in the manner prescribed by the Board.

I request that I may please be registered as a beneficiary under Section 12 of the Building & Other Construction Worker's (R.E.C.S.) Act, 1996.

Place : Signature/Thumb Impression of Application..........................

Date : Signature/Thumb Impression of person.................................
identifyinf the application
identifier's Name & Address : ....
....

FORM XXIX
[See 272(1)(c)]
Nomination Form

I hereby nominate the following person/persons as my rightful heir receive all the dues form the C.G. Building & Other Construction Worker's Welfare Fund, on my behalf, in the event of my death:-

Name and address of Nominee/ Nominees	Date of Birth of nominee	Relationship with beneficiary	In case of minor, name of guardian	Percentage of the due to be Paid to the nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Signature ....
Name of applicant/beneficiary..............
Address...
Signature ....
Name of witness......................................
Address of witness ....

Place :
Date :

FORM XXX
[See 272(4)]
C.G.BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKER'S WELFARE BOARD
REGISTER OF BENEFICIARIES

Sl. No.	Nme of Beneficiary	Father's/ Husband's Name	Male/ Female	Whether SC/ST	Registration No.& /date	Address Permanent	Address Current
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Date of Birth	Nature of Employmemt Designation	Nominee	Rateof Contri-bution	Passport size photo-graph	Date of issue of identity card	Signature of the applicant	Signature of autho-rised officer of the Board
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM XXXI
[See 272(4)]
C.G.BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKER'S WELFARE BOARD
BENEFICIARY'S IDENTITY CARD
PART-I
GENERAL PARTICULARS

Passport size Photograph

1. Name of beneficiary : ....
2. Father's/Husband's Name : ....
3. Malr/Female : ....
4. Date of Birth : ....
5. Address : ....
   (1) Current Address : ....
   (2) Permanent Address : ....
6. Details of establishment where employed at the time of Registration : ....
7. Nature of Job & desination : ....
8. Registration No. : ....
9. Date of Registration : ....
10. Rate of Monthly Contribution : ....

Date & Place of issue :
Date :
Place :

Signature & Designation of
Authorized Office of the Board
(with office seal)

PART-II

DETAILS OF FAMILY MEMBERS & NOMINEES

Date of Nomination : ....

Details of Family : ....

Sl.No. (1)	Name of Family member (2)	Relationship with beneficiary (3)	Date of Birth (4)

In case of minor Name of Guardian (6)	Whether Nominated as a nominee, and if yes, specified share in benifit (7)	signature of authorised officer of the Board (8)

PART-III

DETAILS OF EMPLOYMENT

Sl.No. (1)	Description & Location of establishment where building worker employed (2)	Name & Address of the employer (3)	Designation and nature of work performed by beneficiary (4)

Date of commencement & conclusion of employememt		No. of daye for which actually employed	Signature of employer representative
commencement (5)	conclusion (6)	(7)	(8)

PART-IV
DETAILS OF BENEFITS RECEIVED FROM THE BOARD

Sl.No.	Name of benefit sanctioned	Date of sanction	Sactioned amount	Date of payment	If Loan No. of instalments in which to recovered	Signature of authorised officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pension					
2.	Assistance for Housing					
3.	Education Assistance					
4.	Assistance for Income Augmentation					
5.	Marriage Assistance					
6.	Medical Assistance					
7.	Maternity Assistance					
8.	Insurance Assistance					
9.	Assistance in case of death					
10.	Ex-gratia					

FORM XXXII
[See 272(5)]
APPLICATION FOR AMENDMENT IN IDENTITY CARD

1. Name of beneficiary : ....
2. Father's/Husband's Name : ....
3. Malr/Female : ....
4. Date of Birth : ....
5. Address : ....
   (1) Current Address : ....
   (2) Permanent Address : ....
6. Nature of Job & desination : ....
7. Registration No. : ....
8. Details of Board's office where registered as beneficiary : ....
9. Date of registration : ....
10. Details of requested amendments :-

Item to be amended	Present Entry	Requested Entry	Whether requested entry is in lieu of, or in addition to present entry	Reason for amendment	In case of addition family member, date of addition	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature of applicant/
Beneficiary

FORM XXXIII
[See Rule 272(7)]
APPLICATION FOR DULICATE CARD

1.	Name	:	....
2.	Name of fether/Husband	:	....
3.	Male/Female	:	....
4.	Address		
	(i) Current Address	:	....
	(ii) Permanent Address	:	....
5.	Whther SC/ST		Yes/No.
6.	Marital status		(Married/UnMarried/Widow)
7.	Date of Birth	:	....
8.	Name,;Address &Registration No. of the establishment wher applicant is working	:	....
9.	Name and address of employer	:	....
10.	Nature of Job/Employer	:	....
11.	ESI/EPF No.	:	....
12.	Date since when working for current employer	:	....
13.	Registration No. as beneficiary	:	....
14.	Office Board where registered as beneficiary	:	....
15.	Rate of monthly contribution	:	....
16.	Month upto which contribution paid	:	....
17.	Reason for requesting issue of duplicate Indetity card	:	....

The above facts are ture to the best of my knowledge and belief.

My original Identity Card is being surrendered herewith.

Two passport size photographs are enclosed : (where applicable)

Place : Signature of applicant

Date :

FORM XXXIV
[See Rule 272(3)]
REGISTER OF APPELS

Sl.No.	Appeal No.	Name of appellant	Date of submisson of appeal	Detais of order appealed against			Mode payment of fee and amount paid
				Designation of officer who passed the order	Date of order	list of order	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

FORM XXXV
[See Rule 275(1)]
INITIAL RETURN TO BE FILED BY EVERY ESTABLISHMENT WITH THE BOARD

1. Name of location of the establishment where building or other construction work is to be carried on : ....
2. Postal address of the establishment : ....
3. Full name and permanent address of the establishment : ....
4. Full Name of address of the Manager or person responcible for the supervision and control of the establishment : ....
5. Nature of building or other construction work carried/is to be carried in the estebltshment : ....
6. Maximum number of building workers to be employed on any day : ....
7. Estimated date on commencement of building or the other construction work : ....
8. Estimated date of completion of buiding or the other construction work : ....
9. Registration No. (with date of registration) as alloted by the Registering Officer : ....

Place :
Date :

Name and Signature
of the Employer

FORM XXXVI
[See Rule 275(2)]
MONTHLY RETURN

Return for the month of.......................
Name and address of the Establishment.................

PART-1
Number of workers and beneficiaries

1. No. of workers as at the close of previoue month : ....
   1.1 Registered as beneficiary : ....
   1.2 Not registered as beneficiary : ....
   1.3 Totol : ....
   1.4 Out of 1.1 number who authorised deduction under Section 16 (2) : ....
2. No. of worker who left service during the month : ....
   2.1 Registered as beneficiary : ....
   2.2 Not registered as beneficiary : ....
   2.3 Total : ....
   2.4 Out of 2.1 number who authorised deduction under Section 16 (2) : ....
3. No. of workers who enterėd service during the : ....
   3.1 Registered as beneficiary : ....
   3.2 Not registered as beneficiary : ....
   3.3 Total : ....
   3.4 Out of 3.1 number who had authorised deduction under Section 16 (2) : ....
4. No. of workers at the end of the month. : ....
   4.1 Registered as beneficiary : ....
   4.2 Not registered as beneficiary : ....
   4.3 Total : ....
   4.4 Out of 4.1 number who had authorised deduction under Section 16 (2) : ....

PART-II
Detail of beneficiaries whose contribution deduted for the month for remission of Welfare Board

Sl. No. (1)	Name of beneficiary (2)	Registration No. (3)	Amount of contribution dseducted (4)	Remark. (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
		Total :		

PART-III

Detail of D.D. through which contribution collected, is being remitted to Board

1. Name of the issuing Bank & Branch : ....
2. Amount of DD : ....
3. No. of DD : ....
4. Date of issue : ....
5. Branch where made payable : ....

Place :
Date :

Signature of the Employer/
Authorised representative

FORM XXXVII

[See Rule 276(1)]

Register of contributions to be maintained by the employer

1. Name and permanent address of the Establishment : ....
2. Name and address of the estabioshment where building or other construction work is carried on. : ....
3. Nature of building or other construction work : ....
4. Name and address of the employer : ....

Sl.No.	Name of Beneficiary	Father's/ Husband Name	Designation/ Nature of Employment	Registration No.& Date of Benefidiary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Age & Sex	Date of commencement & termination of employmeml		Rate of contribution	Month & year since when employer authorised under Section 16(2) to deduct contribution
	Commencement	Termination		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Monthwise detail of deduction of contribution in Financial year..................

Apr. (11)	May (12)	Jan. (13)	Jui. (14)	Aug. (15)	Sep. (16)	Oct. (17)	Nov. (18)	Dec. (19)	Jan. (20)	Feb. (21)	Mar. (22)

Total contribution remitted to the Board in the month	
Total contribution collected in the month	
Name of Bank & No. and date of DD through which amount remitted to the Board	
Signature of employer authorised representativy	

Total dedution in the financial year (23)	Remark (24)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2008

क्रमांक 467/तक-506/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28, 65 तथा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है. जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायें, अर्थात् :—

"24 शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	चिकित्सीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2.	नैसिखिया अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के संबंध में	50.00
3.	चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में (प्रारुप-06 में)	150.00
	(प्रारुप-07 में)	200.00
4.	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार-पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रतिप्रदाय किये जाने के संबंध में —	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
7.	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00"

2. नियम 62, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"62 फीस— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी—

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	अस्थायी पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी पंजीकरण चिन्ह समनुदेशन—	
	(डो) अशक्त यान	10.00

(1)	(2)	(3)
	(ई) मोटरसाईकल या मोटर साईकल-रिक्शा	100.00
	(एफ) हल्का मोटरयान	
	(1) निजी	200.00
	(2) परिवहन	400.00
	(डी) मध्यम मोटरयान अथवा अन्य कोई यान जो ऊपर वर्णित न हों	250.00
2.	अपील	150.00
3.	विनिश्चय/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अत्यावश्यक	150.00
4.	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये	100.00
5.	उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए—	
	(एक) हल्का मोटरयान—	
	(3) गैर-परिवहन यान	200.00
	(4) परिवहन यान	400.00
	(दो) मध्यम माल मोटरयान, मध्यम यात्री मोटर वाहन	450.00
	(तीन) भारी माल मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान	500.00"

3. नियम 145 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"145. शुल्क इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी —

सारणी

स. क्र. (1)	प्रयोजन (2)	रकम (रुपये) (3)
1.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
2.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
3.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
4.	संविदा वाहन के अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृति या नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
5.	प्रायवेट सेवा यान के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
6.	मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,000.00

(1)	(2)	(3)
7.	मोटर-केब के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
8.	मालयान के अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
9.	मालयान के अनुज्ञा-पत्र दिये जाने या प्रतिहस्ताक्षर नवीनीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
10.	मालयान के राष्ट्रीय अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
11.	पर्यटक यान (ओमनी बस) अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2,000.00
12.	अखिल भारतीय पर्यटक टेक्सी-केब अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1,500.00
13.	मोटर-केब से भिन्न परिवहन यान के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में—	
	(क) धारा-87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए	300.00
	(ख) धारा-87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
	(ग) धारा-87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए	750.00
14.	मोटर केब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	200.00
15.	मोटरयान अधिनियम की धारा-88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(डी) 07 दिवस तक के लिए	500.00
	(ई) 07 दिवस से अधिक 15 दिवस तक के लिए	1,000.00
	(एफ) 15 दिवस से अधिक	1,500.00
16.	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र में क्षेत्र या मार्गों का विस्तारण या उसमें फेरफार करने या प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
17.	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा-पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में.	1,500.00
18.	अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में	
	(क) मोटर-केब के लिए	500.00
	(ख) किसी अन्य परिवहन यान के संबंध में	1,000.00
19.	चार मास के अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
20.	प्रक्रम या संविदा अनुज्ञा-पत्र में किसी यान के प्रतिस्थापन की स्वीकृति हेतु आवेदन के संबंध में	750.00
21.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	1,500.00
22.	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-82 के अधीन मोटर-केब के प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र के हस्तान्तरण हेतु आवेदन के संबंध में.	750.00
23.	अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00

(1)	(2)	(3)
24.	किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
25.	अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(ए) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन हेतु—	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(बी) निम्नलिखित के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में	
	(क) राज्य परिवहन प्राधिकारी	500.00
	(ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	500.00
26.	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत् अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है.	200.00
27.	अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेखों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(सी) अपील प्राधिकारी राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिए—	
	(एक) सामान्य—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 30.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. [illegible]5.00
	(दो) अतिआवश्यक—	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 30.00
	(डी) अपील अधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्हीं अन्य दस्तावेजों के लिए—	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 30.00 तत्पश्चात प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 10.00
	(दो) अतिआवश्यक	प्रथम पृष्ठ के लिए रु. 60.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रु. 20.00
28.	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में.	10.00"

टीप :- 1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में शुल्क का संदाय यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की न्यायिक स्टाम्प चिपका कर किया जा सकेगा.

2. इस नियम के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी, यदि आवेदक वास्तविक कृषक द्वारा उनके स्वामित्व के

ट्रेक्टर-अनुयान के लिए प्रस्तुत किया गया हो.

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में किया गया है.

Raipur, the 31st May 2008

No. 467/Tech-506/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by section 28, 65 and 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, the same having been previously published as required by the sub-section (1) of section 212 of the said Act with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For Rule 24, the following shall be substituted, namely :—

"24 **Fees**— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
2.	In respect of duplicate Learner's License	50.00
3.	In respect issue of duplicate Driving License—	
	(In form No. 6)	150.00
	(In form No. 7)	200.00
4.	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle	200.00
5.	In respect an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
6.	In respect of supplying a copy of the decision of the licensing Authority—	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00
7.	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority—	
	(One) Ordinary	100.00
	(Two) Urgent	150.00"

2. For Rule 62, the following shall be substituted, namely :—

"62 **Fees**— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)			Amount (Rs.) (3)
1.	Issue of temporary registration or extension thereof and assignement of temporary registration mark—			
	(D)	Invalid Carriage		10.00
	(E)	Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw		100.00
	(F)	Light Motor Vehicle		
		(1)	Private	200.00
		(2)	Transport	400.00
	(D)	Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above		250.00
2.	Appeal			150.00
3.	Certified copy of the decision/document			
	(One)	Ordinary		100.00
	(Two)	Urgent		150.00
4.	Issue of particulars of registration			100.00
5.	Issue of duplicate copy of certificate of fitness			
	(One)	Light Motor Vehicle		
		3.	Non Transport Vehicle	200.00
		4.	Transport Vehicle	400.00
	(Two)	Medium goods vehicle, Medium passenger vehicle		450.00
	(Three)	Heavy goods vehicle, Heavy passenger vehicle		500.00"

3. For Rule 145, the following shall be substituted, namely :—

"145 **Fees**— The fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified below :—

TABLE

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount (Rs.) (3)
1.	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve Stage carriage permit.	1,500.00
2.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit.	1,500.00
3.	In respect of application for grant or renewal of contract carriage permit	1,500.00
4.	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
5.	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit.	1,500.00
6.	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1,000.00
7.	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1,000.00
8.	In respect of an application for grant/renewal of goods carriage permit	1,500.00
9.	In respect of an application for grant/renewal of a countersignature of goods carriage permit.	1,500.00
10.	In respect of an application for grant/renewal of a national permit for goods carriage.	1,500.00
11.	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit.	2,000.00
12.	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit.	1,500.00
13.	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab—	
	(D) Under Section 87 (1) (A) for Passenger Vehicle	300.00
	(E) Under Section 87 (1) (B) for Passenger Vehicle	750.00
	(F) Under Section 87 (1) (C) for Passenger Vehicle	750.00
14.	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	200.00
15.	In respect of an application for a Special Permit U/s 88(8) of the Motor Vehicle Act.	
	(d) For the period up to 07 days	500.00
	(e) For the period exceeding 07 days up to 15 days	1,000.00
	(f) For the period exceeding 15 days	1,500.00
16.	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a Permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit.	1,500.00
17.	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve Stage Carriage permit.	1,500.00
18.	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit	
	(C) For Motor Cab	500.00
	(D) Any other Transport Vehicle	1,000.00
19.	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month.	750.00
20.	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit.	750.00
21.	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	1,500.00

(1)	(2)	(3)
22.	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under section 82 of the Motor Vehicles Act, 1988.	750.00
23.	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	250.00
24	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00
25.	In respect of Appeal or Revision	
	(3) Memorandum of appeal against the order of the following—	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
	(4). In respect of an application for revision against the order of the following —	
	(A) State Transport Authority	500.00
	(B) Regional Transport Authority	500.00
26.	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/ application for revision.	200.00
27.	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority, and Regional Transport Authority—	
	(C) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 15.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 30.00 for each subsequent page.
	(D) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority or Regional Transport Authority—	
	(i) Ordinary	Rs. 30.00 for the first page and Rs. 10.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 60.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
28.	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authories.	10.00"

Note :—1. Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27, and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.

2. No fee shall be payable in respect of an applications for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of this rule, if the application is presented by a bonafied agriculturist for Tactor-Trolly owend by him.

Explanation :— The expression "Bonafied agriculturist" shall have the meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 अप्रैल 2008

क्रमांक/1162/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सिंगनवाही प. ह. नं. 16	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), रायपुर संभाग (छ. ग.)	पुल निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डी लोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 मई 2007

क्रमांक/1165/36 अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	110/4	0.02
	637/2	0.02
योग	2	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

क्रमांक 95/दो-2-17/2004.—श्री सनमान सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.